Table of Contents

अग्रिम प्रशंसा
शीर्षक
कॉपीराइट
समर्पण
थोक बिक्री
अंतर्वस्तु
प्रस्तावना
स्वीकृतियाँ
1. सामान्य स्थिति
2. उचित प्रक्रिया: पंजाब
3. उचित प्रक्रिया: दिल्ली
4. अगर आप अच्छे नहीं बन सकते
5. सांस्कृतिक मोर्चे पर
6. Khalistan Redux
उपसंहार
ग्रन्थसूची
लेखकों के बारे में

नए डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन से सपोर्टेड
रोमांचक राइटिंग इसे आम और जानकार रीडर्स के लिए एक
ज़रूरी किताब बनाती है।

पॉल वालेस, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और
प्रोफेसर एमेरिटस, यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिसौरी

आतंकवाद की विरासत

पंजाब

'सामान्य स्थिति' तक पहुँचने का लंबा रास्ता

इंद्रजीत सिंह जैजी डोना
सूरी

एसएसएजीई | चुनना

Table of Contents

अग्रिम प्रशंसा
शीर्षक
कॉपीराइट
समर्पण
थोक बिक्री
अंतर्वस्तु
प्रस्तावना
स्वीकृतियाँ
1. सामान्य स्थिति
2. उचित प्रक्रिया: पंजाब
3. उचित प्रक्रिया: दिल्ली
4. अगर आप अच्छे नहीं बन सकते
5. सांस्कृतिक मोर्चे पर
6. Khalistan Redux
उपसंहार
ग्रन्थसूची
लेखकों के बारे में

सेज की स्थापना 1965 में सारा मिलर मैक्यून द्वारा उपयोगी ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके लिए नवीन और उच्च गुणवत्ता वाली शोध एवं शिक्षण सामग्री प्रकाशित की जाती थी। आज हम 900 से अधिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं, जिनमें 400 से अधिक विद्वान समाजों की पत्रिकाएँ, प्रति वर्ष 800 से अधिक नई पुस्तकें और पुस्तकालय उत्पादों की बढ़ती श्रृंखला शामिल है, जिनमें अभिलेखागार, डेटा, केस स्टडी, रिपोर्ट और वीडियो शामिल हैं। सेज का अधिकांश स्वामित्व हमारी संस्थापक के पास है, और सारा के जीवनकाल के बाद यह एक धर्मार्थ ट्रस्ट के स्वामित्व में आ जाएगा जो हमारी निरंतर स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा।

लॉस एंजिल्स | लंदन | नई दिल्ली | सिंगापुर | वाशिंगटन डीसी | मेलबर्न

अग्रिम प्रशंसा

रोमांचक लेखन और नए दस्तावेज़ों एवं प्रस्तुतिकरण से समर्थित यह पुस्तक सामान्य पाठकों के साथ-साथ विद्वान पाठकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंजाब, उग्रवाद, राजनीतिक एवं न्यायिक व्यवहार को सरल और विचारोत्तेजक ढंग से कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है।

पॉल वालेस, राजनीति वैज्ञानिक और प्रोफेसर एमेरिटस, मिसौरी विश्वविद्यालय

यह पुस्तक भारतीय राज्य द्वारा किए गए उन कुकर्मों का विचारपूर्वक संकलन है, जिन्हें नागरिक समाज ने एक दशक से अधिक समय तक चले उग्रवाद के दौरान झेला है और जिन्हें कथित तौर पर उग्रवाद के नाम पर उचित ठहराया गया है। प्रचुर मात्रा में आधिकारिक प्रचार के विपरीत, यह पुस्तक वास्तविकता की भयावह याद दिलाती है और एक सामयिक चेतावनी है कि हमें निरंतर अपनी सुरक्षा व्यवस्था की जाँच करते रहना चाहिए। डोना सूरी ने अपनी लेखन शैली में स्पष्टता और संवादात्मकता का परिचय दिया है, जो आपके मन में उठने वाले क्रोध और दुःख को किसी भी प्रकार से कम नहीं करती।

जे. पी. एस. उबेरोई, पूर्व में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के प्रोफेसर।

हमारे समय का एक उत्कृष्ट सारांश, जिसे हास्य और प्रेमपूर्ण तटस्थता के साथ लिखा गया है।

राजविंदर सिंह बैंस, पंजाब और हरियाणा न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और अनुभवी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं।

पंजाब में उग्रवाद की विरासत

पंजाब में उग्रवाद की विरासत

सामान्य स्थिति में लौटने का लंबा रास्ता

इंद्रजीत सिंह जयजी
डोना सूरी

SAGE | SELECT

Los Angeles | London | New Delhi
Singapore | Washington DC | Melbourne

कॉपीराइट © इंद्रजीत सिंह जैजी और डोना सूरी, 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी भी सूचना भंडारण या पुनर्प्राप्ति प्रणाली शामिल है, पुनरुत्पादित या उपयोग नहीं किया जा सकता है।

पहली बार 2020 में प्रकाशित

सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
बी1/आई-1 मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र
मथुरा रोड, नई दिल्ली 110 044, भारत
www.sagepub.in

सेज पब्लिकेशन इंक
2455 टेलर रोड
थाउजेंड ओक्स, कैलिफोर्निया 91320, संयुक्त राज्य अमेरिका

सेज पब्लिकेशन्स लिमिटेड
1 ओलिवर यार्ड, 55 सिटी रोड
लंदन EC1Y 1SP, यूनाइटेड किंगडम

सेज पब्लिकेशन एशिया-पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड
18 क्रॉस स्ट्रीट #10-10/11/12
चाइना स्क्वायर सेंट्रल
सिंगापुर 048423

विवेक मेहरा द्वारा SAGE Publications India Pvt Ltd के लिए प्रकाशित। 11/14.5pt एडोब गैरामंड प्रो फॉन्ट में टाइपसेटिंग का काम Fidus Design Pvt Ltd, चंडीगढ़ द्वारा किया गया।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉगिंग-इन-पब्लिकेशन डेटा उपलब्ध है

आईएसबीएन: 978-93-532-8714-6 (ईपब)

सेज टीम: मनीषा मैथ्यूज, अंकित वर्मा और राजिंदर कौर

उन लोगों के लिए जिन्होंने कष्ट सहा

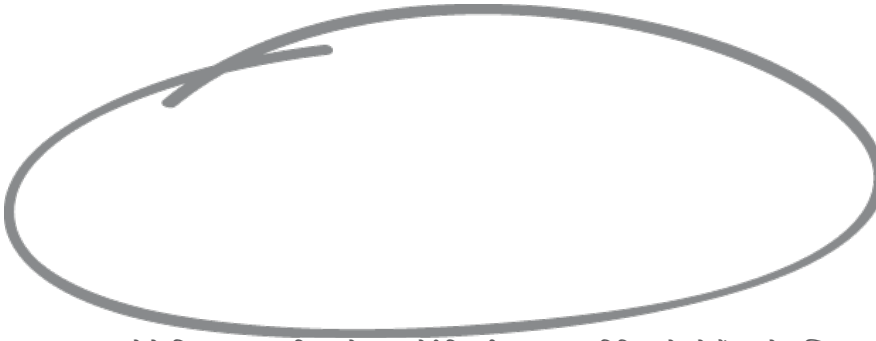

SAGE उत्पाद चुनने के लिए धन्यवाद! यदि आपके पास कोई टिप्पणी, सुझाव या प्रतिक्रिया हो, तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहूंगा। कृपया मुझे contactceo@sagepub.in पर लिखें। विवेक मेहरा, प्रबंध निदेशक और सीईओ, SAGE इंडिया।

थोक बिक्री
सेज इंडिया थोक में पुस्तकें खरीदने पर विशेष छूट प्रदान करता है। हम मांग पर अपनी पुस्तकों के विशेष संस्करण और अंश भी उपलब्ध कराते हैं।
ऑर्डर और पूछताछ के लिए, हमें
पर लिखें।
विपणन विभाग
सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
बी1/आई-1, मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र
मथुरा रोड, पोस्ट बैग 7
नई दिल्ली 110044, भारत
हमें marketing@sagepub.in पर ईमेल करें।

हमारी ईमेल सूची की सदस्यता लें
marketing@sagepub.in पर लिखें

यह पुस्तक ई-बुक के रूप में भी उपलब्ध है।

अंतर्वस्तु

प्रस्तावना
स्वीकृतियाँ

1. सामान्य स्थिति
    रियर-व्यू मिरर में 'सामान्य'
    उथल-पुथल की राजनीतिक पृष्ठभूमि
    उथल-पुथल की ओर ले जाने वाली आर्थिक परिस्थितियाँ
    इंस्टॉल हो गया है या बस अटक गया है?
    बिना सूत्रों वाला विज्ञान
    मानक अभ्यास
    पुराना खून, नया खून
    असफल प्रयोग: झाड़ू और उदासी
    बाईं ओर अकेला
    ब्लॉक बस्टर्स
    पुनर्जन्म
    टुकड़े और किनारे
    कोशिश करो, फिर से कोशिश करो?

2. उचित प्रक्रिया: पंजाब
    दमन की स्वतंत्रता
    बड़ी छड़ी: टाडा और पोटा
    बड़ा डंडा: यूएपीए
    बीती बात खत्म?
    कलाई पर मारना
    सरपंच की मृत्यु
    टर्मिनेटर
    अंदरूनी सूत्र की कहानी
    यह सिर्फ हत्या जैसा लग रहा था।
    एक पीढ़ी बाद
    सरकारी सेवाओं में पैसा कैसे कमाएं
    Kulwinder Kid Case
    न्यायाधीशों के लिए सबक
    सिसो के लिए न्याय

3. उचित प्रक्रिया: दिल्ली

गिरा हुआ पेड़
निर्विवाद
सत्य की खोज: न्यायमूर्ति नानावती के निष्कर्ष
न्यायाधीशों ने अपनी बात रखी
सूचना मिलने पर मिली जानकारी: एक आईएएस अधिकारी का संस्मरण
स्पष्ट दावे
अहूजा के आंकड़े
परिणाम: वर्ष दर वर्ष
हरियाणा पोस्ट स्क्रिप्ट
दूसरी ओर देखना
दंगों के लिए टेम्पलेट
दंगे लाभदायक हो सकते हैं
शिक्षण पाठ
उदासीनता की कीमत

4. अगर आप अच्छे नहीं बन सकते
कानून: इतना शानदार नहीं
जीवित रहने से ज्यादा मृत होने पर अधिक मूल्यवान
फायदेमन्द ज़मीन
आसान लक्ष्य
जब पुलिस ऐसा कहती है
पागलो की तरह भोजन करने वाला
स्वर्ण युग का अंत: नयागाँव
अदालत ने खुदाई शुरू कर दी
असली विवाद
एक स्वाभाविक मृत्यु
कंक्रीट जंगल
हवा का रुख बदलने लगता है
सामान्य स्थिति में लौटने का लंबा रास्ता

5. सांस्कृतिक मोर्चे पर
रेडिकल ठाठ
अगर कैलिफोर्निया में मौसम ठंडा है
काल्पनिक रूप से कहें तो
दुनिया आपके साथ हंसती है
अलग होने का अधिकार
दिल और दिमाग... और एक्स-बॉक्स
फिल्मों में खतरा
70 मिमी इतिहास
बॉक्स ऑफिस से दृश्य
गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया

कथा साहित्य का धीमा सफर
उपसंहार

6. Khalistan Redux
रामराज्य की मुलाकात शेर-ए-पंजाब से हुई
सहस्राब्दी विफलताएँ
आघात के बाद का आघात
मनोफोबिया
20 साल की वापसी की राह
किस पर विश्वास करें?
मतपत्र-प्रूफ
बजट संबंधी इच्छाएँ
टर्फ क्रेविंग्स?
सत्ता की लालसा?
असली भारतीयों के लिए
सूची में और सूची से बाहर

उपसंहार
ग्रन्थसूची
लेखकों के बारे में

प्रस्तावना

पैंतीस साल पहले, जब कोई टीवी चालू करता या अखबार उठाता, तो उसे अनगिनत टीवी विश्लेषक यह कहते नज़र आते कि 'भारत पंजाब में गृहयुद्ध लड़ रहा है': यह एक तर्कसंगत दावा था क्योंकि सेना तैनात थी और सैकड़ों लोगों को 'राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने' के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। किसी भी युद्ध क्षेत्र की तरह, दुश्मन को हराना बाकी सभी चिंताओं पर भारी पड़ गया। शांति काल की वो सुख-सुविधाएँ, कानून का शासन और लोकतंत्र की प्रक्रियाएँ, अपरिहार्य बलिदान बन गईं। और प्रथम विश्व युद्ध के दिनों की उस कहावत को न भूलें: 'जब युद्ध आता है, तो सत्य सबसे पहले शिकार होता है'।1

फिर, 1990 के दशक के मध्य में किसी ऐसे क्षण में, जिसे ठीक से बताना मुश्किल है, 'व्याख्यात विश्लेषकों' ने अपना रुख बदल लिया और यह तय कर लिया कि 'पंजाब में सामान्य स्थिति लौट रही है'।

'सामान्य स्थिति' एक सुकून देने वाला शब्द है; यह इस विचार को व्यक्त करता है कि समस्याएं हल हो गई हैं और अच्छे दिन लौट आए हैं। लेकिन दुनिया में कहीं भी—जर्मनी, जापान, स्पेन, सर्बिया, आयरलैंड, इराक, निकारागुआ, कहीं भी—युद्ध के बाद की स्थितियों को जिसने भी जिया हो या उनके बारे में पढ़ा हो, वह जानता है कि गोलीबारी का न होना केवल एक दिखावा है, इससे अधिक कुछ नहीं।

काश, हिंसक संघर्ष से होने वाला नुकसान केवल इमारतों, पुलों और सड़कों तक ही सीमित होता। ऐसी चीज़ें तो कुछ ही महीनों में दोबारा बन सकती हैं। दुर्भाग्य से, हिंसा कई और चीज़ें भी बदल देती है। कुछ चीज़ें—जैसे अपनों को खोना या सांस्कृतिक धरोहरों का विनाश—कभी वापस नहीं मिल सकतीं। वहीं दूसरी ओर, विश्वास और कानून के तहत निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद जैसी चीज़ें दोबारा पनपने में लंबा समय लगता है।

जब पंजाब में हिंसा का दशक समाप्त हुआ,

क्या खो गया या क्षतिग्रस्त हो गया?

क्या बदलाव किया गया?

नई वास्तविकता क्या थी?

राजनीतिक दलों, नागरिक प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?

पंजाब के नागरिकों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेकिन इन सभी को समाहित करने वाला एक महान प्रश्न वरीयता का प्रश्न था:

याद रखना बेहतर था या भूल जाना?

अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, और कई जवाब विरोधाभास की परिभाषा में फिट बैठते हैं: 'पूरी तरह से अस्पष्ट', जो स्थिति के अनुसार इधर-उधर मुड़ते रहते हैं।

उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों2 ने पंजाब में रैलियों को संबोधित किया, जिनमें एक ओर उन्होंने राज्य के लोगों से अतीत को भुला देने का आह्वान किया, और दूसरी ही बार कहा कि पंजाब पर केंद्र सरकार का भारी कर्ज है—जो आतंकवाद विरोधी अभियानों की लागत है। 2011 में, पंजाब पर कर्ज का बोझ 69,000 करोड़ रुपये से अधिक था। 1990 के

दशक से, राज्य सरकार कर्ज चुकाने के लिए प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज दे रही है।3 केंद्र सरकार इस कर्ज को नहीं भूली है, और उसने बार-बार राज्य सरकार को भी इसे भूलने नहीं दिया है।

अतीत के प्रति विरोधाभासी दृष्टिकोण हर दिशा में फैलते हैं, और पंजाब मिलान कुंडेरा के अक्सर उद्धृत किए जाने वाले इस कथन का पूर्ण उदाहरण है:

> लोग हमेशा बेहतर भविष्य बनाने की बात चिल्लाते रहते हैं। यह सच नहीं है। भविष्य एक उदासीन शून्य है जिसमें किसी की कोई रुचि नहीं है। अतीत जीवन से भरपूर है, जो हमें चिढ़ाने, उकसाने और अपमानित करने, उसे नष्ट करने या फिर से रंगने के लिए उत्सुक रहता है। लोग भविष्य के स्वामी बनना केवल अतीत को बदलने के लिए ही चाहते हैं।4

जब अतीत में अपनी मातृभूमि, घर, परंपरा, जीवन शैली आदि की रक्षा शामिल हो, तो उसे मिटाना विशेष रूप से कठिन होता है।

इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे विवादों में से एक विवाद अमेरिकी गृहयुद्ध (1861-1865) में हारने वाले पक्ष, कॉन्फेडरेसी के स्मारकों से संबंधित है। दक्षिणी राज्यों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग होकर अपनी सरकार - कॉन्फेडरेसी - बनाने का एक मुख्य कारण दास प्रथा को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प था। यह कोई नेक मकसद नहीं था। दक्षिण ने 150 साल पहले आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी, दक्षिण के कई लोग अपने परदादाओं को याद करते हैं और उनके बारे में भावुक होकर सोचते हैं, जो संघ सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पूरे दक्षिणी अमेरिका के शहरों और कस्बों में, पार्कों, चौराहों और कॉलेज परिसरों में कांस्य के घोड़ों पर सवार कांस्य के जनरलों की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो आक्रमण की मुद्रा में स्थिर खड़ी हैं।

लेकिन अमेरिका की जनसंख्या संरचना बदल गई है, और अब ऐसे मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक हो गई है जिनकी भावनाएं इस बात से भड़क उठती हैं कि उनके कपास चुनने वाले परदादाओं को उन हार में गौरवान्वित माने जाने वाले कॉन्फेडरेट नायकों ने खरीद-बेच दिया था। ये लोग मूर्तियों को हटवाना चाहते हैं और बेहतर होगा कि उन्हें पिघला दिया जाए। अतीत के बारे में बहुत अलग-अलग विचार रखने वाले लोगों के बीच तीखी झड़पें हुई हैं। इतिहास कई रूपों में सामने आता है, और लोग अक्सर उन रूपों को पसंद करते हैं जिनके साथ वे बड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इन स्मारकों को हटाने के लिए की गई कड़ी कार्रवाई का कई मामलों में उन लोगों द्वारा समान और विपरीत विरोध किया गया है जो स्मारकों को यथावत रखना चाहते हैं।

जनसांख्यिकीय रुझान बताते हैं कि स्मारक-विरोधी निकट भविष्य में अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन अपनी बात मनवाना और शत्रुता को दूर करना बिल्कुल अलग बातें हैं। लेवियाथन के लिए प्रसिद्ध थॉमस हॉब्स ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है:

> अतः जो मारा जाता है वह पराजित तो होता है, पर पराजित नहीं होता; जो पकड़ा जाता है और जेल या जंजीरों में डाला जाता है वह पराजित तो होता है, पर पराजित नहीं होता; क्योंकि वह अभी भी शत्रु है...5

पीड़ा, शोक और हानि की अनुभूति समुदाय की मूलभूत पहचान का हिस्सा बन जाती है और सदियों तक कायम रहने वाली आस्था की पुष्टि करती है। शिया ईरान में शहादत का स्मरण धर्म और संस्कृति का केंद्र है। कैथोलिक भी इसे नहीं भूलते। जब मास मनाया जाता है, तो अन्य प्रार्थनाओं के साथ, पुजारी 12 प्रेरितों और शहीदों की एक लंबी सूची के नाम और उनकी भयानक मृत्यु का पाठ करते हैं। यह सब ईसाई रक्तपात और हिंसा की याद दिलाता है जो पहली

और दूसरी शताब्दी ईस्वी में बहाया गया था। यहूदी फसह के भोजन पर बैठते हैं और कई हजार साल पीछे मुड़कर कहते हैं, 'याद रखो कि तुम मिस्र की भूमि में अजनबी थे (और उसके बाद हालात और भी बदतर हो गए)'। स्मरण करना सिख धर्म का दैनिक जीवन का हिस्सा है। प्रत्येक पूजा अरदास के पाठ के साथ समाप्त होती है, एक प्रार्थना जो गुरुओं के जीवन और शिक्षाओं को याद करती है और सिख शहीदों के बलिदानों का वर्णन करती है।

> जिना सिंघा सिंघनीया ने धरम हेत सीस दिथे, बुंद बुंद कुट्टई, खोपरिया ते चुरहे, अरिया नाल चिराए गे, गुरुद्वारा दी सेवा लेई कुर्बानिया कीथिया, धरम नहीं हारिए, सीखी केसा सुवासा नाल निबाही, टीना दे कमाई दा धियान. धार के बोलो जी वाहे गुरु.
>
> (उन वीर सिख पुरुषों और महिलाओं की सेवा को याद रखें, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, परन्तु अपने धर्म का त्याग नहीं किया; जिन्हें टुकड़ों में काट दिया गया, जिनकी खोपड़ी उतार दी गई, जिन्हें पहियों पर कुचलकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया, जिन्हें आरी से काट दिया गया, जिनकी खाल जिंदा ही उतार दी गई; जिन्होंने गुरुद्वारों के लिए अपना बलिदान दिया; जिन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा; जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक अपने धर्म का पालन किया और अपने लंबे बालों को बचाए रखा; वाहे गुरु का उच्चारण करें।)

दूसरी ओर, जब सटीक इतिहास किसी आरोप या निंदा का कारण बनता है, तो व्यक्ति और सरकार अतीत को मिटाने या विकृत करने के लिए दृढ़ता से प्रेरित होते हैं।

उदाहरण के लिए, पंजाब की समस्याओं की कहानी बताने के लिए, जून 1984 में अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल पर हुए हमले से कम से कम एक दशक पहले जाना होगा। 1975 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी ठहराया, लेकिन अदालत के फैसले को स्वीकार करने और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, खुद को तानाशाही शक्तियां दे दीं और अपने विश्वासपात्रों से गर्व से कहा कि 'किसी ने भौंका नहीं'। पंजाब की सिख-केंद्रित क्षेत्रीय पार्टी, अकाली दल ने 'कांग्रेस की फासीवादी प्रवृत्ति' का विरोध करने का संकल्प लिया और प्रतिदिन पार्टी कार्यकर्ताओं के समूहों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और परिणामस्वरूप जेल जाने के लिए भेजा। श्रीमती गांधी जनवरी 1980 में सत्ता में लौटीं, लेकिन घायल, निर्दयी और प्रतिशोधी थीं। चार षड्यंत्रों से भरे वर्षों में, श्रीमती गांधी और अकाली दल के बीच तनाव बढ़ता गया। 5 जून से 8 जून 1984 तक सेना ने श्रीमती गांधी के आदेश का पालन करते हुए दरबार साहिब पर तब तक प्रहार किया जब तक संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके अनुयायी पूरी तरह से मारे नहीं गए। इसके बाद के हफ्तों में, किसी भी सिख पुरुष को गिरफ्तार किया जा सकता था। बस किसी को शक हो जाता था कि वह संदिग्ध है। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी की हत्या हुई, और उसके बाद दिल्ली और अन्य जगहों पर सिखों का संगठित नरसंहार हुआ।

अगले दशक में, कानून का शासन भुला दिया गया, मानवाधिकार भुला दिए गए, मानवता ही भुला दी गई। स्थिति में बदलाव तभी शुरू हो सका जब केंद्र में संयुक्त मोर्चा गठबंधन सत्ता में आया। जो लोग उस समय को याद कर सकते हैं, वे जानते होंगे कि 1980 के बाद पंजाब में पहला शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव तब हुआ जब जनता दल के एक नेता (और एक पंजाबी) प्रधानमंत्री थे। वे थे इंदर कुमार गुजराल। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था (अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक), लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार का नेतृत्व इतने लंबे समय तक किया कि फरवरी 1997 में पंजाब में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित हो सके।

इस दौर की घटनाएँ उन लोगों की यादों में आज भी ताज़ा हैं जिन्होंने इन्हें जिया है, यानी

जिनकी उम्र 50 या उससे अधिक है। यहाँ तक कि जो लोग कई साल बाद पैदा हुए या जो उस समय इतने छोटे थे कि समझ या याद नहीं रख सकते, उन्होंने भी अपने बड़ों से ये कहानियाँ सुनी हैं। दुनिया भर के कई उदाहरण हमें दिखाते हैं कि बहुत से लोग दर्दनाक इतिहास के प्रति संवेदनशील होते हैं, भले ही वे वास्तविक घटनाओं से कई पीढ़ियों दूर हों।

ब्लूस्टार और उसके बाद के घटनाक्रम आज भी इतने ताजा हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हाल के वर्षों में, विवादित रूप से, कनाडा में कुछ सिख समुदायों ने प्रस्ताव दिया है कि ब्लूस्टार के शहीदों के नाम अरदास में शामिल किए जाएं। भारत में सिख संस्थानों ने अब तक इस विचार को नजरअंदाज किया है।

ट्रान्स, 2013 की एक अंग्रेजी फिल्म है, जो एक आपराधिक गिरोह के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने स्मृतिभ्रंश से ग्रस्त शिकार को एक महंगी पेंटिंग का स्थान याद दिलाने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता है। यह फिल्म, अधिकांश थ्रिलर फिल्मों की तरह, शायद लोगों की यादों से मिट जाती, लेकिन इसके एक संवाद की वजह से: 'गुस्सा करना पीड़ित होना है; मैं आगे बढ़ चुका हूँ।' यह पंक्ति आज के पंजाब में कई लोगों के रवैये को बयां करती है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार की ज़रूरतें इतनी ज़रूरी और तत्काल हैं कि बीते हुए कल पर पछतावा करने में समय बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होता। बल्कि, यह आगे बढ़ने, गुज़ारा करने और अमीर बनने के लिए उपलब्ध समय को छीन लेता है। लोगों के पास करने के लिए और भी ज़रूरी काम हैं।

लेकिन अगर अतीत को भुला दिया जाए या जानबूझकर मिटा दिया जाए तो उससे सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता।

क्या भूलना वाकई मुमकिन है? 1980 और 1990 के दशक की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से झेलने वाले कई पंजाबी आज भी जीवित हैं। क्या उनके पास याद रखने या भूलने का कोई विकल्प है? वे अतीत को याद करने और किसी न किसी तरह उससे निपटने के अलावा और क्या कर सकते हैं? वैसे भी, विभाजन की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से झेलने वाले पंजाबियों की संख्या घटती जा रही है और वे दर्दनाक यादें संजोए हुए हैं। हम कभी-कभी 1947 के अत्याचारों पर आंसू बहाते हैं; क्या हमें उग्रवाद के दौर के पंजाब के पीड़ितों के लिए कुछ आंसू बहाने से इनकार करना चाहिए?

आज के टीवी विश्लेषक भी वही बातें दोहरा रहे हैं, लेकिन अब उनका पसंदीदा नारा है 'टीना': यानी कोई विकल्प नहीं है। इसका अर्थ है, 'दलों, नेताओं और सरकारों के सारे अत्याचार, सारे झूठ, सारी नाकामियां—सब याद रखो, सब भूल जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता; किसी भी तरह से कुछ नहीं बदलने वाला।' वैदिक ऋषियों ने 'नेति, नेति, नेति' का जाप किया था, जिसका अर्थ था 'यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं'। अब ये ऋषि 'टीना, टीना, टीना' पर अटके हुए हैं।

वे इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि कुछ भी नहीं बदलेगा? अमेरिका को ही देख लीजिए, जिसे एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था और भरपूर पारदर्शिता एवं जवाबदेही वाला देश माना जाता है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों की ईमानदारी और नैतिक निष्ठा को लेकर अत्यधिक संदेहवादी नहीं हैं। जब कोई व्यवस्था अच्छी होती है, तो उससे अत्यधिक स्थिरता की उम्मीद की जाती है और यदि उसमें कोई बदलाव होता भी है, तो वह सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करता है। भय फैलाने और हेरफेर करने की राजनीति कैसे पनप सकती है? फिर भी हम देखते हैं कि लैंगिक, नस्लीय, धार्मिक और आर्थिक विभाजन तेजी से समस्याग्रस्त होते जा रहे हैं और अमेरिका की पार्टियां और राजनेता इनसे निपटने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

2008 में, बराक ओबामा ने ‘बदलाव!’ के नारे के साथ समर्थकों को एकजुट किया; आठ

साल बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने समर्थकों से 'बदलाव!' का वादा किया। उन्होंने वाशिंगटन में उथल-पुथल मचाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया। और वाकई, उन्हें बदलाव देखने को मिला। अपनी इच्छाओं के बारे में सावधान रहें।

हालात बदल सकते हैं... और बदतर भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में, हालात को बिगड़ने से रोकना मूलतः नागरिकों की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन क्या वे तब प्रयास करेंगे जब लोगों की याददाश्त एक समाचार चक्र या उससे भी कम समय तक सिमट जाए? 1991 से 2018 के बीच, सामूहिक गोलीबारी में 272 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से कई बच्चे थे। हर भयावह घटना के बाद कुछ दिनों तक आक्रोश का माहौल रहा, और फिर... सब कुछ भुला दिया गया। मीडिया का ध्यान हट गया।

भूलना जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है उन चीजों को याद रखना जो सच नहीं थीं, या जो केवल चुनिंदा रूप से सच थीं, या एक छोटी सी, आसानी से समझ में आने वाली ऐतिहासिक घटना को याद रखना जबकि बड़ा इतिहास इतना घिनौना हो कि उसे पचाना मुश्किल हो। 1940 के दशक के एक जर्मन निर्माता पर बनी फिल्म देखें, जिसने 1,200 लोगों को गैस चैंबर में होने वाले नरसंहार से बचाया, और सिनेमा हॉल से बाहर निकलते समय आपको यह एहसास होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से बुरा नहीं था।

याद रखने और भूलने का प्रश्न उग्रवाद के बाद के पंजाब के हमारे विश्लेषण का मूल आधार है। यह पुस्तक पंजाब में राजनीतिक दलों, सरकारी नीतियों, अदालतों और पुलिस के कामकाज, केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं, कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं, सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं (विशेषकर फिल्मों) और अवसरवादी प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में हुए घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित करने के लिए लिखी गई है, क्योंकि कई लोगों ने अशांत परिस्थितियों का लाभ उठाने को आदर्श पाया।

नोट्स

1. हिराम डब्ल्यू. जॉनसन, कैलिफोर्निया के कट्टर अलगाववादी सीनेटर, 1917 में अमेरिकी सीनेट के लिए।
2. ठुकराल, 'पंजाब उधार लेता है', द ट्रिब्यून।

दिलचस्प बात यह है कि तीन प्रधानमंत्रियों, श्री पी. वी. नरसिम्हा राव, श्री एच. डी. देव गौड़ा और श्री इंदर कुमार गुजराल ने ऋण को पूरी तरह माफ करने का वादा किया था। लेकिन वे केवल आंशिक रूप से ही मांग पूरी कर सके। लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने वादे को निभाने के लिए कुछ खास नहीं किया है।

विनायक, 'नरसिम्हा राव की पंजाब यात्रा', इंडिया टुडे।

लुधियाना में एक राजनीतिक रैली में बोलते हुए कांग्रेस के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है, तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उग्रवाद के खिलाफ 10 साल की लड़ाई में पंजाब पर केंद्र का जो 5,800 करोड़ रुपये बकाया है, उसे माफ कर दिया जाए।

इंडिया टुडे, 'आई.के. गुजराल को निष्फल घोषित किया गया'।

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और केंद्र सरकार के सचिवों की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष बैठक में, गुजराल ने वित्त अधिकारियों की आपत्तियों को खारिज करते हुए स्पष्ट आदेश दिया: 'पंजाब से अब और वसूली नहीं। यह पंजाब का नहीं, बल्कि राष्ट्र का कर्ज है।' पंजाब के वित्त मंत्री कैप्टन कंवलजीत सिंह ने स्पष्ट किया, 'चूंकि राज्य को अब केंद्र को हर साल 750 करोड़ रुपये नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए एक दशक में पहली बार उसके पास वार्षिक योजना के लिए 600 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि होगी।'

सिंह, ‘सरकारी कार्यकाल’, द टेलीग्राफ।

पिछले साल बादल ने आडवाणी से संपर्क करके आतंकवाद के दौर में केंद्रीय पुलिस बल की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा देय 274 करोड़ रुपये की ऋण राशि माफ कराने का अनुरोध किया था। हालांकि, आडवाणी ने झुकने से इनकार कर दिया और इसके बजाय बादल से हिसाब-किताब उपलब्ध कराने को कहा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र का गुजराल द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का कोई इरादा नहीं था, जैसा कि मामले को ग्यारहवें वित्त आयोग को राज्य को उचित ऋण राहत प्रदान करने के लिए भेजने के निर्णय से स्पष्ट है।

“2005 तक ऋण भुगतान पर रोक के बावजूद, यदि केंद्र सरकार का इरादा ऋण माफ करने का होता, तो वह वित्त आयोग की सिफारिशों में आसानी से संशोधन कर सकती थी, इससे पहले कि वह अपनी रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट संसद में पेश करे, जो उसने नहीं किया। इसके बजाय, 24 जुलाई, 2000 को केंद्र सरकार ने महालेखाकार और राज्य सरकार को सूचित किया कि विशेष सावधि ऋणों पर आगे की किस्त और ब्याज की वसूली न करने का निर्णय लिया गया है”, अधिकारी ने बताया।
3. प्रीत, ‘केंद्र ने पंजाब की याचिका खारिज की’, द संडे गार्जियन।

व्यय सचिव सुषमा नाथ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल के ऋणों के पुनर्गठन या माफी के सुझाव देने के लिए किया गया था। समिति ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को सूचित किया कि वह इस विचार के पक्ष में नहीं है। समिति ने कथित तौर पर कहा है कि इससे एक गलत मिसाल कायम होगी और राजकोषीय कुप्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

पंजाब की भारी ऋण देनदारी और ब्याज का बोझ 1980 और 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में आतंकवाद से हुए संघर्ष से उपजा है, जब राज्य मुख्यतः केंद्र शासित था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ने राज्य की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे वह भारी ऋण में डूब गया जो वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब पर वर्तमान में ऋण का बोझ 69,000 करोड़ रुपये से अधिक है। राज्य इस ऋण को चुकाने के लिए प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज देता है, जबकि केंद्र सरकार ने दो किस्तों में 6,772 करोड़ रुपये के ऋण का कुछ हिस्सा माफ कर दिया था। पंजाब को उम्मीद थी कि कम से कम आंशिक रूप से ऋण से मुक्ति मिल जाएगी।

4. कुंडेरा मिलान: हँसी और विस्मरण की पुस्तक (1979) भाग 1: खोए हुए पत्र, पृष्ठ 7

मिलान कुंडेरा: जन्म 1 अप्रैल, 1929, ब्रनो, चेकोस्लोवाकिया (वर्तमान में चेक गणराज्य); पेरिस में रहते हैं।

कुंडेरा, पावेल कोहौट जैसे अन्य सुधारवादी कम्युनिस्ट लेखकों के साथ, 1968 के प्राग स्प्रिंग में शामिल थे। 1975 में वे फ्रांस भाग गए। तब से वे वहीं रह रहे हैं।

1978 में, कुंडेरा ने 'क्निहा स्मिचु अ ज़ापोम्नेनी' नामक पुस्तक लिखी। जैसा कि अपेक्षित था, चेक सरकार ने इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए यह पुस्तक सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में 'ले लिव्रे डू रीरे एट डे ल'ओब्लिए' (एडिशन्स गैलिमार्ड, पेरिस, 1979) के नाम से प्रकाशित हुई। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद (द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग) हुआ और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुई (अल्फ्रेड ए. नोपफ, न्यूयॉर्क, 1980)। इसका नया अनुवाद आरोन एशर द्वारा किया गया (हार्पर कॉलिन्स, न्यूयॉर्क, 1996)।

5. हॉब्स, लेवियाथन, 391.

स्वीकृतियाँ

मुख्यतः, यह पुस्तक मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। 'कानूनी प्रक्रिया: पंजाब' और 'कानूनी प्रक्रिया: दिल्ली' नामक दो अध्यायों में विशिष्ट मामलों में न्याय पाने के लिए 35 वर्षों के संघर्ष के साथ-साथ कानून के शासन को बनाए रखने के लिए किए गए व्यापक संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संघर्ष में दृढ़ता और साहस की आवश्यकता थी।

यह पुस्तक और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, पंजाब और दिल्ली में कानून के शासन की बेहतर स्थिति उन पुरुषों और महिलाओं के प्रयासों के बिना संभव नहीं होती, जिन्होंने अन्याय को उजागर करने, खुलकर बोलने और अदालतों में मामले दायर करने और उन पर मुकदमा चलाने वाले पीड़ितों का समर्थन करने का जोखिम उठाया। हम उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं; यहाँ हम उनमें से कुछ के ही नाम ले रहे हैं।

जसवंत सिंह खालरा ने अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई। पंजाब पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने मानवाधिकार मिशन को पूरा करने से पहले ही मर जाएं, और यही उनकी अपनी बर्बादी का कारण बना। उनका बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला अंततः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा, जिसने सीबीआई जांच का आदेश दिया और इस जांच के परिणामस्वरूप सैकड़ों गैर-न्यायिक हत्याओं और अवैध दाह संस्कार के मामले सामने आए।

1980 के दशक के मध्य में चंडीगढ़ स्थित दो समूह सक्रिय हुए और आज भी सक्रिय हैं। ये हैं चंडीगढ़ स्थित पंजाब मानवाधिकार संगठन (पीएचआरओ) और राज्य दमन विरोधी आंदोलन (एमएएसआर)। इनके सक्रिय सदस्यों में न्यायमूर्ति अजीत सिंह बैंस, बलजीत कौर, राजविंदर सिंह बैंस, भाई अशोक सिंह बगरियान, मोहिंदरजीत सिंह सेठी, सुखजीत कौर, दिवंगत लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह और दिवंगत मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) नरिंदर सिंह शामिल थे। इस पुस्तक के लेखकों में से एक, इंदरजीत सिंह जयजी, एमएएसआर में सक्रिय हैं।

दिल्ली दंगों की राख अभी गर्म ही थी कि दिल्ली स्थित पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) ने दंगा पीड़ितों की जांच और उनके हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक सहयोगी संगठन था। प्रोफेसर रजनी कोठारी, न्यायमूर्ति राजिंदर सिंह सचर और पत्रकार कुलदीप नैयर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता।

पंजाब में 1997 के विधानसभा चुनाव के बाद, राम नारायण कुमार को समन्वयक बनाकर पंजाब में गुमशुदा लोगों के मामलों पर समन्वय समिति (सीसीडीपी) का गठन किया गया। इसी समिति से पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन पर जन आयोग का उदय हुआ। समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन सीसीडीपी ने अपना काम जारी रखा और महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए।

राम नारायण कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सीसीडीपी के काम को अमेरिका स्थित संस्था एनसाफ ने आगे बढ़ाया है। एनसाफ के अशोक अग्रवाल, अमरिक सिंह और जसकरण कौर ने 2003 में अपनी शोध रिपोर्ट "रिड्यूस्ड टू ऐशेज: द इंसर्जेंसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पंजाब" प्रकाशित की। आज भी, एनसाफ के स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर मामलों का दस्तावेजीकरण

करते हैं और अपनी वेबसाइट, एनसाफ ए मिशन टू एंड इंप्युनिटी (https://ensaaf.org/) पर अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1

सामान्यता

रियर-व्यू मिरर में 'सामान्य'

अप्रैल 1979 में, पटियाला स्थित पंजाबी विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन आयोजित हुआ: तीन घंटे तक लगातार भाषण ही भाषण; ऊब ही सबसे बड़ा घातक कारक थी, मानो मृत्यु के कगार पर पहुँच गए हों। संयोजक अपने अंतिम धन्यवाद भाषण दे रहे थे और विशिष्ट अतिथि दोपहर के भोजन की प्रतीक्षा में उठने ही वाले थे कि तभी हॉल के पीछे से दो लोग दौड़ते हुए आए और मंच पर कूद पड़े। उन्होंने भारत के संविधान को अस्वीकार करते हुए ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाए, कागज़ के कुछ टुकड़े हवा में उछाले और जितनी तेज़ी से आए थे उतनी ही तेज़ी से बाहर निकल गए। दोपहर का भोजन सामान्य था।

लेकिन अगले दिन... अखबारों में हस्ताक्षर वाले संपादकीय तभी छपते हैं जब भूकंप से मुंबई समुद्र में डूब जाए या भारत विश्व कप जीत जाए, इसलिए पंजाब के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक 'द ट्रिब्यून' के पाठक अगली सुबह के अखबार में ऐसा ही एक संपादकीय देखकर स्तब्ध रह गए। अखबार के सर्वोत्कृष्ट विश्लेषक प्रेम भाटिया ने पाठकों को बताया कि विश्वविद्यालय सम्मेलन की घटना बेहद गंभीर थी और उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो कई पाठकों ने पहले कभी नहीं सुना था - खालिस्तान।

यह शब्द आम बोलचाल में नहीं था और जब यह कभी-कभार छपने लगा, तब भी लोग इस पूरे विचार को संदेह की नज़र से देखते थे। यह ब्लूस्टार से पाँच साल पहले की बात थी। कौन जानता था?1

लगभग 15 साल बाद, जब अधिकांश गोलीबारी बंद हो गई, तो 'खालिस्तान' शब्द की जगह 'सामान्य स्थिति' ने ले ली। सटीक कहें तो, 'सामान्य स्थिति में वापसी'—जैसे कि एक साधारण यू-टर्न लेकर राज्य खुद को बीते दिनों की किसी सुखद जगह पर पा लेगा। यह सुनने में अच्छा लगता था, बशर्ते आप वास्तव में 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक के आरंभिक वर्षों की यादों को न कुरेदें।

उथल-पुथल की राजनीतिक पृष्ठभूमि

1979. लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करो या मरो की स्थिति में थीं। जनवरी 1980 में सत्ता में वापसी करते ही उन्होंने सभी गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्हें पता था कि राज्य सरकारें राज्यसभा को गैर-कांग्रेसी सांसदों से भर देंगी, इसलिए गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों को गिरना ही था। आधी रात के एक आदेश से उन्होंने ऐसी नौ सरकारों को सत्ता से बेदखल कर दिया।

जब गुरचरण सिंह तोहरा अकाली दल से अलग हुए, तो इंदिरा गांधी को पंजाब की अकाली सरकार को बर्खास्त करने का बहाना मिल गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और मई 1980 में पंजाब विधानसभा चुनाव जबरन कराए गए। कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए इंदिरा गांधी के और अधिक प्रभाव की आवश्यकता थी।

पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री ज्ञानी ज़ैल सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जबरदस्ती शामिल किया गया ताकि वे अपने कट्टर विरोधी दरबारा सिंह, जिन्हें इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था, पर हमला न कर सकें।

इसी बीच, हर राजनेता के भीतर मौजूद स्वतःस्फूर्त स्विच सत्ता-विरोधी स्थिति में चला गया। इस स्विच को 'जीतेंगे तो लूटेंगे, हारेंगे तो हथकंडे अपनाएंगे' के रूप में वर्णित किया गया है। अकाली दल ने केंद्र पर हमला बोल दिया: 'रास्ता रोको, रेल रोको, नहर रोको'। केंद्र ने जवाब में टालमटोल करना और बिना कुछ दिए सिर्फ बातें करना जारी रखा। केंद्र जितना टालमटोल करता गया, अकाली दल उतना ही कड़ा हमला करते गए।

ब्लूस्टार से पहले के दिन, जिनमें श्रीमती गांधी हर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में रखने, चुप कराने और अपने वश में करने के लिए बेताब थीं, शायद किसी के लिए 'सामान्य' स्थिति रही हो, लेकिन यह समय यात्रा के लिए शायद ही कोई आकर्षक गंतव्य था। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता; सबसे आदर्श राजनीतिक परिदृश्य में भी दोबारा लौटना संभव नहीं है।

उथल-पुथल की ओर ले जाने वाली आर्थिक परिस्थितियाँ

बीते वर्षों की आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। 1960 के दशक में हरित क्रांति के दिनों में राज्य की अर्थव्यवस्था उज्ज्वल दिख रही थी, लेकिन ब्लूस्टार घटना से पहले ही क्रांति अपने अंतिम चरण में थी। उग्रवाद का दौर समाप्त होते-होते राज्य का औद्योगिक आधार सिकुड़ चुका था, कृषि व्यवस्था लड़खड़ा रही थी, बेरोजगारी चरमरा गई थी और विदेशी निवेशक पंजाब में निवेश करने से कतरा रहे थे।2

1996 के आम चुनाव में त्रिशंकु संसद बनी। भारत ने दो साल से भी कम समय में अस्थिर गठबंधन और तीन अल्पकालिक प्रधानमंत्रियों को देखा। यदि पिछले दशक में पंजाब असामान्य स्थिति में था, तो केंद्र भी एक असामान्य दौर में प्रवेश कर गया। लेकिन सामान्य हो या न हो, पंजाब ने आगे बढ़ना जारी रखा। अगले वर्ष हुए राज्य चुनाव ने अकाली दल को सत्ता में वापस ला दिया... और वह भी एक अभूतपूर्व गठबंधन के साथ। सिख कट्टरपंथी अकाली दल के लिए आदर्श सहयोगी हिंदू कट्टरपंथी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) साबित हुई। तब से उनका गठबंधन सुखद बना हुआ है।

1997 के बाद से, राज्य में दो बार कांग्रेस की और तीन बार अकाली सरकारें बनी हैं।

पंजाब के वर्तमान राजनीतिक नेता उम्रदराज लोग हैं, जो इंदिरा गांधी के दौर के बचे-खुचे लोग हैं। यह सोचना मुश्किल है कि उन्हें क्या याद होगा। वे उन 15 बुरे सालों को किस तरह से देखते होंगे?

अपने तमाम आंदोलनों के बावजूद अकाली दल को कुछ नहीं मिला: न तो नदी के पानी में उनका उचित हिस्सा, न ही चंडीगढ़ को राज्य की राजधानी बनाया गया और न ही अधिक राज्य स्वायत्तता मिली।

प्रकाश सिंह बादल विजयी रहे; वे सत्ता में बने रहने में कामयाब रहे, अपनी पार्टी के भीतर के प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए अंततः अकाली खेमे में शीर्ष पर पहुंच गए। एक समय के अस्थायी अकाली, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस की घर वापसी के कारण विजयी हुए।

1984 के चुनावी दांव में इंदिरा गांधी ने पंजाब को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। चुनाव तो जीत लिया, लेकिन एक जान गंवा दी। उनकी पार्टी पर आज भी ब्लूस्टार का दाग लगा हुआ है और उन अराजकता भरे दिनों के पीड़ितों को न्याय और मुआवजा दिलाने में उनकी विफलता का भी दाग है।

1984-1994 की घटनाओं से दोनों दलों का प्रभाव कम हो गया, फिर भी अकाली और कांग्रेस दल कायम हैं। ऊपरी तौर पर वे अलग दिखते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और तौर-तरीके एक जैसे हैं। वे बारी-बारी से सत्ता में आते-जाते रहते हैं, लेकिन पंजाबियों के विशाल बहुमत को उनसे कोई ठोस लाभ नहीं मिलता।

इंस्टॉल हो गया है या बस अटक गया है?

राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। संविधानों का उद्देश्य इस संघर्ष के संचालन की सीमाएँ निर्धारित करना होता है; लेकिन जहाँ भी नज़र डालें, यह देखा जाता है कि राजनेता अपनी सीमाओं को उतना ही समझते हैं जितना वे तब तक करते रह सकते हैं जब तक कोई उन्हें रोक न दे।

सत्ता किसलिए? राजनेताओं के बारे में एक आम टिप्पणी यह है कि 'वे सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हैं'। गहन अवलोकन से पता चलता है कि यह बात सच तो है, लेकिन कुछ हद तक अनुचित भी है। आखिर, अगर राजनीति में पैसा न हो तो कौन इसमें आएगा? वास्तव में आपत्तिजनक व्यवहार तो जेबें भरना है, लेकिन राज्य के लिए कुछ न करना। जब हम 1980 के दशक से पंजाब में व्याप्त आर्थिक गतिरोध को देखते हैं, तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार की सत्ता की तलाश की जा रही है, वह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने या मानव संसाधन और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की सत्ता नहीं है।

राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों ने सत्ता हथियाने और खुद को कायम रखने से बढ़कर कोई और लक्ष्य नहीं रखा है। चाहे सत्ता में अकाली नेता हों या कांग्रेसी, स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

बिना सूत्रों वाला विज्ञान

पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य का गहन अध्ययन किया गया है, विशेष रूप से उग्रवाद के दौर में और उसके बाद कुछ हद तक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को पंजाब से विशेष लगाव है। यह एक ऐसा राज्य है जिसमें सब कुछ है: विशिष्ट क्षेत्र, भाषाई और धार्मिक विभाजन, और अपने 4,000 साल के इतिहास में शांति का कोई दीर्घकालिक अनुभव नहीं। यह एक ऐसा राज्य है जो एक ही समय में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों है, इस अर्थ में कि राज्य का मूल समुदाय, सिख, भारत के संदर्भ में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पंजाब में बहुसंख्यक हैं। पंजाब के अति धनी और अति धनी के बीच का अंतर व्यापक है और बढ़ता ही जा रहा है; लेकिन साथ ही, पंजाब का एक गरीब व्यक्ति ओडिशा या झारखंड जैसे राज्यों के एक गरीब व्यक्ति से बेहतर स्थिति में है। और अगर इतना ही काफी नहीं है, तो पंजाब के हर तीन में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है। पंजाब में अनुसूचित जाति के नागरिकों का अनुपात देश में सबसे अधिक है। और एक और सकारात्मक बात यह है कि पंजाब की अनुसूचित जाति की आबादी अन्य जनसांख्यिकीय समूहों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।3

तो, इसमें नापसंद करने जैसी क्या बात है? ऐसा लगता है मानो यह राज्य, अपने असंख्य संघर्षों, विरोधाभासों और विसंगतियों के साथ, विद्वतापूर्ण विश्लेषण के लिए ही बना है। पुस्तकों, शोध प्रबंधों और अकादमिक प्रकाशनों में छपे लेखों ने सैकड़ों छात्रों को पीएचडी की उपाधि तक पहुँचाया है और लगभग उतनी ही संख्या में साधारण कॉलेज व्याख्याताओं को उच्च कोटि के प्रोफेसर पदों तक पहुँचाया है।

पंजाब में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों की बात करें तो, ब्लूस्टार घटना के बाद के दशक के

विस्तृत अध्ययन उपलब्ध हैं। कई इतिहासकारों और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने फुटनोटों से भरपूर घटनाक्रमों का सिलसिलेवार विवरण संकलित किया है। (पठन सूची देखें।)

विज्ञान पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। X और Y को इतने डिग्री सेल्सियस पर मिलाइए, तो Z प्राप्त होता है। ऐसा हर बार होता है। मान लीजिए कि उग्रवाद के दौर से पहले पंजाब की राजनीति 'सामान्य' थी और हमारे पास एक ऐसा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसे उस समय की पंजाब की राजनीति की पूरी समझ है। ब्लूस्टार से पहले की राजनीति के आधार पर, क्या वह विद्वान आने वाले वर्षों में, मान लीजिए 1996 के बाद से, पंजाब की राजनीति के कामकाज का पूर्वानुमान लगा पाएगा?

हां और ना।

नहीं, क्योंकि राजनीति मानवीय व्यवहार है जो कभी भी पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं होता, इसलिए कभी भी पूरी तरह से पूर्वानुमानित नहीं होता। अगर ऐसा होता, तो किसी भी चुनाव विश्लेषक या मीडिया विशेषज्ञ को अप्रत्याशित चुनावी उलटफेर के बाद कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, 2012 में अकाली दल की वापसी। सभी जानते थे कि पंजाब के मतदाताओं ने कभी भी सत्ताधारी सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं भेजा था, लेकिन... देखिए, एसएडी-बीजेपी गठबंधन ने 68 सीटें जीत लीं; 117 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत से कहीं अधिक!

और 'हाँ', क्योंकि राजनीति विज्ञान काफी हद तक राजनीतिक इतिहास है और इतिहास का अध्ययन प्रतिरूपों की खोज है। यद्यपि समय के साथ प्रतिरूपों की हूबहू पुनरावृत्ति शायद ही कभी होती है, फिर भी व्यापक रूपरेखाएँ बनी रहती हैं।

मानक अभ्यास

अगर यह कोई शर्त होती, तो हम मेहनती विद्वान पर दांव लगाते। बीते कुछ दशकों के बारे में लिखते हुए, वे टैलीरैंड की उस पुरानी कहावत को दोहराते: 'उन्होंने कुछ नहीं सीखा और कुछ नहीं भूले।'

पंजाब में राजनीति का स्वरूप एक निश्चित पैटर्न दिखाता है। आइए इसका सारांश प्रस्तुत करते हैं।

1984–2006 की समयरेखा

1984	Operation Bluestar: attack on the Sikh faith's holiest shrine, the Golden Temple, at Amritsar.
1985	'The Boys' (i.e., Sikh militants) take the lead from establishment Akalis, Congress assumes power but not legitimacy.
	Lok Sabha poll in Punjab: Akalis – 7, Congress – 5, BJP – 1.
	July 24: Longowal Accord signed. August 20: Longowal assassinated. September 25: Combined Lok Sabha and Assembly election.
	SAD outscores Congress in both; Surjit Singh Barnala forms government.
1986	IPS Julio Ribeiro takes over as DGP. Upswing in fake encounters.
	Militants declare Khalistan independence. Black Thunder I: Golden Temple stormed; no casualties but counter-productive.
	SAD splinters.
1987	Barnala government out; President's rule imposed (in force until 1992).
	Militants eclipse moderates.
1988	K. P. S. Gill takes over as DGP, posted out same year. Black Thunder II.
1989	Lok Sabha election: radical SAD–Mann – 6, independents – 3, other parties marginalized.
1990	K. P. S. Gill returns as DGP. Violence increases, human rights violations.
1991	Rajiv Gandhi assassinated. Punjab Lok Sabha election cancelled 24 hours before polling. 23 candidates killed. Congress boycotts poll.
1992	Assembly elections. Militants warn against voting, SAD boycotts. Congress led by Beant Singh voted in on mandate of less than 10% of voting population.
1993	Panchayat elections: 80 per cent turnout.
1994	Akali radicals merge as SAD United. Advocate restructuring India on federalist principles (Amritsar Declaration).
	December 25: Death of former President of India Giani Zail Singh following an accident.

1995	Beant Singh assassinated. Harcharan Singh Brar becomes the Chief Minister.
	Municipalities elections: 82 per cent turnout.
1996	Lok Sabha poll: Akalis—8, BSP—3, Congress—2.
	Akali Dal Moga Convention: Membership opened to all irrespective of religion, thus conforming to Election Commission rule that only those parties may contest elections that accept Constitution and secularism.
	Congress revolt dumps Harcharan Singh Brar; installs Rajinder Kaur Bhattal as the Chief Minister.
	SGPC election: Badal's group wins nearly all seats.
1997	Capt. Amarinder Singh de-radicalizes, relaunches SAD (Panthic) which then merges with Congress. Congress dumps Bhattal; installs Amarinder Singh.
	Assembly Elections: SAD wins most seats ever. SAD has absolute majority but recognizes BJP as coalition partner.
1998	Lok Sabha poll: SAD—8, BJP—3, Congress—0.
	Badal SAD splits: Rival and SGPC president G. S. Tohra forms splinter party. Badal-controlled SGPC dumps Tohra.
1999	Lok Sabha poll: Congress—8, SAD–Badal—2, SAD–Mann—1, BJP—1, CPI—1.
2002	Assembly election. Congress led by Capt. Amarinder Singh wins.
	SAD–Badal sweeps SGPC election.
	Supreme Court directs Punjab to complete the SYL canal within a year.
2003	Tohra and Badal reconcile. Prakash Singh Badal and son Sukhbir Singh jailed in corruption case.
2004	SGPC president and Akali politician G. S. Tohra dies.
	Lok Sabha poll: SAD-Badal—8, BJP—3, Congress—2.
	SAD-Badal sweeps SGPC election; main opponent, hardline Panthic Morcha, alleges rigging.
	Punjab rejects river water agreements with neighbouring states. Rejects Supreme Court directive.
2005	Militancy era debt: moratorium on repayment ends. Punjab owes ₹6,800 crore to Centre.

लोकप्रिय वादों के सहारे सत्ता में आना और सत्ता में आने के बाद अपनी सारी ऊर्जा निम्नलिखित कार्यों में लगाना:

1. प्रतिद्वंद्वी को पंगु बनाना (आमतौर पर भ्रष्टाचार के मामलों के माध्यम से)

2. पार्टी के भीतर चुनौती देने वालों को रिश्वत देकर/दबाकर/बाहर निकालकर
3. जीत के फलों का आनंद लेना, जैसे कि:

ए. अनुबंध (शराब, निर्माण)
ख. लाइसेंस और परमिट (बस/ट्रक परिवहन, खनन)
ग. सरकारी सेवाओं और व्यवसायों में भर्ती के दौरान संदिग्ध प्रथाओं को आँख बंद करके अनदेखा करना। 'व्यवसाय' कुछ भी हो सकता है—जैसे रियल एस्टेट, केबल टीवी सेवाएं या आयात-निर्यात। आयात के संदर्भ में, हेरोइन की तस्करी आयात का एक उदाहरण हो सकती है, जबकि निर्यात का एक उदाहरण कबूतरबाज़ी हो सकता है, जैसा कि पंजाब में मानव तस्करी को कहा जाता है।

Their Honest Earnings: What Punjab Legislators Get Paid

Post	Monthly Salary (₹)	Item	Amount
Chief Minister	1 lakh	A report in *Jagran* gave a somewhat different breakdown. Figures under the headings of Office, Telephone, Secretariat and Daily match the figures carried in the *Hindustan Times* report but *Jagran* mentioned some additional allowances.	
Dy Chief Minister, Speaker, Dy Speaker, Leader of Opposition and Dy Leader of Opposition	50,000		
Chief Parliamentary Secretaries	40,000		
MLA basic salary + allowances	93,000	MLA's basic salary	25,000
Allowances Monthly		**Allowances Monthly**	
Constituency	25,000	Light	25,000
Office	10,000	Computer subsystem	5,000
Telephone	15,000	Expenditure	3,000
Secretariat	10,000	Water and electricity	1,000
Daily	1,500	Road mileage	15 per km
Allowances Annual			
Annual free travel facility	3 lakh		
Ex-gratia amount	5 lakh		
Source: *Hindustan Times*, 20 March 2015. https://www.hindustantimes.com/chandigarh/budget-session-punjab-mlas-united-on-pay-hike/story-gBeC6cp40oMTSdLbFI8aUP.html		Source: *Jagran*, 15 December 2018. https://www.jagran.com/punjab/chandigarh-preparation-to-increase-salary-and-allowance-of-mlas-in-punjab-despite-of-severe-economic-crisis-18750533.html	

The pension is sweet too. The amount of basic monthly pension, as per the notification issued on 26 October 2016, is ₹15,000 for the first term and ₹10,000 for each subsequent term and a 50 per cent dearness allowance comes with that (https://www.tribuneindia.com/news/punjab/punjab-mlas-pension-grows-with-every-additional-term-rti/703204.html). This is for an ordinary MLA; ministers get more.
Not to forget lifelong free railway pass, medical care and loans at 6 per cent per annum interest (https://www.jagranjosh.com/).
So the MLA is paid ₹93,000 per month in return for attending the Assembly. In each financial year, the Assembly must sit for three sessions—Budget, Summer/Monsoon and Winter. Generally Monsoon and Winter sessions are three days each, and Budget session goes up to 10 days; a total of 16 days in a year (https://examupdates.in/mla-salary-india/).

हम जीत के फलों का आनंद लेने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में, ये फल केवल आनंद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं: फलों की कमी से राजनेता और पार्टियां कमजोर और असहाय हो जाती हैं। चुनाव के दिन से ही, निर्वाचित राजनेता को अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसे इतना धन जुटाना चाहिए जो अगले चुनाव अभियान में उसका साथ दे सके। उस उम्मीदवार का बुरा हाल होगा जो आगामी चुनाव से कुछ महीने पहले ही चुनाव प्रचार के लिए धन जुटाने के बारे में सोचना शुरू करता है।

सर्वोच्च नेता के आशीर्वाद से ही युद्ध कोष को समृद्ध किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से, सर्वोच्च नेता केवल योग्य दलीय सदस्यों—समर्पित, वफादार, सक्षम और उपयोगी लोगों—को ही आशीर्वाद देते हैं। युद्ध कोष को भरने या खाली करने की क्षमता ही सर्वोच्च नेता को सर्वोच्च नेता बनाती है।

सत्ताधारी दल के पुन: निर्वाचित होने की आशा तभी की जा सकती है जब वह सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन का पालन करे। सत्ता में रहने के पहले चार वर्षों के दौरान सरकारी धन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इस धन की आवश्यकता होगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने से दो या तीन महीने पहले इसका उपयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट हेलीकॉप्टर से गांव-गांव घूमकर आम लोगों को दर्शन देता है और उदारतापूर्वक दान-पुण्य करता है।

चुनावी तैयारियों में धन-संग्रह और दर्शन दौरों के अलावा एक तीसरा महत्वपूर्ण तत्व भी है, और वह है वंश का निरंतर विकास। अनुभवी राजनेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी का टिकट उनके बेटे/बेटी या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को मिले। विधानसभा में परिवार का एक सदस्य होना अच्छा है, दो हों तो और भी बेहतर। यदि उन्होंने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो जब उनका अंतिम दिन आएगा, तो वे शांति और सुकून से इस दुनिया से विदा हो सकेंगे, यह जानते हुए कि उनके वंशजों को पार्टी में स्थान मिला है और विधानसभा या लोकसभा सीट पर उनके उत्तराधिकारी बनने का अच्छा मौका भी है।

सभी पार्टियों की सदस्यता के विश्लेषण से पता चलता है कि पार्टी टिकट विरासत में मिलना तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अधिकांश राजनीतिक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में बने रहते हैं। जब पार्टी नेता 'नए लोगों' को शामिल करने की बात करते हैं, तो उनका मतलब किसी भी राजनीतिक क्षमता वाले युवा को मौका देना नहीं होता। उनका मतलब होता है 'जिम्मेदारी सौंपना'। युवा आमतौर पर जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों से शुरुआत करते हैं और कुछ ही वर्षों में विधानसभा तक पहुँच जाते हैं;5 इसलिए इस अर्थ में, वे 'क्रम में ऊपर उठते हैं', लेकिन वे केवल अपनी विरासत के बल पर ही राजनीतिक दीक्षा के पात्र होते हैं (बॉक्स देखें: 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स')।

बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि चुनाव का समय ही वह समय होता है जब राजनेता मैदान में उतरते हैं और उनके विरोधी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार होते हैं। असल में, सबसे तीव्र राजनीतिक संघर्ष पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर ही होता है। टिकट वितरण या मंत्रिमंडल सदस्यों के चयन के समय यह सबसे गरमागरम होता है। असली राजनीतिक गद्दी राज्य की राजनीति में ही होती है। यदि राष्ट्रीय संसदीय चुनाव 'कुत्ता' और राज्य चुनाव 'पूंछ' हैं, तो पूंछ ही कुत्ते को हिलाती है।

राजनीतिक प्रचार-प्रसार के कुछ निश्चित पैटर्न होते हैं जो सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों के व्यवहार में दिखाई देते हैं। चुनावी पराजय का भी अपना एक पैटर्न होता है: सत्ताधारी दल अपने प्रतिद्वंद्वी की किसी सकारात्मक योग्यता के बजाय अपने ही लालच और कुकर्मों के कारण चुनाव में हार जाता है। मतदाता तंग आ जाते हैं। एक गिरोह के भ्रष्ट लोग हाशिये पर धकेल दिए जाते हैं और दूसरा गिरोह सत्ता में आ जाता है।

जब कोई चीज़ लंबे समय तक कभी-कभार या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, तो वह भी एक पैटर्न है। उदाहरण के लिए, वर्षों से राज्य और उसके लोगों की स्पष्ट ज़रूरतों पर हर पाँच साल में एक बार चुनाव के समय ज़बानी तौर पर ध्यान दिया जाता है और उसके बाद उनकी उपेक्षा की जाती है। वादे तो बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सुधार के लिए नीतियां कमज़ोर होती हैं। इस आखिरी बात पर राजनेता शायद आपत्ति जताएंगे कि कोई भी उम्मीदवार इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि मतदाताओं को उसकी नीतियां पसंद आईं। राजनेता वादों के आधार पर चुनाव प्रचार करते हैं क्योंकि मतदाता यही चाहते हैं और समझते हैं।

पुराना खून, नया खून

ये सभी पैटर्न उग्रवाद से पहले भी देखे गए थे और आज भी अपरिवर्तित हैं। लेकिन पंजाब के आघात की तीव्रता को देखते हुए, कुछ तो अवश्य बदला होगा।

ब्लूस्टार और दिल्ली दंगों ने लोगों को, विशेषकर सिखों को, कतई दहला दिया था—इतना खून बहाया गया—पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। इन घटनाओं ने पंजाब की स्थापित औपचारिक राजनीतिक पार्टियों के पुराने नेताओं को भी भयभीत कर दिया था: मानो गाड़ी उलट गई हो और हर सेब अलग-अलग दिशाओं में लुढ़क रहा हो। उन्होंने नियंत्रण खो दिया था और वे जानते थे कि इसे वापस पाना आसान नहीं था। 1984 की उथल-पुथल की तुलना केवल 1947 की उथल-पुथल से ही की जा सकती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ था।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कांग्रेस और अकाली, दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता लंबे समय से 'नए लोगों को लाने' के नेक इरादे का ढोंग करते रहे हैं। उग्रवाद के वर्षों ने स्थापित राजनीति को इस हद तक चुनौती दी कि अशांति के चरम पर ऐसा प्रतीत हुआ कि पंजाब की राजनीति का पुराना खून सचमुच बह जाएगा। एक राजनेता को निराशा हो सकती है यदि उसे डर हो कि भविष्य में उसका नाम 'इतिहास के कूड़ेदान' में डाल दिया जाएगा, लेकिन वह इस विचार से बेहद घबरा जाता है कि एक गोली उसे श्मशान घाट तक पहुंचा सकती है।

ये उग्रवादी 'नए लोग' थे, जिनका राज्य की किसी भी स्थापित राजनीतिक परंपरा से कोई संबंध नहीं था। अपने संक्षिप्त जीवनकाल में, 'ये लोग' पंजाब की राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ने के करीब पहुँच गए थे। क्या होता अगर इनमें से बड़ी संख्या में लोग चुनावी राजनीति में उतर जाते? क्या वे राजनीति के तौर-तरीकों को बदल देते या राजनीति उन्हें बदल देती? क्या वे अपने पूर्ववर्ती लोगों से भी बदतर साबित होते?

हम कभी नहीं जान पाएंगे। कुछ लोगों की ऐसी मौत हुई कि उनकी तस्वीरें स्मारक दीर्घाओं में प्रदर्शित की गईं। कुछ अन्य लोगों का नाम तक दर्ज नहीं हुआ—लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिवार और मित्र उनके भाग्य का अनुमान लगाते रह गए। कुछ लोग जीवित तो बच गए, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग हो गए, और शायद सांस लेने में भी कष्ट महसूस कर रहे थे।

अकाली-कांग्रेस की बारी-बारी से चलने वाली व्यवस्था के साथ, यह राज्य वर्षों से 'रंगीन समुद्र पर तैरते रंगीन जहाज' की तरह निष्क्रिय पड़ा है। हल्की-हल्की हवा भी स्वागत योग्य है।

असफल प्रयोग: झाड़ू और उदासी

2014 से 2017 के बीच ऐसा लगा जैसे नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। ये वे वर्ष थे जब पंजाब ने आम आदमी पार्टी (आप) के साथ प्रयोग किया। झाड़ू को पार्टी चिन्ह बनाकर बनी आम आदमी पार्टी का मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ये मतदाता लंबे समय से ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधियों की तलाश में थे जो स्वच्छ, ईमानदार और राज्य के कल्याण के लिए समर्पित हों, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आम आदमी पार्टी ने 'स्वराज' का नारा लगाते हुए और जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत संगठन का दावा करते हुए सत्ता में प्रवेश किया। लेकिन पार्टी को यह साबित करने में केवल दो साल लगे कि वह अकाली और कांग्रेस की तरह ही झूठी, अहंकारी, निरंकुश, सत्ता-लोभी और भ्रष्ट है। शायद उनसे भी ज्यादा।6

अफसोस की बात है कि आम आदमी पार्टी अब असफल प्रयोगों की श्रेणी में आती है। लेकिन यह एकमात्र असफल प्रयोग नहीं था। आम आदमी पार्टी के आने से बहुत पहले, मार्क्सवादी पार्टियां असफल रहीं और अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बहुजन

समाज पार्टी भी असफल रही।

बाईं ओर अकेला

स्वतंत्रता-पूर्व पंजाब में वामपंथी आंदोलनों का इतिहास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ग़दर आंदोलन, नौजवान भारत सभा (अर्थात भगत सिंह और उनके साथियों) पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। पंजाब की रियासतों में केंद्रित प्रजा मंडल और मुज़रा आंदोलन का भी व्यापक दस्तावेजीकरण किया गया है। (यद्यपि इन दोनों आंदोलनों के केंद्र में किरायेदार अधिकारों का मुद्दा था, फिर भी इन्हें प्रारंभिक वामपंथी आंदोलन माना जा सकता है।) उग्रवाद के दौर से ठीक पहले, उसके दौरान और बाद में पंजाब की वामपंथी पार्टियों पर केंद्रित रचनाएँ मिलना कठिन है। इनमें से केवल तीन ही पुस्तकें याद आती हैं: परमजीत सिंह जज की 'इंसरेक्शन टू एजिटेशन्स: द नक्सलाइट मूवमेंट इन पंजाब', गुरहरपाल सिंह की 'कम्युनिज्म इन पंजाब' और जसमेल सिंह बराड़ की 'कम्युनिस्ट पार्टी इन पंजाब: द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल'।7

नक्सलवादियों (जिनमें कई परस्पर विरोधी गुट थे) को बुर्जुआ लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं था—अर्थात चुनाव, गठबंधन, प्रचार अभियान आदि। उनका चरम उत्कर्ष 1970 के दशक के आरंभ में आया। उस समय पंजाब के विश्वविद्यालयों में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति थी; उन्होंने पंजाब छात्र संघ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और नौजवान भारत सभा को पुनर्जीवित किया, जो 1931 में शहीद भगत सिंह को लाहौर केंद्रीय जेल में फांसी दिए जाने के बाद से निष्क्रिय पड़ी थी।

राज्य सरकार (उस समय प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली सरकार) ने नक्सलियों पर बेरहमी से हमला किया। इस नक्सल-विरोधी अभियान में यातनाएं और लोगों का गायब हो जाना आम बात थी, लेकिन मुगल काल में और शायद उससे पहले भी ये प्रथाएं प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना है कि नक्सल-विरोधी वर्षों में एक नई प्रक्रिया शुरू हुई: कहा जाता है कि पंजाब पुलिस ने इसी दौरान फर्जी मुठभेड़ की खूबी और सुविधा को खोज निकाला। फर्जी मुठभेड़ उग्रवाद के दौर में मशहूर हुई और तब से भारत के हर कोने में फैल गई है।

पंजाब में वामपंथी दलों के चुनावी प्रदर्शन का चरम 1977 में देखने को मिला। उस वर्ष, सीपीआई ने सात विधानसभा सीटें जीतीं और सीपीआई (एम) ने आठ। सीपीआई का प्रदर्शन 1972 में और भी बेहतर था (10 सीटें), जबकि सीपीआई (एम) को केवल एक सीट मिली। 1980 वह आखिरी वर्ष था जब वामपंथी दलों ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया: सीपीआई को नौ और सीपीआई (एम) को पांच सीटें मिलीं। उसके बाद से, सीपीआई (एम) पूरी तरह से चुनावी दौड़ से बाहर हो गई है। सीपीआई को आखिरी बार कुछ सीटें (दो सीटें) 1997 में मिली थीं। जो पार्टी 20 वर्षों तक चुनावी जीत हासिल नहीं करती, वह लगभग खत्म हो जाती है (बॉक्स देखें: 'चुनाव आंकड़े')।

खालिस्तान से पहले के वर्षों को याद करते हुए, हर गाँव में एक कॉमरेड होता था—कम से कम एक, और कभी-कभी कई कॉमरेडों का समूह। उन्हें 'कॉमरेड साहब' कहकर संबोधित किया जाता था। वे अक्सर सिख होते थे और अच्छे सिख माने जाते थे, जो धर्मग्रंथों से लंबे-लंबे उद्धरण दे सकते थे, विशेषकर वे आयतें जो धन संचय और जातिगत अहंकार की निंदा करती थीं।

पंजाब में उग्रवाद फैलने से ठीक पहले, कम्युनिस्ट पार्टियां—सीपीआई और सीपीआई (एम)—दिखाई तो दे रही थीं, लेकिन हाशिए पर थीं। वे रैलियों और जुलूसों के कुशल आयोजक थे और लाल झंडों का विशाल जनसमूह इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन चुनाव का समय आते ही, वे इन झंडों को मुट्ठी भर निर्वाचित विधायकों या सांसदों से अधिक में तब्दील नहीं कर सके। शहरी

मतदाता कांग्रेस या (कुछ हद तक) भाजपा को वोट देते थे। बड़े जमींदारों का गांवों में दबदबा था, जहां जमींदार गुट वर्चस्व के लिए होड़ करते थे। अगर प्रतिद्वंद्वी 'ए' अकाली दल के साथ गठबंधन करता था, तो प्रतिद्वंद्वी 'बी' कांग्रेस के साथ। धार्मिक पहचान अकाली और भाजपा दोनों के लिए मतदाता लामबंदी का आधार थी। इसका मुकाबला करना कांग्रेस पार्टी के लिए भी आसान नहीं था, भले ही उसके पास राष्ट्रीय स्तर पर सभी संसाधन मौजूद थे। वर्ग पहचान ही कम्युनिस्ट पार्टियों के पास एकमात्र उपलब्ध लामबंदी का जरिया थी, लेकिन वर्ग पहचान मतदाताओं को न तो उत्साहित कर पाई और न ही कम्युनिस्ट पार्टियों के पास वोट खरीदने या पर्याप्त मतदान केंद्रों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त गुंडों को किराए पर लेने के लिए वित्तीय संसाधन थे।

खालिस्तान के उग्रवादी माओ के इस विचार से सहमत थे कि सत्ता बंदूक की नोक से उत्पन्न होती है, लेकिन वे माओवादियों और मार्क्सवादियों को समान रूप से नापसंद करते थे। अक्सर, किसी ग्रामीण साथी को अंत में बंदूक की नोक ही दिखाई देती थी।

चुनावी आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंजाब में CPI(M) कभी भी कोई मजबूत ताकत नहीं रही। CPI का प्रदर्शन बेहतर रहा, जिसका कुछ श्रेय राष्ट्रीय स्तर की CPI द्वारा दिए गए धन को जाता है। 1980 के दशक में, पंजाब की कभी भी मजबूत न रही वामपंथी पार्टियां कमजोर पड़ रही थीं; उग्रवादियों ने तो बस इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, राष्ट्रीय स्तर की CPI के पास रूबल खत्म हो गए थे और वह पंजाब CPI को राज्य के चुनावी परिदृश्य में फिर से स्थान दिलाने में असमर्थ थी।

पंजाब में कभी वामपंथियों द्वारा कब्जा की गई राजनीतिक भूमि अब कुछ हद तक असंख्य किसान संघों द्वारा भरी जा रही है। भले ही ये छोटे संघ छोटे हों, लेकिन इनमें जनसभा जुटाने और दृश्यता हासिल करने की अद्भुत क्षमता है। इनके नेता राजनीतिक दलों से मामूली सौदेबाजी करते हैं, लेकिन इतने छोटे और गरीब हैं कि चुनावी राजनीति में उतरने का जोखिम नहीं उठा सकते।

ब्लॉक बस्टर्स

पंजाब में वामपंथ का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है (गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, जो रूस में बोल्शेविक क्रांति से कई साल पहले की बात है)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अपेक्षाकृत नई है; इसका गठन 1984 में हुआ और इसने शुरुआत से ही खुद को अनुसूचित जातियों की आवाज घोषित किया। लेकिन पंजाब में इसका जीवनकाल वामपंथी दलों की तुलना में कम रहा है।

बसपा कैसे असफल हो सकती थी? जनसंख्या उसके पक्ष में थी और उसके संस्थापक कांशी राम पंजाब से थे। 1992 की विशेष परिस्थितियों ने पार्टी को सत्ता का एकमात्र छोटा सा अनुभव प्रदान किया।

सबसे पहले, पंजाब की जनसंख्या के बारे में कुछ बातें। पूरे राज्य में, पंजाब की अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 32 प्रतिशत है; मुक्तसर, फिरोजपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में यह प्रतिशत 42 प्रतिशत से अधिक है, जबकि फरीदकोट और जालंधर में यह 39 प्रतिशत है। यहां तक कि एसएएस नगर, जहां अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे कम है, वहां भी 22 प्रतिशत है। इसके विपरीत, जाट जाति पंजाब की कुल आबादी का केवल 21 प्रतिशत है। भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी रणनीति बनाते समय विभिन्न जातियों की ताकत एक महत्वपूर्ण कारक होती है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि बसपा, जो पंजाब की संख्यात्मक रूप से मजबूत अनुसूचित जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, राज्य

विधानसभा में बड़ी संख्या में सीटें जीतेगी, शायद सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें।

चुनाव के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं: बसपा ने विधानसभा में सिर्फ एक बार, 1992 में (नौ सीटें) जीती थीं। अकाली दलों ने 1992 के चुनावों का बहिष्कार किया था और कई अन्य दल उग्रवादियों या पुलिस के हाथों मौत के डर से पीछे हट गए थे। लोकसभा चुनावों में भी बसपा का प्रदर्शन उतना ही निराशाजनक रहा है: 1985 में एक सीट, 1992 में एक सीट और 1996 में तीन सीटें। पंजाब में 20 से अधिक वर्षों में बसपा ने विधानसभा या लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीती है।

बसपा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि 'अनुसूचित जाति' कोई एक जाति नहीं है: पंजाब में ऐसी 39 जातियाँ हैं। जातिगत चेतना और जातिगत पदानुक्रम केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाते क्योंकि किसी की जाति 'अनुसूची' में सूचीबद्ध है। परेशानी से बचने के लिए, आइए अंग्रेज़ी उपनामों का उदाहरण लें: यदि इंग्लैंड में धार्मिक शुद्धता की अवधारणा होती, तो एक पॉटर खुद को थैचर से कई गुना ऊँचा समझता और एक थैचर खुद को शेफर्ड या गार्डनर से श्रेष्ठ समझता। पॉटर, थैचर, शेफर्ड और गार्डनर तथा अन्य 30 सूचीबद्ध उपनामों को एक साथ मतदान करके सामान्य हित के लिए प्रेरित करना मुश्किल है, यदि इसका अर्थ यह है कि पूरा समूह आपस में समानता स्वीकार करे। यह भावना शायद विकसित हो रही है, लेकिन यह धीरे-धीरे विकसित हो रही है।

अपने शोध प्रबंध में, इंदरजीत सिंह पार्टी का जमीनी स्तर का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और जनसांख्यिकी को वोटों में परिवर्तित करने में पार्टी की विफलता के मूल कारण तक पहुँचते हैं। पंजाब में बसपा की विफलता का उनका संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है।8

संगठन:

- पंजाब में राज्य स्तर पर बसपा की संगठनात्मक संरचना बेहद कमजोर है। पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक निकायों के बीच समन्वय का अभाव है। किसी भी संगठन की नियमित बैठकें नहीं होती हैं।
- मायावती सभी निर्णय लेती हैं। राज्य अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और विधानसभा एवं लोकसभा समिति प्रभारी सहित सभी पदाधिकारियों का चयन पार्टी सुप्रीमो मायावती द्वारा किया जाता है। बसपा में आंतरिक लोकतंत्र का कोई नामोनिशान नहीं है।

पार्टी की रणनीति:

- उत्तर प्रदेश में बसपा को यह एहसास हुआ कि केवल दलित कार्ड पर टिके रहने से सत्ता में आने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने 'सामाजिक इंजीनियरिंग' की रणनीति अपनाई। पंजाब में इसे कभी गंभीरता से नहीं आजमाया गया; पंजाब बसपा का 80 प्रतिशत नेतृत्व दलित समुदाय से आता है और पार्टी ने कभी भी गैर-दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश नहीं की है।

पंजाब की राजनीति कांग्रेस और अकाली दल के इर्द-गिर्द घूमती है। बसपा समेत पंजाब की अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां तभी जीत सकती हैं जब वे कांग्रेस या एसएडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ें। बसपा के अधिकांश नेता गठबंधन बनाने से इनकार करते हैं क्योंकि गठबंधन होने पर बसपा समर्थक सहयोगी दल को वोट देते हैं, जबकि सहयोगी दल के समर्थक बसपा उम्मीदवारों को वोट नहीं देते।

अन्य पार्टियों से बसपा में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या, बसपा में शामिल होने वाले

अन्य दलों के नेताओं की संख्या से कम है। अन्य दलों से, केवल वही नेता बसपा में शामिल होते हैं जिन्हें अपनी मूल पार्टी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे तभी बसपा में शामिल होते हैं जब बसपा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है और फिर वे उन पार्टियों को बिगाड़ने का काम करते हैं जिन्हें उन्होंने छोड़ा है। कुछ समय बाद, विशेषकर चुनाव में हार के बाद, वे बसपा छोड़ देते हैं। यह प्रवृत्ति बसपा के लंबे समय से समर्पित कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करती है।

नेतृत्व:

- पंजाब बसपा का नेतृत्व कम शिक्षित है और वह मतदाताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाने में असमर्थ है। लगभग 70 प्रतिशत नेताओं की शैक्षणिक योग्यता $10+2$ स्तर तक ही सीमित है।

बसपा के भीतर असंतोष:

- कई पुराने कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है।
- बसपा नेताओं की शिकायत है कि कांशी राम की मृत्यु के बाद यह एक व्यक्ति की पार्टी बन गई है।
- पंजाब बसपा के अधिकांश नेतृत्व की शिकायत है कि राष्ट्रीय पार्टी केवल उत्तर प्रदेश पर ही ध्यान केंद्रित करती है।
- वर्तमान में बसपा के छह गुट हैं। इनमें से तीन गुट अधिक सक्रिय हैं, अर्थात् बसपा, बसपा(ए) और डीबीएसएम। दलितों के वोट इन गुटों में बँट जाते हैं।

मतदाताओं की धारणा:

- सिख धर्म और आर्य समाज आंदोलन के प्रभाव के कारण पंजाब में जाति व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है। इसलिए दलित कार्ड खेलना अधिक कठिन है।
- पंजाब के दलितों का प्रतिनिधित्व अकाली दल, कांग्रेस और यहां तक कि भाजपा में भी है। ये सभी पार्टियां दलितों के वोटों को लुभाने की कोशिश करती हैं। पंजाब के दलितों ने अपनी खुद की पार्टी की तत्काल आवश्यकता महसूस नहीं की है।
- चुनाव मतदाता के लिए तभी लाभदायक होते हैं जब वह जीतने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाता है। अपना काम करवाने के लिए मतदाता को मौजूदा प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। बसपा उम्मीदवार के जीतने की संभावना बहुत कम मानी जा रही है, इसलिए बसपा को दिया गया वोट व्यर्थ माना जाता है।
- बसपा नेता आम दलित मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहे हैं। मतदाता बसपा सहित सभी राजनीतिक नेताओं को एक समान रूप से झूठा, उदासीन और स्वार्थी मानते हैं—जो केवल चुनाव के समय ही सामने आते हैं।
- बसपा युवाओं को आकर्षित और संगठित करने में सफल नहीं रही है। कांग्रेस और एसएडी की युवा मतदाताओं पर अधिक पकड़ है।
- पार्टी गैर-दलितों का समर्थन हासिल करने में असमर्थ रही है, और चुनावी विफलता के परिणामस्वरूप दलित भी पार्टी से दूर होते जा रहे हैं।

उग्रवाद के दौर में काफ़ी हिंसा हुई, लेकिन भारत सरकार के विरोधियों में से हर किसी ने हथियार नहीं उठाए। कई कट्टरपंथी संगठनों में गोलीबारी और बातचीत दोनों के लिए अलग-अलग गुट थे। हथियार चलाने वाले नए चेहरे थे, और प्रेस विज्ञप्तियां लिखने वाले भी नए थे। हालांकि, जाने-पहचाने चेहरे गायब नहीं हुए। कट्टरपंथी माहौल में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती ने सत्ताधारी राजनेताओं को बार-बार नए रूप में पेश होने के लिए मजबूर किया (देखें बॉक्स: '1984-2006 समयरेखा')।

उदाहरण के लिए, पंजाब के वर्तमान कांग्रेस मुख्यमंत्री और पटियाला के उत्तराधिकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीन बार अपना पाला बदला: कांग्रेस से अकाली दल में, उदार अकाली से कट्टरपंथी अकाली दल में, और कट्टरपंथी अकाली से कांग्रेस में। वे 1994 के 'अमृतसर घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे, जिसमें उपमहाद्वीप को विभिन्न संस्कृतियों का संग्रह बताया गया था, जिन्हें केंद्र सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और इसके लिए एक परिसंघ सबसे न्यायसंगत और स्वीकार्य व्यवस्था थी। घोषणापत्र में निष्कर्ष निकाला गया था, 'यदि भारत सरकार भारतीय शासन प्रणाली को संघीय ढांचे में पुनर्गठित करने में विफल रहती है, तो अकाली दल के पास एक संप्रभु सिख राज्य के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।' उस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वालों में न केवल अमरिंदर सिंह का नाम है, बल्कि बादल, तोहरा, बरनाला और सिमरनजीत सिंह मान के नाम भी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर स्थित कट्टरपंथी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बने।

नए गुटों का जन्म हुआ, पुराने नाम पुनर्जीवित हुए। नए रूप में सामने आए इन सभी गुटों ने खुद को 'असली अकाली दल' होने का दावा किया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने घोषणा की कि वे अकाली दल से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, बल्कि उसे शुद्ध कर रहे हैं और उसकी पवित्रता को वापस ला रहे हैं।

टुकड़े और किनारे

फिलहाल, पंजाब और सिखों के संकट की पृष्ठभूमि को एक तरफ रख दें। भारत का राजनीतिक इतिहास, स्वतंत्रता से पहले और बाद का, संपूर्ण भारत का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक... विखंडन, बातचीत, एकीकरण और फिर से विखंडन का इतिहास है।

इसे समझाना आसान है।

भारत अत्यंत विविधतापूर्ण है, गाँव स्तर तक भी इसमें कई तरह की जटिलताएँ मौजूद हैं। आप कहीं भी देखें, आपको कोई न कोई विशिष्ट पहचान मिल ही जाएगी जिसके इर्द-गिर्द समर्थन केंद्रित किया जा सकता है। वास्तव में, आपको ऐसी कई पहचानें मिलने की संभावना है।

किसी परिस्थिति पर नियंत्रण पाने की रणनीति के रूप में युद्धविराम करना बहुत पहले ही पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुका था। खुद को कमतर समझकर कर्ण कुरुक्षेत्र के किनारे 10 दिनों तक रूठ कर बैठा रहा। एक खूबसूरत बंदी को अकिलीज़ को देने से इनकार किए जाने पर उसने एगामेम्नन से कहा कि वह अपने सैनिकों को लेकर घर जा रहा है। युद्ध ध्वज, दासी, पार्टी का टिकट, मंत्रिमंडल में पद... सब एक ही बात है।

जब बात अभिमान और आत्मप्रशंसा की लालसा की आती है, तो भारतीय किसी से कम नहीं हैं। पैराडाइज़ लॉस्ट में शैतान का एकालाप हर उस नेता पर सटीक बैठता है जो अपनी पार्टी से अलग हो जाता है: 'स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है नरक में राज करना।'

छोटे-छोटे गुट या मुखौटे संगठन राजनीतिक संसाधनों को बढ़ाते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं।

किसी भी राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सभी दलों के लिए सत्य है, लेकिन आइए एक 'अप्रत्यक्ष' दल की कल्पना करें। जब यह अप्रत्यक्ष दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो पृष्ठ 5 पर दो पैराग्राफ मिलना भी उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन मान लीजिए कि समान विचारों वाले दो अप्रत्यक्ष दल हैं; एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और दूसरा, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, सचिवालय के बाहर यातायात अवरुद्ध कर देता है। अगली सुबह के अखबार में, शायद वे 10 पैराग्राफ तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके होंगे। कम खर्च, जबरदस्त लाभ। मीडिया कवरेज को अधिकतम करने के लिए, एक से अधिक अप्रत्यक्ष दलों से दो अप्रत्यक्ष दल बेहतर हैं। राजनीतिक सूझबूझ इस बात को जानने में निहित है कि अप्रत्यक्ष दलों की संख्या कब बढ़ने लगती है और कब यह एक घाटे का सौदा बन जाता है।

विद्रोही/कट्टरपंथी/हाशिये पर स्थित दल किसी प्रमुख दल या दल के नेता के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे चुनाव में जहाँ पार्टी A, पार्टी B के मुकाबले कमजोर स्थिति में हो, पार्टी A, पार्टी B के वोटों को बाँटकर जीत हासिल कर सकती है। पार्टी A को वैकल्पिक दलों के अपने दम पर उभरने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कांग्रेस नेता ज्ञानी ज़ैल सिंह ने सिख कट्टरपंथी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को बढ़ावा दिया ताकि (क) उनके साथी कांग्रेस नेता और कट्टर विरोधी दरबारा सिंह और (ख) पंजाब कांग्रेस पार्टी के कट्टर विरोधी अकाली दल को कमजोर किया जा सके। (अनेक पुस्तकों और समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लेखों में इस दावे को उठाया गया है। इसका दस्तावेजी विवरण 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी इतिहास', खंड V में मिलता है।)9

विद्रोही/कट्टरपंथी/हाशिये पर मौजूद पार्टियां एक तीसरा तरीका अपनाकर किसी मध्यमार्गी या उदारवादी पार्टी को और भी चरमपंथी रुख अपनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। यह इस तरह काम करता है: उदारवादी पार्टी का प्रतिद्वंद्वी गुप्त रूप से एक कट्टरपंथी पार्टी या गुट बनाता है जिसका काम भावनात्मक मुद्दों पर जनता की भावनाओं को भड़काना और मध्यमार्गी पार्टियों पर हमला करना होता है। इसका मकसद उदारवादी पार्टी के नेताओं में यह डर पैदा करना है कि उनके मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा कट्टरपंथियों की ओर आकर्षित हो रहा है। क्या उदारवादी पार्टी को मध्यमार्गी बने रहना चाहिए और कट्टरपंथी मतदाताओं को खोना चाहिए या फिर और भी चरमपंथी रुख अपनाकर मध्यमार्गी मतदाताओं को खोने का जोखिम उठाना चाहिए?

कोशिश करो, फिर से कोशिश करो?

हमने पंजाब के राजनीतिक परिवारों की वंशावली का गहन अध्ययन किया है और पिछले 30 वर्षों में सत्ता में आए और चले गए दर्जनों दलों की कब्रों से जमी काई को खंगाला है। इस ज्ञान का क्या करें? क्या इस ज्ञान के बिना हमारा भला होगा? अगर हम इसे याद रखें और सब कुछ एक साथ जोड़ दें, तो क्या इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्या?

चलिए टैलीरैंड की बात पर लौटते हैं। जब उन्होंने लिखा, 'उन्होंने कुछ नहीं सीखा और कुछ नहीं भूले', तो उनका तात्पर्य नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस पर थोपी गई राजशाही सरकार से था। कुछ वर्षों बाद, फ्रांसीसी राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए बॉर्बन राजवंश के राजकुमारों को सत्ता से हटा दिया और फिर ऑरलियन्स राजवंश के एक राजकुमार को सत्ता में बिठा दिया। 20 वर्ष से भी कम समय में, इस राजकुमार को भी सत्ता से हटा दिया गया और उसकी जगह नेपोलियन के भतीजे को बिठा दिया गया। यह व्यक्ति निर्वाचित तो हुआ, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ने के बजाय उसने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस निरंकुशता के दलदल में फंस गया था और राष्ट्राध्यक्षों को बदलने का सिलसिला 'पुराने नाम,

नया नाम' तक सीमित हो गया था। शासक वर्ग के कुछ न सीखने के बारे में टैलीरैंड शायद सही थे, लेकिन वे हमें यह नहीं बताते कि फ्रांस को बेहतर निरंकुश शासकों की तलाश बंद करके एक बेहतर व्यवस्था की खोज करने में क्या लगा।

भगवान का घर

पंजाब में 'गेम चेंज' का क्या मतलब हो सकता था, इसका अनुमान लगाने के लिए हमें पुराने शासनकाल के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। हालांकि, यह सही शब्द नहीं है—इसका तात्पर्य उन लोगों के समूह से है जो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। पंजाब का शासन भले ही 'पुराना' हो, लेकिन यह अभी भी ठीक-ठाक चल रहा है। इसके सदस्य कभी कांग्रेसी तो कभी अकाली हैं। जब पार्टी का नेता उनमें से किसी एक को टिकट देने से इनकार करता है, तो वह प्रेस को बुलाकर एक भव्य तमाशा दिखाता है जिसमें वह चुनौती देते हुए पार्टी के नेता से जुड़ जाता है और इसके विपरीत भी होता है। कुछ नेता कई बार पार्टियों के बीच अदला-बदली कर चुके हैं।

पंजाब में रहने वाले लोग उस वंशावली जाल से भलीभांति परिचित हैं जो हर साल मतपत्रों पर लगभग सभी नामों को आपस में जोड़ता है। जिन्हें इसके बारे में और जानकारी चाहिए, उनके लिए यह रही।

अभिजात

पटियाला

कैप्टन अमरिंदर सिंह दो बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं: 2002 और 2017 में निर्वाचित। वे पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह के पुत्र हैं। उनका विवाह प्रीनीत कौर कहलों से हुआ है, जो तीन बार सांसद रह चुकी हैं और मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मामलों की राज्य मंत्री थीं। प्रीनीत कौर, पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव ज्ञान सिंह कहलों (ICS) की पुत्री हैं। प्रीनीत कौर, गीतिंदर कौर कहलों की बहन हैं, जो सिमरनजीत सिंह मान की पत्नी हैं। सिमरनजीत सिंह मान, एसएडी (अमृतसर) के संस्थापक और प्रमुख हैं, जो एक कट्टरपंथी सिख राजनीतिक दल है और अब मान के मित्रों और रिश्तेदारों से मिलकर बना है। सिमरनजीत सिंह मान, भूपिंदर सिंह मान के पुत्र हैं, जो संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों के अपर्याप्त संरक्षण के आधार पर प्रस्तावित संविधान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

अमरिंदर के बेटे रनिंदर ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़े हैं: दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।

राजसी-राजनीतिक संबंधों का एक और उदाहरण। अमरिंदर के पोते निर्वाण (जय इंदर और गुरपाल सिंह के पुत्र) ने 2017 में मृगांका से विवाह किया (उनके दादा कश्मीर के महाराजा और केंद्रीय मंत्री करण सिंह थे; उनके नाना ग्वालियर के महाराजा और केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया थे)। अमरिंदर के एक अन्य पोते अंगद का विवाह बुशहर के पूर्व महाराजा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पुत्री अपराजिता से हुआ है।

बादल

रघुराज सिंह ढिल्लों (पंजाब के मुक्तसर जिले में मलोट के पास स्थित अबुल खुराना गांव के बड़े

जमींदार) के दो पुत्र थे - प्रकाश सिंह और गुरदास सिंह। बादल, अबुल खुराना के पास स्थित एक गांव का नाम है। दोनों पुत्र ढिल्लों कहलाने के बजाय 'बादल' कहलाना पसंद करते थे।

प्रकाश सिंह के एक पुत्र हैं, सुखबीर सिंह। जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे, तब वे उपमुख्यमंत्री थे और अब एसएडी के अध्यक्ष हैं। प्रकाश सिंह की पुत्री परनीत का विवाह आदेश प्रताप कैरों से हुआ है। आदेश प्रताप, जो अब अकाली हैं, एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी परिवार से आते हैं। उनके पिता सुरिंदर सिंह कैरों (सांसद और विधायक) और दादा प्रताप सिंह कैरों (1956-1964) ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। सुखबीर का विवाह हरसिमरत कौर से हुआ है। हरसिमरत, सत्यजीत सिंह मजीठिया की पुत्री और सुरजीत सिंह मजीठिया (सांसद और नेपाल में राजदूत) की पोती हैं। उनके भाई बिक्रम सिंह मजीठिया अकाली और पूर्व विधायक और मंत्री हैं।

गुरदास सिंह बादल के पुत्र मनप्रीत सिंह ने भी राजनीति में कदम रखा। वे अकाली दल से विधायक चुने गए और वित्त मंत्री बने। उन्होंने अपनी अल्पकालिक पंजाब पीपुल्स पार्टी बनाई और कुछ वर्षों तक राजनीति से दूर रहे। 2017 में वे कांग्रेसी सांसद के रूप में विधानसभा में लौटे और अब फिर से वित्त मंत्री हैं।

पूर्व अकाली विधायक और मंत्री जनमेजा सिंह सेखों का संबंध प्रकाश सिंह बादल की दिवंगत पत्नी प्रकाश कौर से है। उनके एक अन्य चचेरे भाई, राजनेता महेश इंदर सिंह, कांग्रेस के समर्थक हैं।

चीरों

राज-काल के सिंह सभा कार्यकर्ता और महिला शिक्षा के समर्थक निहाल सिंह कैरों स्वयं राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से इतने करीब थे कि उन्होंने अपने पुत्र प्रताप सिंह को राजनीति की ओर अग्रसर किया। प्रताप सिंह (नेहरू युग) अंततः पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री बने।

प्रताप सिंह के बेटे सुरिंदर सिंह सांसद बने, पहले कांग्रेस से और बाद में अकाली पार्टी से। उनके एक अन्य बेटे गुरिंदर सिंह ने कांग्रेस टिकट पर अपने पहले चुनाव अभियान में हार के बाद राजनीति से किनारा कर लिया।

प्रताप सिंह कैरों की भतीजी गुरबिंदर कौर ने हरचरण सिंह बराड़ से शादी की, जो बाद में पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री बने।

Partap Singh is the grandfather of Adesh Partap Singh (see Badals) and Raman Kaur, wife of Congress ex MLA Jassi Khangura.

ब्रार्स

बलवंत सिंह बराड़ मुक्तसर जिले के सराय नागा गांव के एक बड़े जमींदार थे। उनके पुत्र हरचरण सिंह बराड़ कांग्रेस में शामिल हुए और पांच बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे पंजाब के मुख्यमंत्री और ओडिशा तथा हरियाणा के राज्यपाल के पद तक पहुंचे।

हरचरण सिंह के एक पुत्र आदेश कंवरजीत सिंह बराड़ (सनी के नाम से प्रसिद्ध) थे, जो कांग्रेस विधायक बने, और एक पुत्री कंवलजीत कौर (बबली) थीं, जिन्होंने 1996 में विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहीं। सनी की विधवा करण बराड़ स्वयं भी कांग्रेस विधायक हैं। करण बराड़, हरप्रिया कौर की बहन हैं, जो मालविंदर सिंह की पत्नी हैं, मालविंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाई हैं (पटियाला देखें)। करण कौर के पुत्र करणबीर सिंह, बराड़ परिवार के पैतृक गांव के सरपंच हैं और पंजाब कांग्रेस पार्टी में उनका तेजी से उत्थान होने की संभावना है।

उपरोक्त सभी व्यक्ति जाट जाति से संबंधित हैं।

जमींदार और कुलीन वर्ग

पंजाब में सक्रिय राजनेता जो सांसद/विधायक माता-पिता के बच्चे, भतीजे/भतीजी या जीवनसाथी नहीं हैं, वे अपवाद हैं। पंजाब के राजनीतिक वंशजों की सूची बनाते समय यही समस्या सामने आती है। हालांकि कई लोगों के नाम शामिल होते हैं, फिर भी अनजाने में कुछ लोगों का नाम छूट सकता है। अगर उनका नाम सूची में नहीं आता है, तो वे निश्चित रूप से इसे दिल पर लेंगे।

2017 में निर्वाचित विधानसभा के 117 सदस्यों में से 43 विधायक (36.75%) उन व्यक्तियों के करीबी रिश्तेदार हैं जो वर्तमान में विधायक या सांसद हैं या रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हारे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों के उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा, उन विधायकों का भी कोई जिक्र नहीं है, जो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट या पार्टी पद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन श्रेणियों को शामिल करने से सूची इतनी लंबी हो जाएगी जितनी कि मेतुसेलाह की मूंछें भी लंबी हो जाएंगी।

2017 में निर्वाचित पंजाब विधानसभा के सदस्य (जिनमें से 29.25% राजनीतिक परिवारों से आते हैं)

S. No.	Constituency	Name	Party	Connection
1.	Sujanpur	Dinesh Singh	BJP	–
2.	Bhoa	Joginder Pal	INC	–
3.	Pathankot	Amit Vij	INC	s/o Anil Vij, Punjab Congress Committee member
4.	Gurdaspur	Barindermeet Singh Pahra	INC	grandson Kartar Singh Pahra, Akali MLA
5.	Dina Nagar	Aruna Chaudhary	INC	daughter-in-law of Jai Muni Chaudhary, MLA
6.	Qadian	Fatehjang Singh Bajwa	INC	Brother of Pratap Singh Bajwa MP & s/o Satnam Singh Bajwa, three-time Punjab MLA and Minister
7.	Batala	Lakhbir Singh Lodhinangal	SAD	–
8.	Sri Hargobindpur	Balwinder Singh Laddi	INC	–
9.	Fatehgarh Churian	Tript Rajinder Singh Bajwa	INC	s/o Gurbachan Singh Bajwa, minister in Bhargava government
10.	Dera Baba Nanak	Sukhjinder Singh Randhawa	INC	s/o Santokh Singh Randhawa, one-time Punjab Congress Chief
11.	Ajnala	Harpartap Singh	INC	s/o Harcharan Singh Ajnala, MLA speaker
12.	Raja Sansi	Sukhbinder Singh Sarkaria	INC	s/o Narinder Singh Sarkaria, veteran Congress politician
13.	Majitha	Bikram Singh Majithia	SAD	Satyajit Singh Majithia MP ex Dy Defence Minister, younger brother of Bathinda MP, Harsimrat Kaur Badal and brother-in-law of ex Dy CM Sukhbir Singh Badal. Married to Ganieve Grewal, niece of Radha Soami sect guru
14.	Jandiala	Sukhwinder Singh Danny	INC	s/o Sardool Singh MLA
15.	Amritsar North	Sunil Dutti	INC	–
16.	Amritsar West	Raj Kumar Verka	INC	–
17.	Amritsar Central	Om Parkash Soni	INC	–
18.	Amritsar East	Navjot Singh Sidhu	INC	–

19.	Amritsar South	Inderbir Singh Bolaria	INC	s/o Raminder Singh Bolaria, MLA
20.	Attari	Tarsem Singh D.C.	INC	–
21.	Tarn Taran	Dr Dharambir Agnihotri	INC	–
22.	Khem Karan	Sukhpal Singh Bhullar	INC	s/o Gurchet Singh Bhullar MLA, minister
23.	Patti	Harminder Singh Gill	INC	–
24.	Khadoor Sahib	Ramanjeet Singh Sahota Sikki	INC	–
25.	Baba Bakala	Santokh Singh	INC	–
26.	Bholath	Sukhpal Singh Khaira	AAP	s/o Sukhjinder Singh Khaira MLA, minister
27.	Kapurthala	Rana Gurjit Singh	INC	–
28.	Sultanpur Lodhi	Navtej Singh Cheema	INC	s/o Gurmail Singh Cheema MLA
29.	Phagwara	Som Parkash	BJP	–
30.	Phillaur	Baldev Singh Khaira	SAD	–
31.	Nakodar	Gurpratap Singh Wadala	SAD	s/o Kuldip Singh Wadala MLA
32.	Shahkot	Ajit Singh Kohar	SAD	–
33.	Shahkot (bypoll in May 2018)	Hardev Singh Ladi	INC	–
34.	Kartarpur	Chaudhary Surinder Singh	INC	Nephew of Santokh Singh Chaudhary, Congress MP
35.	Jalandhar West	Sushil Kumar Rinku	INC	–
36.	Jalandhar Central	Rajinder Beri	INC	–
37.	Jalandhar North	Avtar Singh Junior	INC	s/o Avtar Henry, MLA & minister
38.	Jalandhar Cantt	Pargat Singh Powar	INC	–

39.	Adampur	Pawan Kumar Tinu	SAD	–
40.	Mukerian	Rajnish Kumar Babbi	INC	s/o Kewal Krishan, MLA, ex speaker & minister
41.	Dasuya	Arun Dogra	INC	s/o Ramesh Chander Dogra, MLA & ex Dy Speaker
42.	Urmar	Sangat Singh Gilzian	INC	–
43.	Sham Chaurasi	Pawan Kumar Adia	INC	–
44.	Hoshiarpur	Sunder Sham Arora	INC	–
45.	Chabbewal	Dr Raj Kumar	INC	–
46.	Garhshankar	Jai Krishan	AAP	–
47.	Banga (SC)	Sukhwinder Kumar	SAD	–
48.	Nawanshahr	Angad Singh	INC	s/o Gur Iqbal Kaur Babli (MLA) & Parkash Singh (MLA), who was nephew of Dilbagh Singh (MLA)
49.	Balachaur	Darshan Lal	INC	–
50.	Anandpur Sahib	Rana K. P. Singh	INC	–
51.	Rupnagar	Amarjit Singh Sandoa	AAP	–
52.	Chamkaur Sahib	Charanjit Singh Channi	INC	s/o Dilbagh Singh, MLA
53.	Kharar	Kanwar Sandhu	AAP	–
54.	SAS Nagar	Balbir Singh Sidhu	INC	–
55.	Bassi Pathana	Gurpreet Singh	INC	–
56.	Fatehgarh Sahib	Kuljit Singh Nagra	INC	–
57.	Amloh	Randeep Singh	INC	–
58.	Khanna	Gurkirat Singh Kotli	INC	Grandson of Beant Singh Punjab CM
59.	Samrala	Amrik Singh Dhillon	INC	–

60.	Sahnewal	Sharanjit Singh Dhillon	SAD	–
61.	Ludhiana East	Sanjeev Talwar	INC	–
62.	Ludhiana South	Balvinder Singh Bains	LIP	Simarjit Singh Bains' brother
63.	Atam Nagar	Simarjeet Singh Bains	LIP	Balwinder Singh Bains' brother
64.	Ludhiana Central	Surinder Kumar Dawar	INC	–
65.	Ludhiana West	Bharat Bhushan Ashu	INC	–
66.	Ludhiana North	Rakesh Pandey	INC	s/o Joginder Pal Pandey, MLA
67.	Gill	Kuldeep Singh Vaid	INC	–
68.	Payal	Lakhvir Singh Lakha	INC	Protégé of Tej Parkash Singh, ex Congress minister, son of assassinated CM Beant Singh
69.	Dakha	Harvinder Singh Phoolka	AAP	–
70.	Dakha	Bypoll TBD		–
71.	Raikot	Jagtar Singh Jagga Hissowal	AAP	–
72.	Jagraon	Saravjit Kaur Manuke	AAP	–
73.	Nihal Singhwala	Manjit Singh	AAP	–
74.	Bagha Purana	Darshan Singh Brar	INC	–
75.	Moga	Harjot Kamal Singh	INC	–
76.	Dharamkot	Sukhjit Singh Kaka Lohgarh	INC	–
77.	Zira	Kulbir Singh	INC	s/o Inderjit Singh Zira, Congress Kisan Cell Chief
78.	Firozpur City	Parminder Singh Pinki	INC	–
79.	Firozpur Rural	Satkar Kaur	INC	w/o Jasmail Singh Laddi Gehri, member Ferozepur zila parishad
80.	Guru Har Sahai	Gurmeet Singh Sodhi	INC	–

81.	Jalalabad	Sukhbir Singh Badal	SAD	s/o Parkash Singh Badal, MLA, MP & CM
82.	Fazilka	Davinder Singh Ghubaya	INC	s/o Sher Singh Ghubaya, MP
83.	Abohar	Arun Narang	BJP	–
84.	Balluana	Nathu Ram	INC	–
85.	Lambi	Parkash Singh Badal	SAD	–
86.	Gidderbaha	Amrinder Singh Raja Warring	INC	–
87.	Malout	Ajaib Singh Bhatti	INC	s/o Late Comrade Arjan Singh, CPI cadre, contested from Nihasinghwala
88.	Muktsar	Kanwarjit Singh	SAD	–
89.	Faridkot	Kushaldeep Singh Dhillon	INC	s/o Jasmat singh Dhillon, MLA
90.	Kotkapura	Kultar Singh Sandhwan	AAP	Zail Singh's grandnephew
91.	Jaitu	Baldev Singh	AAP	–
92.	Rampura Phul	Gurpreet Singh Kangar	INC	–
93.	Bhucho Mandi	Pritam Singh Kotbhai	INC	–
94.	Bathinda Urban	Manpreet Singh Badal	INC	Ex CM Parkash Singh Badal's nephew
95.	Bathinda Rural	Rupinder Kaur Ruby	AAP	–
96.	Talwandi Sabo	Professor Baljinder Kaur	AAP	–
97.	Maur	Jagdev Singh	AAP	–
98.	Mansa	Nazar Singh Manshahia	AAP	–
99.	Sardulgarh	Dilraj Singh	SAD	s/o Balwinder Singh Bhundar, MLA & MP
100.	Budhlada	Budh Ram	AAP	–
101.	Lehra	Parminder Singh Dhindsa	SAD	s/o Sukhdev Singh Dhindsa, MLA, MP, & minister
102.	Dirba	Harpal Singh Cheema	AAP	–
103.	Sunam	Aman Arora	AAP	d/o Bhagwan Dass, MLA
104.	Bhadaur	Pirmal Singh Dhaula	AAP	–

105.	Barnala	Gurmeet Singh Meet Haher	AAP	–
106.	Mehal Kalan	Kulwant Singh Pandori	AAP	–
107.	Malerkotla	Razia Sultana	INC	w/o Md Mustafa, Director General of Police (DGP) Punjab
108.	Amargarh	Surjit Singh Dhiman	INC	–
109.	Dhuri	Dalvir Singh Goldy	INC	–
110.	Sangrur	Vijay Inder Singla	INC	s/o Sant Ram Singla, MP and MLA
111.	Nabha	Sadhu Singh	INC	–
112.	Patiala Rural	Brahm Mohindra	INC	–
113.	Rajpura	Hardial Singh Kamboj	INC	–
114.	Dera Bassi	Narinder Kumar Sharma	SAD	–
115.	Ghanaur	Madan Lal Jalalpur	INC	Lal Singh' nephew, Congress ex-minister, present Chairman Punjab Pradesh Congress Committee (PPCC), Election Management Committee & Mandi Board
116.	Sanour	Harinder Pal Singh Chandumajra	SAD	s/o Prem Singh Chandumajra, MLA & MP
117.	Patiala	Amarinder Singh	INC	–
118.	Samana	Rajinder Singh	INC	s/o Lal Singh, MLA & minister
119.	Shutrana	Nirmal Singh	INC	Retired HC judge; Akali MP Paramjit Kaur Gulshan's husband, who is the daughter of Dhanna Singh Gulshan, Akali leader and union minister

Punjab Lok Sabha 13 Seats Total																														
1977 General Election 6th Lok Sabha		1980 General Election 7th Lok Sabha		1985 General Election 8th Lok Sabha		1989 General Election 9th Lok Sabha		1992 General Election 10th Lok Sabha		1996 General Election 11th Lok Sabha		1998 General Election 12th Lok Sabha		1999 General Election 13th Lok Sabha		2004 General Election 14th Lok Sabha		2009 General Election 15th Lok Sabha		2014 General Election 16th Lok Sabha								
Turnout 70.1%		Turnout 62.7%		Turnout 67.4%		Turnout 62.7%		Turnout 24.0%		Turnout 62.2%		Turnout 60.1%		Turnout 56.1%		Turnout 61.6%		Turnout 69.8%		Turnout 70.6%								
BLD	3	INC	12	INC	5	BSP	1	BSP	1	BSP	3	BJP	3	BJP	1	BJP	3	BJP	1	BJP	2								
CPM	1	SAD	1	SAD	7	INC	2	INC	12	INC	2	IND	1	CPI	1	INC	2	INC	8	INC	3								
SAD	9		0	BJP	1	IND	3	Others	0	SAD	8	JD	1	INC	8	SAD	8	SAD	4	AAP	4								
						JD	1					SAD	8	SAD	2					SAD	4								
						SAD-M	6					INC	0	SAD-M	1														

स्रोत: विकिपीडिया [वर्ष] पंजाब आम चुनाव

Undivided Pb. 154 seats		Punjab Vidhan Sabha: 117 Seats																												
1962		1967		1969		1972		1977		1980		1985		1992		1997		2002		2007		2012		2017						
Turnout 63.44%		Turnout 71.18%		Turnout 72.27%		Turnout 68.63%		Turnout 65.37%		Turnout 64.33%		Turnout 67.5%		Turnout 23.4%		Turnout 68.7%		Turnout 65.1%		Turnout 75.5%		Turnout 78.6%		Turnout 76.6%						
Congress	90	Congress	48	SAD	43	Congress	66	SAD	58	Congress	63	SAD	73	Congress	87	SAD	75	BJP	3	BJP	19	Congress	46	Congress	77					
SAD	19	Akali Dal Sant Fateh Singh	24	Congress	58	SAD	24	Janata Party	25	SAD	37	Congress	32	BSP	9	BJP	18	CPI	2	Congress	44	SAD	56	AAP	20					
CPI	9	Jan Sangh	9	Jan Sangh	8	CPI	10	Congress	17	CPI	9	BJP	6	BJP	6	INC	14	Congress	62	SAD	48	BJP	12	SAD	15					
Jan Sangh	8	CPI	5	CPI	4	CPI-M	1	CPI-M	8	CPIM	5	CPI	1	CPI	4	CPI	2	SAD	41	IND	5	IND	3	BJP	3					
Socialist Party	4	CPI-M	3	CPI-M	2	IND	3	CPI	7	BJP	1	IND	4	IND	4	IND	6	IND	9					LIP	2					
Swatantra Party	3	Republican Party of India	3	Socialist Party	2			IND	2	IND	2			Others	7	Others	2							NOTA	0.7%					
Haryana Lok Samiti	3	Akali Dal Master Tara Singh	2	Janta Party	1																									
IND	18	Socialist Party	1	Praja Socialist Party	1																									
		IND	9	Swatantra Party	1																									
				IND	4																									

स्रोत: विकिपीडिया [वर्ष] पंजाब विधानसभा चुनाव

नोट्स

1. लेखक की निजी यादें।
2. त्रिपाठी, 'पंजाब की धीमी अर्थव्यवस्था'।
3. http://www.insafbulletin.net/archives/604
4. किसी देवता या पवित्र व्यक्ति का शुभ दर्शन।
5. सिंह, 'पूर्व सेवारत विधायकों के परिजनों'।
6. पंजाब में आम आदमी पार्टी के साहसिक कार्य का विस्तृत और प्रामाणिक विवरण जानने के लिए, राम की पुस्तक "थर्ड अल्टरनेटिव इन पंजाब" देखें।
7. जज, विद्रोह से आंदोलन तक; सिंह, साम्यवाद; जसमेल सिंह बरार, पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी।
8. Singh, Bahujan Samaj Party in Punjab.
9. मुखर्जी, एक शताब्दी इतिहास। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संपादकीय मंडल के अध्यक्ष हैं।

2

उचित प्रक्रिया: पंजाब

भारत एक विशाल देश होने का लाभ उठाता है, और सरकार अब तक भाग्यशाली रही है: आधुनिक भारत के 70 वर्षों के इतिहास में, उसे एक समय में केवल एक या दो क्षेत्रों में ही अशांति का सामना करना पड़ा है। 1980 के दशक की शुरुआत में, अशांति का केंद्र पंजाब था और कुछ हद तक असम; राजनीतिक दांव-पेच आम बात थे। पंजाब में, बेतुकी बातें बढ़ती गईं और हिंसा एवं उकसावे की घटनाएं अधिक गंभीर और बार-बार होने लगीं। जब स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ, तो यह अब कोई खेल नहीं रह गया था।

गेम खेलने वालों को एक करोड़ से अधिक लोगों का सामना करना पड़ा जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद चलाए गए गलत और कठोर दमनकारी अभियान ने भिंडरांवाले से भी कहीं अधिक युवाओं को कट्टरपंथी बना दिया।[1] स्थिति बिगड़ने पर सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि स्थिति को फिर से नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय दंड संहिता से कहीं अधिक सख्त कदम उठाने होंगे। लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी तरीका जायज था। समस्या यह है कि तानाशाही तरीके अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक सरकार की वैधता को कम कर देते हैं। लेकिन उस समय संकट प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता थी और वैधता को बहुत कम महत्व दिया गया था।

1984 से 1994 के बीच पंजाब में, 'आतंकवादी' कानूनों, घोषणाओं और अध्यादेशों के प्रावधानों ने पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को यह विश्वास दिलाया कि वे हत्या जैसे अपराधों से भी बच सकते हैं। लेकिन किसी अपराध की कहानी मुर्दाघर में खत्म नहीं होती, अदालतों में जाकर उसका नया जीवन शुरू होता है। आज भी हत्या, अपहरण, बलात्कार, जबरन वसूली और गलत गिरफ्तारी के मामले अदालतों में चल रहे हैं। आरोपी आतंकवादी नहीं, बल्कि पुलिस है। उस दौर के कई पीड़ितों के लिए, 'पंजाब की समस्या' न तो खत्म हुई है और न ही सुलझी है।

दमन की स्वतंत्रता

शुरुआत से देखें तो, यद्यपि केंद्र सरकार के पास उग्रवादियों के मुकाबले अत्यधिक बल था, फिर भी वह जानती थी कि उग्रवाद तभी सफल होता है जब वह लोगों के मन में सरकार की सत्ता पर संदेह पैदा कर दे। संघर्ष जितना लंबा चलता है, संदेह के जड़ पकड़ने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में उचित प्रक्रिया के कई सूक्ष्म पहलू शामिल हैं: बिना आरोप के किसी व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, इस पर प्रतिबंध, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर जोर, जमानत के प्रावधान और गिरफ्तारी के लिए उचित कारण की सीमित परिभाषा।

ब्लूस्टार द्वारा फैलाई गई हिंसा से हिलकर, केंद्र सरकार इस बात से आश्वस्त हो गई कि दमन की बेलगाम स्वतंत्रता समय की आवश्यकता है और सरकार इसे प्राप्त करने के लिए संविधान के हर प्रावधान को कुचलने तक को तैयार है। अध्यादेशों और कानूनों के माध्यम से, एक के बाद एक कठोर उपाय लागू किए गए।

स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी शायद आपको 17वीं सदी के दार्शनिक और लोकतंत्र सिद्धांत के जनक जॉन लॉक के बारे में कभी पता न चले। यहां तक कि उच्च शिक्षित लोग भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करने और उसे वैधता प्रदान करने वाली विशेषताओं को शायद ही बता पाएं। लेकिन यह समझने के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं है कि जब सरकार किसी को मौलिक अधिकारों और कानून की सुरक्षा से वंचित करने की शक्ति प्राप्त कर लेती है, तो हर कोई असुरक्षित हो जाता है।

जैसे ही नागरिक को निरंकुश और मनमानी करने वाली सरकार को सत्ता से हटाने का मौका मिलता है, वह तुरंत ऐसा करेगा। 1975 से 1977 तक, नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही शक्तियां अपने हाथ में ले लीं। आपातकाल 1977 के आम चुनाव के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मतदाताओं ने उन्हें और उनकी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन श्रीमती गांधी के आपातकाल के साथ कठोर उपाय समाप्त नहीं हुए। बल्कि, पिछले 40 वर्षों में, सरकार ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया है, और यह सब नागरिकों के संवैधानिक संरक्षण और स्वयं सरकार की वैधता की कीमत पर हुआ है।

निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान को बनाए रखने की शपथ लेते हैं, अर्थात् नागरिकों के अधिकारों और कानून के शासन की रक्षा करने की। यदि वे इस कर्तव्य में विफल होते हैं, तो नागरिक सरकार के दूसरे अंग, न्यायपालिका की ओर देखते हैं। एक सम्मानित और विश्वसनीय न्यायपालिका द्वारा कार्यान्वित, समर्थित और संरक्षित कानून का शासन एक लोकतांत्रिक सरकार का आधार है। न्यायपालिका की भूमिका को 250 वर्ष से भी अधिक समय पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक, मोंटेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था,

> न्यायालय न केवल व्यक्तियों को बल्कि सरकार और उसकी एजेंसियों को भी कानून के तहत जवाबदेह ठहराता है। इसे संसद या किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी अवैध या असंवैधानिक कार्य को रोकने का अधिकार है। यह सबसे कमजोर व्यक्ति की भी रक्षा करता है और किसी से भी मुंह नहीं मोड़ सकता। यह जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। इसके मुकदमे खुले होते हैं और ताकि कानून सभी के लिए स्पष्ट और ज्ञात हो, प्रत्येक निर्णय सार्वजनिक रिकॉर्ड होता है। न्यायालय स्वतंत्र है: न्यायालय को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास स्वयं एक अपराध है।

यदि न्यायाधीशों और न्यायपालिका पर जनता का विश्वास कम हो जाए तो क्या होगा? एक न्यायाधीश बुद्धिमान और कानून का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन यदि उसे व्यापक रूप से पक्षपाती, एकतरफा और भ्रष्ट माना जाता है तो उसके फैसलों को कौन स्वीकार करेगा? न्यायपालिका की विश्वसनीयता खत्म होने पर लोकतंत्र क्रूर बल का स्थान ले लेता है—पुलिस राज, मार्शल लॉ, गुंडा राज।

हालांकि, सिर्फ 'कानून का राज' होने से कोई नागरिक निश्चिंत नहीं हो सकता। तानाशाह अपने शासन को चुनौती देने वाले किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए कानून बनाते हैं, चाहे चुनौती सिर्फ प्रतीकात्मक ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए, 1989 में डेंग शियाओपिंग ने सेना को बीजिंग के तियानमेन चौक से लोकतंत्र समर्थक छात्रों को हटाने का आदेश दिया। शुरुआती कार्रवाई क्रूर थी और उसके बाद असहमति को दबाने का अभियान और भी कड़ा हो गया। असंतुष्ट चुप हो गए लेकिन उन्होंने अपना विरोध बंद नहीं किया; बल्कि वे और भी चालाक हो

गए। शियाओपिंग नाम एक चीनी शब्द से मिलता-जुलता है जिसका अर्थ है 'छोटी बोतल'। डेंग के प्रति तिरस्कार व्यक्त करने के लिए गलियों के कोनों पर टूटी हुई छोटी बोतलें दिखाई देने लगीं। जल्द ही बोतल तोड़ने वालों के लिए एक कानून बनाया गया। चूंकि तानाशाही के दमनकारी कानून पूरे समाज पर समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए ऐसी सरकारें 'कानून का राज' लागू करने का दावा करती हैं। एक बोतल तोड़ने के लिए सालों जेल? ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि कानून तर्कसंगत होना चाहिए। कानून बेतुका भी हो सकता है और फिर भी कानून ही रहेगा।

बड़ी छड़ी: टाडा और पोटा

इन कानूनों में से पहला कानून आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, या टीएडीए था। यह 23 मई 1985 को लागू हुआ, तीन बार नवीनीकृत किया गया और अंततः 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि टीएडीए के दुरुपयोग इतने गंभीर हो गए थे कि उन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं था। टीएडीए के दायरे में आने के लिए आपको वास्तव में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह या अलगाववाद का समर्थन करना ही काफी था।

टाडा के प्रावधान सामान्य कानून से कहीं आगे निकल गए। हालांकि पुलिस को अभी भी 24 घंटे के भीतर किसी बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और पुलिस रिमांड मांगना अनिवार्य था, टाडा में यह प्रावधान किया गया कि बंदी को 60 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है (यातना का खतरा बढ़ जाता है)। इसके अलावा, बंदी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक नहीं था; कार्यकारी मजिस्ट्रेट ही पर्याप्त था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट पुलिस और प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी होता है और उच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता। पहले अधिकतम रिमांड केवल 15 दिनों की हो सकती थी। आईपीसी के तहत, यदि अपराध की श्रेणी के आधार पर 60 या 90 दिनों के भीतर कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो आरोपी को जमानत का अधिकार होता है—लेकिन हत्या के मामले में भी, आरोपी को 90 दिनों के बाद जमानत का अधिकार होता है। टाडा के तहत, यह अवधि बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई और अदालत की अनुमति से 180 दिन और बढ़ाई जा सकती थी। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को 360 दिनों तक बिना यह जाने हिरासत में रखा जा सकता था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ क्या सबूत हैं। इससे जमानत याचिका दायर करना भी लगभग असंभव हो गया। इन मामलों की सुनवाई विशेष टाडा अदालतों में होती थी और गवाहों की पहचान गुप्त रखते हुए बंद कमरे में सुनवाई की जा सकती थी। पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य थे, और अपनी निर्दोषता साबित करने का भार आरोपी पर था। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता था। पुलिस अधिकारियों को आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार था।

हुसैन जैदी लिखते हैं कि टीएडीए के दस साल के संचालन के दौरान, भारत भर में इसके प्रावधानों के तहत 76,161 लोगों को गिरफ्तार किया गया।2 इनमें से पच्चीस प्रतिशत मामलों को पुलिस ने बिना कोई आरोप तय किए ही बंद कर दिया। केवल 35 प्रतिशत मामलों को ही मुकदमे के लिए लाया गया, जिनमें से 95 प्रतिशत में दोषमुक्ति हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 प्रतिशत से भी कम को दोषी ठहराया गया।

गुजरात में केवल एक वर्ष (1990) के आंकड़ों को देखें तो, टीएडीए के तहत 5,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था (जिनमें से अधिकांश मुस्लिम थे); पंजाब में यह संख्या 1,600 थी;

और जम्मू और कश्मीर में यह संख्या 2,000 थी।

टाडा को आतंकवाद निवारण अधिनियम (पीओटीए), 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह अधिनियम प्रारंभ में राज्यसभा में अस्वीकृत हो गया था और संसद के संयुक्त सत्र में प्रस्तुत किए जाने पर ही पारित हो सका। पीओटीए ने टाडा के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा, लेकिन आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को 'भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे' तक विस्तारित किया। टाडा में 'सरकार को डराने के इरादे' का अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। पीओटीए ने 'गैरकानूनी संगठन' के किसी भी सदस्य को भी अपने दायरे में ले लिया।

बड़ा डंडा: यूएपीए

POTA केवल दो वर्षों तक ही चला और इसके स्थान पर एक और भी दमनकारी कानून लाया गया: गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA)□ शुरुआत में, UAPA को 1967 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एक अंतर-सरकारी संगठन जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण पर नज़र रखता है) द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रतिमान के करीब लाने के लिए पेश किया गया था। एक के बाद एक संशोधनों (सभी कांग्रेस शासनकाल के दौरान लागू किए गए) के साथ, यह कानूनी असहमति को दबाने का आदर्श साधन बन गया है। नियमित आपराधिक कानून की विशेषता वाले नियंत्रणों के अभाव में, यह देश की क्षेत्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने वाले आतंकवाद से संबंधित कृत्यों से निपटने के लिए राज्य को अनुमति देने से कहीं अधिक कार्य करता है। UAPA में TADA और POTA दोनों के तत्व शामिल हैं, साथ ही इसने आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को और भी व्यापक बना दिया है। अब यह कोई भी ऐसा कृत्य है जिसमें 'बम, डायनामाइट... या किसी अन्य खतरनाक प्रकृति के पदार्थ' या 'किसी भी अन्य प्रकार के साधन' का उपयोग किया जाता है। बोलना, लिखना, प्रकाशित करना, संगठित करना, लामबंद करना... क्या ये सभी गतिविधियाँ सरकार के लिए 'धमकी का कारण' या 'जनता के कुछ वर्गों में आतंक फैलाने' की संभावना नहीं रखतीं? 'संभावित' शब्द एक ऐसा खुला द्वार है जिससे कुछ भी गुजर सकता है।

आपको किसी भी अधिकारी द्वारा उसके 'व्यक्तिगत ज्ञान' के आधार पर, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, या 'किसी भी दस्तावेज़, वस्तु या किसी अन्य चीज़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है जो अपराध के होने का सबूत दे सकती है'।

पुलिस आपको बिना किसी आरोप के छह महीने तक हिरासत में रख सकती है।

यदि न्यायालय को लगता है कि आपके विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तो आपकी जमानत याचिका खारिज की जा सकती है। (जमानत सुनवाई का उद्देश्य आरोपी के बारे में पूर्वधारणा बनाना नहीं है, बल्कि यह निर्धारित करना है कि क्या आरोपी जमानत पर रहते हुए भाग जाएगा या कोई अन्य अपराध करेगा।)

जब आपसे पूछताछ की जाती है और जब आप पर मुकदमा चलाया जाता है, तो आपको चुप रहने का अधिकार नहीं होता है।

यूएपीए केंद्र और राज्य सरकारों और उनके कर्मचारियों को अभियोजन से छूट प्रदान करता है।

यूएपीए एक समयबद्ध अधिनियम नहीं है और न्यायपालिका द्वारा केवल सीमित न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। यह स्थायी है।

इसके व्यापक प्रावधानों को देखते हुए, यह सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं, वकीलों, लेखकों या

किसी भी ऐसे व्यक्ति पर नकेल कसने के लिए लागू किया जाने वाला सबसे अच्छा कानून है जो खुले तौर पर, मुखरता से और लगातार इससे असहमत होता है।

सरकार यह दलील देती है कि UAPA के असाधारण प्रावधान देश के सामने मौजूद असाधारण खतरों के कारण आवश्यक हैं। वर्षों से जो बात आम हो गई है, वह है उचित प्रक्रिया और संविधान में निर्धारित मौलिक अधिकारों को दरकिनार करने के लिए स्टालिनवादी कानूनों का सहारा लेना।

बीती बात खत्म?

जो लोग यह सोचते हैं कि पंजाब की समस्याएँ अब तक भुला दी गई हैं, उनके लिए यह मानना तर्कसंगत होगा कि पिछले 35 वर्षों में सभी मामले किसी न किसी तरह सुलझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पिछले साल की कुछ प्रमुख खबरों का एक छोटा सा संकलन है:

> ऑपरेशन ब्लूस्टार जोधपुर के 'बंदी': 34 साल बाद, 40 सिखों के लिए 4.5 करोड़ रुपये का मुआवजा, पंजाब ने आधा भुगतान करने पर सहमति जताई लेकिन केंद्र ने चुनौती दी (हिंदुस्तान टाइम्स, 19 जून 2018)
> केंद्र सरकार द्वारा अपना हिस्सा न चुकाने की स्थिति में जोधपुर के बंदियों को मुआवजा दिया जाएगा: कप्तान (हिंदुस्तान टाइम्स, 19 जून 2018)
>
> ऑपरेशन ब्लूस्टार: अमरिंदर ने केंद्र से मुआवजे के मामले में अपील वापस लेने का आग्रह किया (बिजनेस स्टैंडर्ड, 20 जून 2018)

आम पाठक के लिए 'जोधपुर के बंदी' शब्द शायद जाना-पहचाना न हो। संक्षेप में, 6 जून 1984 को जब सेना ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया, तो वहां 375 निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे पाए गए। ये लोग खतरनाक नहीं लग रहे थे, लेकिन सेना ने कोई जोखिम न लेते हुए उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। अपनी पुस्तक 'माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर' में जूलियो रिबेरो (पंजाब के डीजीपी 1986-1989) ने विस्तार से बताया है:

> इनमें से कई लोगों का भिंडरांवाले या आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था। वे वहां केवल छठे सिख गुरु की शहादत की बरसी पर प्रार्थना करने आए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऑपरेशन उसी दिन किया गया। फिर भी, चूंकि गिरफ्तार किए गए लोगों को सेना ने मंदिर में पाया था, इसलिए उन सभी को एक साजिश के मामले में एक साथ डाल दिया गया और उन पर 'राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने' का आरोप लगाया गया। चूंकि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जांच के अंतिम चरण में आरोपियों को अलग करना संभव नहीं था, इसलिए निर्दोष लोगों को भी कट्टर चरमपंथियों के साथ हिरासत में रखा गया।

उन सभी 375 लोगों को जोधपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया, और वे अगले 4-5 वर्षों तक वहीं रहे। उन्हें मार्च 1989 और जुलाई 1991 के बीच तीन चरणों में रिहा किया गया। यानी गलत समय पर गलत जगह पर होने के अपराध के लिए उन्हें कम से कम चार साल जेल में बिताने पड़े।

इनमें से 224 बंदियों ने निचली अदालत में 'गलत तरीके से हिरासत में रखने और यातना देने' का आरोप लगाते हुए मुआवजे के लिए अपील की थी, लेकिन उन्हें 2011 में कोई राहत नहीं मिली। इनमें से 40 बंदियों ने अमृतसर जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की और अप्रैल 2017 में उन्हें 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 6 प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा दिया गया (अपील दायर करने की तारीख से मुआवजे के भुगतान तक)। ब्याज सहित सभी 40

याचिकाकर्ताओं का कुल मुआवजा 4.5 करोड़ रुपये बनता है। पंजाब सरकार ने अदालत को आधी राशि का भुगतान करने का वचन दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ अपील की।

उसी वर्ष जुलाई में, केंद्र ने अपनी अपील वापस ले ली।3 आगे किसी भी समाचार कवरेज के अभाव में, यह ज्ञात नहीं है कि पीड़ितों को अंततः मुआवजा मिला या नहीं।

जिन बातों ने मामले को बंदियों के पक्ष में मोड़ा, उनमें से एक यह थी कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उन्हें कोई चेतावनी दी गई थी। अपने फैसले में, अमृतसर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह ने गिरफ्तारियों को 'अवैध' करार दिया। उन्होंने लिखा:

> इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सेना ने 1984 में अभियान शुरू करने से पहले आम नागरिकों से स्वर्ण मंदिर परिसर छोड़ने के लिए कोई घोषणा की थी... नागरिक अधिकारियों द्वारा लोगों से परिसर छोड़ने का अनुरोध करते हुए किसी भी सार्वजनिक घोषणा का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी घोषणाएँ करने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है... यह घटना अभियान के दौरान सैनिकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करती है।4

एक अतिरिक्त जानकारी। जोधपुर के 100 से अधिक बंदियों को सर्वोच्च न्यायालय में त्वरित न्याय मिला, जिसका अर्थ है कि सांसारिक न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

कलाई पर मारना

प्रश्नोत्तरी का समय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में, उन चीजों की सूची में सबसे ऊपर क्या है जिन्हें 'हम, भारत के लोग,... अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करते हैं'? उत्तर है 'न्याय'। लेकिन प्रस्तावना में वादा किए गए अन्य उज्ज्वल आदर्शों की तरह, न्याय मांगने पर नहीं मिलता।

पंजाब में अपहरण और हत्या के लगभग 100 मामले दर्ज हैं जिनमें आरोपी पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं। 3 सितंबर 2018 को द ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर के अनुसार, 'पुलिस से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1993 से 1998 के बीच 188 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे।'5 उन पर अपहरण, हत्या, जबरन वसूली, बलात्कार और गलत गिरफ्तारी के आरोप हैं।

जोधपुर के बंदियों पर 2018 के फैसले से हमें पता चलता है कि न्याय की प्राप्ति कितनी लंबी और कठिन रही है। यह सिर्फ दो या तीन मामले नहीं हैं। अगर हम 2019 तक अदालत के समक्ष हर मामले की जांच करें, तो परिणामी पुस्तक ऑल इंडिया रिकॉर्डर के एक खंड से भी मोटी और उतनी ही बोझिल हो जाएगी। इसके बजाय, हम कुछ प्रतिनिधि मामलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ छोटी-मोटी जानकारियों को छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन हमने स्पष्टीकरण को यथासंभव संक्षिप्त रखने का प्रयास किया है।

सरपंच की मृत्यु

कुलजीत सिंह धत्त कोई उतावला नौजवान नहीं था जो झगड़ा करने के लिए बेताब रहता हो। वह अपने गाँव का सरपंच, भोगपुर शुगर मिल का निदेशक और एक स्कूल व कॉलेज के बोर्ड का सदस्य था। वह शहीद भगत सिंह का रिश्तेदार भी था। दरअसल, कुलजीत सिंह के भाई हरभजन सिंह का विवाह प्रकाश कौर की पुत्री से हुआ था। प्रकाश कौर शहीद भगत सिंह की छोटी बहन

थीं।

धत्त 1989 में लापता हो गए थे, और अगले 30 वर्षों तक, उनके परिवार ने दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी।

• तीस साल से अदालतों में चल रहे इस मामले में अपीलों की सुनवाई अभी भी जारी है।
• फैसला सुनाने में तेईस साल का समय लगा।
• पांच साल की कैद; यह सजा हत्या के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को दी जाती है।

घटनाक्रम इस प्रकार सामने आया।

23 जुलाई, 1989: पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अजीत सिंह संधू के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने गढ़ी गांव के एक घर में छापा मारा और कुलजीत सिंह धत्त और कई अन्य लोगों को अपने साथ ले गया। उन्होंने दावा किया कि कुलजीत सिंह ने कुछ हथियार छिपा रखे हैं और उनसे हथियार छिपाने का स्थान उगलवाया जाएगा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कुलजीत के भाई हरभजन को सूचना दी, जिसने उसे गर्दीवाला पुलिस स्टेशन में ढूंढ निकाला। वहां उसकी मुलाकात डीएसपी अजीत संधू से हुई, जिन्होंने उससे कहा, 'हमने बाकी लोगों को छोड़ दिया है। कुलजीत सिंह के साथ जो करना था, वह हो गया है... हम शव वापस नहीं करेंगे। जो चाहो करो।' हरभजन ने पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) एस.पी.एस. बसरा से संपर्क किया, लेकिन एसपी(ओ) ने कहा, 'क्या आपको अजीत सिंह की बात समझ नहीं आई?' पुलिस ने 29 जुलाई को हरभजन सिंह के सामने ये बातें दोहराईं।

सितंबर: सरकारी अधिकारियों से की गई अपीलों पर कोई ध्यान न दिए जाने के बाद, कुलजीत की पत्नी गुरमीत कौर और प्रकाश कौर ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर जांच की मांग की और आरोपी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की।

1990 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को धत्त के लापता होने की जांच के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने और तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

सन् 1991 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एच. एल. रंदेव को नियुक्त किया गया। पहली सुनवाई में धत्त परिवार ने उन्हें बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी यदि वे जांच से पीछे नहीं हटे। आयुक्त ने पुलिसकर्मियों के तबादले का अनुरोध किया; पुलिस ने हर कदम पर आयोग का विरोध किया। आठ महीने की लड़ाई और सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका के बाद पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया।

1992 में आयोग ने साक्ष्य एकत्र करना शुरू किया।

1993 में रंदेव की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि धत्त की हत्या अजीत एस. संधू (जिन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में सेवा करने के बाद 1997 में आत्महत्या कर ली), जसपाल सिंह (जो वर्तमान में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं), सरदूल सिंह (जिनकी 2008 में मृत्यु हो गई), एस. पी. एस. बसरा (जो 2013 में उप महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए) और कांस्टेबल सीता राम ने की थी।

1996 में, सर्वोच्च न्यायालय ने रंदेव आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार किया, अपर्याप्त जानकारी

के कारण पंजाब राज्य के दावे को खारिज कर दिया, गंभीरता की कमी के लिए पंजाब राज्य की आलोचना की और एक डीआईजी द्वारा जांच का आदेश दिया। यह जिम्मेदारी डीआईजी जे. पी. बर्डी को सौंपी गई।

इस पूरे समय, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, धत्त एक हत्या के मामले में आरोपी थे। धत्त का अपहरण होने के बावजूद, उनके अपहरण, हत्या या गुमशुदगी के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। 1996 में ही, जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित जांच में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सबूत मिले और सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली, तब जाकर धत्त की गुमशुदगी के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।6 पुलिस कांस्टेबल बसरा, अजीत सिंह संधू और जसपाल सिंह निलंबित थे, सीता राम एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में थे, और सरदूल सिंह सेवानिवृत्त हो चुके थे। कुछ महीनों बाद, हरभजन सिंह धत्त के हलफनामे में सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित बातें बताई गईं:

1. डीआईजी बर्डी की चार्जशीट में धारा 364 (हत्या के इरादे से अपहरण/अपहरण) के स्थान पर धारा 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण/अपहरण) को प्रतिस्थापित किया गया है, क्योंकि धारा 365 में अधिकतम सात वर्ष की सजा और धारा 364 में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
2. डीआईजी ने आरोपी पुलिस अधिकारियों या हथियार बरामदगी के लिए गए कथित पुलिस दल के सदस्यों से पूछताछ नहीं की, और इस प्रकार अतिरिक्त आरोपियों की पहचान करने में विफल रहे। पांचों पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया।

1997 में सत्र न्यायालय ने धत्त परिवार द्वारा अतिरिक्त आरोपियों को तलब करने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, लेकिन आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अपील की। यह आवेदन आज तक लंबित है।

1998 में, होशियारपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने धारा 364 और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए। गवाहों के गवाही शुरू करने से पहले ही, आरोपियों ने इस आधार पर अभियोजन की मंजूरी का विरोध किया कि राज्य पंजाब अशांत क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत आता है, और केवल केंद्र सरकार ही मंजूरी दे सकती है। (कानून के अनुसार, किसी भी सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं थी, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने ऐसे अपराध किए थे जिन्हें उनके आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं माना जाता था।) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर रोक लगा दी।

13 साल

2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने धत्त परिवार की त्वरित सुनवाई की याचिका स्वीकार कर ली; पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों को मार्च तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया। अगस्त में, उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मियों की याचिका खारिज कर दी।

2012. होशियारपुर सत्र न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ।

2014 में गवाहों ने अपनी गवाही पूरी की। गवाही सुनने वाले जज का तबादला हो गया और नए जज ने तीन जीवित पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया। उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। दोषियों ने फैसले के खिलाफ अपील की। धत्त परिवार ने हल्की सजा

के खिलाफ अपील की। छह महीने जेल में बिताने के बाद, सेवानिवृत्त डीआईजी एस. पी. एस. बसरा और पूर्व इंस्पेक्टर सीता राम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2019. अपीलों पर फैसले का इंतजार है और दोषी ठहराए गए लोग जमानत पर रिहा हैं।

धट्ट मामले में दो रहस्य अनसुलझे हैं: पुलिस ने पीड़ित के शव का क्या किया (वह कभी नहीं मिला) और डीएसपी अजीत संधू ने आखिर धट्ट को निशाना क्यों बनाया? अदालतों ने इस मामले में 20 से अधिक वर्षों तक सबूतों की छानबीन की, लेकिन कभी भी यह साबित नहीं हुआ कि धट्ट ने कोई आतंकवादी अपराध किया था, आतंकवादियों को पनाह दी थी, आतंकवादियों को वित्तीय सहायता दी थी या आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। धट्ट परिवार एक संपन्न परिवार था; वे न केवल खेती करते थे बल्कि अपने गांव में एक स्कूल और एक कॉलेज भी चलाते थे। संयोगवश, इन संस्थानों को जब्त कर लिया गया और परिवार को कभी वापस नहीं किया गया। क्या धट्ट की हत्या जबरन वसूली का एक असफल प्रयास था? डीएसपी अजीत सिंह संधू पर लगे एक अन्य सीबीआई मामले से इस संदेह को बल मिलता है।

अगस्त 1992 में, तरन तारन जिले के थथियां गांव के संत चानन सिंह की हत्या के दो साल बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि उनके दिवंगत पति ने अपने परिवार को बख्शने के लिए अजीत सिंह संधू को 10 लाख रुपये दिए थे, और जब वे और अधिक भुगतान नहीं कर सके, तो संधू ने उन्हें उनके तीन भाइयों और दो बहनोई के साथ यातना देकर मार डाला।7

चानन सिंह को 'करसेवा संत' के नाम से जाना जाता था क्योंकि वे पूरे देश में गुरुद्वारों के निर्माण में शामिल थे। चूंकि वे दान में मिले सभी भवन निर्माण निधि का प्रबंधन करते थे, इसलिए यह समझना आसान है कि किसी जबरन वसूली करने वाले के लिए वे 'मोटा कबूतर' क्यों हो सकते थे।

सीबीआई को जांच के लिए बुलाया गया और अगस्त 2001 में उसने तरन तारन एसएसपी अजीत सिंह संधू सहित 13 पुलिस अधिकारियों और 1992-1993 में तरन तारन में तैनात कई पुलिस उपाधीक्षकों, निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और सहायक उप-निरीक्षकों के खिलाफ पांच चालान पेश किए। सीबीआई की जांच ने न केवल संत चानन सिंह और उनके भाइयों की हत्या के संबंध में पत्नी के आरोप का समर्थन किया, बल्कि यह भी पाया कि पुलिस ने संत चानन सिंह के गुरुद्वारे से 40 ट्रक गेहूं और एक ट्रैक्टर जब्त कर बेच दिया था।8

सीबीआई ने यह भी पाया कि चानन सिंह कई धनी पीड़ितों में से एक था। रिपोर्ट के अनुसार, संधू उन्हें अवैध रूप से हथियार रखने से संबंधित मामलों में झूठा फंसाता था और फिर उनसे मामले रद्द करवाने के लिए भारी रकम वसूलता था। इनमें से कुछ पीड़ितों की हत्या भी कर दी गई थी।

संत चानन सिंह का मामला अभी भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। 8 अगस्त 2016 से आरोप तय करने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन 25 मार्च 2019 को उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया। अब आरोपी पुलिसकर्मियों पर सीबीआई की विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा।9

कुलजीत धत्त को भी अवैध हथियार रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। क्या मकसद जबरन वसूली था? अजीत सिंह संधू अब इस बात का खंडन करने के लिए जीवित नहीं हैं। धत्त मामले की सुनवाई शुरू होने तक उनकी मृत्यु को 14 वर्ष हो चुके थे। संधू कई मामलों में शामिल रहे हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए यह उपयुक्त स्थान है।

अजीत सिंह संधू, जो 1988 से 1993 तक तरनतारन के एसएसपी थे, गैर-न्यायिक और हिरासत में हत्या, अपहरण, यातना, जबरन वसूली और सबूत नष्ट करने के 43 मामलों में मुख्य आरोपी थे, लेकिन वे किसी भी मुकदमे का सामना करने के लिए जीवित नहीं रहे। 23 मई 1997 को, संधू चंडीगढ़-अंबाला रेलवे ट्रैक पर लालरू गांव के पास मृत पाए गए, उनकी जेब में एक आत्महत्या नोट मिला, जो पुलिस के अनुसार, घटना से कुछ दिन पहले लिखा गया था।

वह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नहीं थे, बल्कि अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती हुए थे। वास्तव में, अपनी मृत्यु के समय, वह पंजाब पुलिस अधिकारी संघ के अध्यक्ष थे, जो गैर-आईपीएस पुलिसकर्मियों का एक संगठन है। आईपीएस और गैर-आईपीएस के बीच तनाव उनके पूरे करियर में बना रहा।10

सहायक सब-इंस्पेक्टर से एसएसपी बनने तक के अपने सफर में उन्होंने लाशों के एक विशाल पहाड़ पर चढ़ाई की, और हर हत्या ने उन्हें डीजीपी के. पी. एस. गिल का और भी प्रिय बना दिया, जिन्होंने उन्हें नियमों के विपरीत पदोन्नति देकर पुरस्कृत किया।

पहली बड़ी हत्या 1988 में हुई - खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के जनरल लाभ सिंह की। इससे उन्हें एसएसपी का पद मिला। इसके बाद उन्होंने गुरबचन सिंह मनोचाहल के लगभग सभी सहयोगियों, मनोचाहल के पूरे परिवार, जिनमें उनके बूढ़े माता-पिता भी शामिल थे, और स्वयं मनोचाहल को मार डाला। उन्होंने केसीएफ प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार के परिवार को भी खत्म कर दिया (पंजवार खुद बच निकले और अभी भी पाकिस्तान में जीवित हैं)।

संधू का तबादला अक्टूबर 1993 में रोपड़ कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में गिल ने उन्हें वापस तरन तारन भेज दिया। इसी दौरान मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की हत्या कर दी गई थी। खालरा हत्याकांड के दीर्घकालिक परिणामों का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में आगे किया गया है।

लेकिन 1990 के दशक के मध्य तक, संधू का प्रभाव कम होने लगा था। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हो रहे थे। पंजाब के दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के उत्तराधिकारी हरचरण सिंह बराड़ पुलिस के इशारों पर चलने को तैयार नहीं थे, और अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान उन्होंने के.पी.एस. गिल और ओ.पी. शर्मा दोनों को सेवानिवृत्त होते देखा। (उनके बाद आए डीजीपी - चौधरी सूबे सिंह और पी.सी. डोगरा - दोनों पंजाब कैडर के अधिकारी थे और वे स्थानीय जनता को बड़े पैमाने पर नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।)

गिल और शर्मा के चले जाने के बाद, संधू की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था। वैसे भी, उसके खिलाफ मामलों की संख्या और गंभीरता को देखते हुए, सुरक्षा मिलना मुश्किल ही होता। संधू पूरे पंजाब में अपने इस दावे के लिए मशहूर था: 'मैंने हुसैनीवाला बांध में मछलियों को कभी भूखा नहीं मरने दिया।'11 (वह उन्हें क्या खिलाता था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह ज्ञात है कि बड़ी संख्या में शव नदियों और नहरों में फेंके गए थे।)

एक उपकरण जो किसी विशेष समय और उद्देश्य के लिए उपयोगी होता है, समय और उद्देश्य बदलने पर बोझ बन जाता है। तब उसे त्याग देना ही उचित होता है। लेकिन किसने त्यागा? संधू और के. पी. एस. गिल समेत अन्य अधिकारी अपना बचाव करते हुए ऊपर की ओर उंगली उठाने लगे। कितनी ऊपर?

संधू की मृत्यु के अट्ठाईस साल बाद, पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त महानिदेशक ने दावा किया कि संधू की मृत्यु फर्जी थी और वास्तव में वह कनाडा में एक फर्जी नाम से रह रहा था।12

अदालतें पुलिसकर्मियों के दोषी होने के बारे में आसानी से आश्वस्त नहीं होतीं, भले ही अपराध का विवरण स्वयं एक पुलिसकर्मी द्वारा दिया गया हो। सतवंत सिंह मानक की कहानी इसका उदाहरण है। मानक का मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है।

1985 में, मानक को पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया और मोगा शहर में तैनात किया गया। अगले सात खूनी वर्षों तक उन्होंने निडर होकर सेवा की, लेकिन अप्रैल 1992 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वे उस पुलिस दल के सदस्य थे जिसने दो किशोरों, फरीदकोट जिले के घुमारिया गांव के निवासी कुलवंत सिंह और फिरोजपुर जिले के करामती गांव के निवासी बलदेव सिंह की हत्या कर दी थी। मानक के अनुसार, उन्हें तीन दिनों तक बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई और उनके शव मोगा के पास राऊ काए नहर में फेंक दिए गए। पुलिस ने इन हत्याओं को झूठे तौर पर 'मुठभेड़ में हुई मौतें' बताया।

समाचारों में मानक के हवाले से कहा गया है कि परिणामों को लेकर काफी परेशान होने के बाद, उन्होंने शामिल पुलिसकर्मियों की निंदा करने का साहस जुटाया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, जिन वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने अपनी परेशानी साझा की, उन्होंने उन पर ही दबाव डाला। पंजाब पुलिस ने उन पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने, चोरी करने और पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने का आरोप लगाया - मानक के अनुसार, ये सभी आरोप झूठे थे। उन्हें 42 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया और प्रताड़ित किया गया।

1994 तक उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसी वर्ष अक्टूबर में, जब उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की क्योंकि उन्हें अपने जीवन का खतरा था।13 याचिका का सबसे सनसनीखेज पहलू 11 पंजाब पुलिस अधिकारियों के नाम थे और यह दावा था कि उन्होंने नकद पुरस्कार और नियमों के विरुद्ध पदोन्नति पाने के लिए यातनाएं दीं और हत्याएं कीं। मानक ने हिरासत में हुई 11 मौतों के बारे में जानकारी दी।

वह कई वर्षों तक छिपता रहा, लेकिन उसका पूरा परिवार नहीं छिप सका। मानक के पिता को हिरासत में ले लिया गया और मानक के अनुसार, उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया।

चौदह साल बाद, 2008 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और संबंधित घटनाओं को फर्जी मुठभेड़ करार दिया। यह मानते हुए कि पंजाब पुलिस या किसी विशेष दल के लिए निष्पक्ष जांच करना असंभव होगा, न्यायाधीश ने सीबीआई को आरोपों की जांच करने का आदेश दिया।14 मूल याचिका दायर करने के बाद लंबे अंतराल में, मानक द्वारा नामित 10 पुलिस पीड़ितों के परिवार उनकी याचिका में शामिल हो गए थे। पंजाब सरकार ने तुरंत इस फैसले के खिलाफ अपील की और एक खंडपीठ ने जांच के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद एक और अंतराल आया, लेकिन इस बार केवल पांच साल का।

नवंबर 2013 में जब अपील की सुनवाई हुई, तो उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों ने अपना रुख बदलते हुए फैसला सुनाया कि मानक अपने वरिष्ठों के खिलाफ 'व्यक्तिगत शिकायत' से प्रेरित थे। उन्होंने उनका मामला खारिज कर दिया और उन्हें नामित प्रत्येक अधिकारी को 2,000 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। इस फैसले की सबसे असामान्य बात यह थी कि खंडपीठ ने 2008 में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश की स्पष्ट शब्दों में कड़ी आलोचना की।

मानक ने हार नहीं मानी। 2 अप्रैल 2014 को उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। याचिका के साथ बाद में एक विस्तृत हलफनामा भी जोड़ा गया, जिसमें मानक द्वारा पुलिस यातनाओं के व्यक्तिगत अनुभवों और पुलिस यातनाओं के परिणामस्वरूप उनके पिता की मृत्यु का वर्णन किया गया था। इसके जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने मानक और पीड़ितों के परिवारों को उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी, जिसमें हत्याओं की उच्च स्तरीय जांच से इनकार कर दिया गया था।

लेकिन मानक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। फिलहाल, कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किए गए हैं। संभव है कि उन्हें सुरजीत सिंह वाल्टोहा मामले में तरन तारन के सब-इंस्पेक्टर सीता राम की तरह पूरी तरह से बरी कर दिया जाए।

यह सिर्फ हत्या जैसा लग रहा था।

सीता राम मामले का विवरण लिखित रूप में सार्वजनिक न्यायिक अभिलेख में दर्ज है; यह मामला इतना चौंकाने वाला है कि हमें यह मानना ही होगा कि यह वास्तव में हुआ था।16

30 अक्टूबर 1993 की तड़के, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राम सिंह वाला गाँव में, पुलिस ने दो लोगों को गोली मार दी, जो कथित तौर पर पाकिस्तान से आ रहे थे। शवों को सुबह 6:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल, पट्टी ले जाया गया। हालांकि, उनमें से एक व्यक्ति जीवित पाया गया और बात कर सकता था। उसने बताया कि वह वाल्टोहा के हरभजन सिंह ढांड का पुत्र सुरजीत सिंह है और उसने अपने गाँव की नर्स बलजीत कौर के बारे में पूछा। बलजीत के बजाय, उसका पति महावीर सिंह अस्पताल आया और उसने सुरजीत सिंह को इलाज करवाते देखा। वह सुरजीत सिंह को अमृतसर के किसी अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की तलाश में अस्पताल से निकल गया, जहाँ सर्जन उपलब्ध थे। इसी बीच, वाल्टोहा स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सब-इंस्पेक्टर सीता राम ने घायल सुरजीत सिंह को पुलिस वाहन में जबरदस्ती बिठाकर ले गया।

सुरजीत के अपहरण की खबर मिलते ही महावीर सिंह और स्थानीय वकील सुरिंदर पाल सिंह ने तुरंत भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को तार भेजा। दोनों ही संदेशों में यह लिखा था,

> सुरजीत सिंह का शव 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे सिविल अस्पताल, पट्टी लाया गया। शव को मुर्दाघर में रखते समय पता चला कि वह जीवित है। डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लगभग डेढ़ घंटे बाद, वाल्टोहा पुलिस अस्पताल आई और जबरन घायल सुरजीत सिंह को अपने साथ ले गई। मुझे आशंका है कि सुरजीत सिंह को किसी झूठे मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। महावीर सिंह, सिविल अस्पताल, पट्टी, जिला अमृतसर।

लगभग आधे घंटे बाद, सब-इंस्पेक्टर सीता राम और उनके साथी सुरजीत सिंह को लेकर अस्पताल लौटे; इस बार वह पूरी तरह मृत था। शव को उसी दिन लावारिस मानकर जला दिया गया। अस्पताल में जो कुछ हुआ, वह कई लोगों ने देखा। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट में पोस्टमार्टम की 'अव्यवस्था' का कोई जिक्र नहीं था। 30 अक्टूबर 1993 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307/34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और आतंकवादी विघटनकारी अधिनियम की धारा 5 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 69 में केवल इतना ही बताया गया कि आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मारे गए।

सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कहा: 'यदि समाचार सही है, तो यह देश के दंड कानूनों के साथ-साथ मानवता के विरुद्ध भी एक अत्यंत जघन्य अपराध है।' न्यायालय ने अमृतसर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पट्टी और वाल्टोहा जाकर पुलिस रिकॉर्ड, अस्पताल रिकॉर्ड जब्त करने, गवाहों के बयान लेने, 2 नवंबर 1993 से पहले अपनी रिपोर्ट पूरी करने और सभी कागजात सर्वोच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया।18 रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को सीता राम और अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

पांच साल बाद, अमृतसर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सीता राम को दोषी पाया और उन्हें 10 साल कारावास की सजा सुनाई। सीता राम ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के फैसले को पलट दिया।19 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लापरवाही भरी जांच के लिए फटकार लगाई, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि कई अनुत्तरित प्रश्न थे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?
- डॉक्टर सुरजीत सिंह के साथ क्यों नहीं गए?
- बेड-हेड टिकट में कटिंग क्यों थी?
- मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी क्यों की गई?
- जब शव की पहचान ज्ञात थी, तो उसे 'लावारिस' मानकर क्यों जला दिया गया?
- अस्पताल या पुलिस ने पीड़ित के परिवार को सूचित क्यों नहीं किया?

हालांकि अदालत ने माना कि सवालों से पट्टी में व्याप्त घिनौनी स्थिति का पता चलता है, लेकिन उसने फैसला सुनाया कि भले ही जवाब सीता राम के खिलाफ हों, फिर भी ये सब परिस्थितिजन्य सबूत हैं क्योंकि किसी भी गवाह ने सीता राम को सुरजीत सिंह को अस्पताल से ले जाने के बाद उसकी हत्या करते नहीं देखा था। सब-इंस्पेक्टर सीता राम इस मामले में बरी हो गए... कम से कम इस मामले में तो।

1998 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को लेकर सतर्क था, और ऐसा करना उचित भी था। यह सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कहीं अधिक सतर्क था, जिसने 1985 में केहर सिंह को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। केहर सिंह इंदिरा गांधी हत्याकांड में दोषी पाया गया था। अदालत में यह साबित हुआ कि अपराध से कुछ दिन पहले, उसने एक घर की छत पर 15 मिनट बिताए थे और गोली चलाने वाले व्यक्ति से बात की थी, हालांकि किसी ने भी उनकी बातचीत नहीं सुनी थी।

मानक इकलौते पुलिसकर्मी नहीं हैं जिन्होंने फर्जी मुठभेड़ों के बारे में जानकारी लेकर अदालत का रुख किया है। एक जैसी कहानियों को दोहराने के बजाय, यहां ऐसी दो कहानियों का संक्षिप्त सारांश और इंटरनेट पर उपलब्ध पूरी जानकारी के लिंक दिए गए हैं।

ट्रिब्यून, 6 दिसंबर 2015.20

पिंकी, कथित आतंकवादी से पुलिस बिल्ली बने व्यक्ति ने 50 हत्याओं का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया और आतंकवाद के दौर में दाह संस्कार किए गए 2,300 अज्ञात शवों के अनसुलझे रहस्य का जिक्र किया। उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का

विस्तृत विवरण दिया, जो ऐसे कृत्यों के माध्यम से कई पदों पर पदोन्नत हुए थे। उसने दावा किया कि उसने लुधियाना के युवक अवतार सिंह गोला की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक शीर्ष पुलिस अधिकारी को इस वर्ष मई में जेल से रिहा होने के बाद हेड कांस्टेबल के पद पर बहाल करने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत दी थी।

हिंदुस्तान टाइम्स, 9 जुलाई 2013.21

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निलंबित तरन तारन सब-इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह की गिरफ्तारी और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुरजीत सिंह ने उग्रवाद के दिनों में पंजाब में फर्जी मुठभेड़ों में लगभग 83 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की थी।

एक पीढ़ी बाद

हर गुजरते साल के साथ, गवाहों की उम्र बढ़ती जाती है और वे मुसीबत मोल लेने से कतराने लगते हैं, वरना उनकी मृत्यु हो जाती है। आरोप लगाने वाला और आरोपी दोनों मर जाते हैं। 2015 में, तमिलनाडु की राजनेता जे. जयललिता से जुड़े एक मामले पर टिप्पणी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी. लोकुर ने कहा था कि '15 साल तक चलने वाला मामला हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की खामियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अंततः इस प्रणाली को ही नुकसान उठाना पड़ता है और इसे सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे।'

न्यायमूर्ति लोकुर उन मामलों के बारे में क्या कहेंगे जो 25-30 साल से अधिक समय तक चलते रहते हैं?

2018 और 2019 में, कुछ फर्जी मुठभेड़ मामलों में आखिरकार फैसले सुनाए गए। ये वे मामले थे जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की मौत की जांच के दौरान सामने आए थे।

खालरा ने पुलिस द्वारा शवों को 'अज्ञात' बताकर जलाने की प्रथा का खुलासा किया और ऐसे 2,000 से अधिक शवदाहों का दस्तावेजीकरण किया। खालरा की मृत्यु की जांच से ही 'अज्ञात शवों' की जांच भी शुरू हुई। खालरा की स्वयं की मृत्यु के मामले में दोषियों को 2011 में सजा सुनाई गई।22 दिसंबर 1996 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे की जांच करने का निर्देश दिया। सीबीआई जांचकर्ताओं को फिर से इस काम पर लगाया गया। 2,097 शवों में से 1,513 की पहचान की गई। इन 1,513 शवों में से 109 ऐसे युवकों के थे जो पुलिस हिरासत में थे और जिनकी हत्या कर दी गई थी और बाद में उन्हें अज्ञात बताकर ठिकाने लगा दिया गया था। सीबीआई द्वारा इन युवकों की पहचान और उनके साथ हुई घटना का पता लगाने के बाद, अगला कदम उन्हें अगवा करने और उनकी हत्या करने वालों पर आरोप लगाना था। इसमें कई साल लग गए और पुलिस द्वारा प्राप्त किए गए कई बार के स्टे ऑर्डर को पलटना पड़ा।

प्रेस ने इन मामलों में आए उतार-चढ़ावों की विधिवत रिपोर्टिंग की है।

हिंदुस्तान टाइम्स, 14 जुलाई 2012.23

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है, साथ ही पटियाला की विशेष सीबीआई अदालत में पंजाब पुलिस कर्मियों (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) के खिलाफ लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है, जिन पर आतंकवाद से लड़ते हुए

फर्जी मुठभेड़ों का आरोप है। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस महिंदर सिंह सुल्लर के 14 मई 2012 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने पुलिसकर्मियों की 35 आपराधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया था और निचली अदालत को प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने इस बात की ओर इशारा किया था कि सीबीआई द्वारा 'आपराधिक साजिश, अवैध हिरासत, अपहरण और हत्या आदि' जैसे अपराधों के लिए आरोपित पुलिसकर्मियों की किसी न किसी बहाने से आपराधिक मामलों के निपटारे में देरी करने की प्रवृत्ति दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

पिछले दो वर्षों में आए फैसले तो बस शुरुआत हैं। आने वाले कुछ वर्षों में और भी फैसले आने की उम्मीद है।

इन मामलों में कई समानताएं हैं। इन सभी का विस्तार से वर्णन करने के बजाय, यहां तीन हालिया मामलों का सारांश और इंटरनेट लिंक दिए गए हैं:

हिंदुस्तान टाइम्स, 28 फरवरी 2019.24

सीबीआई अदालत ने रोपड़ (सदर) के तत्कालीन एसएचओ हरजिंदर पाल सिंह को गुरमेल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या का दोषी ठहराया। पुलिस का दावा था कि एसएचओ हरजिंदर, कुलदीप और गुरमेल (जो पुलिस हिरासत में थे) को हथियार बरामदगी के लिए ले जा रहे थे, तभी रोपड़ के भादल गांव के पास अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया और गोलीबारी में गुरमेल और कुलदीप शहीद हो गए। सीबीआई की जांच में पता चला कि पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एके-47 के 42 और .315 राइफल के 14 खाली कारतूस बरामदगी दिखाई थी, जबकि वास्तव में केवल 42 कारतूस ही जमा किए गए थे। इसके अलावा, गुरमीत और कुलदीप की मौत के बावजूद, किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई। ऐसे मामलों में, पुलिस शहीदों के खून से सने कपड़े सुरक्षित रखती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था और पुलिस के दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने गुरमेल और कुलदीप का अंतिम संस्कार 'अज्ञात' के रूप में किया था।

ट्रिब्यून, 27 सितंबर 2018.25

सीबीआई अदालत ने ब्यास पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ रघुबीर सिंह और तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर दारा सिंह को 15 वर्षीय हरपाल सिंह की हत्या का दोषी पाया। सितंबर 1992 में, 15 वर्षीय हरपाल को उसके घर से अगवा कर लिया गया, चार दिनों तक ब्यास पुलिस स्टेशन में रखा गया और फिर निज्जर गांव में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा बताई गई 'मुठभेड़' की कहानी झूठी साबित हुई। उसी समय अगवा किए गए एक अन्य किशोर, हरजीत सिंह की 16 दिनों बाद हत्या कर दी गई। दोनों मामलों में शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया क्योंकि किसी ने उनका दावा नहीं किया था। दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

ट्रिब्यून, 1 अक्टूबर 2018.26

सीबीआई अदालत ने नवंबर 1992 में हरजीत सिंह उर्फ गोरा की हत्या के मामले में सब-इंस्पेक्टर नरिंदर सिंह मल्ही और पूर्व इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह को दोषी ठहराया। मल्ही और ज्ञान सिंह ने जब हरजीत सिंह (लगभग 20 वर्ष) और उसके पिता बलबीर सिंह को गांव पट्टी

बलोल (अमृतसर) स्थित उनके घर से उठाया, तो उन्होंने झूठा दावा किया कि वे बलबीर सिंह के दूसरे बेटे कुलदीप सिंह उर्फ काला का पता लगाना चाहते हैं। दरअसल, पुलिसकर्मियों ने 6 नवंबर 1992 को एक फर्जी मुठभेड़ में कुलदीप सिंह की हत्या कर दी थी। बलबीर सिंह को 20 दिनों की अवैध हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया था। सीबीआई ने पाया कि हरजीत सिंह को आखिरी बार सब-इंस्पेक्टर नरिंदर सिंह मल्ही की हिरासत में देखा गया था। फैसले में कहा गया, 'यह अपहरण का एक साधारण मामला नहीं था... यह उन लोगों की साजिश थी जिनका कर्तव्य अपराध को रोकना है। जब पुलिस नागरिकों की हत्या की साजिश में शामिल होती है, तो वे अपनी भूमिका का दुरुपयोग करते हैं।'

सरकारी सेवाओं में पैसा कैसे कमाएं

हाल ही में सामने आए एक मामले ने एक नया पहलू उजागर किया है और इसका विस्तार से उल्लेख करना उचित होगा। लेकिन इस मामले की विस्तृत जानकारी पढ़ने से पहले, 1930 के दशक के एक अमेरिकी गैंगस्टर के बारे में थोड़ा जान लें।

अल कैपोन ने अपनी अधिकांश कमाई वेश्यावृत्ति और निषेध काल (1920 के दशक) के दौरान अवैध शराब बेचकर की थी। उनका उपनाम स्कारफेस था, और यह नाम उन्हें किसी भले आदमी के रूप में नहीं मिला था। उन्होंने उन अन्य गैंगस्टरों को खत्म कर दिया जो उन्हीं की तरह पैसा कमाना चाहते थे और अक्सर उन अवैध शराबखानों पर आगजनी करते थे जो उनसे शराब खरीदने से इनकार करते थे। ऐसे बम धमाकों में लगभग 100 लोग मारे गए थे। शिकागो के तत्कालीन मेयर विलियम हेल थॉम्पसन और शहर की पुलिस के साथ उनके संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी थे। जब उन्होंने और उनके गिरोह ने शहर के बीचोंबीच दिनदहाड़े सात प्रतिद्वंद्वियों को गोली मार दी, तो उनके खिलाफ जनता का आक्रोश असहनीय हो गया। फिर भी, उन्हें स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त था। गवाह गवाही देने की हिम्मत नहीं करते थे और उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक आरोप कभी साबित नहीं हुआ। अंततः, संघीय अधिकारियों को कैपोन को जेल भेजने का एक तरीका मिल गया: उन्होंने 1931 में उन पर कर चोरी का मुकदमा चलाया। उन्हें दोषी ठहराया गया और 11 साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई।

कैपोन की कहानी सेवानिवृत्त एसएसपी सुरित सिंह ग्रेवाल की कहानी के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। दिसंबर 2017 में, पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने उन पर 10 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।27 एफआईआर में कहा गया है, 'प्रारंभिक जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्रेवाल की 15 वर्षों में शुद्ध आय 2.12 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने 12.19 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां खरीदीं।'

आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद से दो वर्षों में, एसएसपी ग्रेवाल हिरासत से बचने और पूछताछ से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

मार्च 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।28 सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सतर्कता ब्यूरो ने काफी कुछ कहा। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसएसपी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने न केवल राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर बेनामी (बिना नाम के) जमीन खरीदी, बल्कि लगभग 25-30 करोड़ रुपये की सावधि जमा में जमा किए और 40 किलो सोना बैंक लॉकरों में छिपाया। फिलहाल, यह सब केवल अभियोजन पक्ष

का मामला है; इसे अभी अदालत में साबित किया जाना बाकी है।

फर्जी मुठभेड़ मामले में बरी होने से पहले, एसएसपी ग्रेवाल पर धान की गुमशुदगी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में फिरोजपुर जिले के एक पटवारी को फंसाने का आरोप लगाया गया था।29

12 अप्रैल 2019 को, जमानत मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाने के बाद, एसएसपी ग्रेवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत शायद उतनी बुरी भी न हो। अल्काट्राज़ में कैपोने की जेल कोठरी की तस्वीरों में एक विशाल, बड़े बिस्तर, कुर्सियों, साइड टेबल, लैंप, अलंकृत लकड़ी की अलमारी, लेखन डेस्क और फ़ारसी कालीनों से सुसज्जित कमरा दिखाई देता है। जेल में होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी कंपनियों का संचालन बंद कर देना चाहिए।

यह जानना दिलचस्प होगा कि एसएसपी ग्रेवाल ने खरीदी गई विभिन्न जमीनों के लिए कितनी कीमत चुकाई। क्या मालिकों को कम कीमत पर बेचने के लिए राजी किया गया था? क्या ग्रेवाल की सौदेबाजी की कोई विशेष रणनीति थी? क्या उन्होंने उन्हें ऐसे प्रस्ताव दिए जिन्हें वे ठुकरा नहीं सकते थे? क्या ग्रेवाल की संपत्ति खरीद यात्राओं में उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही मौजूद थी?

Kulwinder Kid Case

एसएसपी ग्रेवाल ने अपनी प्रतिष्ठा 30 साल पहले बनानी शुरू की थी। बीस वर्षीय कुलविंदर सिंह किड खरार (चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कस्बा) के एक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के पुत्र थे। वे अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के सदस्य भी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से पंजाब पुलिस की उनमें विशेष रुचि थी। 1985 से शुरू होकर, उन्हें एक के बाद एक आरोपों में गिरफ्तार किया जाता रहा। 1986 से 1988 के बीच उन्हें नाभा की उच्च सुरक्षा जेल में रखा गया। रिहा होने के बाद वे छिप गए।

फिर पुलिस ने कुलविंदर के बारे में अपना रुख बदल लिया। 1989 की शुरुआत में, उन्होंने उसके पिता तरलोचन सिंह सिद्धू को बताया कि उनके बेटे के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और वह घर लौट सकता है। अब कोई परेशानी नहीं।

उसी साल मार्च में, पिंजोर (हरियाणा) के डीएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस ने फिर से कुलविंदर को पकड़ने की कोशिश की। बड़ी संख्या में गवाहों ने पुलिस को मोहाली स्थित उसके घर से उसे गिरफ्तार करते देखा। कुछ दिनों बाद, पुलिस ने घोषणा की कि सोहाना गांव के पास एक मुठभेड़ में दो लोग मारे गए हैं।31

तरलोचन सिंह को आशंका थी कि मृतकों में से एक उनका बेटा हो सकता है, लेकिन जब वे शव की पहचान करने गए तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (न्यायमूर्ति अजीत सिंह बैंस और इंदरजीत सिंह जयजी) से संपर्क किया और उन्हें अपने बेटे का विवरण दिया। वे रोपड़ अस्पताल गए, जहां शव मुर्दाघर में रखे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब उन्होंने जिले के उपायुक्त डी. एस. बैंस से संपर्क किया, जिन्होंने शव देखने की अनुमति दी और अस्पताल को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मुर्दाघर में जाने देने के लिए कहा। लेकिन मानवाधिकार दल के अस्पताल पहुंचने से पहले ही पुलिस शवों को वहां से ले जा चुकी थी।

बाद में पता चला कि पुलिस शवों को खरार ले गई और नगर समिति को सौंप दिया, जिसने उन्हें 'अज्ञात व्यक्ति' बताकर जला दिया। तरलोचन सिंह को अपने बेटे के कहीं जीवित होने की उम्मीद छोड़ने में कई साल लग गए।

अपने जीवन के शेष वर्षों में, कुलविंदर के पिता ने अदालतों के दरवाजे खटखटाए: उन्होंने बंदी

प्रत्यक्षीकरण याचिका, फिर जांच कराने की याचिका, फिर संदिग्ध पुलिसकर्मियों पर आरोप लगवाने की याचिका और अंत में मुकदमे की पैरवी की। अंततः, मई 2012 में, सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया कि सुरजीत सिंह ग्रेवाल (तत्कालीन एसएसपी, मोगा) और छह अन्य पुलिसकर्मी 'संदेह का लाभ' पाने के पात्र हैं और उन्हें बरी कर दिया।32 पिता ने बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की। अपील अभी भी लंबित है, लेकिन तरलोचन सिंह सिद्धू का बरी किए जाने के फैसले के कुछ ही समय बाद 2012 में निधन हो गया।

न्यायाधीशों के लिए सबक

केवल आतंकवादी घटनाओं के सदमे ने ही सरकार को सामान्य कानूनों और उचित प्रक्रिया को मध्ययुगीन निरंकुश शासक के योग्य अधिनियमों और अध्यादेशों से बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। सामान्य कानून का प्रयोग सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता था।

इसी तरह, कुछ ऐसे न्यायाधीशों का अस्तित्व भी उतना ही अवांछनीय है जो नियमों का सख्ती से पालन करते हैं—ऐसे न्यायाधीश जो स्पष्ट संकेत मिलने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और पूरी निष्ठा से निभाने पर अड़े रहते हैं। न्यायाधीशों और लड्डा कोठी की कहानी दर्शाती है कि पंजाब राज्य और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस समस्या का समाधान कैसे किया।

1984 में, पटियाला जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तारा सिंह चीमा थे। यह पद किसी भी तरह से 'मनपसंद' नहीं माना जाता था—कोई भी न्यायाधीश उस पीठ पर बैठना नहीं चाहता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इस न्यायालय को नाभा स्थित अधिकतम सुरक्षा जेल में बंद कैदियों के मामलों से निपटना पड़ता था।

जिला न्यायाधीशों के कर्तव्यों में से एक जेलों का निरीक्षण करना होता है, इसलिए न्यायमूर्ति चीमा नाभा की जेल गए। उनके साथ न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी भी थे। वहां न्यायाधीशों को कई ऐसे कैदी मिले जो चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने न्यायाधीशों को बताया कि उन्हें अलग-अलग समूहों में लड्डा कोठी ले जाया गया था और वहां उन्हें यातनाएं दी गईं। पुलिस को उम्मीद थी कि इससे वे अन्य लोगों के नाम आतंकवादियों के रूप में बता देंगे। जेल अधीक्षक ने पुष्टि की कि लड्डा कोठी एक पूछताछ केंद्र था और पुलिस नियमित रूप से कैदियों को वहां ले जाती थी।

एक बार जब किसी कैदी को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है—यानी अदालत द्वारा जेल भेज दिया जाता है—तो कानून के अनुसार पुलिस को अदालत के आदेश के बिना उसे दोबारा बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। लड्डा कोठी की यात्राएँ कानून का उल्लंघन थीं।

न्यायमूर्ति सोढ़ी ने न्यायमूर्ति चीमा को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे:

1. पुलिस गैरकानूनी रूप से कैदियों को जेल से बाहर ले जा रही थी।
2. लड्डा कोठी में इन कैदियों को यातनाएं दी जा रही थीं।

न्यायमूर्ति सोढ़ी ने रिपोर्ट को न्यायिक फाइल में रखने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया। यह रिपोर्ट बेहद संवेदनशील मुद्दा थी, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, इसलिए रिपोर्ट को वापस न्यायमूर्ति सोढ़ी के पास भेज दिया गया।

इसके बाद सोढ़ी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के तत्कालीन

अध्यक्ष धर्मवीर सहगल (जो बाद में न्यायाधीश बने) से मामले को पेश करने में सहायता करने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति चीमा की रिपोर्ट से नाराज होकर पंजाब पुलिस ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया और लड्डा कोठी को जेल घोषित करवा दिया। एक कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने के लिए किसी अदालती आदेश की आवश्यकता नहीं थी।

लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी थी और सरकार को किसी न किसी तरह इसे दबाना ही था। एडवोकेट जनरल भगवंत सिंह सिद्धू ने मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की। लेकिन यह कदम तब नाकाम हो गया जब न्यायमूर्ति सोढ़ी ने खुद जांच करने की घोषणा कर दी। राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद, न्यायमूर्ति सोढ़ी ने सुझाव दिया कि राज्यपाल के सलाहकार एस. एस. धनोआ (आईएएस) आरोपों की जांच करें।

लेकिन इससे पहले कि धनोआ जांच का जिम्मा संभाल पाते, सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार सत्ता में आ गई। बरनाला ने जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सी.एस. तिवाना को नियुक्त किया।

सरकार की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति तिवाना ने न्यायमूर्ति चीमा और सोढ़ी के निष्कर्षों की पुष्टि की और इसके अतिरिक्त, उन्होंने कैदियों को यातना देने वाले 25 पुलिस अधिकारियों के नाम भी बताए। उन्होंने यातनाग्रस्त कैदियों के लिए मुआवजे और उन्हें जोधपुर जेल में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

न्यायमूर्ति तिवाना की रिपोर्ट को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उठाया, और उसके विवरण में न्यायमूर्ति सोढ़ी और न्यायमूर्ति चीमा दोनों के नामों का उल्लेख किया गया।33 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खुलासे ने सरकार को मूल रिपोर्ट से भी कहीं अधिक परेशान कर दिया।

न्यायमूर्ति तिवाना पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन न्यायमूर्ति सोढ़ी और चीमा अभी भी सेवारत थे। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

1 मई 1990 से, न्यायमूर्ति चीमा पंजाब के सबसे वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बन गए; उनका सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट था, लेकिन लड्डा कोठी मामले की 'शर्मिंदगी' से अभी भी उबर न पाने के कारण, पुलिस को चीमा से बदला लेने का मौका मिल गया।

खुफिया ब्यूरो (आईबी) की प्रतिकूल रिपोर्ट किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहरा देती है। आईबी पुलिस का एक विभाग है। न्यायमूर्ति चीमा पर आई इस विभाग की रिपोर्ट में उन पर लगातार आरोप लगाए गए और उनके सिख समर्थक झुकाव के कारण उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए 'अयोग्य' करार दिया गया।

उस समय जतिंदर वीर गुप्ता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और उन्होंने यह दलील दी कि वे चीमा की पदोन्नति की सिफारिश नहीं करेंगे क्योंकि वे एक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना चाहते थे। जब केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय से इस बारे में संपर्क किया गया, तो उसने सूचना एवं सूचना मंत्रालय की दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट का हवाला दिया।

लगभग उसी समय, न्यायमूर्ति अहमदी, कुलदीप सिंह और न्यायमूर्ति एस. वर्मा की सर्वोच्च न्यायालय की परिषद ने न्यायमूर्ति सोढ़ी को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए सिफारिश की।

यदि न्यायमूर्ति चीमा ने पुलिस द्वारा अपनाए गए तृतीय श्रेणी के तरीकों की रिपोर्ट करने का साहस न दिखाया होता तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई होती... और फिर भी, कैदियों की दयनीय स्थिति का संज्ञान लेकर उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का

निर्वाह किया था।

न्यायमूर्ति सोढ़ी को भी दरकिनार कर दिया गया। उनका नाम न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और जगदीश शरण वर्मा द्वारा स्वीकृत नामों में शामिल था। लेकिन फिर, अन्य न्यायाधीशों की पीठ पीछे और उनकी जानकारी के बिना, न्यायमूर्ति अहमदी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की राय ली। पुंछी और सहाय दोनों को शिकायत थी: सोढ़ी ने न तो एक न्यायाधीश के बेटे की सिफारिश की थी और न ही उस न्यायाधीश के कनिष्ठ वकील की, जब वह वकील थे। पुंछी और सहाय दोनों ने सोढ़ी के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट दी और नियुक्ति अस्वीकार कर दी गई।34

और लद्दा कोठी का क्या हुआ? यह एक भव्य इमारत थी जिसमें अलंकृत मीनारें और चौड़े बरामदे थे, जिसे मूल रूप से जिंद के महाराजा ने शिकारगाह के रूप में बनवाया था। यह आज भी खड़ी है और पंजाब पुलिस के नियंत्रण में है। और इसमें अब भी कोई संदेह नहीं है कि पंजाब पुलिस की पूछताछ के तरीके आरोपियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।

सिसो के लिए न्याय

अब तक चर्चा किए गए सभी मामले 30 साल लंबी सुनवाई और स्थगन की गाथाएँ हैं, जिनका अंत अक्सर बरी होने या मामूली सजाओं से अधिक न होने में होता है। यह समझना आसान है कि अन्याय का शिकार हुए लोग अदालतों से बेहद निराश और कड़वे मन से क्यों लौटते हैं। इस अध्याय के बाद, व्यक्तिगत अनुभव से अछूते पाठक भी अदालतों को संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं। यह जानते हुए, हमने अंत में एक ऐसा मामला रखा है जो न्यायिक प्रणाली की तीव्र गति, सत्य और झूठ के बीच कुशलतापूर्वक अंतर करने और एक ऐसी महिला को न्याय दिलाने को दर्शाता है जिसके पास न पैसा था और न ही कोई प्रभाव, जिसने तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत करने का साहस किया। यह सामूहिक बलात्कार का मामला था और ऐसे सभी मामलों में पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जाता है। हालाँकि, यह मामला 'सिसो केस' के नाम से प्रसिद्ध है; सिसो पीड़िता का उपनाम था।35

दोषी ठहराए गए व्यक्तियों ने एक के बाद एक अपीलें कीं - आखिरी अपील 2007 में सुप्रीम कोर्ट में की गई - लेकिन उनकी सजा को पलटा नहीं गया है।

सिसो की मुसीबतें फरवरी 1989 में शुरू हुईं। बालाचौर नामक छोटे कस्बे के एक स्कूल के प्रधानाचार्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को अफवाह मिली कि गुरमेल सिंह और उनकी पत्नी सिसो (जो एक दाई थीं) के घर कोई 'बाहरी' व्यक्ति आया था। सिसो घर में अकेली थीं जब तीन पुलिसकर्मी आए और उन्हें एक नर्स कमलजीत कौर के साथ थाने ले गए। पूछताछ के दौरान दोनों महिलाओं की पिटाई की गई। स्थानीय पैरामेडिक्स यूनियन के अध्यक्ष थाने आए और पुलिसकर्मियों को कमलजीत कौर को छोड़ने के लिए राजी किया, लेकिन सिसो वहीं रहीं। उसी रात, तीनों पुलिसकर्मियों, चरणजीत, कश्मीरी लाल और राधा कृष्ण ने उन्हें नशीली दवा देकर उनके साथ बलात्कार किया।

पैली, ओटल मजारह और उनारामौर गांवों की पंचायतों के हस्तक्षेप से अगली सुबह उसे रिहा कर दिया गया। उसके शरीर पर चोटें आई थीं और बहुत खून बह रहा था। घर पहुँचकर उसने अपने पति और एक पड़ोसी को सारी घटना बताई। अगले सप्ताह उसने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वह सर्वोच्च अधिकारियों को सब कुछ बताएगी। इस अनपढ़ महिला ने किसी से पंजाब के राज्यपाल को पत्र लिखवाया। फिर वह इंतजार करने लगी।

जब तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वह होशियारपुर गईं और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज किए और आईपीसी की धारा 323 और 504 के साथ धारा 34 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया। उन्होंने चरणजीत, कश्मीरी लाल और राधा कृष्ण को समन जारी किया। तब तक जुलाई का महीना आ चुका था और न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।

आरोपी पुलिसकर्मियों ने शिकायत और समन दोनों को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। अदालत ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं और मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में सिसो की कहानी विश्वसनीय पाई गई। मजिस्ट्रेट ने यह भी पाया कि सिसो स्वयं बलाचौर सिविल अस्पताल और बाद में साराओ गांव के एक अस्पताल में गई थी और चिकित्सा जांच कराने का अनुरोध किया था, लेकिन डॉक्टरों ने पुलिस के डर से इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने अभियोजन की सिफारिश की।

मामला चंडीगढ़ के सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मामलों की तरह, यह मामला भी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। आरोपियों द्वारा दिए गए बयान में कोई दम नहीं पाया गया। 1995 तक, दोषी करार देते हुए पुलिसकर्मियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट ने चरणजीत, कश्मीरी लाल और राधा कृष्ण को आईपीसी की धारा 323/34, 504/34, 376(2)(क) और 376(2)(जी) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें अलग-अलग अवधियों के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो साथ-साथ चलनी थी। आईपीसी की धारा 376(2)(क) (हिरासत में बलात्कार) और 376(2)(जी) (सामूहिक बलात्कार) के तहत अधिकतम सजा 10 साल थी।

1997 में, उच्च न्यायालय ने दोषी व्यक्तियों की अपीलें खारिज कर दीं, और 2007 में, उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गई, लेकिन तब तक दोषी व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुके थे।

बलाचौर के लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि किसी को भी पुलिस के खिलाफ, चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, सजा मिल सकती है। सिसो आज भी वहीं रह रहे हैं... एक स्थानीय नायक।

सुखद अंत! (कम से कम एक तो है ही...)।

नोट्स

1. स्टीवंस, 'पंजाब द प्राइज के साथ'।

   अधिकारियों के अनुसार, इनकी संख्या कभी भी 500 से अधिक नहीं रही है। इनमें से अधिकांश की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है। इनमें से अधिकतर धार्मिक उग्रवादी हैं, लेकिन कुछ सामान्य अपराधी भी हैं जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया है। कुछ पुराने माओवादी क्रांतिकारी हैं जिनका भारत में मुख्य आंदोलन एक दशक से भी अधिक समय पहले कुचल दिया गया था।

   एंडरसन, 'पंजाब का हिंसा चक्र'।

   जुलाई में पुलिस ने 141 नागरिकों और 128 आतंकवादियों के मारे जाने की गिनती की। उनका अनुमान है कि विद्रोही समूहों में अभी भी 1,400 से अधिक सदस्य हैं जो 1,625 एके-47 राइफलों, 110 रॉकेट-चालित ग्रेनेड लॉन्चरों और 3,500 पाउंड से अधिक विस्फोटकों से लैस हैं।

2. साथ ही, ब्लैक फ्राइडे भी।

3. सूरह, 'केंद्र भुगतान करने के लिए सहमत है'।
4. https://www.hindustantimes.com/punjab/33-yrs-on-compensation-for-40-sikhs-held-illegally-from-golden-temple-no-proof-of-announcement-for-civilians-before-op-bluestar/story-LbmSYkl36g00lkUNifeouJ.html 12 मई 2017 | हिंदुस्तान टाइम्स | सुरजीत सिंह 'ऑपरेशन ब्लूस्टार से पहले नागरिकों के लिए घोषणा का कोई सबूत नहीं': 33 साल बाद, अदालत ने 40 सिखों के लिए राहत का आदेश दिया।
5. सिंह, 'पंजाब के राहत उपमुख्यमंत्री'।

In the Dock				Committed Suicide	
Rank	*No.*	*Rank*	*No.*	*Name*	*Date*
IG	1	ASI	36	SP Ajit Singh Sandhu	23 May 1997
DIG	1	Head Constable	32	SP Vivek Mishra	20 May 2007
SP	12	Constable	4	DSP Swaran Singh	2 Feb 2008
DSP	16	SPO	1	Inspector Mohan Singh	1 April 2011
INSP	59	Home Guard	1	Inspector Jagsir Singh	27 June 2013
SI	25	Total	188	**3 Died during Pendency**	
80 of them are more than 70 years of age 28 of them have been convicted				ASI Prithipal Singh	19 March 2014
				Home Guard Jagsir Singh	30 April 2016
				SP Ram Singh	30 March 2018

हाल ही में केंद्रीय गृह विभाग और सॉलिसिटर जनरल के साथ हुई बैठकों में, पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोरा, जो अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ने कथित तौर पर 'सहानुभूतिपूर्ण' दृष्टिकोण अपनाने की अपील की, और इस बात पर जोर दिया कि इन पुलिसकर्मियों पर 'आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए किए गए कृत्यों' के लिए आरोप लगाए गए थे।

सिख बंदियों की रिहाई के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता जसपाल सिंह मांझपुर ने कहा कि यह कदम दोहरे मापदंड को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया, '20 सिख बंदी अभी भी जेलों में बंद हैं। सवाल यह है कि इन पुलिसकर्मियों का मुकदमा इतनी देर से क्यों शुरू हुआ, या बिल्कुल शुरू ही क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है।'

6. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस से व्यक्तिगत संचार।
7. खन्ना, 'सीबीआई ने पुलिसकर्मियों का पर्दाफाश किया'।
8. वालिया, 'वारंट जारी किए गए'।
9. सूरह, 'उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं'।
10. अब बंद हो चुकी इस समाचार पत्रिका, संडे में दिए अपने साक्षात्कार में संधू ने कहा, 'मैं तरनतारन का इकलौता एसएसपी नहीं था, मुझसे पहले भी आईपीएस अधिकारी थे। सिर्फ एक गैर-आईपीएस अधिकारी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा

है? क्या इसलिए कि गृह मंत्रालय, सीबीआई या आईबी में हमारे कोई सहपाठी नहीं हैं?' ('अजीत सिंह संधू के साथ साक्षात्कार', संडे, 4-10 मई 1997)।

11. वालिया और सूडान, राज्य आतंकवाद की उत्पत्ति।
12. कांट, 'पूर्व डीजीपी: "मृत" पुलिसवाला'।

पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), जेल, शशि कांत ने आज आरोप लगाया कि उग्रवाद के दिनों में अपने द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए कुख्यात पंजाब पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने आत्महत्या कर ली थी, जीवित है और कनाडा में रह रहा है।

बाद में उसने आत्महत्या का नाटक रचा और कनाडा चला गया, जहाँ वह आरामदेह जीवन जी रहा है। कुछ सरकारी और सुरक्षा अधिकारियों, यहाँ तक कि उसकी 'मृत्यु' के बाद उसका मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करने वालों ने भी उसके भागने में भूमिका निभाई थी।

13. द ट्रिब्यून, 'पुलिस ने ग्यारह लोगों को मार डाला'।
14. सिंह और धालीवाल। 'फर्जी मुठभेड़'।
15. द ट्रिब्यून, 'हाई कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश पर "आरोप" लगाए'।
16. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय/सीता राम बनाम पंजाब राज्य, 17 मार्च 2009/आपराधिक अपील संख्या 285 डीबी ऑफ 1998; द ट्रिब्यून, 'एक बार मारा गया, दो बार मारा गया'।
17. यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले में लिखा गया था: पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय / सीता राम बनाम पंजाब राज्य, 17 मार्च, 2009 / आपराधिक अपील संख्या 285 डीबी ऑफ 1998 घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट: 1 नवंबर, 1993 | द ट्रिब्यून | एक बार, दो बार हत्या...
18. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय/सीता राम बनाम पंजाब राज्य, 17 मार्च 2009. https://indiankanoon.org/doc/64928994/
19. मलिक, 'पुलिसकर्मी बरी'।
20. सिंह, '50 फर्जी मुठभेड़ों के साक्षी'।
21. एचटी संवाददाता, 'फर्जी मुठभेड़'।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निलंबित तरन तारन सब-इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह की गिरफ्तारी और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुरजीत सिंह ने उग्रवाद के दिनों में पंजाब में फर्जी मुठभेड़ों में लगभग 83 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की थी।

22. एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, 'सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास को बरकरार रखा'।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पृथ्वीपाल सिंह (हेड कांस्टेबल), सतनाम सिंह (सब-इंस्पेक्टर), सुरिंदर पाल सिंह (सब-इंस्पेक्टर), जसबीर सिंह (सब-इंस्पेक्टर) और जसपाल सिंह (डीएसपी) को 1995 में तारन पुलिस जिले (पंजाब) में तैनात रहते हुए सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इस मामले में एक अन्य आरोपी, अजीत सिंह संधू, जो उस समय तारन (पंजाब) के एसएसपी थे, ने 1997 में अदालत द्वारा उनके खिलाफ कोई आरोप तय किए जाने से पहले ही आत्महत्या कर ली थी।

हत्या के समय, जसवंत सिंह खालरा पंजाब पुलिस द्वारा कथित तौर पर अनधिकृत रूप से शवों के दाह संस्कार की जांच में सक्रिय रूप से जुटे हुए थे। उन्हें 6 सितंबर, 1995 को उनके आवास से कथित तौर पर तत्कालीन पंजाब पुलिस अधिकारियों के इशारे पर उठाया गया था। कार्यकर्ता को कथित तौर पर झाबल पुलिस स्टेशन में यातनाएं दी गईं और फिर गोली मारकर

उनकी हत्या कर दी गई और उनके शव को सतलुज नदी पर हरिके पुल के पास फेंक दिया गया। खालरा की विधवा परमजीत कौर द्वारा दायर याचिका पर ही 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।

ट्रिब्यून, 'मुख्य गवाह'।

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की हत्या के मामले में अहम गवाह कुलदीप सिंह बचरे का कल रात तरन तारन से 4 किलोमीटर दूर स्थित उनके पैतृक गांव बचरे में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मृत्यु से कुछ समय पहले ही वे अपने घर से लापता हो गए थे, लेकिन बटाला पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और वापस गांव ले आई।

23. शर्मा, 'सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई पर रोक लगाई'। यह भी देखें, टंडन, 'पंजाब सामूहिक दाह संस्कार-1'; 'पंजाब सामूहिक दाह संस्कार-2'।
24. एचटी पत्राचार, '1993 रोपड़ फर्जी मुठभेड़'।
25. ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, '26 साल बाद, फर्जी मुठभेड़ मामले में 2 पूर्व पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा'।
26. वही।
27. सिंह, 'पंजाब सतर्कता ब्यूरो'।
28. सिरहिंदी, 'सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत खारिज की'।
29. रामबानी और सिंह, 'पूर्व वीबी एसएसपी'।
30. https://www.ptcnews.tv/former-punjab-ssp-surjit-singh-grewal-surrenders/s1-185/
31. क्रॉसेट, 'पुलिस द्वारा हत्याएं'।
32. एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, 'बच्चे की हत्या का मामला'।
33. एमनेस्टी इंटरनेशनल, पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन; यह भी देखें, शान, एक भारतीय यातना कक्ष।
34. सोढ़ी, द अदर साइड.
35. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, चरणजीत और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 4 जुलाई 2013। https://indiankanoon.org/doc/169026887/?type=print

3

उचित प्रक्रिया: दिल्ली

गिरा हुआ पेड़

31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के घर पर तैनात दो सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें से एक गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे पर मुकदमा चलाकर लगभग तीन साल बाद उसे फांसी दे दी गई। श्रीमती गांधी की मृत्यु एक गहरा सदमा थी, लेकिन उसके बाद जो खून-खराबा हुआ वह भयावह था।

तीन दिनों तक, कांग्रेसियों द्वारा संगठित और नेतृत्व की गई भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया, लूटपाट की, हत्याएं कीं और आगजनी की। रिपोर्ट की गई अधिकांश हिंसा दिल्ली में हुई, लेकिन बाद में पूरी कहानी को एक साथ जोड़ने के प्रयासों से पता चला कि घटनाएं 18 राज्यों और 100 शहरों में हुईं।1 अकेले दिल्ली के लिए अनुमान 372 (आधिकारिक आंकड़ा), 2,733 (अहूजा समिति का आंकड़ा), 3,872 (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) और न्यूनतम 8,000 (दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का अनुमान) तक भिन्न-भिन्न हैं।

प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राजीव गांधी और गृह मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव से बार-बार अपील करने के बावजूद सेना को नहीं बुलाया गया, हालांकि मेरठ छावनी में लगभग 5,000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार खड़ी थी। तीसरे दिन, गृह मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने अपने सहयोगियों से कहा, 'अब बहुत हो गया'। इसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और उसी दिन नरसंहार रुक गया।2

दिल्ली और अन्य जगहों पर सिखों के नरसंहार के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मनोज मित्त और एच. एस. फूलका द्वारा लिखित 'व्हेन अ ट्री शूक दिल्ली'3 गहन शोध पर आधारित है, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के वृत्तांत शामिल हैं और इसे इतने विस्तृत ढंग से लिखा गया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरनैल सिंह द्वारा लिखित 'आई एक्यूज...: द एंटी-सिख वायलेंस ऑफ 1984'4 भी उतनी ही प्रभावशाली है।4 वह 1984 में दिल्ली में 11 साल के स्कूली छात्र थे और उन्होंने अपने अनुभवों को बयां किया है।

वह भयावह नरसंहार अपने आप में अवर्णनीय था, लेकिन उससे भी अधिक घृणास्पद बात एक कोमल स्वर में कही गई टिप्पणी थी। 9 नवंबर 1984 को राजीव गांधी ने बोट क्लब में एक रैली को संबोधित किया। इसी अवसर पर उन्होंने अपनी माता की हत्या के बाद हुए दंगों का जिक्र करते हुए कहा था: 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती कांप उठती है।'

जब महात्मा गांधी की हत्या एक महाराष्ट्रीयन हिंदू हत्यारे ने की, तब महाराष्ट्रीयन हिंदुओं के लिए कोई हलचल नहीं मची। क्या वे इंदिरा गांधी से छोटे थे? जब तमिल अलगाववादियों ने राजीव गांधी की हत्या की, तब भी हिंदू तमिलों के खिलाफ कोई दंगा नहीं भड़का।

निर्विवाद

इन हत्याओं के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए आयोगों, समितियों और विशेष जांच टीमों (एसआईटी) का गठन किया गया है और पिछले 35 वर्षों में पीड़ितों के विस्तृत मामले धीरे-धीरे

प्रकाशित किए गए हैं। इंटरनेट की बदौलत इनमें से कई रिपोर्टों और मामलों को आसानी से देखा जा सकता है। एक के बाद एक किताबों और लेखों में जो मुख्य बिंदु उभरते हैं, वे इस प्रकार हैं:

- दंगे संगठित थे, स्वतःस्फूर्त नहीं। भीड़ को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लाया गया (अक्सर नगर निगम की बसों का इस्तेमाल करके)। उन्हें हथियार, केरोसिन और ज्वलनशील सफेद फास्फोरस (एक ऐसा पदार्थ जो सीमित स्रोतों से उपलब्ध था और जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना पड़ा होगा) मुहैया कराया गया था।
- पीड़ितों द्वारा पहचाने और नाम बताए गए कांग्रेस नेताओं ने भीड़ का नेतृत्व किया।
- भीड़ के नेताओं ने पहले से ही निर्धारित क्षेत्रों में सिख घरों की स्थिति तय कर रखी थी, और वे मतदाता सूचियों के साथ आए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सिख घर पर हमला किया जाए।
- भीड़ को लूटपाट करने की पूरी छूट दी गई थी।
- दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय तीन दिनों तक फैली अराजकता के दौरान निष्क्रिय रूप से खड़े रहे, इसलिए वे दंगों में सहभागी थे।5
- दिल्ली पुलिस (जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है) निष्क्रियता या सक्रिय सहायता के माध्यम से इस अपराध में शामिल थी। पुलिसकर्मियों ने न केवल सिखों की रक्षा करने में विफल रहे, बल्कि उन्हें निहत्था भी कर दिया। जब सिख सुरक्षा के लिए गुरुद्वारों जैसे स्थानों पर एकत्रित हुए, तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर होने और अपने घरों में लौटने का आदेश दिया, जहाँ उन पर आसानी से हमला किया जा सकता था। दंगे शांत होने के बाद, दिल्ली पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्टों (FIR) में गड़बड़ी की, उन्हें अस्पष्ट और गुमनाम बना दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं के नाम कभी भी दर्ज न हों।
- अफवाहें तो हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राजीव गांधी ने ही दंगों को भड़काया था। निश्चित रूप से, भीड़ का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस नेताओं को श्रीमती गांधी के भावी उत्तराधिकारी को प्रसन्न करके लाभ उठाने की उम्मीद थी।
- दिल्ली दंगों के 'सफल' आयोजन के कारण कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बाद के दंगों (विशेष रूप से मुंबई 1993 और गोधरा 2002) में उसी पैटर्न को अपनाया।

जितना कुछ लिखा गया है, उसमें से कुछ बातें अतिशयोक्तिपूर्ण, असत्यापित या अफवाहों पर आधारित हो सकती हैं, कुछ लेखक पक्षपाती हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सभी ने इस भयावह कहानी को मनगढ़ंत बनाया है। कई उंगलियां कांग्रेस पार्टी, गृह मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस की ओर इशारा करती हैं। कुछ घटनाएं तो न्यायपालिका की छवि भी खराब करती हैं।

सत्य की खोज: न्यायमूर्ति नानावती के निष्कर्ष

जो लोग सबसे संतुलित, निष्पक्ष और विश्वसनीय टिप्पणियों की मांग करते हैं, उनके लिए नानावती आयोग की रिपोर्ट सबसे अच्छा विकल्प है। न्यायमूर्ति जी. टी. नानावती भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, और उनकी दो मोटी खंडों वाली रिपोर्ट को पढ़ना काफी कठिन है।6

नानावती जांच के दायरे व्यापक थे:

- दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई

आपराधिक हिंसा और दंगों के कारणों और घटनाक्रम की जांच करना;
- यह स्थापित करना कि क्या अपराधों को टाला जा सकता था और क्या अधिकारियों की ओर से कोई चूक या कर्तव्य में लापरवाही हुई थी;
- हिंसा को रोकने और उससे निपटने के लिए उठाए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता की जांच करें;
- पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उपायों की सिफारिश करें और
- जांच के दौरान प्रासंगिक पाई गई कोई अन्य बात।

नानावती ने निष्कर्ष निकाला कि तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल पी. जी. गवई ने दंगे समाप्त होने तक उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, और तत्कालीन दिल्ली पुलिस आयुक्त एस. सी. टंडन को परेशानी के पहले संकेत पर ही दंगों को न दबाने और उसके बाद सिखों की रक्षा के लिए कोई गंभीर प्रयास न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और एच. के. एल. भगत पर लगे भीड़ को उकसाने के आरोपों की जांच की और अभियोजन की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए। हालांकि, जब तक नानावती ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी थी और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई थी, भगत और टाइटलर कैबिनेट मंत्री बन चुके थे और सज्जन कुमार सांसद थे।

नानावती की रिपोर्ट ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए संसद के सामने खड़े होकर 'माफी मांगने' का कारण बनी।7 शब्द सस्ते होते हैं और न्याय का विकल्प नहीं होते।

आयोग के निष्कर्ष के दो पैराग्राफ यहां दिए गए हैं, जिन्हें संक्षिप्तता के लिए थोड़ा संपादित किया गया है:

31 अक्टूबर 1984।

एम्स में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के काफिले में शामिल कारों पर पथराव किया गया।

श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन की घोषणा ऑल इंडिया रेडियो पर की गई।

दिल्ली के कई इलाकों में भीड़ जमा हो गई और हिंसक हो गई। सिखों को पीटा गया और उनके वाहन जला दिए गए। तब तक हमले उन लोगों द्वारा किए जा रहे थे जो यह जानने के लिए सड़कों पर जमा हुए थे कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। ये छिटपुट घटनाएं थीं और हमले बिल्कुल भी संगठित नहीं थे। तब तक भीड़ के पास हथियार या ज्वलनशील पदार्थ नहीं थे। जो कुछ भी हाथ लगा, उसी से उन्होंने सिखों के साथ मारपीट की और उनके वाहन जला दिए। सिखों के घरों या दुकानों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट घटनाएं भी हुईं।

सबूतों से पता चलता है कि या तो बैठकें आयोजित की गईं या उन लोगों से संपर्क किया गया जो हमले आयोजित कर सकते थे और उन्हें सिखों को मारने और उनके घरों और दुकानों को लूटने के निर्देश दिए गए थे।

1 नवंबर 1984।

हमलों की प्रकृति और तीव्रता में बदलाव आया। अन्य ताकतों ने स्थिति का फायदा उठाने के लिए कदम बढ़ाए।

उस दिन सुबह करीब 10:00 बजे के बाद, भीड़ ने 'खून का बदला खून से लेंगे' जैसे नारे

लगाए।

ऐसी अफवाहें फैलाई गईं जिनका असर सिखों के खिलाफ लोगों को भड़काने और उन्हें बदला लेने के लिए प्रेरित करने के रूप में हुआ।

कुछ स्थानों पर, हिंसक हमलों में लिप्त भीड़ डीटीसी बसों या वाहनों में आई थी।

वे या तो हथियारों और ज्वलनशील पदार्थों जैसे केरोसिन, पेट्रोल और कुछ सफेद पाउडर से लैस होकर आए थे या उन्हें उन इलाकों में ले जाने के तुरंत बाद ऐसे पदार्थ उपलब्ध कराए गए थे जहां सिखों पर हमला किया जाना था।

ये हमले सुनियोजित तरीके से और पुलिस के प्रति बिना किसी खास भय के किए गए, जिससे लगभग यह संकेत मिलता है कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि इन कृत्यों को अंजाम देते समय और उसके बाद भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

कई हलफनामों से संकेत मिलता है कि स्थानीय कांग्रेस (आई) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भीड़ को उकसाया या उनकी मदद की थी। प्रभावशाली और साधन संपन्न व्यक्तियों के समर्थन और सहायता के बिना सिखों की इतनी तेजी से और बड़ी संख्या में हत्याएं नहीं हो सकती थीं।

कई जगहों पर दंगा करने वाली भीड़ में बाहरी लोग शामिल थे, हालांकि इस बात के सबूत हैं कि सुल्तानपुरी, यमुनापुरी जैसे कुछ क्षेत्रों में, जहां झुग्गियों और झोपड़ियों के बड़े समूह हैं, वहां भीड़ में स्थानीय लोग भी देखे गए थे।

आम जनता के लिए इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लाना संभव नहीं था। उन्हें बाहर से लाने के लिए एक संगठित प्रयास की आवश्यकता थी। उन्हें हथियार और ज्वलनशील पदार्थ मुहैया कराने के लिए भी एक संगठित प्रयास की आवश्यकता थी।

इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि बाहरी लोगों को सिखों के घर दिखाए गए थे। जाहिर है, उनके लिए सिखों के घरों और दुकानों का पता इतनी जल्दी और आसानी से लगाना मुश्किल रहा होगा।

इस बात के भी सबूत हैं कि एक व्यवस्थित तरीके से, जो सिख अपने बचाव के लिए किसी गुरुद्वारे या अपने इलाकों में किसी अन्य स्थान पर एकत्रित पाए गए थे, उन्हें या तो राजी किया गया या मजबूर करके उनके घरों के अंदर भेज दिया गया।

रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि कई स्थानों पर पुलिस ने सिखों से हथियार छीन लिए थे जिनसे वे अपनी रक्षा कर सकते थे।

उन्हें इस आश्वासन के साथ अपने घरों के अंदर जाने के लिए राजी करने के बाद कि उनकी अच्छी तरह से रक्षा की जाएगी, उन पर हमले शुरू हो गए।

नानावती की विश्वसनीयता के लिए सबसे जोरदार सबूत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इसे अत्यधिक बताया और भाजपा ने इसे कम बताया।

न्यायाधीशों ने अपनी बात रखी

रिकॉर्ड में कई स्पष्टवादी फैसले मौजूद हैं।8 यहाँ न्यायमूर्ति ओम प्रकाश द्विवेदी द्वारा 1996 में

सुनाया गया एक फैसला है।

> राज्य बनाम किशोरी एवं अन्य में। (कड़कड़डूमा, दिल्ली एस.सी. नंबर 53/95, एफआईआर नंबर 426/84)9:
>
> > पुलिस की निष्क्रियता/मिलीभगत के कारण कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कल्याण पुरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई सैकड़ों हत्याओं के लिए केवल एक ही एफआईआर यानी संख्या 426/84 दर्ज की गई थी, और उसमें भी मृतकों के नाम या हत्याओं में शामिल दंगाइयों के नाम जैसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं थी।
>
> यहां न्यायमूर्ति शिव नारायण ढिंगरा द्वारा 1996 में दिया गया एक और उदाहरण है:10
>
> > यह स्पष्ट है कि कनक सिंह और राम पाल सरोज स्थानीय कांग्रेस-आई नेता थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने चुपचाप दंगों को बढ़ावा दिया और शायद वे स्थानीय नेताओं और पुलिस की साजिश में भी शामिल थे। उन्होंने ब्लॉक नंबर 32 तक किसी भी बाहरी मदद को नहीं पहुंचने दिया और न ही निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए कोई पुलिस बल भेजा। किसी भी दंगाई समूह के लिए ब्लॉक नंबर 32 में रहने वाले लगभग 200 सिख वयस्क पुरुषों को मारना और उनके घरों को योजनाबद्ध तरीके से जलाना संभव नहीं था। इसलिए, आरोपियों को 1984 के दंगों के प्रति पुलिस और राज्य की उदासीनता और दंगों की साजिश की जांच में राज्य की अरुचि का लाभ मिला।

यदि साक्ष्य कानूनों में प्रशिक्षित कोई न्यायाधीश पुलिस की कड़ी आलोचना करता है और पुलिस तथा कांग्रेस (आई) नेताओं के बीच साजिश की बात करता है, तो इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी।

सूचना मिलने पर मिली जानकारी: एक आईएएस अधिकारी का संस्मरण

एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी—सेवानिवृत्त, जिसे कुछ भी प्राप्त या खोना नहीं है—की विश्वसनीयता बहुत अधिक होनी चाहिए। कारवां में लिखते हुए, पत्रकार हरतोष बाल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में पूर्व सचिव अवतार सिंह गिल, आईएएस (सेवानिवृत्त) की यादों का वर्णन किया।11

> अरुण नेहरू का जिक्र होते ही गिल ने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद के अपने निजी अनुभव को साझा किया। 1 नवंबर को वे अपने कार्यालय गए। “ललित होटल्स के ललित सूरी, जो अक्सर मुझसे मिलने आते थे, अचानक आ गए। वे राजीव गांधी के खास आदमी थे और चूंकि उन्हें अक्सर कुछ न कुछ काम करवाना पड़ता था, इसलिए वे मेरे करीबी थे। वे मंत्रालय में मेरे पास आए और बोले, “अरुण नेहरू ने दिल्ली में हत्याओं के लिए मंजूरी दे दी है और हत्याएं शुरू हो चुकी हैं। रणनीति यह है कि सिख युवकों को पकड़ा जाए, उनके सिर पर टायर फेंका जाए, उन पर केरोसिन डालकर आग लगा दी जाए। इससे हिंदुओं का गुस्सा शांत हो जाएगा।”

गिल ने आगे बताया, ‘सूरी ने मुझसे कहा कि भले ही मेरा नाम मतदाता सूची में न हो, दिल्ली गुरुद्वारा मतदाता सूची में, मुझे सावधान रहना चाहिए। उन्हें यह सूची दी गई है। यह तीन दिनों तक चलेगी। यह आज से शुरू हुई है; यह तीसरे दिन समाप्त होगी।’

गिल की कहानी में एक विवरण एक लंबे समय से चली आ रही पहेली के एक हिस्से को

सुलझाने में भी मदद करता है। वकील एच. एस. फूलका 1984 की हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की कानूनी लड़ाई में अग्रणी रहे हैं। जब मैंने उन्हें गिल के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया, तो उन्होंने तुरंत गुरुद्वारा मतदाता सूचियों का जिक्र पकड़ा, जिनमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनावों में मतदान करने के योग्य लोगों के नाम शामिल हैं। फूलका ने कहा, 'हम हमेशा सोचते थे कि सरकारी मतदाता सूचियां किसी सिख को सिंह उपनाम वाले किसी भी व्यक्ति से अलग करने के लिए कैसे पर्याप्त हो सकती हैं।' 'लेकिन, अगर गुरुद्वारा मतदाता सूचियां उपलब्ध होतीं, तो सिख घरों की आसानी से पहचान होना स्वाभाविक था।'

दिल्ली ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी जहाँ सिखों का नरसंहार हुआ: बोकारो, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, रांची, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, रतलाम, रीवा, सोनीपत, पानीपत और कई अन्य शहरों में भी यही हाल हुआ और देखा गया कि वहाँ भी एक जैसे तरीके अपनाए गए। भीड़ का नेतृत्व करने वालों के पास अक्सर राशन कार्ड धारकों की सूचियाँ होती थीं ताकि वे एक भी सिख परिवार को न छोड़ें।

इस समय, क्या यह सटीक रूप से स्थापित करना संभव होगा कि नवंबर 1984 के पहले सप्ताह के दौरान वास्तव में कितने सिखों की हत्या हुई थी?

स्पष्ट दावे

उन दिनों माल परिवहन का संचालन मुख्य रूप से सिख संचालकों के हाथों में था। रास्ते में रोके गए हजारों ट्रकों को जला दिया गया और चालक दल के सदस्यों को मार डाला गया। बीमा कंपनियों के पास सटीक आंकड़े होने के बावजूद सरकार ने यह बताने से इनकार कर दिया कि कितने ट्रक और ट्रक चालक मारे गए।

उस समय मारे गए लोगों में से कम से कम कुछ के पास जीवन बीमा जरूर रहा होगा, इसलिए एक और रिकॉर्ड है जिसे खोजा जा सकता है। ऐसे रिकॉर्ड से आगजनी के मामलों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। एक व्यक्ति अपने जीवन का बीमा न करवाए, फिर भी संभवतः अपने व्यवसाय का बीमा करवाएगा।

कई सिखों की रेलगाड़ियों में हत्या कर दी गई थी। भारतीय रेलवे रेल दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए वह ऐसे सभी व्यक्तियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है। रेलवे पुलिस भी मृत्यु और चोटों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था भंग की घटनाओं का रिकॉर्ड रखती है। संभवतः नवंबर 1984 के पहले सप्ताह के आंकड़े किसी अलमारी में धूल फांक रहे होंगे।

चंद्रशेखर सरकार में रेल मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडीस ने इस मामले की देर से जांच की और अनौपचारिक रूप से पुष्टि की कि ट्रेनों में मारे गए 600-700 सिखों की पहचान तब तक हो चुकी थी। यह तत्कालीन पंजाब के राज्यपाल निर्मल कुमार मुखर्जी द्वारा भेजे गए परिचय पत्र और सूचना प्राप्त करने में सहायता के अनुरोध के सम्मान में किया गया था।12

ट्रेन दुर्घटनाओं में मारे गए कई सिख सैनिक थे। सेना, अपने सख्त पेंशन नियमों के चलते, मृतक की पेंशन उसकी विधवा या माता-पिता को देने के लिए बाध्य है, इसलिए सेना को भी ठीक-ठीक पता होगा कि किसकी मृत्यु हुई, कैसे और कहाँ हुई। सूची मौजूद है लेकिन गोपनीय रखी गई है।

अहूजा के आंकड़े

हमारे पास जो आंकड़े हैं, वे इस प्रकार हैं: आहूजा समिति13 ने दिल्ली में मृतकों की संख्या 2,733 बताई। घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों में मृतकों की संख्या 1,419 थी।14 इन 1,419 मौतों के लिए, दिल्ली पुलिस ने अंततः केवल 587 FIR दर्ज कीं। 15 इनमें से, पुलिस ने सबूत न मिलने का दावा करते हुए 241 मामलों को बिना जांच के बंद कर दिया। 2,733 में से 1,419 घटाने पर 1,314 आता है। यानी 1,314 ऐसे लोग जिनकी हत्याओं को पुलिस ने नकार दिया है, जांच की तो बात ही छोड़िए।

अब दर्ज की गई FIR की संख्या में से बंद किए गए मामलों की संख्या घटा दें, तो हमें 346 जांच किए गए मामले मिलते हैं। इन 346 मामलों में से हत्या के दोषी व्यक्तियों की संख्या 52 है और आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अपील के बाद, केवल 30 लोग ही बच पाए।16 ये सजाएं केवल दिल्ली में हुए अपराधों के लिए सुनाई गई हैं; दिल्ली के बाहर किसी को भी हत्या का दोषी नहीं पाया गया है। सभी सजाओं के संदर्भ में, जैसा कि PTI ने रिपोर्ट किया और 23 दिसंबर 2015 को द क्विंट में प्रकाशित हुआ, गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने राज्यसभा को सूचित किया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में दिल्ली की विभिन्न अदालतों द्वारा अब तक 442 लोगों को दोषी ठहराया गया है।17

परिणाम: वर्ष दर वर्ष

घटना से जुड़े व्यक्तिगत मानवीय विवरण ही सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। किसने कष्ट सहा, कितने लोगों ने सहा, किसने क्या किया। लेकिन विवरणों पर इतना ध्यान देने से बड़ी तस्वीर धुंधली हो सकती है। इसे समझने के लिए हमें पीछे हटकर लंबे समय के घटनाक्रमों पर गौर करना होगा। आयोगों और समितियों के गठन और विघटन को सरकारों के गठन और विघटन तथा अदालतों में याचिकाओं और अपीलों की प्रगति के साथ जोड़कर देखना होगा। चूंकि इन सभी चीजों को एक साथ संभालना मुश्किल है, इसलिए इन्हें कैलेंडर में अंकित करना सहायक हो सकता है।

1984 और 1989 के बीच, कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में थी और 593 दिनों को छोड़कर, पंजाब में राष्ट्रपति शासन था और दिल्ली में कोई विधानसभा नहीं थी।

इस दौरान न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की नियुक्ति हुई और इस आयोग ने तीन समितियाँ गठित कीं। मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को दोषमुक्त कर दिया, पुलिस के प्रदर्शन को नज़रअंदाज़ किया, पीड़ितों की संख्या 3,000 से कम बताई और पुनर्वास के लिए ऐसे उपाय सुझाए जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया।18 इसकी कार्यवाही पूरी तरह से गुप्त रूप से हुई और इसने एक नागरिक समूह को जांच से बाहर रखा, जिसे जांच का हिस्सा होना चाहिए था। आयोग के कार्यक्षेत्र में सबूत का भार दंगा पीड़ितों पर डाला गया था; उन्हें आयोग के समक्ष गवाही देने की अनुमति नहीं थी।19

1989 में, वी. पी. सिंह की जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई। एक साल बाद, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की उत्तराधिकारी सरकार ने पोटी-रोशन समिति नियुक्त की। मिश्रा समिति को सौंपे गए हलफनामों के आधार पर, इस समिति ने पुलिस को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी ठहराया और एच. के. एल. भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के खिलाफ मामलों सहित लगभग 30 हलफनामों पर कार्रवाई की सिफारिश की। पोटी-रोशन समिति द्वारा कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर लगाए गए आरोप से संबंधित 1990 की एक घटना महत्वपूर्ण है।20

न्यायमूर्ति एस. एन. ढिंगरा के साथ साक्षात्कार का अंश:

प्रश्न: दंगों के पीड़ितों की मदद करने में कौन विफल रहा?

ए. यह जांच एजेंसियों, सरकार और न्यायपालिका सहित संपूर्ण राज्य तंत्र की विफलता है।

प्र. तो आपका कहना है कि न्यायपालिका को भी दोष का भागीदार होना चाहिए?

ए. मेरा कहना है कि न्यायपालिका भी बराबर दोषी है। जिस सज्जन कुमार की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है कई साल पहले [1990] जब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने गई थी, तो उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा कर सीबीआई को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। इसी दौरान उन्होंने अपने वकील आर.के. आनंद को फोन किया, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है – अभियोजन पक्ष को नोटिस दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है और उसके बाद ही अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है। कुमार के मामले में, उच्च न्यायालय सुबह 10:30 बजे खुला और 11 बजे तक दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार ने कुमार के आवास के बाहर इंतजार कर रहे सीबीआई अधिकारियों को सूचित कर दिया कि अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है। रजिस्ट्रार को सीबीआई को सीधे आदेश भेजने का निर्देश किसने दिया था? अब आप इसे क्या कहेंगे – न्यायपालिका का पीड़ित का समर्थन या आरोपी का? उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को क्या संदेश दिया?

पोटी और रोशन ने अपना छह महीने का कार्यकाल समाप्त होते ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब तक वे पीड़ितों की सभी शिकायतों की पुलिस द्वारा जांच की गई है या नहीं, यह पता लगाने के कठिन कार्य से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर चुके थे। उनकी जगह जैन और अग्रवाल को नियुक्त किया गया। इन दोनों ने 1,000 से अधिक पीड़ितों के हलफनामों का गहन अध्ययन किया। इन हलफनामों के परिणामस्वरूप सज्जन कुमार और एच. के. एल. भगत के खिलाफ और मामले दर्ज किए गए, जो तब तक कांग्रेस पार्टी में उच्च पदों पर आसीन हो चुके थे।

1991 में, पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र में फिर से सत्ता संभाली। इसके बाद कांग्रेस ने नवंबर 1984 के दंगों की समीक्षा के लिए कभी भी कोई आयोग, समिति या विशेष जांच समिति (एसआईटी) नियुक्त नहीं की। 1956 से 1993 के बीच, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें विधानसभा नहीं थी। भाजपा ने 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह सच नहीं है कि दंगों के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह निर्दोष थे। उनमें से 49 के नाम एफआईआर में दर्ज थे।21 फिर भी, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने न केवल दंगों के मामलों की जांच के लिए नरूला समिति नियुक्त की, बल्कि मिश्रा आयोग के हलफनामों को जारी करवाने के लिए केंद्र सरकार से व्यक्तिगत रूप से संघर्ष भी किया ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। एक साल बाद (1994), दिल्ली की एक निचली अदालत ने सज्जन कुमार और 12 अन्य के खिलाफ फिर से कार्यवाही शुरू की।

वर्ष 1996 दिल्ली की अदालतों के लिए एक और व्यस्त वर्ष था, लेकिन 2000 तक कोई और आयोग या समिति गठित नहीं की गई। 1999 के आम चुनाव में भाजपा केंद्र में सत्ता में आई। इस सरकार ने नानावती आयोग नियुक्त किया। यह आयोग लगभग पाँच वर्षों तक कार्य करता रहा और उसे कई नए सबूत मिले, लेकिन अंततः उसने केवल चार मामलों को ही दोबारा खोला। जब नानावती आयोग ने 2005 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब तक कांग्रेस केंद्र में फिर से सत्ता में आ चुकी थी और दिल्ली सरकार में उसका बहुमत था। उसी वर्ष, दुर्बल और मानसिक रूप से विक्षिप्त एच. के. एल. भगत का निधन हो गया। इसके बाद एक और लंबा दौर चला

जिसमें कोई जाँच या समीक्षा नहीं हुई। अदालतों में आरोपी कांग्रेस नेताओं पर कोई आरोप साबित नहीं हो सका, हालाँकि 2007 में हत्या के कुछ ऐसे लोगों को दोषी ठहराया गया जिन्होंने वास्तव में इस मामले को अंजाम दिया था।

कांग्रेस ने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को 2009 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया। 2008 में मुंबई पर हुए हमले के बाद, पाकिस्तान के खिलाफ काफी वास्तविक भावनाएं मौजूद थीं, इसलिए कृत्रिम भावनाओं को भड़काने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 2009 में कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई। दिल्ली दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय का मुद्दा चुनाव से पहले और बाद में भी शांत रहा। मार्च 2012 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए और सत्ताधारी अकाली दल कांग्रेस को भारी आश्चर्य में डालते हुए फिर से सत्ता में लौट आया।

2012 से कई अदालती मामले आगे बढ़े; सज्जन कुमार मामले की बार-बार जांच की गई। 2013 में कांग्रेस और भाजपा दोनों को तब झटका लगा जब फरवरी 2013 में नवगठित आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में सत्ता हासिल की। वर्ष 2014 में एक और लोकसभा चुनाव हुए। 2013 के अंतिम महीने में कांग्रेस पार्टी ने 1984 के दंगों के पीड़ितों के परिजनों को अतिरिक्त मुआवजा देने की बात कही। भाजपा की जीत के साथ, मोदी सरकार ने दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे में 5 लाख रुपये की वृद्धि की।22

यह दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले हुआ था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दंगा पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये दिए।

2015 में दिल्ली विधानसभा के एक और चुनाव का समय नज़दीक आ गया। भाजपा को दिल्ली के सिख निवासियों की पीड़ा याद आई। 2014 के आखिरी महीने में, भाजपा की केंद्र सरकार ने 1984 के दंगों की पुन: जांच के लिए न्यायमूर्ति माथुर को सलाहकार नियुक्त किया। फरवरी 2015 में, दिल्ली विधानसभा चुनाव के उसी महीने, केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति माथुर की सलाह पर अमल करते हुए प्रमोद अस्थाना एसआईटी को 1984 के दंगों से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त किया। अस्थाना को इसके लिए छह महीने का समय दिया गया था। समिति को मामलों को फिर से खोलना था और आरोपपत्र दाखिल करने थे। आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत लिया। अस्थाना एसआईटी की नियुक्ति करके, दिल्ली की AAP सरकार को इसी काम के लिए अपनी कोई एसआईटी या समिति नियुक्त करने से रोक दिया गया। जून 2016 तक, दिल्ली पुलिस द्वारा सबूतों के अभाव में बंद किए गए 241 मामलों में से, अस्थाना एसआईटी ने दिल्ली और अन्य राज्यों से संबंधित 75 मामलों को फिर से खोल दिया था।

	1984 Election Year	1985 Election Year	1986	1987	1988	1989 Election Year
Lok Sabha	8th Lok Sabha **Dec** Congress majority Rajiv Gandhi is PM					9th Lok Sabha **Dec** Janata Party majority V. P. Singh is PM
Punjab Assembly		**Sept** Akali majority S. S. Barnala is CM				
Delhi Assembly	Didn't exist	Didn't exist	Didn't exist	Didn't exist	Didn't exist	Didn't exist
Commission/ Committee/SIT	**Oct 31** Mrs Gandhi shot dead **Nov** Delhi riots **Marwah Commission** Probes role of police On appeal of Delhi Police Dy Commissioner, Delhi HC stays investigation on grounds that it violates Police Act	**May** **Marwah Commission** told to cease and hand over to **Misra Commission**. Probes organized violence charge, all proceedings in camera **Dhillon Committee** Recommends rehab measures urges settlement of insurance claims but this is rejected		**Misra Commission** submits report Names 19 mob leader Congressmen but clears Congress Party **Feb** **Kapoor–Mittal Committee** Probes police conduct Kapoor and Mittal disagree. Govt doesn't allot Kapoor staff or office so nothing done. Mittal completes report but Delhi Admn demands joint report **Jain-Banerjee Committee** Delhi HC quashes appointment notification on grounds that it violates Police Act. Recommends murder case against Congress MP Sajjan Kumar **Ahooja Committee** Set up to determine the exact number of deaths: 2,733		
Court Cases	Central Govt grants ₹20,000 to next of kin of Delhi riot murder victims. Allows ₹2,000 compensation to injured	**Jul** Congressman **Lalit Maken** (son-in-law of late Pres S. D. Sharma) allegedly led rioters. Shot dead				**Jan** Mrs Gandhi's killers hang

	1990	1991 Election Year	1992 Election Year	1993 Election Year	1994	1995
Lok Sabha	**Nov** Coalition Chandershekhar is PM	10th Lok Sabha **May** Congress majority P. V. Narasimha Rao is PM				
Punjab Assembly			**Feb** Congress majority Beant Singh is CM			
Delhi Assembly	Didn't exist	Didn't exist	Didn't exist	**Dec** BJP majority Madan Lal Khurana is CM		
Commission/ Committee/SIT	**Poti–Rosha /Jain–Aggarwal Committee** Re-examines affidavits, FIRs from Misra Committee. Held police derelict. Urges cases against **H. K. L. Bhagat, Jagdish Tytler**, and **Sajjan Kumar** No action taken Delhi Admin sets up **Jain–Aggarwal Committee** to take over from Poti-Rosha Submits a detailed report Goes into how police scuttled cases. Urges action against several police officials for lapses			**Narula Committee** Appointed by Delhi BJP Govt urges charges against Congress leaders **H. K. L. Bhagat, Jagdish Tytler** and **Sajjan Kumar**. Centre sends affidavits after Khurana threatens to complain to National Human Rights Commission		
Court Cases					**Dec** Sultanpuri killings: CBI chargesheets **Sajjan Kumar** and Nathu Pradhan, Brahmanand Gupta, Udal Singh, Shishram, Jai Bhagwan Gupta, Peera Ram, Harnaman Prasad, Satyaveer Singh, Mahender Singh, Ishan, Rajendra Singh and Jai Kishen for multiple murders	

	1996 Election Year	1997 Election Year	1998	1999 Election Year	2000	2001
Lok Sabha	11th Lok Sabha **May** BJP majority A. B. Vajpayee is PM		12th Lok Sabha **Mar** Coalition Dev Gowda is PM	13th Lok Sabha **Oct** BJP majority A. B. Vajpayee is PM		
Punjab Assembly		**Feb** Akali majority P. S. Badal is CM				
Delhi Assembly	**Feb** BJP majority Sahib Singh Verma is CM		**Oct** BJP majority Sushma Swaraj is CM **Dec** Congress majority Sheila Dixit is CM			
Commission/ Committee/SIT					**Nanavati Commission** Appointed by BJP govt to probe causes of criminal violence, identify lapses, dereliction of duty. Slams low-level Congress leaders and police but clears Rajiv Gandhi, other Congress big shots. Gets hundreds of fresh affidavits from victims and prominent persons e.g. I. K. Gujral, Khushwant Singh, Kuldip Nayar, Jagjit Singh Aurora urges re-opening only 4 of 241 closed cases	
Court Cases	Delhi HC orders Delhi Govt to hike compensation to murder victims' kin to ₹1.5 lakh and compensation to injured to ₹1.25 lakh. **Aug** Out of 107 held for rioting, arson in Trilokpuri area of East Delhi 88 convicted **Sep** Delhi court orders, **Sajjan Kumar et al** to stand trial for Sultanpuri killings: East Delhi multiple murders. FIR registered against **H. K. L. Bhagat**		**Dec** East Delhi multiple murders: Chargesheet filed against **H. K. L. Bhagat**		**Sep** East Delhi murders **H. K. L. Bhagat** case dismissed. Delhi court accepts police report 'his presence could not be established'. Summons for other five other co-accused	

	2002 Election Year	2003 Election Year	2004 Election Year	2005	2006	2007 Election Year
Lok Sabha			14th LS **May** Congress majority Manmohan Singh is PM			
Punjab Assembly	**Feb** Congress majority Amarinder Singh is CM					**Mar** Akali majority P. S. Badal is CM
Delhi Assembly		**Dec** Congress majority Sheila Dixit is CM				
Commission/ Committee/SIT						
Court Cases	**Dec** Sultanpuri multiple murders. Delhi court acquits **Sajjan Kumar** for lack of evidence			**May** Delhi HC directs Delhi govt to pay ₹1.25 lakh compensation' Central Govt raises murder compensation to kin to ₹7 lakh Congressman **Sajjan Kumar** among six charged with murder of 5 Sikhs. CBI alleges that Kumar and police conspired so that Kumar's name omitted in police records **Oct** **H. K. L. Bhagat**, dies of old age	**Jan** Since 2005 High Court judgments yet to be implemented. Central Govt package incorporates enhanced compensation for injury. Adds job for one member of each affected family and pension to aged	**Mar** Delhi court convicts 3 for East Delhi multiple murders

	2008	2009 Election Year	2010	2011	2012 Election Year	2013
Lok Sabha		15th LS **May** Congress majority Manmohan Singh is PM				
Punjab Assembly					**Mar** Akali majority P. S. Badal is CM	
Delhi Assembly	**Nov** Congress majority Sheila Dixit is CM					**Dec** AAP majority Arvind Kejriwal is CM
Commission/ Committee/SIT						
Court Cases		**Mar** CBI clears Sajjan Kumar but Congress denies him and Tytler tickets for Lok Sabha	**Jan** CBI files 2 chargesheets against six, including **Sajjan Kumar**, in multiple murder case. **Apr** Court accepts CBI report that Congressman **Jagdish Tytler** not present when 3 Sikhs murdered at Pul Bangash	**Jan** Massacre at Horadh Chillar village near Gurgaon is revealed	**Feb** Outcry forces Delhi Gov Sheila Dixit to rescind parole decision of Lt-Gov Tejendra Khanna, based on Sentence Review Board nod for parole to 1984 multiple murder convict **Kishori Lal** (in jail since 1996)	**Apr** Delhi court convicts Delhi Municipal Councillor Balwan Khokhar, Capt Bhagmal and Girdhari Lal of multiple murder but acquits **Sajjan Kumar** Delhi Sessions Court refuses to accept clean chit to **Jagdish Tytler** as per 2009 CBI closure report, Orders re-examination of witnesses **Dec** Ahead of 2014 Lok Sabha poll, Congress Party vows additional compensation kin of 1984 riot victims.

	2014 Election Year	2015 Election Year	2016	2017 Election Year	2018	2019 Election Year
Lok Sabha	16th LS **May** BJP majority Narendra Modi is PM					17th LS **May**
Punjab Assembly				**Mar** Congress majority Amarinder Singh is CM		
Delhi Assembly		**Feb** AAP majority Arvind Kejriwal is CM				
Commission/ Committee/SIT	**Dec** **Mathur Committee** BJP Union govt-appoints Justice Mathur to advise on 1984 riots re-investigation	**Feb** **Pramod Asthana Committee** Mathur Committee recommends SIT. Union govt appoints Pramod Asthana, IPS, and 2 others to look into *all* serious 1984 riot criminal cases, re-open cases, file charge sheets. Given 6 months to do so, including filling charge sheets, in nearly 30-yr-old cases	**Jan** **Asthana Committee** re-opens 75 cases pertaining to Delhi and other states, Delhi Police had closed 241 cases citing lack of evidence		**S. N. Dhingra SIT** Set up to examine 186 closed cases	
Court Cases	**Dec** CBI again files closure report, exonerating **Jagdish Tytler** **Oct** Ahead of 2015 Delhi Assembly poll, BJP Central govt announces ₹5 lakh relief for Delhi riot victims. 3,000 people likely to benefit.'	**Mar** Lawyer representing riot victims learns of CBI clean chit to Jagdish Tytler. Objects as closure report was filed secretly **Nov** Delhi CM Arvind Kejriwal distributes ₹5 lakh to riot victims' families	**Nov** Union Govt tells Supreme Court to re-investigate 286 riot cases. Govt is *'determined to render speedy justice to affected families'.*	**Apr** Fresh summons to multiple murder convicts Naresh Sehrawat and Yashpal Singh **Sep** Supreme Court to scrutinise SIT decision to close 199 riots related cases **Feb** BJP Govt re-announces ₹5 lakh compensation to Delhi riot victims, previously granted in 2014."	**Apr** Delhi Court gives CBI more time to probe **Jagdish Tytler** charges **Oct** Delhi Court convicts 2 murder accused: Yashpal Singh to hang, lifer for Naresh Sherawat **Nov** Delhi HC dismisses 22-year old appeals by 88 people convicted in 1996 by trial court for involvement in Nov 1984. Hands down 5-year sentence to all 88 but only 47 appellants still alive **Dec** **Sajjan Kumar** convicted of multiple murders, gets lifer	

चार महीने बाद, भाजपा की केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से सभी 286 दंगा मामलों की पुन: जांच करने का अनुरोध किया, क्योंकि सरकार 'पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित' थी। फरवरी 2017 में, भाजपा की केंद्र सरकार ने दिल्ली दंगा पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार मुआवजे की घोषणा की। जाहिर तौर पर, यह वही राहत

थी जिसकी घोषणा 2014 में की गई थी। सितंबर 2017 तक, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि वह 199 दंगा संबंधी मामलों को बंद करने के अस्थाना एसआईटी के फैसले की समीक्षा करेगा, और जनवरी 2018 तक, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति एस. एन. ढिंगरा की अध्यक्षता में एक अन्य एसआईटी को 186 बंद मामलों की जांच के लिए नियुक्त किया।

अप्रैल 2019 तक, इस एसआईटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने की समय सीमा बढ़ा दी थी।

इस जटिल 35-वर्षीय समीक्षा को एक छोटे से सूत्र में सारांशित किया जा सकता है:

'राजनीतिक गणनाओं का बादल न्याय के प्रकाश को हमेशा के लिए धूमिल कर देता है।'

हरियाणा पोस्ट स्क्रिप्ट

वर्ष 2011 एक अप्रत्याशित घटना लेकर आया। जब ऐसा लग रहा था कि दंगों से जुड़ी हर कहानी बताई जा चुकी है, तभी बर्बरता का एक बिल्कुल नया अध्याय सामने आया।

उसी साल 22 जनवरी को, गुड़गांव में काम करने वाले इंजीनियर मनविंदर सिंह गियासपुर की अपने दफ्तर आए एक डिलीवरी बॉय से बातचीत शुरू हुई। उस लड़के ने उनके गांव के पास ही स्थित 'सरदारों के एक वीरान गांव' के बारे में बताया। जब लड़के ने आगजनी की बात शुरू की, तो गियासपुर समझ गए कि वह 1984 के सिख विरोधी नरसंहार की बात कर रहा है। लड़के ने बताया कि लोग जर्जर घरों से लकड़ी और ईंटें चुराने के लिए होंध चिल्लर के उस वीरान गांव में जाते थे।

23 जनवरी 2011 को, गियासपुर चिल्लार गए, वहां उन्होंने नरसंहार स्थल और उसके स्पष्ट प्रमाण देखे। उन्होंने वहां की तस्वीरें खींचीं और फेसबुक पर डाल दीं। फिर उन्होंने पंजाबी भाषा के समाचार पत्रों से संपर्क करके घटनास्थल की जांच और संरक्षण का आग्रह किया। जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने चुप्पी साधे रखी, तो गियासपुर ने अखिल भारतीय सिख छात्र संघ और सिख फॉर जस्टिस से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय प्रेस ने इस खबर को उठा लिया।

उनके नियोक्ताओं को यह बात असहज लगी कि उनका एक कर्मचारी किसी ऐसी चीज़ के केंद्र में हो जो निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगी और संभवतः विवाद भी पैदा करेगी, इसलिए 13 मार्च 2011 तक, जियासपुर को वी एंड एस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया।23

गियासपुर ने कंपनी द्वारा उन्हें बर्खास्त किए जाने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि महेंद्रगढ़ जिले (अब रेवाड़ी जिला) के जतुसाना पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर (संख्या 91) दर्ज की गई थी। एफआईआर में उल्लेख था कि 2 नवंबर 1984 को अज्ञात आरोपियों की भीड़ ने अज्ञात संख्या में लोगों की हत्या कर दी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग पांच महीने बाद (5 मार्च 1985) पुलिस फाइल को गुमशुदा बताकर बंद कर दिया गया। उस समय हरियाणा में मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी।

लेकिन कुछ लोग इस घटना में बच गए। वे गांव छोड़कर कहीं और शरण लेकर भाग गए और 27 साल तक चुप रहे।

2011 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपिंदर हुड्डा मुख्यमंत्री थे। होंध चिल्लर विवाद पर मचे बवाल के जवाब में, हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. पी. गर्ग की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया।

कुछ ही समय बाद गुड़गांव और गुड़गांव जिले के एक कस्बे पटौदी में दो और घटनाएं सामने आईं। इन दोनों मामलों की जांच का जिम्मा भी उसी आयोग को सौंपा गया।

2015 में, सात बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद, न्यायमूर्ति गर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में यह स्थापित किया गया कि होंध चिल्लर में 32 सिख, गुड़गांव में 30 और पटौदी कस्बे में 17 सिखों की हत्या हुई थी, कुल मिलाकर 79 मौतें हुईं। गर्ग ने होंध चिल्लर, गुड़गांव और पटौदी हिंसा के पीड़ितों को मुआवज़ा देने की सिफारिश की। अधिकांश प्रभावित परिवारों का पता लगा लिया गया है और राज्य ने कुल 12.07 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया है। न्यायमूर्ति गर्ग ने यह भी माना कि पुलिस ने अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाही बरती थी। उनकी रिपोर्ट में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सतेंद्र कुमार, तत्कालीन जतुसाना डीएसपी राम भज, तत्कालीन जतुसाना पुलिस एसएचओ राम किशोर और जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल राम कुमार के नाम शामिल थे। ये सभी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।24

दूसरी ओर देखना

दोषियों को दंडित करना एक अलग बात है। होन्ध चिल्लर या हरियाणा के अन्य स्थानों पर हुई मौतों के जवाब में हत्याओं के लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

2017 में, गियासपुरा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर हरियाणा राज्य को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। अब तक, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। पिछले साल, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पुलिस की संलिप्तता का प्रश्न राज्य गृह विभाग में विचाराधीन है, और अप्रैल 2019 तक मामला वहीं रुका हुआ है।25

इस बीच, गियासपुर चुप नहीं बैठा। जनवरी 2019 में, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए, उन्होंने हरियाणा सरकार से नवंबर 1984 के दौरान गुरुग्राम (जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था) जिले में पुलिस की तैनाती के बारे में पूछा। आश्चर्यजनक रूप से, जवाब से पता चला कि जहां भी सिखों और उनके घरों या गुरुद्वारों पर हमले हुए, वहां पुलिस मौजूद थी। जहां पुलिस तैनात नहीं थी, वहां कोई हमला नहीं हुआ।

जनवरी 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गियासपुर ने कहा कि उनके आरटीआई अनुरोध के जवाब में दी गई जानकारी के आधार पर, वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिखों को पुलिस की सक्रिय मिलीभगत से निशाना बनाया गया था। 'नवंबर 1984 में हरियाणा में कुल 79 सिखों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन किसी भी अपराधी को कभी सजा नहीं मिली और सभी मामले बंद कर दिए गए।' उन्होंने बताया कि गर्ग आयोग ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी और हरियाणा की वर्तमान भाजपा सरकार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया।26

अगर होंध चिल्लर की घटना गांव के जलने और उसके निवासियों की हत्या के दशकों बाद पूरी तरह से संयोग से सामने आ सकती है, तो क्या इसी तरह के हमले अन्य गुमनाम छोटे गांवों में भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे?

दंगों के लिए टेम्पलेट

दो लंबे अध्यायों—'कानूनी प्रक्रिया: पंजाब' और 'कानूनी प्रक्रिया: दिल्ली'—में इस बात पर चर्चा की गई है कि अपराध के शिकार लोगों ने अदालतों के माध्यम से न्याय पाने के लिए किस प्रकार

संघर्ष किया। पंजाब में, एक के बाद एक कई मामलों में, अपराध करने वाले पुलिसकर्मी और राज्य सरकार के कर्मचारी थे। कानून के इन रखवालों का मानना था कि उन्हें कुछ भी करने की खुली छूट है, कि उन्हें कभी दंडित नहीं किया जाएगा, और राज्य उनके द्वारा किए गए किसी भी 'अति' को अनदेखा करेगा या पूरी तरह से माफ कर देगा।

नवंबर 1984 के दंगों के मामले में कई श्रेणियों के अपराधी सक्रिय थे: भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और दिल्ली तथा कुछ अन्य शहरों के प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी, राजनेता (उच्चतम आंतरिक हलकों के लोगों से लेकर मोहल्ले के आयोजकों तक), और दिल्ली पुलिस के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी। यहां तक कि न्यायपालिका में शामिल कुछ लोग भी अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतरे।

नवंबर 1984 के दंगों के 'क्या' और 'कैसे' से जुड़े पहलू घिनौने हैं, लेकिन 'क्यों' तो बेहद ही घिनौने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'क्यों' का मुद्दा आज भी पूरी तरह सक्रिय है और राजनेताओं और पार्टियों को ठीक उसी तरह निर्देशित करता है जैसे 35 साल पहले करता था।

दंगे लाभदायक हो सकते हैं

सन् 1970 में जब मैं (डोना सूरी) बैंगलोर आई, उसके कुछ ही समय बाद उत्तर में स्थित एक छोटे से कस्बे चिक्काबल्लापुर में हिंदू-मुस्लिम दंगा भड़क उठा। मुझे याद नहीं कि कितने लोग मरे थे; लेकिन सभी अखबारों में यही खबर छाई हुई थी कि पूरे-पूरे मोहल्ले जलकर राख हो गए थे।

कुछ महीनों बाद एक पार्टी में मेरी मुलाकात कर्नाटक पुलिस के एक डीआईजी से हुई। उनके दोस्त उन्हें हाल ही में किए गए अथक परिश्रम के बाद छुट्टी लेने के लिए कह रहे थे। वे चिक्कबल्लापुर दंगे की जांच अधिकारी थे और उन्होंने अभी-अभी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने उनसे जांच के निष्कर्ष तो निकलवा लिए, लेकिन फिर पूछा कि 'असल में हुआ क्या था?'

मैं उस समय बहुत छोटा था, और मेरे मन में कभी यह विचार नहीं आया था कि एक आधिकारिक रिपोर्ट पूरी तरह से सच होने के अलावा कुछ और भी हो सकती है।

असल में हुआ ये था कि शहर के बीचोंबीच, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित एक विशाल क्षेत्र में सैकड़ों छोटी-छोटी कार्यशालाएँ थीं, जो साधारण और अलंकृत दोनों प्रकार की लकड़ी की कारीगरी में लगी हुई थीं। कारीगर मुसलमान थे, कार्यशालाओं के मालिक मुसलमान थे, ये इकाइयाँ आवासीय और कारखाना दोनों थीं, और ये सभी हैदर अली के समय से ही चिक्काबल्लापुर के भीड़भाड़ वाले 'पुराने शहर' में बसी हुई थीं। ये सभी किसी तरह अपना गुजारा चला पाते थे।

पुलिस अधिकारी ने समझाया, "कम आय वाले लोग उच्च आय वाली संपत्तियों पर कब्जा नहीं कर सकते।" कस्बे के प्रभावशाली लोग (हिंदू व्यापारी) मुसलमानों को छोड़कर उस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। उनके पास कस्बे के लिए किसी प्रकार की नवीकरण योजना लाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रभाव था, लेकिन जमीन का कानूनी अधिग्रहण वर्षों तक अदालतों में उलझा रहता। सबसे तेज़ तरीका था अशांति फैलाना, उसे दंगे में बदलना, कार्यशालाओं को जला देना और फिर पीछे हट जाना, ताकि राज्य सरकार मुआवजा दे और मुसलमानों को कस्बे के बाहरी इलाके में कहीं बसा दे। वास्तव में यही हुआ।

डीआईजी ने विश्वासपूर्वक भविष्यवाणी की कि बहुत निकट भविष्य में, चिक्काबल्लापुर आने वाले आगंतुक चौड़ी सड़कों पर सिनेमा हॉल और बड़े शोरूम देखेंगे, जहां कभी छोटी-छोटी जर्जर कार्यशालाएं हुआ करती थीं।

दंगे नवंबर 1984 के रक्तपात से शुरू नहीं हुए थे, और न ही वे वहीं समाप्त हुए हैं। भारत में

कहीं न कहीं, किसी समूह द्वारा एक और '1984 का दंगा' हो सकता है। जब तक दंगों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के साधन के रूप में किया जाता रहेगा, यह एक वास्तविकता बनी रहेगी। हम इस स्थिति को इतनी बार देख चुके हैं कि यह मानना गलत होगा कि दंगे बस हो जाते हैं और उनमें राजनीतिक संरक्षण का कोई हाथ नहीं होता।27

राजनीतिक दल दंगों को संरक्षण देते हैं, लेकिन कोई दल केवल संरक्षण देकर ही संतुष्ट क्यों हो जाएगा? दल तभी आश्वस्त हो सकता है कि उसे अपने पैसे का पूरा लाभ मिलेगा जब उसके सदस्य स्वयं सक्रिय रूप से इसमें शामिल हों। यदि दिल्ली दंगों की कहानी से कोई सबक मिलता है, तो वह निश्चित रूप से यह है कि नेता के बेदाग सफेद कुर्ते पर कुछ भी संदिग्ध न लगे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथ खून से सने होने से पूरी तरह संतुष्ट हैं।

ज़रा सोचिए, 'सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से उथल-पुथल' एक बेहद चर्चित विषय है, जिस पर गहन अध्ययन की सख्त ज़रूरत है। आखिर कब तक कोई प्रबंधन संस्थान का विद्वान इस मुद्दे पर अपनी राय देगा?

शिक्षण पाठ

वर्तमान में, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में संवैधानिक रूप से प्रदत्त कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन-मरण का संघर्ष चल रहा है। पिछले अगस्त में, पुणे पुलिस ने 'उपद्रवियों' को गिरफ्तार करने के लिए देश के विभिन्न शहरों में अभियान चलाया। उनकी सूची में ऐसे नौ लोग थे, लेकिन वे केवल पाँच को ही पकड़ पाए। चार लोग या तो भाग निकले या पुलिस की योजना को विफल करने में सफल रहे। ये लोग रात के अंधेरे में AK-47 लेकर घूमने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता और एक बुजुर्ग कवि भी थे।28 कई वकीलों और कार्यकर्ताओं को UAPA के प्रावधानों के तहत लंबे समय तक जेल में रखा गया है। पुलिस एक या दूसरे संदेह का हवाला देती है, लेकिन वकीलों का वास्तविक अपराध लोगों के भूमि अधिकारों या वन अधिकारों से जुड़े मामलों को उठाना था। इंटरनेट समाचार पत्रिका स्क्रॉल में लिखते हुए, इंदिरा जयसिंह ने वर्तमान खतरे को बहुत सशक्त ढंग से व्यक्त किया:

> हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जब अलोकप्रिय मुद्दों को उठाने वाले वकीलों को बदनाम किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और लंबे समय तक हिरासत में रखा जा रहा है, और/या उनकी हत्या भी की जा रही है। अगर यह सिलसिला नहीं रुका, तो एक दिन कानून के शासन की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तब कानून का शासन ही नहीं बचेगा जिसकी रक्षा की जा सके।29

उदासीनता की कीमत

आधी रात को दस्तक... जलते टायर से मौत... जब तक यह मेरे साथ, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों या आस-पड़ोस में नहीं हो रहा है, मैं उदासीन रहता हूँ। लोग अपने निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ लोग तब जागेंगे जब उनके शहर या उनके राज्य में अराजकता फैल जाएगी या नागरिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन खुलेआम और जानलेवा तरीके से होगा। लेकिन जब तक मेरा अपना घर, पड़ोस, शहर या राज्य सबसे बुरे हालातों से बचा हुआ है, मैं अन्य जगहों पर अराजकता और दुर्व्यवहारों से आसानी से बेखबर रह सकता हूँ। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यदि

किसी भी समय, अधिकांश स्थानों पर कम से कम कानून के शासन का कुछ आभास तो होता है, तो वे स्थान जहाँ कानून का शासन और नागरिक अधिकार धूमिल हैं, दूरस्थ हैं और बहुत अधिक चिंताजनक नहीं हैं। संघर्ष का केंद्र एक कोने से दूसरे कोने में स्थानांतरित होता रहता है, और समाचार मीडिया का ध्यान बहुत सीमित रहता है, जिससे किसी भी समय बड़े भूभाग पत्रकारिता की रोशनी से वंचित रह जाते हैं।30

समस्या यह है कि जो आप नहीं जानते, वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लोकतंत्र के लिए अज्ञानता और उदासीनता से बड़ा कोई खतरा नहीं है। हमें ऐसी जागरूकता की आवश्यकता है जो समय और स्थान दोनों से जुड़ी हो। दूसरे शब्दों में, दशकों पहले हुए दुर्व्यवहारों और अपराधों को याद करके, हम उनकी पुनरावृत्ति के प्रति सतर्क हो जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए प्रेरित होते हैं। हमसे दूर स्थानों पर या हमसे भिन्न लोगों के साथ जो हो रहा है, उसके बारे में जागरूक होने से हम अपने निवास स्थान की रक्षा के लिए सतर्क हो जाते हैं। यह हमें वह बात भी याद दिलाता है जो प्रत्येक भारतीय स्कूली छात्र हर सुबह दोहराता है: 'भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं'।

किसी को भी चुपचाप खड़े होकर यह नहीं देखना चाहिए कि सरकार किसी भाई या बहन पर अत्याचार कर रही है और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कानून के संरक्षण से वंचित कर रही है।

नोट्स

1. ईटी ब्यूरो। 'अमेरिकी अदालत ने कांग्रेस को तलब किया'।
2. स्टीवंस. 'भारतीय सेना 9 शहरों में जाती है'.
3. मिट्ठा और फूलका, जब एक पेड़ ने दिल्ली को हिला दिया।
4. सिंह, मैं आरोप लगाता हूँ...
5. आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक पत्राचार, 'दोषी कौन हैं?'
6. नानावती आयोग की पूरी रिपोर्ट निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: http://www.mha.nic.in/hindi/sites/upload_files/mhahindi/files/pdf/Nanavati-I_eng.pdf
   https://justiceprojectsouthasia.files.wordpress.com/2013/08/nanavati-commission-1984-anti-sikh-riots-vol-2-annexures.pdf
   नानावती आयोग की रिपोर्ट का विस्तृत सारांश https://www.carnage84.com/homepage/nancom.htm पर पढ़ा जा सकता है।
7. रेडिफ, 'प्रधानमंत्री ने माफी मांगी'।

   सिख समुदाय की भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को 1984 की सिख विरोधी हिंसा के लिए माफी मांगी और कहा कि वह किसी 'झूठे रुतबे' पर नहीं खड़े हैं और उन्होंने शर्म से अपना सिर झुकाया।

   तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को 'एक महान राष्ट्रीय त्रासदी' बताते हुए उन्होंने कहा, 'इसके बाद जो कुछ हुआ वह भी उतना ही शर्मनाक था।'

   राज्यसभा में विपक्ष द्वारा प्रायोजित नानावती आयोग की रिपोर्ट पर चल रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं के ऐसे बयान देखे हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा, 'मुझे सिख समुदाय से माफी मांगने में कोई संकोच नहीं है। मैं न केवल सिख समुदाय से, बल्कि पूरे भारतीय राष्ट्र से माफी मांगता हूं क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह हमारे संविधान में निहित राष्ट्रवाद की अवधारणा का उल्लंघन है।'

डॉ. सिंह ने कहा, 'हमारी सरकार की ओर से, इस देश की पूरी जनता की ओर से, मैं इस घटना के घटित होने पर शर्म से अपना सिर झुकाता हूं।'

8. ग्रोवर, कार्नेज 84.
9. वही।
10. वही।
11. ए. एस. गिल का बयान 30 अक्टूबर 2015 को बाल, द 1984 नरसंहार में प्रकाशित हुआ।
12. इंदरजीत सिंह जयजी द्वारा स्वयं की गई जांच:

    1990 की शुरुआत में, राज्यपाल एन. के. मुखर्जी मोहाली में एक मानवाधिकार समूह की बैठक में शामिल हुए, ताकि हाल ही में हुए फर्जी मुठभेड़ मामले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं जानता था कि मुखर्जी रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस के करीबी थे, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि अक्टूबर-नवंबर 1984 में ट्रेनों में कितने सिख मारे गए, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। सरकार कोई आंकड़े नहीं दे रही थी। मुखर्जी ने हमें फर्नांडीस से परिचय पत्र दिलवाया। मैं दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मंत्री से मिला और पाया कि वे सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। कुछ बातचीत के बाद, उन्होंने मुझे शाम को अपने घर आने के लिए कहा। ऐसा लगा जैसे वे अपने कार्यालय में इस मामले पर खुलकर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अपने घर पर भी उन्होंने कोई सटीक आंकड़े नहीं दिए। शाम इस बात पर समाप्त हुई कि उन्होंने मुझे अगली सुबह फिर से अपने कार्यालय में मिलने के लिए कहा। अगले दिन अपने कार्यालय में वापस आकर, शर्मिंदा मंत्री ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें कुछ भी खुलासा न करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मामले की जांच जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिले। बाद में, उन्होंने अनौपचारिक रूप से बताया कि मृतकों की संख्या लगभग 700 थी।

13. दिल्ली प्रशासन के तत्कालीन गृह सचिव आर. के. आहूजा को दिल्ली में हुई कुल मौतों की संख्या निर्धारित करने के लिए कहा गया था। अगस्त 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली समिति के अनुसार, 2,733 सिखों की हत्या हुई थी।
14. ग्रोवर, कार्नेज 84.
15. टाइम्स न्यूज नेटवर्क, '1984 सिख विरोधी दंगे'।
16. शर्मा, '30 साल बाद भी न्याय नहीं'।
17. पीटीआई, '400 से अधिक लोग दोषी ठहराए गए'।
18. आयोग में नियुक्ति से पहले, न्यायमूर्ति मिश्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 1990 में, न्यायमूर्ति मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। 1993 में, उन्हें नव स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और 1998 में, सेवानिवृत्ति के बाद, वे कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने।
19. बडवार, 'न्यायमूर्ति मिश्रा आयोग की 1984 की रिपोर्ट'।
20. यादव, 'न्यायपालिका को भी समान रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए'।
21. शर्मा, 'सिख दंगे'।

    जैन-अग्रवाल समिति की सिफारिशों पर दिल्ली पुलिस ने भाजपा और आरएसएस के 49 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 14 एफआईआर (आगजनी, दंगा, हत्या का प्रयास और डकैती) दर्ज कीं। जिन प्रमुख दिल्ली भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें प्रीतम सिंह, राम कुमार जैन, राम चंद्र गुप्ता, रतन लाल, ज्ञान लाल जैन, चंद्र सैन, प्रदीप कुमार जैन, हंस राज गुप्ता, बाबू लाल, वेद महिपाल शर्मा, पदम कुमार जैन और सुरेश चंद जैन शामिल हैं। सबसे बड़ी एफआईआर, संख्या 446/93, अगस्त 1993 में दर्ज की गई, जो 1984 के दंगों से संबंधित है और जिसमें

17 लोगों के नाम हैं। भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई 14 एफआईआर में से अधिकांश दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं। ये मामले हरि नगर, आश्रम, सनलाइट कॉलोनी और भगवान नगर जैसे इलाकों से संबंधित हैं।

अभियुक्तों में से एक, राम कुमार जैन, जिसका नाम एफआईआर संख्या 315/92 दिनांक 18 जून 1992 में दर्ज है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव एजेंट था, जब उन्होंने 1980 में लोकसभा चुनाव लड़ा था।

22. पहली पोस्ट, 'मोदी सरकार ने मुआवजे की पेशकश की'।
23. भाटिया, ‘घृणित अपराध के साक्ष्य’।
24. देसवाल, ‘हत्याएं फैल गईं’।
25. सुरा, 'होन्ध-चिल्लर हत्याएँ'।
26. सिंह, ‘आरटीआई से पता चलता है कि सिखों की हत्या की गई थी’।
27. डोना सूरी की एक निजी स्मृति।
28. कुलकर्णी, ‘हत्या की साजिशें और अन्य अफवाहें’।
29. जयसिंह, ‘निहत्थों की रक्षा कौन करेगा’।
30. टेलीविजन समाचार चैनल देखने वाला कोई भी व्यक्ति पैनल चर्चा की दैनिक बहुलता से चकित रह जाता है।

बहुत कम टेलीविजन दर्शक यह समझते हैं कि किसी स्टूडियो में तीन-चार मुखर और नामी पुरुषों या महिलाओं को बुलाना, बस्तर, वायनाड या मेघालय जैसी जगहों पर रिपोर्टर और कैमरामैन भेजने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है, जहाँ शायद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घट रही हों। यहाँ तक कि रेल दुर्घटनाओं को भी पैनल चर्चा का रूप दे दिया जाता है। कवरेज की आर्थिक रणनीति इस बात को काफी हद तक स्पष्ट करती है कि समाचार रिपोर्टिंग इतनी असंतोषजनक क्यों है।

4

अगर आप अच्छे नहीं बन सकते

कानून लिखित रूप में मौजूद होते हैं; चाहे अच्छे हों या बुरे, वे किताबों में दर्ज होते हैं। प्रशासक (पुलिस सहित) न केवल कानून के दायरे में काम करते हैं बल्कि कानून को लागू और कायम भी रखते हैं। इस कथन को 'आदर्श' या 'सैद्धांतिक' स्थिति कहा जा सकता है। लेकिन, 1980 और 1990 के दशक के पंजाब में, सरकारी अधिकारियों को एक तात्कालिक और खतरनाक समस्या का सामना करना पड़ा—एक राजनीतिक रूप से निर्मित समस्या—और सैद्धांतिक बातें उनके काम नहीं आईं। इसके जवाब में, वे मनमानी करने लगे।

सब कुछ खत्म हो गया। यानी कानून का राज ही खत्म हो गया। 1985 में, मुख्य सचिव, जो एक उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत सज्जन थे, ने पंजाब में घट रही घिनौनी और गंदी वास्तविकता को बड़ी ही नज़ाकत से 'अनौपचारिक' बताया था।

> उस समय पंजाब के मुख्य सचिव रहे एसएस धनोआ ने मुझे बताया कि राज्यपाल के सुरक्षा सलाहकार ने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि सभी संदिग्ध सिखों को बिना मुकदमे के खत्म किया जा सकता है। पूर्व मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि यह कभी भी आधिकारिक नीति नहीं थी।1

यह कहना गलत है कि आधिकारिक नीति और अनौपचारिक नीति रखने की प्रथा पंजाब में 1984 में शुरू हुई। यह भी सच नहीं है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कानून का ढोंग करते हुए भी अराजक और आपराधिक तरीकों का सहारा लेता है। हालांकि, आधिकारिक/अनौपचारिक पाखंड का परिणाम यह है कि पूरी आबादी में व्यापक निराशा फैल जाती है। बहुत जल्द, विधायक, नौकरशाह, पुलिस अधिकारी और आम जनता सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि कानून का शासन लागू होता है, लेकिन केवल तभी जब यह उनके लिए सुविधाजनक हो।

उग्रवाद के दौर में पंजाब पुलिस ने अक्सर कानून के बाहर जाकर कार्रवाई की। पंजाब के एक पूर्व डीजीपी के शब्दों में:

> कुछ पूर्व-कैडर पुलिस प्रमुखों द्वारा पुलिस अधीनस्थों द्वारा सत्ता के ऐसे स्पष्ट दुरुपयोग को दृढ़तापूर्वक रोकने के प्रयासों के संक्षिप्त काल को छोड़कर; उग्रवाद के पूरे दशक और उसके बाद भी आतंकवाद विरोधी अभियानों के नाम पर मुठभेड़, अपहरण और गुमशुदगी राज्य में पसंदीदा विकल्प बने रहे।2

अराजकता पर अंकुश लगाने के बजाय, राज्य के राजनीतिक आकाओं और प्रशासकों ने इसे माफ कर दिया। या, जैसा कि मुख्य सचिव के बयान से स्पष्ट है, इसे प्रोत्साहित किया।

पंजाब में गोलियों की आवाज थमते ही भ्रष्टाचार की दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गाँव-गाँव घूमकर गैर-कानूनी हत्याओं के ज़रिए 'सभी संदिग्ध सिखों' को खत्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा, एक क्षणिक रोमांच ही हो सकता है। लेकिन पैसा कमाना कहीं ज़्यादा स्थायी संतोष देता है। इतना ही नहीं, पैसा कमाना एक ऐसा काम है जो सिर्फ़ पुलिस ही नहीं, बल्कि सभी विभागों

के अधिकारियों के लिए खुला है। जैसे ही पंजाब उग्रवाद के बाद के दौर में पहुँचा, वैधता को लेकर चिंताएँ कतई दूर हो चुकी थीं और यहाँ तक कि स्वभाव से डरपोक अधिकारी भी इस बात से उत्साहित हो गए थे कि 'हर कोई यही कर रहा है'।

अध्याय 2—'उचित प्रक्रिया: पंजाब'—में वर्णित कुछ मामले जबरन वसूली के मामले थे: पीड़ित के खिलाफ मामला दर्ज करना, या मामला दर्ज करने की धमकी देना, और फिर उससे सब कुछ छीन लेना।

आतंकवाद-विरोधी अभियानों का भ्रष्टाचार से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन इसने संभावित परिणामों की धारणा को व्यापक बना दिया। 1984 से 1995 के बीच, सरकारी अधिकारियों की 'अनौपचारिक' शक्ति का व्यापक प्रदर्शन हुआ, और इससे आधिकारिक शक्ति और पद के दुरुपयोग के पीड़ितों का प्रतिरोध कम हो गया। समझदारी इसी में थी कि पुलिस या किसी सरकारी अधिकारी से सीधे टकराव करने के बजाय सर्वोत्तम संभव शर्तों पर बातचीत की जाए।

कानून: इतना शानदार नहीं

जहां तक कानूनी व्यवस्था का सवाल है, धारणा में दो तरह से बदलाव आया। एक ओर, अदालतों के माध्यम से कानून की सुरक्षा प्राप्त करने में जनता का विश्वास कमजोर हो गया। लोगों को डर था कि अगर कभी अदालत ने उनके मामले को स्वीकार किया, तो शायद वे जीवित न रह जाएं और न्याय का लाभ न उठा पाएं। जब आम आदमी को कानूनी सहायता मिलने की संभावना पर गहरा संदेह होता है, तो इसका मतलब है कि हर तरह के भ्रष्टाचारियों, विशेषकर सत्ता में बैठे लोगों के लिए, काम आसान हो जाता है। दूसरा बदलाव यह था कि मुकदमों और अदालतों को मुख्य रूप से प्रतिद्वंद्वियों को निष्क्रिय करने के साधन के रूप में देखा जाने लगा।

इन दोनों धारणाओं ने 'सर्वशक्तिमान' सरकार के विचार को बल दिया और जनता की प्रजा से नागरिक बनने की दिशा में 50 वर्षों की विफलता को प्रदर्शित किया। क्या यह अवधारणा अस्पष्ट है? एक प्रजा संप्रभु के प्रति निष्ठा रखती है और उसके कानूनों द्वारा शासित होती है, चाहे वे तर्कसंगत हों या मनमाने। एक नागरिक समुदाय के प्रति निष्ठा रखता है: 'हम जनता'। लोकतंत्र में, नागरिक स्वयं को सरकार सौंपते हैं (अर्थात् सत्ता जनता में निहित होती है और जनता कानून बनाने में शामिल होती है), और उन्हें अपनी सरकार द्वारा प्रदान किए गए सभी नागरिक अधिकारों और संरक्षणों का आनंद लेने का अधिकार होता है।

अगर हम पीछे मुड़कर देखें और सिर्फ पुलिस पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम देख सकते हैं कि उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई ने ही सत्ता के दुरुपयोग का अवसर प्रदान किया और वहीं से धोखाधड़ी करने की कला तेजी से विकसित हुई और फैल गई।

जीवित रहने से ज्यादा मृत होने पर अधिक मूल्यवान

इसकी शुरुआत इनाम के लालच में की गई हत्याओं से हुई।

नकद पुरस्कार पाने की होड़ पुलिसकर्मियों को भाड़े के सैनिकों में बदल रही है।

सूचीबद्ध आतंकवादियों को मारने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों (इस उद्देश्य के लिए वार्षिक व्यय - आधिकारिक आंकड़ा: 10 करोड़) के अलावा, विभाग गैर-सूचीबद्ध आतंकवादियों को मारने के लिए 'अघोषित पुरस्कार' भी देता है। प्रत्येक सप्ताह विभिन्न श्रेणियों के आईजी अपनी सूचियाँ अतिरिक्त महानिदेशक (खुफिया) एपी शर्मा को भेजते हैं। यह राशि 40,000 डॉलर (1,333 डॉलर) से लेकर 5 लाख डॉलर (16,666 डॉलर) तक

हो सकती है। इस गुप्त कोष के संचालन की जानकारी केवल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों - डीजीपी, खुफिया और संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक और आईजी (अपराध) को ही होती है। यहां तक कि गृह सचिव को भी इससे दूर रखा जाता है। जो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उन्हें कुछ हफ्तों बाद मिटा दिया जाता है।3

तरीका सीधा-सादा था: एक वांछित अपराधी को चुपके से गिरफ्तार करो। फिर उस पर एक के बाद एक हत्याओं का आरोप लगाओ ताकि उसके सिर पर इनाम बढ़ जाए। जब इनाम में और बढ़ोतरी की उम्मीद न हो, तो एक फर्जी मुठभेड़ का नाटक करो और कैदी को गोली मार दो। मुठभेड़ दल का नेतृत्व करने वाला साहसी और चतुर पुलिस अधिकारी इनाम और अक्सर पदोन्नति भी हासिल कर लेता था। अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को भी उनका हिस्सा मिलता था। (जब इनाम निराशाजनक होता था या मिलता नहीं था, तो मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में सच्चाई सामने आ जाती थी।)

समय के साथ, इसमें एक बदलाव लाया गया। चरण 1 और 2 पहले जैसे ही रहे, लेकिन चरण 3 में, नकली मुठभेड़ वास्तव में एक नकली नकली मुठभेड़ थी। पहले की तरह ही पैसे और प्रचार प्राप्त किए गए, लेकिन 'मृत' उग्रवादी एक पूरी तरह से जीवित 'बिल्ली' में बदल गया, जो पुलिस के साथ गई और अन्य लोगों को उग्रवादियों के रूप में पहचाना।

इनमें से कुछ बिल्लियों की सचमुच नौ या उससे भी अधिक जिंदगियां थीं और वे अंततः पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गईं। कभी-कभी वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुर्खियों में आ जाती थीं। इन मामलों में सबसे चर्चित मामला अमृतसर जिले के बुर्ज रायके गांव के हजुरा सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह 'हैप्पी' का था।4

उसे 18 नवंबर 1991 को एसपी (ऑपरेशन) एस. के. सिंह द्वारा अमृतसर से गिरफ्तार किया गया और अवैध हिरासत में रखा गया। 22 नवंबर 1991 को पुलिस ने घोषणा की कि वह एक अन्य आतंकवादी के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जबकि दो अन्य भाग गए। पुलिस ने उसे एक कुख्यात आतंकवादी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का लेफ्टिनेंट जनरल बताया, जो 150 हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों ने 10 लाख रुपये का इनाम प्राप्त किया।

हालांकि, हरप्रीत ने एक अलग ही कहानी बताई: उसने अदालत को बताया कि पुलिस ने उसे गुप्त हिरासत में रखा हुआ है। सितंबर 1992 में, वह चुपके से चेन्नई भाग गया। जुलाई 1995 में वह पंजाब लौटा, अपने माता-पिता से संपर्क किया और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई।

1980 और 1990 के दशक के दौरान आतंकवादियों से जुड़ी फर्जी मुठभेड़ों से लेकर, उग्रवाद के बाद के दौर में लाभकारी पुलिस 'शहादत' को फर्जी तरीके से पेश करने तक का सफर बहुत छोटा था।

निम्नलिखित कहानी सरकारी धोखाधड़ी के बारे में है, लेकिन यह भी दर्शाती है कि एक पिता अपने बच्चे की शिक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है।5

20 अगस्त 2013। पंजाब के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्टाफ ने बताया कि सुखमनी हुंदल को चिकित्सा अध्ययन के लिए स्थान दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें पुष्टि की गई थी कि उनके पिता, वरिष्ठ अधीक्षक राजजीत सिंह हुंदल की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी।

दंगों या आतंकवादी हमलों में मारे गए पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए निर्धारित कोटा योजना के तहत उन्हें यह स्थान दिया गया था।

नए शैक्षणिक वर्ष से पहले आयोजित 'परामर्श सत्र' के दौरान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रमाण पत्र की बारीकी से जांच करने पर इस स्पष्ट धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ।
आगे की जांच से पता चला कि उनके पिता न केवल जीवित थे, बल्कि 'उत्कृष्ट सेवा' के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने के बाद उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा था। वे वर्तमान में पंजाब के तरन तारन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि उनकी मृत्यु की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र इस वर्ष 25 जून को जारी किया गया था और इसे जारी करने वाले रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी हुंदल की 'मृत्यु' को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि उनकी बेटी को कथित धोखाधड़ी की कीमत चुकानी पड़ी है, एसएसपी हुंदल के करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके पुलिस प्रमुख ने द टेलीग्राफ को बताया।

उप महानिरीक्षक एस. परमराज ने कहा, “वे एक प्रतिभाशाली अधिकारी हैं और उन्होंने कई दशकों तक विभाग में सेवा की है। उन्हें हाल ही में मेधावी पुलिस अधिकारी का पदक प्रदान किया गया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों की कोई जांच नहीं की गई है। पुलिस विभाग ने इसे निजी मामला माना है।”

हालांकि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से कुछ फायदे मिल सकते थे, लेकिन इससे कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता था। आतंकवाद विरोधी अभियानों का एक और पहलू था जिसने असली सफलता का रास्ता दिखाया।

फायदेमन्द ज़मीन

टाडा और पोटा के तहत, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी व्यक्ति की संपत्ति और धन को जब्त किया जा सकता था और दोषी पाए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाता था। सामान्यतः, संपत्ति जब्त करने का अधिकार न्यायालय के पास होता था, लेकिन इन दोनों आतंकवाद-विरोधी कानूनों ने पुलिस को संपत्ति जब्त करने का अधिकार प्रदान किया।6
उन दिनों इंडिया टुडे के लिए रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार कंवर संधू ने लिखा:7

पंजाब पुलिस ने अब आतंकवादियों की अवैध संपत्ति के अनौपचारिक संरक्षक की भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। आतंकवादियों के स्वामित्व वाले अधिकांश मकान अब पुलिसकर्मियों द्वारा आधिकारिक या निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

संधू की रिपोर्ट में चार उग्रवादियों की उन संपत्तियों का ज़िक्र था जिन पर पुलिस ने कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया: एक ने इस कार्रवाई को यह कहकर सही ठहराया कि इससे 'लोगों में विश्वास पैदा होता है' और 'जनता डर के मारे इन घरों को खरीदने को तैयार नहीं है', जबकि दूसरे ने स्थिति की तुलना 'दूध के डिब्बे पर बिल्लियों को पहरा देने के लिए मजबूर करने' से की। ये संपत्तियां आकर्षक थीं और इन्हें आसानी से हासिल किया जा सकता था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता था कि इस बात की कोई जांच नहीं की जाएगी कि ये संपत्तियां पुलिस विभाग या विशेष पुलिस अधिकारियों के कब्ज़े में कैसे आईं।

1990 के दशक के अंत तक, उग्रवाद को दबा दिया गया था, जिसका अर्थ था युद्ध में मिली ज़मीनों और घरों को अलविदा कहना। लेकिन जैसा कि नेक आशावादी लोग कहते हैं, 'ईश्वर एक द्वार बंद किए बिना दूसरा द्वार नहीं खोलता।'

पंजाब में 1984 से 1994 के बीच रियल एस्टेट की कीमतों में भारी गिरावट आई थी।

आतंकवाद के अंत के साथ ही ऐसा लगा जैसे कोई कसी हुई स्प्रिंग खुल गई हो। आतंकवाद के बाद के पंजाब में जमीन की कीमतों में तेजी से उछाल आया। पंजाब में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले 138 साल पुराने अंग्रेजी दैनिक 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित जमीन की कीमतों में वृद्धि के एक विश्लेषण में अविश्वसनीय रूप से 300 प्रतिशत की वृद्धि का जिक्र किया गया था।8

आसान लक्ष्य

खूब मुनाफा कमाने के अवसर के चलते, रियल एस्टेट का कारोबार इतना लाभदायक था कि इसे छोड़ना नामुमकिन था। 1984 से 1994 के बीच उग्रवादियों या उनके परिवारों की संपत्तियां (जो स्वयं अवैध रूप से हासिल की गई हों या अवैध कमाई से खरीदी गई हों) निशाने पर थीं, लेकिन उसके बाद जबरन कब्जे के दायरे में आने वाली संपत्तियां किसी भी प्रकार की हो गईं। हालांकि, दो प्रकार के संपत्ति मालिक आसान लक्ष्य थे: एक वे मालिक जिनकी संपत्ति का मालिकाना हक विवादित था और दूसरे वे मालिक जो अनुपस्थित थे। बाद वाले मुख्य रूप से अनिवासी भारतीय (एनआरआई) थे। एनआरआई अनुपस्थित मालिक उग्रवादियों की तरह ही असुरक्षित थे। जब तक उन्हें पता चलता कि क्या हो रहा है, तब तक उनकी जमीन किसी और के कब्जे में आ चुकी होती और सभी जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेज 'ठीक' कर दिए गए होते।

उग्रवाद के दौर में, रिपोर्टिंग मुख्य रूप से पुलिस की आतंकवाद-विरोधी कार्रवाइयों या कभी-कभार सरकार द्वारा जारी नीतिगत बयानों पर केंद्रित थी। उस समय पुलिस और प्रशासकों की कार्रवाइयों तथा विशिष्ट राजनेताओं के हितों के बीच छिपे लाभों का पता लगाने का कोई अवसर नहीं था। जैसे-जैसे उग्रवाद समाप्त हुआ और आतंकवाद से लड़ना कम साहसिक कार्य बन गया, पत्रकारिता की जिज्ञासा उस दिशा में मुड़ गई। रिपोर्टें सामने आने लगीं। इसका एक कारण यह था कि इसमें कई लोग शामिल थे। हर किसी की मिलीभगत के बिना ज़मीन पर कब्ज़ा करना संभव नहीं था: पुलिस बल प्रदान करती थी, राजस्व विभाग के अधिकारी भूमि स्वामित्व अभिलेखों में उचित संशोधन करने के लिए सहयोग करते थे, और राजनेता इन सभी को निर्देशित और संरक्षित करते थे। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर राज़ आसानी से नहीं छिपते।

उग्रवाद के दशक के ठीक बाद के दौर की एक आम हेडलाइन कुछ इस तरह थी: 'भूमि हड़पने के मामले में एसएचओ की संलिप्तता: डीसी ने पुलिसकर्मी को निलंबित किया, डीआईजी ने उसे पद पर बने रहने को कहा'।9 वरिष्ठ नौकरशाह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बीच अनबन: कहानी चाहे जो भी हो, कुछ न कुछ तो सामने आना ही था।

भूमि हड़पने के कई तरीके थे। सबसे सरल तरीका केवल दो चरणों वाला था। पहला चरण: जगह पर कब्जा करना, जमीन जोतना और ताले बदलना। दूसरा चरण: मालिक से संपर्क करना और अतिक्रमण की गई संपत्ति को खरीदने का प्रस्ताव देना। यह जानते हुए कि कब्जाधारियों से अपनी संपत्ति वापस पाने की संभावना बहुत कम है, अनिवासी जो भी प्रस्ताव दिया जाता, उसे स्वीकार कर लेता। सफल हड़पने में शामिल सभी लोगों को हिस्सा मिलता था। अगर मालिक कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता, तो वह कहाँ जाता? पुलिस के पास। उस अधिकारी के पास जो भूमि अभिलेख रखता था।

जब पुलिस ऐसा कहती है

पुलिस अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया कि पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे।10

पंजाब में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) मामलों के प्रभारी महानिरीक्षक गुरप्रीत देव कहते

हैं, 'हमें कई ऐसे मामले मिले हैं जिनमें संगठित गिरोह - जिनमें संपत्ति के सौदागर और शायद कुछ सरकारी राजस्व अधिकारी या पुलिस विभाग के कर्मी शामिल हैं - शामिल हो सकते हैं... वे एक-दूसरे के साथ मिलीभगत से काम करते हैं...'

रियल एस्टेट के कारोबार में हाथ आजमाने के लिए किसी पुलिसकर्मी का आईपीएस होना जरूरी नहीं है: लुधियाना से एक कहानी:11

लुधियाना। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, स्थानीय पुलिस ने आज पूर्व एसएचओ (ट्रैफिक) प्रदीप संधू के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया है। यह मामला एक अनिवासी भारतीय भूपिंदर सिंह की शिकायत पर आधारित है। भूपिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि कुशल साइकिल चालक और पंजाब पुलिस अधिकारी संधू ने उनकी 1,200 वर्ग गज जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। यह कार्रवाई शहर के पुलिस आयुक्त ईश्वर सिंह द्वारा मामले की जांच के बाद की गई है।

भूमि हड़पने और उसमें सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता इतनी व्यापक हो गई थी कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इसे स्वीकार किया। अनिवासी भारतीयों की संपत्तियों की असुरक्षा और पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके शोषण के संयुक्त प्रयासों के बारे में बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कूटनीतिक ढंग से कहा: 'जब तक अनिवासी भारतीय अपनी अचल संपत्ति को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े निवेश नहीं कर सकते।'12

पंजाब में हिंसक संपत्ति विवाद समाचारों का मुख्य विषय हैं, चाहे इसमें कोई अनिवासी शामिल हो या नहीं। इन खबरों में पुलिस की संलिप्तता आम बात है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है:13

अमृतसर, 7 अगस्त 2010। तरन तारन के एक परिवार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि 75 वर्षीय सुबेघ सिंह की पीजीआईएमईआर में पुलिस की यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतक के पुत्र बलदेव सिंह ने बताया कि तरन तारन पुलिस ने उनके पिता को 26 जून को पट्टी सिविल अस्पताल से उठा लिया, जहां उन्हें जमीन विवाद को लेकर हुए हमले के बाद भर्ती कराया गया था, और उन्हें यातनाएं दीं।

बलदेव ने आरोप लगाया कि खेमकरण एसएचओ सुरिंदर सिंह, जो उनके प्रतिद्वंद्वी अजीत सिंह का रिश्तेदार है, उन्हें भूरा करीमपुरा गांव में 12 कनाल 16 मरला कृषि भूमि खाली करने के लिए मजबूर कर रहा था।

बलदेव ने बताया, 'जब हमने विरोध किया और कहा कि हम 33 वर्षों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और इसके वैध मालिक हैं, तो एसएचओ ने हमें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।' उन्होंने कहा कि एसएचओ को अकाली विधायक वीरसा सिंह वाल्टोहा का समर्थन प्राप्त था।

एसएचओ ने इस आरोप से इनकार किया।

भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट सरकारी अधिकारी कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन समय-समय पर उनकी धृष्टता चौंकाने वाली होती है। उग्रवाद के दौर के तुरंत बाद के दशक में, अवैध लाभ के लिए पद का दुरुपयोग और बेशर्मी से दिन दहाड़े चलता रहा। यहां तक कि उग्रवादियों ने भी अंधेरे की आड़ में हमले करने की हिम्मत दिखाई।

पागलो की तरह भोजन करने वाला

लुधियाना का 2012 का एक मामला विस्तार से बताया गया है जिससे पता चलता है कि किस तरह खुलेआम, बल्कि बेशर्मी से संपत्ति हड़पी गई। इसमें किसी का हाथ छिपा नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस में यह कहानी इस प्रकार प्रकाशित हुई:14

2008 में, एक पड़ोसी ने सिएटल निवासी हरदयाल सिंह हुंदल को सूचित किया कि मनिंदरपाल सिंह जोहर उर्फ सनी गुडविल ने लुधियाना के डाउनटाउन स्थित उनके पैतृक घर पर कब्जा कर लिया है। यह घर 2005 से बंद था, उसी साल हुंदल के पिता का निधन हुआ था। जोहर युवा अकाली दल के अध्यक्ष और तत्कालीन अकाली मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के सहयोगी थे।

हुंदल की बहन ने लुधियाना पुलिस में जोहर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कुछ नहीं हुआ। जोहर ने हुंदल के घर की जगह पर एक बहुमंजिला रेस्तरां बना दिया।

2009 में, लुधियाना के उपमंडल मजिस्ट्रेट ने हुंदल की शिकायत की जांच की और उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लुधियाना के उपायुक्त ने भी ऐसा ही किया। इसी बीच, जोहर ने उपायुक्त, नगर निगम के अधिकारियों और एसएसपी के खिलाफ मामले दर्ज किए। उपायुक्त ने अपना फैसला बदल दिया।

इसके बाद हुंदल की बहन ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया जो उसके पक्ष में गया, लेकिन उसे एक झूठे मामले में फंसाकर तीन महीने के लिए जेल भेज दिया गया।

एक रिश्तेदार के माध्यम से हुंदल ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया से संपर्क किया, लेकिन उन्हें जवाब मिला, 'सनी ने बादलों के लिए कई एहसान किए हैं। हम आपको कुछ राहत दिलाएंगे, लेकिन संपत्ति नहीं।'15 मजीठिया उस समय एसएडी के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मंत्रिमंडल में एनआरआई मामलों के मंत्री थे।

और हुंदल को एक और संदेश मिला। यह संदेश जोहर की ओर से था, जिसने कथित तौर पर धमकी देते हुए कहा, 'अगर मैं तुम्हारी संपत्ति हड़पने के लिए लाखों खर्च कर सकता हूं, तो मैं तुम्हें मरवाने के लिए भी पैसे दे सकता हूं।'16

2012 तक जोहर का रेस्तरां खूब फल-फूल रहा था। 24 दिसंबर 2012 की रात को ग्राहकों में पंजाब पुलिस के एआईजी एस.एस. मंड भी शामिल थे। घटना का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन जोहर और उसके कर्मचारियों ने मंड पर हमला कर उन्हें बुरी तरह पीटा। मंड को पैर में फ्रैक्चर के साथ अस्पताल ले जाया गया।

अब मंड के बारे में कुछ बातें। इस घटना से लगभग 12 महीने पहले, पंजाब विधानसभा चुनाव के समय, पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि मंड ने व्यक्तिगत रूप से गुरदासपुर में एक कांग्रेस बागी को 25 लाख रुपये दिए थे। चुनाव आयोग ने जवाब में मंड को तीन महीने के लिए उत्तराखंड में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भेजा।17

अकाली युवा विंग का अध्यक्ष स्पष्ट रूप से अकाली समर्थक पुलिसकर्मी की पिटाई क्यों करेगा? घटना के काफी समय बाद प्रकाशित एक समाचार में जोहर और मांड के बीच संपत्ति व्यापार की प्रतिद्वंद्विता का जिक्र किया गया था।18

मारपीट का मामला कहीं नहीं पहुंचा। एफआईआर में मंड का नाम कहीं नहीं था और जोहर के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किए गए। मंड की टूटी हड्डी ठीक होते ही उन्हें एसएसपी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। दोनों कंधों पर नए-नए स्टार लगवाकर एस.एस. मंड ने ऐलान किया कि उनके पैर में चोट घर में गिरने से लगी थी। रेस्टोरेंट में 'कुछ नहीं हुआ'।19

मांड के साथ उस 'काल्पनिक' झड़प के लगभग 18 महीनों के भीतर, सनी जोहर की 46 वर्ष

की आयु में मृत्यु हो गई। सूत्रों ने इसे आत्महत्या बताया; उनके परिवार ने 'प्राकृतिक कारणों' से मृत्यु होने का दावा किया। यह सच था कि अपने जीवन की अंतिम रात, जोहर एक राजनीतिक रैली में शामिल होने के लिए अमृतसर गए थे, और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया से बात की थी।

परिवार के करीबी कुछ सूत्रों ने बताया कि जोहर ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने अकाली दल के एक मंत्री समेत कई लोगों को दोषी ठहराया था, लेकिन पुलिस ने ऐसे किसी नोट की जानकारी होने से इनकार किया।

एक बयान में, अकाली दल ने उन खबरों का पुरजोर खंडन किया जिनमें कहा गया था कि जोहर मजीठिया के करीबी थे और घोषणा की कि जोहर को बहुत पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया था।20

फरवरी 2017 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और उसके तुरंत बाद पंजाब के एनआरआई आयोग ने हरदयाल सिंह हुंदल के चोरी हुए घर का मामला अपने हाथ में लिया। अगस्त 2017 तक, आयोग ने शिकायत की कि पुलिस ने लुधियाना की एक सिविल अदालत द्वारा मामले में नामजद 19 व्यक्तियों, जिनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं कराए थे। आयोग ने जांच में कई अन्य अनियमितताओं को भी नोट किया और मामले में देरी करने की रणनीति का आरोप लगाया। जांच का आदेश देते हुए आयोग ने कहा, 'जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों और आरोपियों के बीच एक मजबूत सांठगांठ है।'21

तब से इस संबंध में कोई और घटनाक्रम सामने नहीं आया है।

इस बीच, जोहर परिवार रेस्तरां का संचालन जारी रखे हुए है। परिवार के अन्य व्यवसायों में रियल एस्टेट, होटल, परिवहन और रेत खनन शामिल हैं।

स्वर्ण युग का अंत: नयागाँव

उन शुरुआती वर्षों में, अतिक्रमण करने वालों को केवल एक साहसी हृदय और मजबूत राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता होती थी। हालांकि, भूमि हड़पने का यह सुनहरा दौर हमेशा नहीं चल सका। हालांकि आज भी भूमि हड़पने की घटनाएं जारी हैं, लेकिन लगभग 2012 के आसपास, उद्यमी अधिकारियों और उनके राजनीतिक समर्थकों ने सावधानी बरतने की समझ विकसित कर ली। यह एक जटिल और अनपेक्षित तरीके से हुआ। यह है नायगाँव भूमि हड़पने कांड की कहानी।

शायद यह बदलाव काफी समय से पनप रहा था, लेकिन इस बदलाव को 2007 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका से भी जोड़ा जा सकता है।

याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह, जो पंजाब के करोरां गांव (चंडीगढ़ सीमा के ठीक बाहर स्थित) के निवासी हैं, ने अपने गांव में जमीन सौदों की सुरक्षा के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कराने और सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने अदालत को बताया कि पंजाब पुलिस के एडीजीपी संजीव गुप्ता उनकी जमीन हथियाना चाहते हैं और उन्हें बेचने के लिए मजबूर करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार के कई प्रभावशाली अधिकारी लोगों पर अपनी जमीन बेचने के लिए दबाव डाल रहे हैं।22

कुलदीप सिंह ने कहा कि वह इस बात के सबूत जुटा रहे हैं कि पंजाब पुलिस का एक अधिकारी चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में, नयागांव स्थित फॉरेस्ट हिल गोल्फ क्लब के पास, 15 एकड़ के खेत के साथ-साथ एक आलीशान मकान का निर्माण कर रहा है। उन्होंने पंजाब पुलिस के आईजीपी संजीव गुप्ता (आईपीएस) का नाम लिया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राणा

इकबाल सिंह जॉली ने यह जमीन अवैध रूप से खरीदी थी।

बाद में, कुलदीप सिंह ने पीठ को सूचित किया कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हालांकि, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, पीठ ने मामले को खारिज न करने का फैसला किया।

कुलदीप सिंह की याचिका नायगांव भूमि हड़पने मामले की दूसरी कड़ी थी।

विकास संख्या 1 लंबे समय से धीरे-धीरे आकार ले रहा था। चंडीगढ़ के उत्तरी छोर पर स्थित नयागाँव गाँव कई वर्षों से संपत्ति डीलरों को आकर्षित कर रहा था। पंजाब सतर्कता ब्यूरो की एक जाँच में 1990 के दशक तक की घटनाओं का पता चला और पाया गया कि संरक्षित वनभूमि होने के बावजूद गाँव की सार्वजनिक भूमि को विभाजित करने के कई प्रयास किए गए थे। शुरुआत में सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया, लेकिन 1993 में तत्कालीन पटियाला संभागीय आयुक्त सी.एस. श्रीवास्तव ने गलत तरीके से विभाजन को मंजूरी दे दी। उन्होंने राणा इकबाल सिंह जॉली (उस समय एक शराब वितरक), अमृतसर स्थित संपत्ति डीलर हरभजन सिंह कहलों और उनके परिवार के सदस्यों, और खरार के एक पूर्व तहसीलदार के पक्ष में भूमि के उत्परिवर्तन का आदेश दिया। (खरार तहसील चंडीगढ़ से सटी हुई है।) इन नामों को याद रखें; ये कहानी में आगे फिर से सामने आएंगे।23

नायगाँव की अधिकांश भूमि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 के अंतर्गत प्रतिबंधित है, जो इसे वानिकी के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने से रोकता है। लेकिन सार्वजनिक भूमि के कुछ हिस्से बेचे जाने के बाद, नए मालिकों ने पटियाला की राव चोई नामक मौसमी नाले के किनारे की भूमि पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया।

राज्य राजस्व विभाग द्वारा आम भूमि के हिस्से नए मालिकों के नाम पर हस्तांतरित करने से पहले ही, गांव के मूल निवासी इस हस्तांतरण का विरोध कर रहे थे।

2007 के मामले में, कुलदीप सिंह ने उन्हें परेशान करने वाले व्यक्ति का घिनौना चित्रण किया।24 उन्होंने कहा कि आईजीपी संजीव गुप्ता ने:

- पास के सिसवान गांव में जमीन के टुकड़े खरीदे।
- राणा इकबाल सिंह जॉली के कसौली में बन रहे आगामी रिसॉर्ट में निवेश किया।
- चंडीगढ़ के उपनगर पंचकुला में एक घर खरीदा।
- Grabbed the house of NRI Pakhar Singh near Ganna farm in Jalandhar.
- उसने जालंधर के पास कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में उसने स्थानीय धार्मिक डेरा को हस्तांतरित कर दिया।
- गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अमृतसर के बुर्ज गांव के दोषी गैंगस्टर सुखबीर सिंह संधू (जो 2003 से जेल में है) और संधू के परिवार को संरक्षण दिया।
- इस संबंध में, गुप्ता ने गुड़गांव (अब गुरुग्राम) में एक फ्लैट खरीदा था, जहां दोषी की बहन रह रही थी।

आरोपित कुकर्मों की सूची बेहद विस्तृत थी। एक साधारण किसान होने के बावजूद, कुलदीप सिंह को काफी कुछ पता था।

अदालत ने खुदाई शुरू कर दी

अदालत को और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी और उसने तत्कालीन पंजाब एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) शशि कांत को भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के बारे में पूछताछ करने और जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।

इसी बीच, अक्टूबर 2008 में, सतर्कता ब्यूरो (जिसका नेतृत्व उस समय पंजाब पुलिस के आईजीपी सुमेध सिंह सैनी कर रहे थे) ने राणा इकबाल सिंह जॉली (जो उस समय तक कसौली में एक होटल व्यवसायी बन चुके थे) को पास के नाडा नामक गांव में 432 कनाल भूमि के उत्परिवर्तन से संबंधित जालसाजी, धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया।

सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि जॉली को गिरफ्तार करने के बाद, सतर्कता ब्यूरो ने इस आधार पर पुलिस रिमांड नहीं मांगी कि होटल मालिक से बरामद करने के लिए कुछ भी नहीं था। इससे लोगों की भौंहें तन गईं। जॉली की पंजाब पुलिस के आईजीपी संजीव गुप्ता से निकटता जगजाहिर थी और गुप्ता तथा सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख सुमेध सिंह सैनी (गुप्ता के 1982 बैच के साथी) के बीच की भयंकर व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिद्वंद्विता भी किसी से छिपी नहीं थी।25

जब प्रारंभिक रिपोर्ट आई, तो एक क्रोधित न्यायाधीश ने राज्य पर 'मामले को दबाने' और नायगाँव के आसपास की सरकारी और वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की।

अदालत ने एक और जांच का आदेश दिया और इस बार यह काम पंजाब के सेवानिवृत्त डीजीपी चंद्र शेखर को सौंपा। यह रिपोर्ट एक साल के भीतर आई और इसमें 49 बड़े नामों—वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं—के नाम शामिल थे, जो चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में स्थित गांवों की जमीन के बेनामी मालिक थे। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जांच के दौरान पाई गई संपत्तियां राजस्व अभिलेखों से मेल नहीं खाती थीं।26

चंदर शेखर ने पाया कि 49 प्रभावशाली लोगों ने बेनामी सौदों के माध्यम से अवैध रूप से जमीन खरीदी थी। इनमें निम्नलिखित लोग शामिल थे:

- प्रकाश सिंह बादल, अकाली विधायक और मुख्यमंत्री
- पूर्व मुख्य सचिव वी. के. खन्ना (आईएएस)
- Kewal Singh Dhillon, MLA
- एस.एस. विर्क (आईपीएस), पूर्व डी.जी.पी
- Sumedh Singh Saini (IPS), then Director (Vigilance)
- Gurpreet Singh Bhullar (IPS), then Mohali SSP
- सुरिंदर सिंह कैरों, सांसद
- दिवंगत कैप्टन कंवलजीत सिंह, अकाली विधायक और मंत्री, और उनके परिवार के सदस्य

विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे सेवानिवृत्त एसएसपी गुरचरण सिंह फेरुरई के स्वामित्व वाली 25 एकड़ भूमि, जे. एस. केसर सिंह (आईएएस) के स्वामित्व वाली 12 एकड़ भूमि और इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह पिंकी द्वारा धोखाधड़ी से हासिल की गई 5 एकड़ भूमि, जो उस समय हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। ये सभी अवैध संपत्तियां निचली अदालतों में पहले से ही मुकदमे के अधीन थीं।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपनी जांच रिपोर्ट में चंदर शेखर ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा सूचना प्राप्त करने के उनके प्रयासों में हर कदम पर बाधा डाली गई।

राजस्व विभाग को बेनामी संपत्तियों के स्वामित्व/कब्जे की जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन

> विभाग द्वारा इस संबंध में अब तक इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सच्चाई का पता लगाने और राज्य के प्रभावशाली अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए, और साथ ही कुछ राजनेताओं, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों आदि के साथ भूमि माफिया के गठजोड़ की संलिप्तता को देखते हुए, इस जांच को सीबीआई को सौंपना उचित होगा ताकि विभिन्न स्तरों पर दोषियों की पहचान की जा सके और उच्च न्यायालय को एक निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।27

न्यायाधीशों ने रिपोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव को सौंप दी, जिन्हें अप्रैल 2011 में मामले की सुनवाई फिर से शुरू होने पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जाएगा।

असली विवाद

2011 में, एक और याचिका अदालत के समक्ष आई। यह याचिका नायगाँव के गर्जा सिंह द्वारा दायर की गई थी, जो पहले याचिकाकर्ता के भाई थे।28 यह याचिका और भी कड़े शब्दों में लिखी गई थी, जिसमें एडीजीपी संजीव गुप्ता का वर्णन इस प्रकार किया गया था:

> वर्दीधारी भू-माफिया जो अपने काले धन/भ्रष्टाचार के धन को अचल संपत्तियों में निवेश करता है और सेवा में रहते हुए संपत्ति सौदेबाजी का कारोबार करता है, वह एक उपनिवेशवादी है और उसने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्यों में बेनामी संपत्तियों सहित कई संपत्तियां अधिग्रहित की हैं।29

न्यायाधीशों को यह समझने में देर नहीं लगी कि असल में क्या चल रहा था। 31 मई 2016 को जब इस याचिका पर फैसला सुनाया गया, तो वह बेहद तीखा था।30 इसमें कहा गया कि गुप्ता, सैनी के सहपाठी थे और गरजा सिंह को सैनी का प्रतिनिधि बताया गया। इसमें यह भी कहा गया कि जब भी गुप्ता की पदोन्नति का समय आता, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता था। गरजा सिंह की याचिका खारिज कर दी गई और न्यायालय ने घोषणा की कि वह दोनों अधिकारियों के बीच की लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनेगा और न ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए होने देगा।

लेकिन गुप्ता बनाम सैनी विवाद आने वाले खुलासों के आगे फीका पड़ गया। 2012 में, उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के बाहरी इलाकों में स्थित बड़े गांवों में हजारों अवैध भूमि सौदों की जांच के लिए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया।31

चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाले एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक, द ट्रिब्यून ने नवंबर 2013 में 12 भागों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें भूमि हड़पने की प्रक्रिया में हर मोड़ और हर अवैध खरीदार और रिकॉर्ड में हेराफेरी करने वाले हर सूत्रधार का नाम उजागर किया गया था।32

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की रिपोर्ट ने पंजाब विधानसभा को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि जो लोग आम तौर पर खबरों के प्रति उदासीन रहते थे, वे भी इस गड़बड़ी की जड़ को पहचानने और इसके स्रोत को समझने से खुद को रोक नहीं पाए। पंजाब राज्य में कुछ तो गड़बड़ थी।

पंजाब की अकाली सरकार इस घोटाले की बदबू को दूर करने के लिए क्या कर सकती है?

राज्य सरकार ने दोहरी रणनीति अपनाई। पहली रणनीति थी विशेष भूमि न्यायाधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित करवाना। इसके लिए उसने सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों को 1 करोड़ रुपये दिए। यह कदम इस तथ्य के बावजूद उठाया गया कि राज्य सरकार ने उच्च

न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत किया था कि वह न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह न्यायाधिकरण द्वारा पहचाने गए ग्राम सार्वजनिक भूमि पर धोखाधड़ी से कब्जे के मामलों को फिर से खोलेगी।33 इतनी बड़ी रकम देने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रयास विफल रहा।

दूसरा प्रयास न्यायाधिकरण को भंग करना था, और न्यायाधिकरण ने न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को राज्य के हर गाँव को शामिल करते हुए अपनी जाँच का दायरा बढ़ाने का आदेश देकर ऐसा किया। इस बिंदु पर, अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, 81 वर्षीय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया।

एक स्वाभाविक मृत्यु

बहरहाल, जुलाई 2013 के मध्य में, सरकार के लिए अत्यधिक राहत की बात यह थी कि न्यायाधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। इस मामले में, न्यायाधिकरण ने भी कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया। 34

ट्रिब्यूनल के प्रमुख न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से अपना कार्यभार जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की, जबकि इसके दो अन्य सदस्यों बी. एन. गुप्ता और पी. एन. अग्रवाल को न तो उच्च न्यायालय और न ही पंजाब सरकार से इस बारे में कोई सूचना मिली कि उन्हें कार्यभार जारी रखना है या नहीं।

पंजाब सरकार ने अप्रैल 2013 में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपने हलफनामे को चुपचाप वापस ले लिया, जिसमें न्यायाधिकरण की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया गया था। अवैध भूमि सौदों की जांच के लिए दो मंत्रिस्तरीय समितियों का गठन किया गया, लेकिन यह कदम मात्र दिखावटी था; राजस्व विभाग ने कुछ नहीं किया।35

कंक्रीट जंगल

आज, चंडीगढ़ के उत्तर का इलाका, जो कभी मुख्य रूप से संरक्षित वनभूमि हुआ करता था, अब एक अलग ही तरह का जंगल बन गया है, अगर आप आलीशान ऊंची इमारतों को पेड़ों की तरह समझें तो। इसे नया चंडीगढ़ कहा जाता है, जो शहर के अभिजात वर्ग का घर है। पंजाब का वन संरक्षण कानून का जवाब एक विशिष्ट गोल्फ क्लब है।

जब यह घोटाला सामने आया, तब अकाली सरकार का कार्यकाल आधा भी पूरा नहीं हुआ था और आम चुनाव में पार्टी के लिए बमुश्किल एक साल का अंतर था। मई 2014 में जब नतीजे आए, तो लोकसभा में अकाली दल की सीटें 4 पर स्थिर रहीं, कांग्रेस की सीटें 8 से घटकर 4 रह गईं, भाजपा की सीटें 1 से बढ़कर 2 हो गईं और पहली बार चुनाव लड़ रही आम जनता (AAP) को 4 सीटें मिलीं। हालांकि नायगांव भूमि हड़पने का मामला पंजाब के चंडीगढ़ से सटे उस छोटे से हिस्से से ही संबंधित था, लेकिन इसमें कांग्रेस और अकाली दल दोनों के नेता शामिल थे। नतीजों से पता चला कि पूरे राज्य के मतदाताओं ने अकाली दल से मुंह मोड़ लिया और कांग्रेस से तो और भी ज्यादा।

पुलिस की बात करें तो, राजनेता यह नहीं भूल पाए कि यह सारा घोटाला (धोखाधड़ी) किल्केनी के दो पुलिसवालों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाने के कारण ही सबके सामने आया। अंततः सभी—राजनेता, नौकरशाह और पुलिस—ने पुरानी कहावत को दिल से मान लिया: अगर आप अच्छे नहीं बन सकते, तो सावधान रहें।

भूमि हड़पने के खुलासे का यह मतलब नहीं था कि भूमि हड़पना अतीत की बात हो गई थी। जैसे-जैसे नायगाँव के घिनौने विवरण दिन-प्रतिदिन सुर्खियों में आते रहे, अखबारों में ऐसी खबरें भी छपती रहीं जिनमें बताया गया कि राजनेता पुलिस की मदद से ग्रामीणों को धमकाकर उनकी जमीन छीन रहे थे।36

हवा का रुख बदलने लगता है

फिर भी, 2012 तक, हवा का रुख निश्चित रूप से बदल रहा था।

नायगाँव मामला ही एकमात्र ऐसी घटना नहीं थी जिसने सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों को दूसरों की संपत्ति पर हड़पने या उस कानून की अनदेखी करने से पहले सोचने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका पालन करने की उन्होंने शपथ ली थी (और जिसके लिए उन्हें वेतन मिलता था)।

'उचित प्रक्रिया' पर लिखे गए दो अध्यायों में, हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि 2001 और 2002 में पुलिस (और, विस्तार से, सभी सरकारी अधिकारियों) के खिलाफ मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था क्योंकि अदालत एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए समय चाहती थी।

2012 में, जिस वर्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में विशेष न्यायाधिकरण द्वारा खुलेआम भूमि हड़पने के खुलासे की बारीकी से पुष्टि की गई थी, उसी वर्ष पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक और परेशान करने वाला फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति महिंदर सिंह सुल्लर का फैसला आत्मा सिंह भुल्लर और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर 35 याचिकाओं से संबंधित था। न्यायमूर्ति सुल्लर ने फैसला सुनाया कि पंजाब पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने 'कानून को अपने हाथ में लिया' और 'असहाय व्यक्तियों' को उठाकर अवैध रूप से हिरासत में लेने के बाद उनकी हत्या कर दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा:

> धारा 6 लोक सेवकों को झूठे अभियोगों से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान करती प्रतीत होती है। यह धारा न तो किसी दोषी लोक सेवक को हर प्रकार के अवैध कृत्यों और चूकों से सुरक्षा प्रदान करती है और न ही उसे पूरी तरह से बचाती है।
> याचिकाकर्ता-आरोपी न तो संशोधित अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण के पात्र हैं। अतः, उन पर आरोपित जघन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाने हेतु किसी भी प्रकार की कानूनी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
>
> मेरे विचार से, जिन बर्बर कृत्यों की शिकायत की गई है, उन्हें किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि उनका उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से कोई संबंध है।37

बेशक, पंजाब पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील की और एक और स्थगन प्राप्त किया, लेकिन यह केवल चार साल तक ही चला। 2016 तक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से सहमति जताई और जब उन्होंने ऐसा किया, तो 'अभियोजन की अनुमति' का वह आवरण, जिसके तहत पुलिस 20 वर्षों से शरण लिए हुए थी, अंततः छीन लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कथित अपराध उस समय किया गया था जब लोक सेवक आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था, तो उसे अभियोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।38

'अभियोजन की मंजूरी'... इसका असल में क्या मतलब था?

प्रश्न: इस प्रकार की मंजूरी कौन देने वाला था?

ए. सरकार

प्रश्न: सरकार कौन थी?

ए. अंततः, यह संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री पर निर्भर करता था। पुलिस के मामले में, गृह मंत्री (यह पोर्टफोलियो आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास होता है) पर निर्भर करता था।

प्रश्न: वह मंत्री कौन था?

ए. एक निर्वाचित राजनीतिज्ञ

दूसरे शब्दों में कहें तो, आरोप चाहे जो भी हो, सरकारी अधिकारी तब तक पूरी तरह सुरक्षित था जब तक उसे कैबिनेट रैंक के किसी राजनेता या उच्च पदस्थ राजनेता को प्रभावित करने में सक्षम किसी अन्य राजनेता का समर्थन प्राप्त था। मुकदमा चलाने की मंजूरी के बिना कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ता था। मान लीजिए कि आरोपी अधिकारी के कुकर्म स्पष्ट थे और साबित किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी राजनेता ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसका क्या मतलब था? खुद सोचिए।

सामान्य स्थिति में लौटने का लंबा रास्ता

पंजाब में 'सामान्य स्थिति की वापसी' को अक्सर 1997 के आसपास माना जाता है, जब पंजाब विधानसभा के पहले 'सामान्य' चुनाव हुए थे। हमारा तर्क यह है कि सामान्य स्थिति चुपके से 2012 में ही सामने आई, और 2016 में ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अंततः सामान्य स्थिति को 'ठीक है, अब तुम बाहर आ सकते हो' कहा।

इसका यह मतलब नहीं है कि पंजाब में अब सब कुछ साफ-सुथरा और पारदर्शी है।39 भ्रष्टाचार रुका नहीं है। खासकर रियल एस्टेट के मामले में, पुलिस, नौकरशाह और राजनेता आपसी फायदे के लिए धोखेबाजों के साथ मिलीभगत करते रहते हैं। हाल के वर्षों में इस तरह की कुछ बेहद जटिल, फिल्मी कहानियों ने मीडिया का ध्यान खींचा है। ये सभी कहानियां मनोरंजक हैं और बताने लायक हैं। अफसोस, इस लेख को संक्षिप्त और सुव्यवस्थित रखने के लिए, इन्हें किसी और किताब के लिए बचाकर रखना होगा!

देर-सवेर, जब ये कहानियां सामने आती हैं, तो आमतौर पर वही पुरानी कहानी सामने आती है कि 'चोर आपस में झगड़ते हैं'।

वर्ष 1984 को बीते 35 वर्ष हो चुके हैं। क्या पंजाब अंततः उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां कानून के प्रति 'आधिकारिक' सम्मान, कानून के प्रति 'अनौपचारिक' अवमानना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है?

कम से कम अब, घोटाले में पकड़े गए सरकारी अधिकारी को मुकदमे, दोषसिद्धि और सजा का सामना करना पड़ सकता है। जो अधिकारी जानता है कि उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसके अपने से उच्च अधिकारियों या यहां तक कि सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के अपराधों में स्वेच्छा से सहभागिता करने की संभावना कम होती है।

नोट्स

1. टली, 'घाव भर जाते हैं'।

2. ढिल्लों, पहचान और अस्तित्व।
3. संधू, 'पंजाब पुलिस ने अतिक्रमण किया'।
4. डोगरा, 'जिंदा या मुर्दा?'; विनायक, 'आतंकवादियों को भर्ती करने की व्यवस्था'; उच्च न्यायालय संवाददाता, 'जनहित याचिका में नाम मांगे गए'।
5. नेल्सन, 'भारतीय पुलिसकर्मी ने अपनी मौत का नाटक किया'।
6. लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जन संघ, 'पोटा समीक्षा समिति के अध्यक्ष को पत्र', 22 सितंबर 2003। https://pudr.org/letter-chairman-review-committee-pota
7. संधू, 'पंजाब पुलिसकर्मियों ने घरों पर कब्जा किया'।
8. सिंह, 'उपचार से लेकर उपचार तक!

   ट्रिब्यून की पड़ताल से पता चला है कि किसी भी व्यापार या उद्योग क्षेत्र में रियल एस्टेट जैसी तेज़ी नहीं देखी गई है, जिसमें एक साल में औसतन 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। राजमार्गों, मुख्य सड़कों और लुधियाना, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, होशियारपुर और अमृतसर जैसे बड़े शहरों के आसपास स्थित प्रमुख संपत्तियों की कीमतों में और भी तेज़ी से वृद्धि हुई है और पिछले एक साल में यह 500 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हालांकि, कृषि संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि 20 से 30 प्रतिशत के बीच रही।
9. सिंह, 'भूमि हड़पने के मामले में एसएचओ की संलिप्तता'।

   यहां कुमकलान के एसएचओ डोगर राम को भूपना भूमि हड़पने के मामले में उपायुक्त अनुराग अग्रवाल द्वारा निलंबित किए जाने के मुद्दे पर एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि निलंबन का आदेश दिए जाने के दो दिन बाद भी पुलिसकर्मी अपने आधिकारिक पद पर बना हुआ है।

   सूत्रों के अनुसार, पुलिस उप महानिरीक्षक मोहम्मद मुस्तफा द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण एसआई डोगर राम अपने कार्यालय में बने हुए हैं कि पुलिसकर्मी का मामला उपायुक्त के समक्ष उठाया जा रहा है और तब तक वह स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में कार्य करना जारी रख सकते हैं।

   नागरिक प्रशासन सूत्रों ने खुलासा किया कि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की गई मौके पर जांच में पुलिसकर्मी के खिलाफ कर्तव्य में अनियमितता के पर्याप्त सबूत मिले हैं।
10. बीबीसी न्यूज़, 'भारत में भूमि मूल्यों में तेजी से वृद्धि'।
11. द ट्रिब्यून, 'ट्रैफिक एसएचओ पर मामला दर्ज'।
12. विनायक, 'एनआरआई अपनी संपत्ति से ठगे गए'।
13. हिंदुस्तान टाइम्स, 7 अगस्त 2010।
14. एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, 'एनआरआई का घर जबरन ध्वस्त'।
15. वही।
16. वही।
17. टीएनएन, 'ईसी ने मंडल स्थानांतरित किया'।
18. सिंह, 'एनआरआई प्रॉपर्टीज'।
19. सिंह, 'मंड हमला मामला'।
20. डिओगन, 'पूर्व वाईएडी नेता'।
21. सिंह, 'संपत्ति विवाद'।
22. मलिक, 'नयागांव जमीन हड़पने का मामला'।
23. ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, 'होटल मालिक की गिरफ्तारी के एक दिन बाद सतर्कता में नरमी आई'।
24. मलिक, 'नयागांव जमीन हड़पने का मामला'।

25. ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, 'होटल मालिक की गिरफ्तारी के एक दिन बाद सतर्कता में नरमी आई'।
26. ओहरी, 'पंजाब के शीर्ष नेताओं के पास प्रमुख भूमि है'।
27. एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, 'पूर्व डीजीपी ने सांठगांठ का आरोप लगाया'।
28. गर्जा सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य: सीआरएम-एम-25269-2011 (ओ/एम)। https://indiankanoon.org/doc/123376624/; ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, 'एचसी ने नोटिस जारी किया'।
29. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय, गर्जा सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 31 मई 2016। https://indiankanoon.org/doc/123376624/
30. गर्जा सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य: सीआरएम-एम-25269–2011 (ओ/एम)। https://indiankanoon.org/doc/123376624/
31. ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, 'हाई कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई'।
32. ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, 'न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट' (भाग I–XII)
33. सिंह, 'पंजाब ने ₹1 करोड़ का भुगतान किया'।
34. वही।
35. सिंह, 'संदिग्ध पंचायत भूमि सौदे'; कौर, 'उच्च न्यायालय के इशारे पर'।
36. ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, 'ब्यास हत्या'।

न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर ने पूर्व अकाली मंत्रियों और एक पूर्व विधायक के साथ-साथ कुछ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि भूमि मामले में स्थगन आदेशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही क्यों शुरू न की जाए।

The notice has been issued to former minister Sikandar Singh Malooka and his wife, ex-MLA Hari Singh Zira and his son Avtar Singh, besides Kharar DSP Raj Balwinder Singh Marar and ex-MLA Sukhdarshan Singh Marar.

अपनी याचिका में, खुद्दा अली शेर गांव के निवासी गुरमेल सिंह ने आरोप लगाया था कि निचली अदालत के वर्तमान कब्जे में किसी भी तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ आदेशों के बावजूद, प्रतिवादियों ने गुंडों और पुलिस की मदद से चंडीगढ़ के नयागांव-करोराण क्षेत्र में उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा उसे और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने के बार-बार प्रयास करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि अभियुक्त, विशेष रूप से पंजाब में वर्तमान सरकार के करीबी माने जाने वाले लोग, चंडीगढ़ के आसपास जमीनों पर कब्जा करने और भूमि माफिया की तरह काम करने में भी कथित तौर पर शामिल थे।

37. मलिक, 'उच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार किया'।
38. पीटीआई, 'सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं'; देवेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, सीबीआई के माध्यम से, 25 अप्रैल 2016। https://indiankanoon.org/doc/71777130/
39. रंधावा, 'पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारी'।

5

सांस्कृतिक मोर्चे पर

सन् 1960 के दशक में, जब पॉप गानों के लिए रेडियो ही सबसे अहम माध्यम था, तब 'गुआंतानामेरा' नाम का एक गाना अमेरिकी युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय हुआ। गाने के बोल स्पैनिश में थे, इसलिए बहुत कम लोग समझ पाते थे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन यह गाना बच्चों को पसंद था और वे जानते थे कि इसका किसी न किसी तरह से प्रति-संस्कृति की राजनीति से संबंध है। जो युवा ज़्यादा जागरूक थे, उन्हें पता था कि इसका क्यूबा से भी संबंध है। अमेरिकी सरकार के अनुसार क्यूबा एक प्रतिबंधित जगह थी, इसलिए ज़ाहिर है कि क्यूबा को पसंद किया जाना स्वाभाविक था। यही वो समय था जब पहली बार चे ग्वेरा की टी-शर्ट्स बाज़ार में आने लगीं। इनकी बिक्री तुरंत बढ़ गई। कुछ ही खरीदार उस चेहरे को पहचान पाते थे और उससे भी कम लोग उस व्यक्ति के बारे में कुछ बता पाते थे जिसकी तस्वीर उस पर छपी थी... लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों को गाना और टी-शर्ट दोनों एक ही वजह से पसंद आए: बस, वे कूल थे, और कुछ नहीं।

1960 का दशक वह आखिरी समय नहीं था जब अमेरिका में राजनीतिक मूल की वस्तुएं खूब पैसा कमाने का जरिया बनीं। लगभग 10-15 साल पहले, बेदुइन केफियेह किशोरों और 20-25 साल के युवाओं के लिए एक अनिवार्य परिधान था। मेसीज इन्हें बेचता था... चीन में निर्मित। अब, ज़ाहिर है, फैशन का दौर बदल चुका है।

इसका पंजाब में उग्रवाद के बाद के वर्षों से क्या संबंध है?

रेडिकल ठाठ

काफी समय से संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का बोलबाला रहा है। टी-शर्ट, कॉफी मग, की-चेन, कार स्टिकर, फ्रेम वाली तस्वीरें और ऐसी ही कई अन्य वस्तुओं के निर्माताओं ने संत की तस्वीरों के साथ-साथ खालिस्तान और बब्बर खालसा के लोगो और गुरुमुखी लिपि में लिखी लगभग हर चीज की खूब बिक्री की है।

जब इस घटनाक्रम की खबर सबसे पहले 4-5 साल पहले आई थी, तो भारत की विभिन्न राज्य, केंद्रीय और सैन्य खुफिया एजेंसियों के जासूस स्वाभाविक रूप से रोमांचित हो गए थे, क्योंकि इससे उन्हें शोर मचाने के लिए एक और 'आभास' मिल गया था। 2019 तक, दुकानें अभी भी अच्छा कारोबार कर रही हैं, लेकिन अनुमानित गड़बड़ी नहीं हुई है।

उग्रवादी प्रतीकों को लेकर चिंता जताना कितना तर्कसंगत है? खुद से पूछिए... अगर आप किसी हथियारखाने को लूटने या पुलिस स्टेशन को उड़ाने की तैयारी कर रहे होते, तो क्या आप बब्बर का बम्पर स्टिकर या खारकू टी-शर्ट पहनकर घूमते? गेवारा टी-शर्ट और अरबी रुमाल की तरह, यह संभावना नहीं है कि बहुत से खरीदार राज्य को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हों।

अब टी-शर्ट की बात पर आते हैं... भिंडरांवाले की टी-शर्ट की लोकप्रियता में विडंबना का गहरा तड़का लगा है। (विडंबना यह है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल को कमजोर करने के इरादे से संत को आर्थिक मदद दी थी।) लेकिन खरीदारों को आमतौर

पर इस विडंबना का एहसास नहीं होता। लोकप्रियता ही बिक्री तय करती है; लोकप्रियता छवि से तय होती है और छवि देखने के नजरिए से तय होती है—इस मामले में, शहीद के नजरिए से। यह मानना पड़ेगा कि संत की छवि एकदम सटीक है।

और ऑडियो भी एकदम सही है। टी-शर्ट आदि के अलावा, संत के भाषणों की रिकॉर्डिंग की अच्छी बिक्री होती है, जिसका अर्थ है कि संत ने 40 साल पहले जो भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया था, वह आज भी लोगों के दिलों में गूंज रहा है। टेप खरीदने वाले यह सुनना चाहते हैं कि यदि वे स्वयं को शुद्ध कर लें और सच्चे धर्म की ओर लौट आएं, तो नियति उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की ओर ले जाएगी।

संगीत में भी क्रांतिकारी भावनाएं व्यक्त होती हैं। उदाहरण के लिए, जगोवाला जत्था की 'स्ट्रेट आउट्टा खालिस्तान' एल्बम श्रृंखला। पारंपरिक कवि वारण को आधुनिक रूप देकर उसे पंजाबी रैप जैसा बना दिया गया है। प्रोडक्शन का स्तर बेहद परिष्कृत है।1

अगर कैलिफोर्निया में मौसम ठंडा है

भारतीय खरीदारों की फैशन की समझ अक्सर आयातित होती है। पहले विदेशी फैशन को देश में आने में कम से कम एक साल लग जाता था; लेकिन अब इंटरनेट की तेज़ गति के कारण हमें ये चीज़ें उसी दिन मिल जाती हैं। संभवतः, बोल्ड और आकर्षक उत्पादों के प्रति यह आकर्षण विशाल सिख समुदाय के एक वर्ग की पसंद को दर्शाता है।

लेकिन विदेश में रहने वाले सिखों को विद्रोह का यह चलन क्यों आकर्षित करेगा? आइए अमेरिका के बारे में सोचें। वहां एक सिख को किन लोगों का साहसपूर्वक सामना करना पड़ेगा या किन लोगों का विरोध करना होगा? क्या वे हथियारबंद और विक्षिप्त श्वेत पुरुषों का सामना करेंगे? वास्तव में, हथियारबंद और विक्षिप्त श्वेत पुरुष अमेरिका में हर किसी के लिए खतरा हैं, लेकिन सिख शायद विशेष रूप से जोखिम में महसूस करते हैं क्योंकि सामूहिक हत्यारे ही ऐसे लोग होते हैं जो यह सोचते हैं कि पगड़ी और दाढ़ी का मतलब जिहादी है।

सिखों को सरकार के खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं है; अमेरिकी सरकार किसी भी धर्म के आधार पर किसी पर हमला नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति आधी रात को ढोल बजाकर और काले मुर्गे की बलि देकर अपनी आस्था व्यक्त करता है, तो यह न केवल जायज है, बल्कि उसका संवैधानिक अधिकार भी है। कनाडा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में भी यही स्थिति है, जहां बड़ी संख्या में सिख रहते हैं।

दरअसल, विरोध के फैशन की तुलना में मुखरता का फैशन कहीं बेहतर शब्द है। मुखरता में स्वयं और दूसरे दोनों का जुड़ाव निहित होता है। इसका अर्थ किसी विशिष्ट दूसरे के संदर्भ में स्वयं की अभिव्यक्ति हो सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल और काले स्कार्फ और चेल्सी के नीले और सफेद स्कार्फ के बारे में सोचें। यह 'सभी दूसरों' के संदर्भ में स्वयं की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। विज्ञापन में अक्सर किसी चीज़ को 'फैशन स्टेटमेंट' कहा जाता है, दूसरे शब्दों में, एक ऐसा पहनावा जो एक संदेश देता है। नुकीले हुड वाले डरावने सफेद वस्त्र - सीधा संदेश: सभी दूसरों के प्रति हिंसक इरादा।

अगर 'स्वयं' ने खालिस्तान/बब्बर/भिंडरांवाला की टी-शर्ट पहनी है, तो तार्किक रूप से 'अन्य' कौन होगा?

1. भारत सरकार
2. कांग्रेस पार्टी

3. मध्यमपंथी अकाली पार्टी
4. कोई भी व्यक्ति जो खुद को सिख कट्टरपंथी के रूप में नहीं पहचानता है
5. उपरोक्त सभी

अतीत की घटनाओं से हमें जो जानकारी मिलती है, उससे लगता है कि इसका जवाब इनमें से एक या सभी हो सकते हैं, लेकिन लोगों को कोई काम करने के लिए प्रेरित करने वाला तर्क हमेशा स्पष्ट नहीं होता। बहुसांस्कृतिक अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में सिखों के साथ क्या हो रहा है?

काल्पनिक रूप से कहें तो

लेकिन, सिखों को फिलहाल भूल जाइए। चलिए एक काल्पनिक जातीय समूह की कल्पना करते हैं। कीबोर्ड पर कुछ अक्षरों को बेतरतीब ढंग से टाइप करने पर एक ऐसा नाम मिलता है जिसका कोई अर्थपूर्ण निहितार्थ नहीं है: नगापुही। यह काल्पनिक समूह भाषा, संस्कृति, धर्म और रूप-रंग में विशिष्ट है। यदि नगापुही प्रवासियों की संख्या बहुत कम है और वे भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं, तो व्यक्ति के सामने दो विकल्प होंगे: (क) अपने सामाजिक जीवन के लिए अपने आस-पास के लोगों की ओर रुख करना या (ख) अलग-थलग रहना। लेकिन मान लीजिए कि नगापुही लोगों की संख्या और घनत्व इतना पर्याप्त है कि बस्तियाँ बन सकती हैं; कभी-कभी सीमित स्थान के भीतर बस्तियाँ, लेकिन अक्सर सामाजिक बस्तियाँ। कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान सांस्कृतिक रूप से मिश्रित हैं, लेकिन सामाजिक मेलजोल आमतौर पर अन्य नगापुही लोगों के साथ ही होता है।

न्गापुही लोगों की जन्मभूमि में, किसी व्यक्ति को केवल अपना नाम बताना होता था और उसे तुरंत किसी सामाजिक वर्ग में शामिल कर लिया जाता था: उसे अपने आप ही अच्छे या बुरे के रूप में पहचान मिल जाती थी। न्गापुही लोगों के नए घर में उनका नाम अन्य न्गापुही लोगों के अलावा किसी और के लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्हें व्यापक समाज में पहचाने जाने और उससे मान्यता प्राप्त करने की संतुष्टि की कमी खलती है। तो, इसका उपाय क्या है?

न्गापुही लोग अन्य जातीय समूहों का अवलोकन करते हैं और पाते हैं कि कुछ समूहों ने स्वयं को इतनी सफलता से स्थापित किया है कि कुछ क्षेत्रों में वे नवप्रवर्तक बनकर शेष समाज को प्रभावित करते हैं। अमेरिका में, अश्वेत लोग जातीयता के प्रदर्शन में सबसे आगे हैं, उनके बाद हिस्पैनिक लोग आते हैं। दोनों ही समूह अपनी संख्या के कारण आकर्षक बाज़ार हैं, भले ही व्यक्तियों की व्यय योग्य आय कम हो। संयोगवश, जातीय समूहों को लक्षित विज्ञापन समूह के प्रदर्शन को और भी मजबूत करते हैं।

इसी बीच नगापुही परिवार बढ़ते हैं। माता-पिता—पहली पीढ़ी के आप्रवासी जिन्होंने अमेरिका पहुँचने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प दिखाया और फिर सुरक्षा हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया—चिंतित हैं कि उनके बच्चे, जो जन्म से अमेरिकी हैं, कहीं अमेरिकी संस्कृति में ढल न जाएँ। सौभाग्य से, बच्चे बहुत अनुकूलनशील होते हैं और सफल आदर्श को जल्दी अपना लेते हैं। नगापुही संस्कृति में थोड़ा-बहुत बदलाव करते ही, देखते ही देखते कई संगीत वीडियो में से पहला वीडियो आ जाता है, जिसमें किशोर नगापुही रैपर भारी-भरकम चेन और ढीली पैंट पहने नज़र आते हैं। वे चुनौती देते हैं और विरोध करते हैं। वे न केवल प्रमुख संस्कृति का सामना करते हैं, बल्कि अपने माता-पिता की पीढ़ी का भी। फिर भी, शैली इतनी विशिष्ट है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे हावभाव तक, कि यह टकराव स्पष्ट रूप से अलंकारिक है, शाब्दिक नहीं। नगापुही रैपर अपने

माता-पिता से मिली पहचान को प्रदर्शित करता है, लेकिन शैली स्वयं मूल अश्वेत रैपरों की नकल है। रैप से ज़्यादा अमेरिकी और क्या हो सकता है?

जातीय प्रभाव राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन भले ही किसी विशेष वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में नगापुही मतदाताओं की सूची में हावी न हों, समूह चेतना का अस्तित्व ही दृश्यता और प्रभाव की संभावना को बढ़ाता है। दृश्यता के लिए यह बहुत अच्छा है यदि समूह किसी ऐतिहासिक अन्याय के साथ-साथ समकालीन अन्याय का भी शिकार हो। इससे सहानुभूति मिलती है और साथ ही आक्रोश व्यक्त करने और न्यायोचित होने का भाव प्रकट करने की अनुमति भी मिलती है। यह एक ऐसी संस्कृति में तीव्र भावनाओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है जहां भावुक अभिव्यक्ति रोजमर्रा की बात नहीं है। या कम से कम सोशल मीडिया के आगमन से पहले तो यह रोजमर्रा की बात नहीं थी। विदेश में रहने वाले नगापुही यह मानने लग सकते हैं कि अपने देश में नगापुही समुदाय के हितों की रक्षा करना और अपने तृतीय विश्व के समकक्षों को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना उनका कर्तव्य है।

दुनिया आपके साथ हंसती है

जातीय समूहों के सफल प्रदर्शन का एक संकेत यह है कि उनमें एक खास तरह का हास्य उभरता है जो आत्म-व्यंग्य और आत्म-प्रशंसा दोनों को दर्शाता है। यह अवस्था तब आती है जब समूह अंततः सहज महसूस करने लगता है और इस कहावत को अपना लेता है: 'हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी'। जल्द ही, वे उन छोटे-छोटे चुटकुलों को दोहराने लगते हैं जो कभी अन्य जातीय समूहों से जुड़े थे। 'दो ही तरह के लोग होते हैं: एक वो जो नगापुही हैं और दूसरे वो जो नगापुही बनना चाहते हैं'। नगापुही टी-शर्ट्स को भी नहीं भूलना चाहिए। टी-शर्ट से ज़्यादा अमेरिकी और क्या हो सकता है?

हमने राजनीतिक लाभ का जिक्र किया है, लेकिन असल लाभ सामाजिक प्रकृति का है। यह गुमनामी से ऊपर उठने, थोड़ी सी शान हासिल करने, अपनी सांस्कृतिक शर्तों (न्गापुही गौरव) पर आत्म-सम्मान पर जोर देने और व्यक्तित्वहीनता को दूर रखने से मिलने वाली संतुष्टि है।

न्गापुही के स्थान पर किसी भी जातीय समूह का नाम रख दें; प्रक्रिया मूलतः वही रहती है। इस प्रक्रिया का तर्क जानबूझकर या सोची-समझी रणनीति नहीं है, बल्कि भावनात्मक तर्क है। जातीय प्रक्षेपण की प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा समूह की स्मृति का निर्माण है; अक्सर यह स्मृति समूह के विशेष दुखद अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमती है।

इन सब बातों का तात्पर्य किसी विशेष समूह को ऊर्जा और दिशा प्रदान करने वाली स्मृति को कमतर आंकना या नकारना नहीं है, बल्कि यह कहना है कि यह प्रक्रिया जटिल है। यह सत्य है कि स्मृति ऐतिहासिक रूप से वास्तविक है और एक गंभीर प्रतिक्रिया की हकदार है। हम इस बात को स्वीकार करके इसकी वैधता को कम नहीं करते कि यह स्मृति समूह को बहुसांस्कृतिक दुनिया में अपना स्थान बनाने में भी सहायक होती है।

अलग होने का अधिकार

लेकिन भारत में क्या चल रहा है? भिंडरांवाले की टी-शर्ट कौन खरीद रहा है और क्यों?

विदेशों में सिखों की स्थिति भारत में सिखों की स्थिति से भिन्न है। विदेशों में, आत्मसातकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है; वे इस विश्वास के साथ इसके नियमों को तय कर रहे हैं कि वे अपने लिए एक बेहतर स्थान बनाने की क्षमता रखते हैं। भारत में, आत्मसातकरण भी एक

समस्या है, लेकिन वहां का रवैया रक्षात्मक है। आप सिखों से उनके दब जाने, संस्कृति खो देने और शक्तिहीन हो जाने के खतरे के बारे में अवश्य पूछें। फिर मैतेई और भील, कर्नाटक के समृद्ध कूर्गी और सिक्किम के उद्यमी भूटिया, गोवा के डी सिल्वा, डी सूजा और परेरा से पूछें। भारत में कई जनसंख्या समूहों में राष्ट्रवाद की भावना है जो भारतीय राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य से भी पुरानी है। लोग एकरूप नहीं होना चाहते। न भारत में, न श्रीलंका में, न स्कॉटलैंड में।

हाल ही में सिखों को एक ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ा जो राजनीतिक और सैन्य दोनों ही था; दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में सिखों का खून सचमुच बहा था। उन वर्षों की स्मृति को संजोए रखना नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के संघर्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण है; सिख पहचान को स्थापित करने में भी इसका गहरा महत्व है। स्मृति वास्तविक जीवन में उस अनुभव की पुनरावृत्ति और पुरानी गलतियों को दोहराने से भी रोक सकती है। तीस साल बाद, टी-शर्ट एक अच्छा माध्यम साबित हो सकती हैं: बिना किसी को उकसाए, भावनाओं को जगाने का एक तरीका।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय शहरों के फुटपाथों पर बिकने वाली टी-शर्टें केवल भिंडरांवाले की टी-शर्टें ही नहीं हैं। इरोम शर्मिला, बुरहान वानी और किशनजी के चेहरों वाली टी-शर्टें भी खरीदी जा सकती हैं।2 इससे कम से कम टी-शर्टों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भारत अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय लोकतंत्रों की श्रेणी में आ जाता है। मॉस्को के फुटपाथों पर चेचन्या की कितनी टी-शर्टें बिकती हैं? रियाद के फुटपाथों पर हौथी की कितनी टी-शर्टें बिकती हैं?

दिल और दिमाग... और एक्स-बॉक्स

आधुनिक तकनीक से व्यावसायिक उपयोग के कई अवसर मिलते हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्माता और व्यापारी इससे कहीं आगे जा सकते हैं। टी-शर्ट, अनोखी वस्तुएं, ऑडियो टेप... व्यावसायिक उपयोग के लिहाज से ये सभी कम तकनीक वाले उत्पाद हैं। वीडियो गेम के बारे में क्या? निर्माता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शायद जल्द ही पहुंच जाएं।

सिख योद्धाओं के चित्र पहले से ही कुछ वीडियो गेमों में मौजूद हैं, लेकिन ये पंजाब या आम तौर पर भारत में उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। अब तक जो गेम आए हैं, वे पिछली शताब्दियों तक पहुँचते हैं। सिड मीयर के सिविलाइज़ेशन V में, खिलाड़ियों को सिख साम्राज्य, यानी महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य का विकल्प मिलता है। एक जगह मीयर गुरु नानक के इस श्लोक का इस्तेमाल करते हैं: 'व्यापारी आ गए हैं; उनका लाभ पूर्वनिर्धारित है'। एम्पायर टोटल वॉर 18वीं सदी के भारत के स्तर तक पहुँचता है। मुगलों को पार करें, मराठा घुड़सवार सेना से लड़ें और सिख घुड़सवार सेना का सामना करें, साथ ही सिखों के साथ गठबंधन करने का विकल्प भी है। एसैसिन्स क्रीड क्रॉनिकल्स के एक विकल्प में खिलाड़ी को एंग्लो-सिख युद्धों में शामिल किया जाता है। हाल के किसी गेम में 1984 की दर्दनाक वास्तविकता के सबसे करीब हिटमैन 2 आया है। इस गेम का लेआउट स्वर्ण मंदिर के लेआउट से काफी मिलता-जुलता था। ईडोस ने बाद में उस लेवल को हटा दिया; यह ज्ञात नहीं है कि यह किसी की आपत्ति के जवाब में था या बस इसमें मज़ा नहीं आ रहा था।3

वीडियो गेम का यह ज़िक्र न तो मज़ाक है और न ही निराधार। 1 मार्च 2018 को बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ईरान समर्थित शिया सेना हिज़्बुल्लाह ने अपना नवीनतम वीडियो गेम, जिसका शीर्षक है 'पवित्र रक्षा: मातृभूमि और पवित्र स्थलों की रक्षा', लॉन्च किया। यह गेम

हिज़्बुल्लाह के 2016 के बेस्टसेलर 'कॉल ऑफ़ ड्यूटी' का स्पिनऑफ़ है। दोनों ही फर्स्ट-पर्सन शूटर गेम हैं जो सीरियाई संघर्ष में हिज़्बुल्लाह की लड़ाइयों का महिमामंडन करते हैं। इस गेम की कीमत लगभग $5350 है।

खेल की शुरुआत में खिलाड़ी सादे कपड़ों में दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित शिया इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, सैय्यदा ज़ैनब के मकबरे का दौरा करता है। इस मकबरे की रक्षा करना शिया युवाओं को भर्ती करने का एक मुख्य नारा रहा है। मकबरे पर हमला होता है और खिलाड़ी हिज़्बुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के पोस्टर के सामने खड़े हिज़्बुल्लाह लड़ाके के रूप में फिर से प्रकट होता है।

निर्माताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को यह समझाना है कि 'वास्तव में क्या हुआ था और बलिदान देने वाले योद्धा क्या कर रहे थे। एक स्तर पूरा करके अगले स्तर पर जाने के लिए खिलाड़ी को काफी संघर्ष करना पड़ेगा... उसे पता चलेगा कि प्रतिरोध सेनानियों के लिए यह कितना कठिन था।'

यदि संघर्ष जीतने का अर्थ लोगों का दिल और दिमाग जीतना है, तो वीडियो गेम में अपार संभावनाएं हैं। चाहे कोई भी पक्ष हो, प्रेरक केवल अपने दर्शकों से बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदार के रूप में 'भर्ती' करते हैं। वीडियो गेम खेलने वाले युवा होते हैं, वे समकालीन या लगभग समकालीन संदर्भ में निर्मित खेल की यथार्थता से प्रभावित होते हैं। उन्हें डेवलपर्स के पूर्वाग्रह का एहसास होने की संभावना भी कम होती है। एक माध्यम के रूप में, खेल शिकायतों का प्रचार करने के साथ-साथ 'योद्धाओं और शहीदों' के इर्द-गिर्द ग्लैमर और गौरव का माहौल बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। यह खेल हजारों खिलाड़ियों तक पहुंच सकता है। मान लीजिए कि यह अधिकांश खिलाड़ियों के लिए केवल एक खेल है, लेकिन दूसरों के लिए इसे एक 'सच्चा और सार्थक' खेल के रूप में देखा जाएगा, और एक छोटे से अल्पसंख्यक के लिए, यह वास्तविक जीवन का एक विकल्प बन जाएगा। एक भर्ती उपकरण के रूप में, आप और क्या चाहते हैं?4

भारतीय सरकार की खुफिया एजेंसियों के कर्मचारी गंभीर लोग हैं। वीडियो गेम आर्केड और गेम की दुकानों में समय बिताना उनकी शान के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि ऐसे 'आतंकवादी' वीडियो गेम, जिनमें लोगों को प्रभावित करने और संभवत: भर्ती करने के उद्देश्य से सामग्री तैयार की गई है, लाखों युवाओं को खुशी-खुशी व्यस्त रख सकते हैं, इससे पहले कि किसी एजेंसी को उनके अस्तित्व की भनक भी लगे।

फिल्मों में खतरा

पंजाबी सिनेमा ने पिछले कुछ वर्षों में ज़बरदस्त विकास किया है। 2002 तक यह उद्योग मुश्किल से साल में छह फिल्में रिलीज़ करता था, लेकिन अब इसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि लगभग 120 फिल्में बन रही हैं। यानी साल के हर तीसरे दिन एक नई फिल्म। मुनाफा भी शानदार है: ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों का बजट लगभग 4 करोड़ रुपये होता है, और अगर फिल्म को औसत प्रतिक्रिया भी मिले, तो भी औसतन 10 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है। एक औसत पंजाबी फिल्म की शूटिंग सिर्फ 35-40 दिनों में पूरी हो जाती है।

पंजाब में हिंदी फिल्मों की तुलना में पंजाबी फिल्में कहीं कम लोकप्रिय हैं। एक अखबार की रिपोर्ट में चंडीगढ़ के एक सिनेमा हॉल के मैनेजर के हवाले से कहा गया है, 'आशिकी 2 (हिंदी) और लकी दी अनलकी स्टोरी (पंजाबी) एक ही दिन रिलीज हुईं। पंजाबी फिल्म को 22 शो मिले, जबकि हिंदी फिल्म को सिर्फ तीन शो मिले।'5

हाल के वर्षों में, कनाडा पंजाबी फिल्मों की शूटिंग के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है और पंजाबी सिनेमा का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। सभी सफल पंजाबी फिल्मों के राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशी बाजारों से आता है। कई पंजाबी फिल्मों ने विदेशी बाजारों में बॉलीवुड फिल्मों के कुल कलेक्शन को भी पार कर लिया है।6

पंजाबी फिल्म देखने वाले दर्शक भरपूर हास्यप्रद कॉमेडी फिल्में देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। भक्ति फिल्में भी खूब चलती हैं। लेकिन गरीबी और दुखद परिस्थितियों पर आधारित सामाजिक नाटक, उतना नहीं। कभी-कभार कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म भी आ जाती है, लेकिन फिल्म निर्माता खुद रोमांटिक कॉमेडी को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि एक्शन फिल्मों की तुलना में इन्हें बनाना सस्ता होता है, जिनमें स्टंटमैन की जरूरत होती है, सेट उड़ाने पड़ते हैं और बहुत सारा सामान जलाना पड़ता है। एक चीज जिस पर फिल्म निर्माता कंजूसी नहीं कर सकते, वह है संगीत; कई फिल्में सिर्फ अपने संगीत के दम पर ही सफल हो जाती हैं। एक और अनिवार्य चीज है आकर्षक शीर्षक। यदि संभव हो, तो फिल्म के नाम में किसी न किसी रूप में 'जट्टा' शब्द जरूर होना चाहिए।

क्या पंजाबी फिल्म निर्माताओं को गंभीर और अपेक्षाकृत हाल की घटनाओं को दर्शाने वाली 'ऐतिहासिक' फिल्मों के लिए आर्थिक रूप से उपयुक्त स्थान मिलता है?

सिनेमा दर्शक ऐतिहासिक फिल्मों से ऐतिहासिक होने की उम्मीद नहीं करते। अगर फिल्म के पोस्टर पर लिखा हो 'सच्ची कहानी पर आधारित', तो इसका सीधा सा मतलब है कि फिल्म में इतिहास की नीरस परत को फिल्मी क्रीम के ढेर के नीचे दबा दिया गया है। फिल्म निर्माता मनोरंजनकर्ता होते हैं, और दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं की तरह, वे जानते हैं कि उन पर सटीकता की कोई बाध्यता नहीं है। कहानी की तलाश में वे इतिहास का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस की ज़रूरतों के हिसाब से कहानी को मोड़ने की उन्हें पूरी आज़ादी होती है। अगर हम हॉलीवुड की बात करें, न कि पॉलीवुड की, तो हमें मेल गिब्सन द्वारा जीती गई स्टर्लिंग की लड़ाई, जूड लॉ द्वारा जीती गई स्टालिनग्राद की लड़ाई, जेफ डेनियल द्वारा जीती गई गेटिसबर्ग की लड़ाई, ऑरलैंडो ब्लूम द्वारा जीती गई यरूशलेम की लड़ाई, और ऐसी ही कई फिल्में देखने को मिलती हैं।

सशस्त्र प्रतिरोध, चाहे वह विजयी हो या असफल, के विषय के साथ, एक्शन फिल्म की संभावनाएं स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, लेकिन फिल्म निर्माता अंतिम दृश्य में नायक के साथ क्या करता है? विकल्प निराशाजनक हैं।

आम तौर पर सिनेमा देखने वाले, और खासकर पंजाबी सिनेमा देखने वाले, किसी ऐतिहासिक फिल्म को देखने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं करते, जिसमें नायक जीतता है और लड़की को पा लेता है। लेकिन अगर नायक मर जाता है, चाहे कितनी भी शान से, तो उसे कौन देखना चाहेगा?

क्या पंजाब में उग्रवाद के दौर पर बनी कोई ऐसी फिल्में हैं जो इस नियम का अपवाद हों?

हाल के वर्षों में पंजाब और/या दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि पर कई पंजाबी फिल्में और कुछ हिंदी फिल्में बनाई गई हैं। ऐसी फिल्मों का चरम समय 2013-2015 रहा। इन वर्षों में बनी फिल्मों की संख्या इतनी अधिक थी कि खुफिया एजेंसी (आईबी) सतर्क हो गई और मई 2015 में उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस खतरनाक घटनाक्रम के बारे में चेतावनी दी।7

आईबी इस बात से चिंतित थी कि ब्लूस्टार, दिल्ली में 1984 के दंगों और पुलिस की अवैध कार्रवाइयों पर फिल्में बनाई जा रही थीं; उन्होंने उन फिल्मों पर कड़ी आपत्ति जताई जिनमें उग्रवादियों को सिख समुदाय के रक्षक के रूप में चित्रित किया गया था और उन्होंने फिल्मों पर तुरंत और सख्ती से रोक लगाने का समर्थन किया ताकि युवा और आसानी से प्रभावित होने वाले दर्शकों के मन पर फिल्मों का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

बॉक्स ऑफिस से दृश्य

'फिल्म उद्योग' एक स्वीकृत और सटीक शब्द है: किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह, फिल्म बनाने में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है जिसे बॉक्स ऑफिस पर वसूला जाना चाहिए। 1980 और 1990 के दशक के पंजाब/दिल्ली की थीम पर आधारित फिल्मों के कलात्मक गुणों पर चर्चा करने के बजाय, आइए देखें कि उन खतरनाक और चिंताजनक फिल्मों ने व्यावसायिक रूप से कैसा प्रदर्शन किया। हमारी सूची शीर्ष बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से शुरू होकर सबसे कम तक जाती है। तुलना के लिए, आपको याद रखना चाहिए कि 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा थी जिसने विश्व स्तर पर 57 करोड़ रुपये कमाए थे।

2014, पंजाब 1984 (पंजाबी)। निर्देशक: दिलजीत दोसांझ, निर्माता: गुनबीर सिंह सिद्धू और मनमोर्द सिद्धू। करुणा और हास्य का मिश्रण: एक माँ 1984 के दिल्ली दंगों में लापता हुए बेटे की तलाश करती है। सेंसर बोर्ड के नज़रिए से यह कोई विवादित फिल्म नहीं थी। अगर कहीं विरोध हुआ भी तो वह पंजाब में था, जहाँ कई दर्शकों को लगा कि फिल्म केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपना रही है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रभावशाली ₹34 करोड़ रहा।

2013, सादा हक (पंजाबी)। मंदीप बेनीपाल द्वारा निर्देशित, कुलजिंदर सिद्धू द्वारा निर्मित, जो मुख्य अभिनेता भी थे। किस्मत का एक अजीब मोड़ कभी के स्टार हॉकी खिलाड़ी करतार सिंह को उग्रवादी बना देता है। जल्द ही वह जेल में बंद उग्रवादी बन जाता है। महिला मुख्य किरदार एक कनाडाई सिख स्नातक छात्रा है जो युद्ध में अल्पसंख्यकों पर शोध करने के लिए भारत आई है। वह उससे मिलती है और उसका साक्षात्कार लेती है। कहानी उसके शोध के माध्यम से आगे बढ़ती है।

मूल रूप से, फिल्म दिसंबर 2009 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की अस्वीकृति के कारण इसे रोक दिया गया। कुछ कटों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर 2013 में प्रतिबंध हटा लिया गया और 5 अप्रैल 2013 को फिल्म को विश्व स्तर पर रिलीज किया गया। लेकिन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकारों द्वारा खालिस्तान का महिमामंडन करने के आधार पर प्रतिबंध लगाने के कारण फिल्म सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई। फिल्म भारत में कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसने अच्छा प्रदर्शन किया: विश्व स्तर पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 19 करोड़ रुपये रहा।

2017, तूफ़ान सिंह (पंजाबी)। निर्देशक: बघल सिंह, निर्माता: दिलबाग सिंह। केंद्रीय बोर्ड ने 2016 में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में एक समीक्षा समिति ने उसी वर्ष खालिस्तान का महिमामंडन करने के आधार पर प्रमाणन देने से इनकार कर दिया था। फिल्म ने विदेशी बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया। तूफ़ान सिंह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड में रिलीज़ हुई और 17 अगस्त 2017 तक इसने लगभग 11 करोड़ रुपये कमाए थे। यह अभी तक भारत में रिलीज़ नहीं हुई है।

2014 में रिलीज़ हुई फिल्म 'क्वोम दे हीरे' (पंजाबी) का निर्देशन रविंदर रवि ने किया था और इसका निर्माण प्रदीप बंसल, संदीप भल्ला और रमन अग्रवाल ने किया था। यह फिल्म बीअंत

सिंह और सतवंत सिंह के जीवन पर आधारित है, जो स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले अंगरक्षक थे। फिल्म को ब्लूस्टार मुद्दे को गहराई से उठाने के लिए सराहा गया। फिल्म की विषयवस्तु के साथ-साथ सेंसर बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार की संलिप्तता को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। फिल्म को रिलीज़ करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में कुमार को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। फरवरी 2014 में सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ कट-छंट के बाद फिल्म को प्रमाणपत्र मिल गया और उसी साल अगस्त में भारत में रिलीज़ हुई। तमाम विवादों के बावजूद फिल्म को अच्छी संख्या में दर्शक मिलने चाहिए थे, लेकिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चलता है कि फिल्म को कोई खास फायदा नहीं हुआ: कुल कमाई मात्र 8.14 करोड़ रुपये रही।

1996 में आई फिल्म 'माचिस' हिंदी भाषा में बनी थी और पंजाब में आतंकवाद पर बनी यह पहली फिल्म थी। फिल्म का नायक एक सीधा-सादा नौजवान है, जो अपने बचपन के दोस्त, एक निर्दोष व्यक्ति पर हुए अत्याचार से बुरी तरह आहत है। इस घटना से प्रभावित होकर वह आसानी से एक आतंकवादी समूह में भर्ती हो जाता है। इस समूह का रहस्यमय सरगना ही खलनायक है और अंत में जीवित बचे मुख्य किरदारों में से एकमात्र वही है। फिल्म में प्रेम, पीड़ा, आदर्शवाद, मोहभंग और निराशावाद के तत्व हैं, साथ ही गोलीबारी और विस्फोटों पर भी हल्का-फुल्का ध्यान केंद्रित किया गया है। फिल्म की रिलीज के समय, भाजपा के के. आर. मलकानि और सीपीएम के बिप्लब दासगुप्ता ने आपत्ति जताई थी कि इसमें आतंकवादियों को स्पष्ट रूप से बुराई के रूप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कुछ कट के साथ इसे पास कर दिया। फिल्म के मशहूर निर्देशक गुलजार का इस विषय से व्यक्तिगत जुड़ाव रहा होगा। 1950 के दशक की शुरुआत में जब वे किशोर थे और मुंबई आए थे, तब उनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा था और वे मूल रूप से दीना (पश्चिमी पंजाब) के रहने वाले थे। इसे 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और दुनिया भर में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 7 करोड़ रुपये रहा। (आज के समय में यह रकम ज्यादा नहीं लगती, लेकिन उस समय रुपये के मूल्य को देखते हुए, माचिस एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी।)

2003, हवाएं (हिंदी और पंजाबी)। निर्देशक: अम्मतोजे मान और निर्माता: निप्पी धनोआ। दिल्ली दंगों के बाद, दिल्ली के एक संगीत छात्र का जीवन उलट-पुलट हो जाता है। वह और उसकी दादी पंजाब लौट आते हैं, जहाँ और भी मुसीबतें उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। कई उतार-चढ़ावों के बाद अंत में नायक गोलियों की बौछार में शहीद हो जाता है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया था, लेकिन दिल्ली, पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में ये प्रतिबंध हटा दिए गए। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन औसत दर्जे का रहा, जो कि 5.2 करोड़ रुपये था।

2015 में रिलीज़ हुई फिल्म 'इंसाफ दी उदीक: दिल्ली 1984' (पंजाबी) का निर्देशन अशोक गुप्ता ने किया था और निर्माण सुभाष गुप्ता ने किया था। यह फिल्म विभाजन के समय दिल्ली आई एक बुजुर्ग महिला की कहानी के माध्यम से 1984 के दिल्ली दंगों को दर्शाती है। इसमें कांग्रेस नेताओं की निंदनीय भूमिका को उजागर किया गया है। सेंसर बोर्ड ने शुरू में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कुछ दृश्यों में काट-छांट के बाद इसे मंजूरी मिल गई। इसका कुल वैश्विक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.5 करोड़ रुपये रहा।

2015 में रिलीज़ हुई फिल्म 'पट्टा सिंघन दा वैरी' (पंजाबी) का निर्देशन नरेश गर्ग ने किया था और निर्माण पंजाबी लोक गायक राज काकरा ने किया था, जिन्होंने 'क्वोम दे हीरे' भी बनाई थी।

फिल्म फर्जी मुठभेड़ों, पुलिस के अपराधों, राजनीतिक नेताओं की कायरता और अवसरवादिता के इर्द-गिर्द घूमती है। सेंसर बोर्ड ने इसे पास कर दिया, समीक्षकों ने इसकी कड़ी आलोचना की और दर्शक घर पर ही रहे। विश्व स्तर पर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन औसत दर्जे का रहा... लगभग 3.8 करोड़ रुपये।

2015 में रिलीज़ हुई फिल्म 'द मास्टरमाइंड जिन्दा सुखा' (पंजाबी) का निर्देशन सुखजिंदर सिंह शेरा ने किया था और निर्माण सुखचैन सिंह ने। यह फिल्म केसीएफ के हरजिंदर सिंह जिन्दा और सुखदेव सिंह सुखा के जीवन पर आधारित है। इन दोनों ने ऑपरेशन ब्लूस्टार के लगभग दो साल बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य की हत्या कर दी थी। ऑपरेशन ब्लूस्टार के समय वैद्य सशस्त्र बलों के प्रमुख थे। सेंसर बोर्ड ने शुरू में फिल्म को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सितंबर 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बोर्ड को फिल्म की दोबारा जांच करने का निर्देश देने के बाद अनुमति वापस ले ली गई। भारत में प्रतिबंध की घोषणा के तुरंत बाद फिल्म विदेशों में रिलीज़ हुई। फिल्म की निर्माण लागत 2.5 करोड़ रुपये थी, जबकि विदेशों में सिनेमाघरों से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निराशाजनक रूप से 3 करोड़ रुपये रहा।

2015, चौथी कूट (पंजाबी)। गुरविंदर सिंह द्वारा निर्देशित और कार्तिकेय नारायण सिंह द्वारा निर्मित। यह फिल्म दो छोटी कहानियों को एक साथ पिरोती है। एक कहानी एक ग्रामीण परिवार की दुविधा के बारे में है कि भौंकने वाले कुत्तों पर उग्रवादी प्रतिबंध के बाद वे अपने प्यारे पालतू कुत्ते का क्या करें, और दूसरी कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो रात में सुनसान सड़कों पर यात्रा करते हुए रास्ता भटक जाता है। वे किसी घर का दरवाजा खटखटाकर रास्ता पूछने से डरते हैं और घर का मालिक भी दरवाजा खोलने से उतना ही डरता है। ये कहानियां उन यात्रियों के बीच साझा की जाती हैं जो आखिरी यात्री ट्रेन छूट जाने के बाद किसी तरह एक मालगाड़ी में चढ़ जाते हैं। फिल्म ने पंजाबी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में इसकी खूब सराहना हुई, लेकिन पंजाब में इसे दर्शक नहीं मिले। दुनिया भर में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2.5 करोड़ रुपये रहा।

2015, ब्लड स्ट्रीट (पंजाबी)। दर्शन दरवेश द्वारा निर्देशित, कनाडा स्थित जसबीर सिंह बोपराई द्वारा निर्मित। यह फिल्म दिल्ली दंगों और पुलिस अत्याचारों के दौरान सिख परिवारों की पीड़ा को दर्शाती है। फिल्म निर्माताओं को नुकसान हुआ: दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.2 करोड़ रुपये रहा।

2015, कौन करे इंसाफ (पंजाबी)। बलजीत सिंह द्वारा निर्देशित और अवतार सिंह गिल तथा सलींदर सिंह सलींद्रा द्वारा निर्मित। यह फिल्म 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली में घटी घटनाओं पर आधारित थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 40 लाख रुपये कमाए।

इन 11 उग्रवादी थीम वाली फिल्मों के औसत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गणना करने पर यह 9 करोड़ रुपये आता है। आंकड़ों का और करीब से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि तीन फिल्मों ने 34 करोड़ रुपये से 11 करोड़ रुपये के बीच कमाई की; तीन फिल्मों ने लगभग 8 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच; तीन फिल्मों ने 4.5 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच; और तीन फिल्मों ने 3 करोड़ रुपये से कम कमाई की, जो कि निराशाजनक रूप से घटकर 40 लाख रुपये रह गई। वर्ष 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म, एक कॉमेडी फिल्म, ने 57 करोड़ रुपये कमाए।

इससे पता चलता है कि पंजाबी फिल्म देखने वालों ने धार्मिक-राजनीतिक कट्टरता की खुराक पाने के लिए सिनेमा हॉल के दरवाजे नहीं तोड़े। सच कहें तो, उग्रवाद के दौर से पहले भी पंजाबी फिल्म देखने वालों को गंभीर फिल्में पसंद नहीं थीं, और अब भी नहीं हैं। यह कहना मुश्किल है

कि वे भविष्य में कभी इन्हें पसंद करेंगे या नहीं।

बॉक्स ऑफिस के वास्तविक आंकड़े भी हमें यह दिखाते हैं कि सूचना सूचना ब्यूरो और सेंसर बोर्ड को डराना कितना आसान है।

गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया

1984-1994 जैसा उथल-पुथल भरा दशक कई अलग-अलग तरह के कहानीकारों को जगाने वाला था।

संस्मरण लेखकों, जीवनीकारों और आत्मकथा लेखकों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रकाशित पुस्तकों में ऑपरेशन ब्लूस्टार में शामिल सेवानिवृत्त सेना कमांडरों के गैर-काल्पनिक वृत्तांत शामिल थे। उनकी पुस्तकें जून 1984 के पहले सप्ताह से ठीक पहले, उसके दौरान और उसके बाद की घटनाओं पर केंद्रित थीं। इन पुस्तकों में दोहरा संदेश था: भारतीय सेना को अजेय और अपराजेय के रूप में प्रस्तुत करना और साथ ही संयमित और यहां तक कि धार्मिक रूप से भी प्रस्तुत करना।

सैन्य अधिकारियों के ठीक पीछे संपादक और पत्रकार थे। उनका काम ज़्यादातर गैर-काल्पनिक साहित्य था। पहले से प्रकाशित सामग्री से भरे बक्सों के सहारे, उनके लिए किताब तैयार करना झटपट हो जाता था। बस एक ही सावधानी बरतनी पड़ती थी कि समय के साथ शर्मनाक गलतियाँ साबित हो चुकी रचनाओं को हटा दिया जाए।

सरकारी अधिकारी भी तुरंत सक्रिय हो गए। सोमवार को सेवानिवृत्त होते ही मंगलवार से सत्ता के गलियारों के किस्से सुनाना शुरू कर देते थे। इन किताबों से कुछ बेहद रोचक खुलासे हुए। इन खुलासों ने पाठकों को याद दिलाया कि सच्चाई कल्पना से भी कहीं अधिक विचित्र हो सकती है। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, दिवंगत डीजीपी किरपाल ढिल्लों की 'टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट: मेमोयर्स ऑफ अ टॉप कॉप', डीजीपी जूलियो रिबेरो की 'बुलेट फॉर बुलेट: माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर' और आईबी के संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) मलोय कृष्ण धर की 'ओपन सीक्रेट्स: इंडियाज इंटेलिजेंस अनवेल्ड'।

पंजाब और दिल्ली में हुई राजनीतिक साजिशों और हिंसा के झटके की छाया खुशवंत सिंह (सत्य, प्रेम और थोड़ी सी दुर्भावना) और पटवंत सिंह (सपनों और राक्षसों का: आधुनिक भारत का संस्मरण) की आत्मकथाओं में दिखाई देती है।

खालिस्तान समर्थक खेमे से केवल एक ही व्यक्ति का संस्मरण/आत्मकथा/जीवनी प्रकाशित हुई है। यह सिमरनजीत सिंह मान की बेटी पवित कौर द्वारा लिखित 'द स्टोलन इयर्स' है, जिसमें उनके जेल के वर्षों का वृत्तांत है। मान ने भारतीय सरकार का कड़ा विरोध किया, लेकिन साथ ही वे पंजाब के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अभिजात वर्ग से भी संबंध रखते थे। सिमरनजीत सिंह की उग्रता बहुत चरमपंथी हो सकती थी, लेकिन वह केवल मौखिक थी; उन्होंने कभी किसी को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुँचाया।

पाठक अब भी विसीर मेयासेत्सु सान्यू के पंजाबी समकक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना बचपन और किशोरावस्था भारतीय सेना से बचते हुए बिताया और जो आश्चर्यजनक रूप से नागालैंड के जंगलों से निकलकर एक दिल को छू लेने वाली आत्मकथा लिखने में सफल रहा। शायद एक दिन कोई जीवित बचा व्यक्ति, कोई रिहा कैदी, कोई विदेश में बसा भगोड़ा, अपनी नोटबुक खोलेगा और लिखेगा "मैं उनके साथ था..." (मैं उनके साथ था)।

कथा साहित्य का धीमा सफर

साहित्य इतिहास है जिसमें फुटनोट की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि गैर-कथा साहित्य की तुलना में कथा साहित्य का निर्माण आसान और त्वरित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उग्रवाद काल को कथा साहित्य के माध्यम से चित्रित करने वाले लेखकों के प्रकाशन में लंबे अंतराल देखने को मिलते हैं।

इस तरह के संक्षिप्त विवरण में एक के बाद एक कई पुस्तकों की समीक्षाओं का संग्रह उचित नहीं है, लेकिन वर्गीकरण करने में यह सहायक हो सकता है। प्रत्येक पुस्तक की बारीकियों को नज़रअंदाज़ किए बिना यह वर्गीकरण बहुत ही व्यापक रूप से किया गया है, और हम यह गारंटी नहीं देते कि 1984 और उसके बाद के पंजाब/दिल्ली पर आधारित सभी उपन्यास या लघु कथाएँ यहाँ शामिल हैं।

ये हमारी श्रेणियां हैं।

तूफान में फंस जाना। स्वाभाविक रूप से सदमा लगना। इस तरह की कहानियां तबाही के व्यापक दायरे को समेट सकती हैं या उसे सूक्ष्म रूप में चित्रित कर सकती हैं। अजीत कौर की 'वेल ऑफ द ब्लैक ब्रीज' और रूपिंदर सिंह की 'दिल्ली 84' इसी प्रकार की कहानियां हैं। एक और अच्छा उदाहरण जसवंत दीद के संग्रह 'धरती होर परे' में 'निहथा नहीं हां मैं' नामक लघु कहानी है। इसी तरह अजीत राही की 'नदरशाह दी वापसी' भी है। दिल्ली दंगों को एक प्रसिद्ध तमिल उपन्यासकार ने चित्रित किया है। यह वासंथी का उपन्यास 'मौनप्पुयाल' है। (क्या दिल्ली दंगों पर तमिल भाषा में लिखा गया उपन्यास आश्चर्यजनक होना चाहिए? अगर 2004 की सुनामी के बाद तटीय तमिलनाडु में हुई मौत और तबाही पर कोई पंजाबी उपन्यास लिखता, तो क्या वह आश्चर्यजनक होता?)

तूफ़ान के कगार पर। अव्यवस्थित और विनाशकारी परिस्थितियों में भी सामान्य बने रहने का प्रयास करते व्यक्ति। विक्रम कपूर का 1984 का उपन्यास 'द असासिनेशन्स' इस संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठता है।

आपदा के बाद 1. लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को विपरीत वास्तविकता पर थोपने या तर्क और तार्किक सोच को 'पागलपन' भरे परिवेश में फिट करने का संघर्ष। कुलदीप नैयर की 'मैनु हनेरा क्यों नहीं लगदा' और निंदर गिल की 'देशत दे दिनान' इसी श्रेणी में आती हैं। नैयर की किताब अप्रत्याशित थी। लेखक भारतीय पत्रकारिता के दिग्गजों में से एक थे, उन्होंने कभी उपन्यास नहीं लिखा था, हमेशा अंग्रेजी में ही लिखते रहे और 90 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु (2018 में) से चार साल पहले उन्होंने पंजाबी में एक उपन्यास प्रकाशित किया था।

आपदा के बाद 2. आपदा से जूझते हुए एक व्यवहार्य पहचान बनाना/खोजना या क्षतिग्रस्त पहचान को सुधारना। अमनदीप संधू की 'रोल ऑफ ऑनर' एक पहचान की कहानी है। पहचान तेजिंदर सिंह गगन की 'वाह मेरा चेहरा' (हिंदी) का मूल विषय है। वे न तो पंजाब के थे और न ही दिल्ली के; उनका घर विदेश नहीं, बल्कि भारत का छत्तीसगढ़ राज्य था, जहाँ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। 1984 में, सभी सिखों पर संदेह का साया छा गया और अन्य राज्यों में सिखों को निशाना बनाना पंजाब की तुलना में कहीं अधिक आसान था। उनका लेखन उस दौर की उथल-पुथल पर चर्चा करते समय शायद ही कभी सामने आने वाला एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

औचित्य 1. यह उत्पीड़न के सामने पीड़ित होने, पीड़ा सहने और दृढ़ता को दर्शाता है। अजीत कौर की 'ना मारो' इसका सशक्त उदाहरण है, और इसी तरह बूटा सिंह शाद की 'तेरा कीआ मीठा लागे', दर्शन सिंह की 'गैलरी शहीदान' और सिमरजीत कौर की 'सैफ्रॉन साल्वेशन' भी हैं।

औचित्य 2. नायक, अपने समूह या पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में, भयानक कृत्यों या मौन और

निष्क्रियता की शर्म का सामना करता है। दो उदाहरण: जसप्रीत सिंह की हीलियम और कंजीत देओल की ईयर ऑफ द हॉक्स।

जो लोग हर तरह की रचना चाहते हैं, वे विक्रम कपूर द्वारा संपादित पुस्तक "1984: इन मेमोरी एंड इमेजिनेशन" को आजमा सकते हैं। इस पुस्तक में कथा साहित्य और निबंध दोनों शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी में सात बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।

उग्रवाद के दौर में प्रकाशित साहित्य में प्रेरणादायक और सुखद कहानियों की तलाश करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यही बात इसे उपयोगी बनाती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि उस दौर में सब कुछ ठीक नहीं था। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए, यह स्पष्ट है कि भविष्य में इससे भी बदतर या इससे भी बुरा कोई और उग्रवाद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में, यदि हम देश भर में देखें, तो हमें कई ऐसे उग्रवाद दिखाई देते हैं जो काफी समय से जारी हैं।

पूरा भारत उस लेखक का इंतज़ार कर रहा है जो इस सारी दुखद स्थिति को एक ऐसी स्वसहायता पुस्तक में समेट दे जो चिंतित नागरिकों के लिए उपयोगी हो; संभावित शीर्षक: नकारात्मक सोच की शक्ति। लेखक एक ही संदेश पर ज़ोर देगा: 'किसी भी बात को हल्के में न लें। संसद, कानून, पार्टियां, राजनेता, सरकार, अदालतें, कट्टरपंथी, नासमझ लोग, गुंडे, दुष्प्रचारक और दंगा भड़काने वाले अवसरवादियों पर पैनी नज़र रखें। आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है।'

उपसंहार

सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के तराजू पर, एक पलड़े में याद रखना और दूसरे में भूलना, साहित्य ने ही याद रखने वाले पक्ष को सबसे अधिक बल दिया है। आख़िरकार, कहानीकार तो याद रखने वाले ही होते हैं। एक बचकाना और लड़खड़ाता लेखक भी अपने पाठकों की यादों को संजोता है, जबकि एक कुशल और पारखी लेखक इससे आगे बढ़कर अपने पाठकों को अतीत को समझने में मदद करता है। सिनेमा इस मामले में उतना सफल नहीं रहा है। कुछ फिल्म निर्माताओं ने अतीत की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन दर्शकों से उन्हें बहुत कम प्रोत्साहन मिला। वाणिज्य के क्षेत्र की बात करें तो, भले ही बुद्धिजीवी बाज़ार को कितना भी नीचा देखें, सच्चाई यह है कि जटिल कारणों से खरीदार यादों से जुड़ी वस्तुओं पर खर्च करने को तैयार रहते हैं।

नोट्स

1. जगोवाला जत्था: पृष्ठभूमि। https://soundcloud.com/jagowalajatha&hl=en&gl=in&strip=1&vwsrc=0
2. इरोम चानू शर्मिला, भारतीय राज्य मणिपुर की एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और कवयित्री हैं। उन्होंने 5 नवंबर 2000 को भूख हड़ताल शुरू की, जिसे उन्होंने 16 वर्षों के उपवास के बाद 9 अगस्त 2016 को समाप्त किया।

   बुरहान मुजफ्फर वानी कश्मीरी आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। उसने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के जरिए लोकप्रियता हासिल की, जिसने कश्मीर में उग्रवाद की छवि को आधुनिक बनाया और कश्मीरी युवाओं को आकर्षित किया।

   मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी, सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो सदस्य थे, जिन्हें भारत में माओवादी आंदोलन का चेहरा और लालगढ़ आंदोलन का प्रमुख चेहरा माना जाता था। 24 नवंबर 2011 को पश्चिम बंगाल के बुरिशोले के जंगलों में

हुई मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई।

3. http://searchguide.level3.com/search/?q=http%3A//https/www.reddit.com/r/Sikh/comments/31l0zj/video_games_%2520with%2520_sikh_content/%2520%23thing_t1_cq2n5bu&r=&bc=
4. फ्रांस 24, 'नया हिजबुल्लाह वीडियो गेम'।
5. शर्मा, 'फिल्म में जट्ट'।
6. मेहता, 'नए युग के फिल्म निर्माता आशा लाते हैं'।
7. मेल टुडे ब्यूरो, 'खुफिया ब्यूरो ने गृह मंत्रालय को सतर्क किया'।
8. बॉक्स ऑफिस के आंकड़े https://www.the-numbers.com/box-office और https://www.facebook.com/officialpunjabicinemaboxoffice/ से लिए गए हैं।
9. अगर आप 'फोरन' में रहते हैं, यानी भारत की सीमाओं से बाहर किसी देश में, तो समझिए आपकी तो मौज है। भारत के भीतर, आप पंजाब (जिसे 'देश' भी कहा जाता है) या दिल्ली में रह सकते हैं। भारत का कोई भी राज्य जहाँ किसी पंजाबी को स्थानीय भाषा समझने में कठिनाई होती है, वह 'विदेश' कहलाता है। 'विदेश' का अर्थ है परदेसी, लेकिन एक ऐसा परदेसी जो किसी को पसंद न आए। तमिल में एक गीत को 'विदेशी गाना' कहते हैं। 'परदेस' और 'परदेसी' का अर्थ भी परदेसी ही होता है, लेकिन इनमें एक अलग ही आकर्षण और रोमांस झलकता है। कई पंजाबी गीतों में परदेसी का जिक्र होता है, यानी किसी आकर्षक अजनबी का।

6

Khalistan Redux

1990 के दशक के अंत तक हिंसा लगभग शून्य हो गई थी। अगस्त 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या करने वालों को उसी वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुकदमा लगभग 12 वर्षों तक चलता रहा।1

रामराज्य की मुलाकात शेर-ए-पंजाब से हुई

पंजाब में 1997 के विधानसभा चुनाव बिना किसी बहिष्कार या धमकियों के संपन्न हुए। भाजपा, जिसका 1996 के आम चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा था, ने सहयोगी दलों की आवश्यकता महसूस की, जिसका अर्थ था कि उसे अपनी हिंदुत्ववादी नीति में नरमी लानी पड़ी। एसएडी, यह जानते हुए कि उसे 30 प्रतिशत से अधिक वोट मिलने की संभावना नहीं है, ने एक हिंदू पार्टी के साथ हाथ मिलाने में स्पष्ट लाभ देखा। उनके घोषणापत्र में 'रामराज्य और महाराजा रणजीत सिंह के समय जैसी शासन व्यवस्था' का नारा लगाया गया था और चुनाव प्रचार के दौरान उनके उम्मीदवारों ने सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।2

यह वो दौर था जब सिर्फ एक ही गीत सुनने की उम्मीद की जाती थी: खरखरा हार गए, सुपर कॉप जीत गया, जय हो! यह गीत अक्सर राज्य के इतराते और मूंछें लहराते डीजीपी के. पी. एस. गिल खुद गाते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव प्रचार में, जब कांग्रेस उम्मीदवारों को उग्रवाद को दबाने में अपनी पार्टी की भूमिका पर प्रचार करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। शर्लक होम्स की कहानी के उस कुत्ते की तरह जो भौंकता नहीं, 1997 के चुनाव की एक अजीब घटना उग्रवाद पर चुप्पी थी।

मतदान प्रतिशत 68.7 रहा और मतगणना पूरी होने पर प्रकाश सिंह बादल ने एसएडी को 75 सीटों पर जीत दिलाई: यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है और पंजाब के मतदाताओं ने बेहतर भविष्य की कामना की।

शांतिपूर्ण चुनाव, स्थिर सरकार... मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने सोचा कि कानून के शासन को पुनर्जीवित करने का यह सही समय है। पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए एक जन आयोग का गठन किया गया, जिसमें अपहरण, यातना, गैर-न्यायिक हत्या और अवैध सामूहिक दाह संस्कार के आरोपों की जांच की जानी थी।3

सरकार घबरा गई; जन आयोग को रोकना जरूरी हो गया। 11 जून 1998 को चंडीगढ़ पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने चंडीगढ़ की बुराइल जेल के गेट को बम से उड़ाकर बेअंत सिंह के हत्यारों को फरार करने की साजिश को नाकाम कर दिया है। सतनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मिठाई के वेश में प्लास्टिक विस्फोटक जेल में तस्करी करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस कथित साजिश ने कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को फंसाने और गिरफ्तार करने का बहाना प्रदान किया। जो गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें प्रताड़ित किया गया। बुराइल जेल-ब्रेक साजिश मामले में आरोपित अधिकांश लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए और परिणामस्वरूप, उन्हें जमानत नहीं मिली। अंततः, उन्हें बरी कर दिया गया,4 लेकिन

उद्देश्य पूरा हो गया: वे मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक न्यायिक हिरासत में रहे और यातना और धमकियों के माध्यम से उन्हें भविष्य में मानवाधिकार कार्यों से और भी हतोत्साहित किया गया। जन आयोग प्रभावी रूप से पंगु हो गया।

राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही घबराई हुई थीं और लंबे समय तक उनकी घबराहट बनी रही। 5 जैसा कि दो अध्यायों—'कानूनी प्रक्रिया: पंजाब' और 'कानूनी प्रक्रिया: दिल्ली'—में दिखाया गया है, कई मामलों में जघन्य अपराध होने और अदालत में किसी को बरी या दोषी पाए जाने के फैसले के बीच 20 साल से अधिक का समय बीत गया। न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों? क्या यह सिर्फ किसी खास न्यायाधीश के आने और अभियोजन पर लगी रोक हटाने की बात थी? शायद। असल बात यह है कि अदालतों ने राज्य और केंद्र सरकारों को शांत होने और खुद को संभालने के लिए पर्याप्त समय दिया। उन्होंने मामलों को भी मीडिया की नजरों और जनता की याद से ओझल होने के लिए लंबा समय दिया।

सहस्राब्दी विफलताएँ

अगले कुछ वर्षों की घटनाएँ हमें सिखाती हैं कि कुछ भी सरल नहीं है। युद्ध, शांति, दूर की बातें और पास की बातें, घटनाएँ देखने में असंबंधित लगती हैं; वे स्वतंत्र रूप से और अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन, देर-सवेर, वे आपस में उलझ जाती हैं।

शांति। फरवरी 1999 में, मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में राष्ट्रपति नवाज़ शरीफ़ के साथ उर्दू शेरों का आदान-प्रदान कर रहे थे; ऐसा लग रहा था कि शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी जनरल चुपके से भारी तोपखाने को तोलोलिंग की चोटी पर हवाई मार्ग से पहुंचा रहे थे, जो कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ने वाले राजमार्ग के ऊपर स्थित एक ऊँची पहाड़ी है। पाकिस्तान सीमा पार और पहाड़ों में ऊँचाई पर सैनिकों की घुसपैठ करा रहा था।

युद्ध। कारगिल और द्रास के ऊपर पहाड़ों में गोलीबारी मई 1999 में शुरू हुई। स्तब्ध भारतीय सेना ने भारी कीमत चुकाते हुए बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को खदेड़कर ऊंचे दर्रों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। यह सिर्फ घुसपैठ ही नहीं थी... भारत को ठगा हुआ, पीठ में छुरा घोंपा हुआ महसूस हुआ।

दूर-दराज की घटनाओं पर विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विश्लेषकों ने भविष्य का आकलन किया और हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। 1998 में, दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए थे।6 लेकिन अफगानिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा था। अल कायदा के समर्थन से तालिबान अपहरणकर्ताओं ने एयर इंडिया के एक विमान पर कब्जा कर लिया और भारत को अपने तीन आदमियों को रिहा करने के लिए मजबूर करने के लिए कंधार चले गए। 1999-2000 में, ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करेगा, और जब ऐसा हुआ, तो पाकिस्तान का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पाकिस्तान इस शर्त पर सहयोग करेगा कि अमेरिका प्रतिबंध हटाए और भारी धनराशि दे। भारत का काम अमेरिकियों को मनाना और क्लिंटन को यह विश्वास दिलाना था कि पाकिस्तान बहुत पहले ही घोर अंधकार के रास्ते पर चल पड़ा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत के दौरे का निमंत्रण स्वीकार किया—ऐसा करने वाले वे 22 वर्षों में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे—और उनका पांच दिवसीय दौरा 20 मार्च 2000 को शुरू हुआ।

घर के करीब की घटनाएँ। 20 मार्च की रात को, कश्मीर के अनंतनाग जिले के चिट्टीसिंहपुरा

गाँव में पीढ़ियों से रह रहे 36 सिख पुरुषों को उनके घरों से बाहर निकाला गया और बेरहमी से गोली मार दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री एल. के. आडवाणी ने गरजते हुए कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी। इसलिए 25 मार्च को, 7 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने कश्मीर के अनंतनाग जिले के पथरीबल के जंगलों में पाँच 'विदेशी आतंकवादियों' को मार गिराने के लिए एक अभियान चलाया।7 सेना ने दावा किया कि मारे गए लोग चिट्टीसिंहपुरा हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे।

स्थानीय लोगों को पता था कि मारे गए पांचों व्यक्ति (सभी मजदूर और चरवाहे) वास्तव में पथरीबल के आसपास के गांवों के निवासी थे, जिन्हें मुठभेड़ से कुछ दिन पहले सेना द्वारा ले जाया गया था। जब नागरिक गैर-न्यायिक हत्याओं के विरोध में सड़कों पर उतरे, तो ब्राकपोरा में सीआरपीएफ द्वारा आठ अन्य लोगों को गोली मार दी गई। कुल मिलाकर, 15 दिनों के भीतर 49 नागरिक मारे गए।

क्लिंटन स्तब्ध रह गईं। कश्मीर में आक्रोश फैल गया। पथरीबल हत्याकांड को अंजाम देने वाले सैनिकों की पहचान की गई, सीबीआई जांच में उन पर हत्या का आरोप लगाया गया और 14 साल बाद सेना ने उन्हें बरी कर दिया। यह मामला 2017 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और ऐसा लगता है कि यह अनिश्चित काल तक लंबित रहेगा।

शांति। 2000 में पंजाब शांत था। फिर भी, कई सिख डेनमार्क में शरण मांगने के लिए दस्तक दे रहे थे। डेनिश आव्रजन सेवा यह जानना चाहती थी कि इन लोगों की कहानियों पर कितना भरोसा किया जाए, इसलिए उन्होंने जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए पंजाब में एक टीम भेजी।8 डेनिश टीम ने दो सप्ताह तक विदेशी राजनयिक मिशनों के राजनीतिक अधिकारियों से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, पंजाब सरकार के अधिकारियों, पंजाब पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, राजनीतिक असंतुष्टों, वकीलों और न्यायाधीशों, पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों के कार्यकर्ताओं तक विभिन्न लोगों से बातचीत की।

उनकी रिपोर्ट में मुखबिरों के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने पंजाब में उग्रवादी समूहों के लिए किसी प्रकार का समर्थन नहीं देखा और न ही कोई भर्ती हो रही थी। इस बात पर आम सहमति थी कि पंजाब में संघर्ष 1991 में समाप्त हो गया था और तब से कोई सुरक्षा समस्या नहीं हुई थी। साथ ही, उनके कई मुखबिरों ने बताया कि पुलिस और राजनीतिक दलों दोनों का उग्रवाद के डर को जीवित रखने में निहित स्वार्थ था—पुलिस अधिक संसाधनों की मांग के लिए और राजनीतिक दल आर्थिक गतिरोध और लगातार मानवाधिकारों के हनन से जनता का ध्यान भटकाने के लिए।

आघात के बाद का आघात

इस बीच दिल्ली में भारत सरकार अभी भी डगमगा रही थी। आलोचक इस बात पर शोर मचा रहे थे कि 1999 में कारगिल युद्ध में देश हार के कितने करीब आ गया था; सेना और खुफिया एजेंसियां लापरवाह पाई गई थीं। सरकार ने देश के लिए खतरों की समीक्षा करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया। कुछ अधिकारियों को पद से हटाया जाना था। जीओएम की 2001 की रिपोर्ट, 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार',9 में कट्टरपंथी आतंकवाद के खतरे पर विशेष ध्यान दिया गया था। मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा माना गया।

> सऊदी अरब और खाड़ी देशों से मिलने वाले अनुदान से हाल के वर्षों में देश भर में कई नए मदरसे खुल गए हैं, विशेषकर पश्चिम के तटीय क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इनकी संख्या काफी अधिक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों को कट्टरपंथी

विचारधारा में व्यवस्थित रूप से दीक्षित किए जाने की खबरें देश की सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक हैं।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जम्मू और कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में अलगाववादी आंदोलन भारत के खिलाफ एक अखिल इस्लामी आंदोलन में परिवर्तित हो रहे हैं।

अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता ने क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। इससे जिहादी ताकतों के समूहों का भी उदय हुआ है। इन ताकतों का अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक सीमित रहना असंभव है। धार्मिक कट्टरपंथियों के ये गिरोह विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त हैं और विस्तारवादी मंसूबों में लगे हैं। वे भारतीय संघ को तोड़ने के लिए अथक प्रयास करेंगे।

खालिस्तान सरकार ने और अधिक अशांति की संभावना भी देखी और पंजाब की स्थिति पर कड़ी नजर रखना चाहती थी।

कई खालिस्तान समर्थक आतंकवादी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की योजनाओं की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी पंजाब से विध्वंसक प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष (एक मुस्लिम) के रूप में आईएसआई के पूर्व प्रमुख की नियुक्ति पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण इरादों का संकेत है।

मनोफोबिया

विश्व की स्थिति को देखते हुए (तब भी खराब और अब उससे भी बदतर) आतंकवादी हमलों का डर जायज़ था; दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित नहीं था। भारतीय संघ की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर संदेह ब्रिटिश राज की भावनाओं की याद दिलाता था।10 खालिस्तान संकट के पुनरुत्थान के डर के लिए एक नया शब्द गढ़ना पड़ सकता है - सिखफोबिया।

यदि आपको 1980 के दशक के आरंभ में कांग्रेस बनाम अकाली दलों की राजनीतिक समीकरणों की जानकारी नहीं थी, तो 1984 में भी खालिस्तान का खतरा एक पहेली बना हुआ था। मान लीजिए कि पूरे देश का हर एक सिख भारत से अलग होने के पक्ष में था, तो संख्यात्मक रूप से यह किस प्रकार का खतरा था? 1981 में, भारत के प्रत्येक राज्य के सभी सिख, देश की कुल 684 मिलियन जनसंख्या का केवल 1.92 प्रतिशत थे। संख्या के हिसाब से यह लगभग 13 करोड़ बनता है। पंजाब में, जहाँ सिखों की संख्या अधिक थी और जो कुल जनसंख्या का 60.75 प्रतिशत थे, 1981 में उनकी कुल संख्या केवल 1.02 करोड़ थी। 2000 में, भारत की जनसंख्या 1 अरब के पार हो गई; इनमें से 80 करोड़ लोग हिंदू थे। जब किसी समूह की संख्या 80 करोड़ हो जाती है, तो उस समूह के व्यक्तियों को अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करना चाहिए।

सहस्राब्दी की शुरुआत में, खालिस्तान की वापसी की अस्पष्ट बातें बेतुकी लगती थीं। फिर भी राजनीतिक नेता, सैन्य और पुलिस अधिकारी, और यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से लिखने वाले लेखक भी यही दावा करते थे कि उन्हें बब्बर मधुमक्खियों की आहट सुनाई दे रही है। खालिस्तान की चेतावनी आज भी जारी है।

दरअसल, लगभग 2001 से ही खालिस्तान के बारे में गंभीर चेतावनियाँ लगातार आती रहीं: सुर्खियों में खालिस्तान को पुनर्जीवित करने के प्रयासों, विदेशों में स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों, विदेशों में रहने वाले सिखों द्वारा वित्त पोषित खालिस्तानी आतंकवादियों,

पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रायोजित खालिस्तानी आतंकवादियों और सिखों को पाकिस्तान की भारत विरोधी योजनाओं का एक प्रमुख स्तंभ बताने की बात कही गई।

लेकिन पंजाब में खालिस्तान समर्थक भावना कहाँ थी? यहाँ तक कि पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा सिखों का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुँचाने की योजना का विचार भी पंजाब में रहने वाले लोगों को बेतुका लगता था। खासकर पाकिस्तान सेना के किसी गुट द्वारा इस तरह की साजिश रचने वाली बात। एक पाकिस्तानी जनरल सोते समय किस तरह के सिखों की कल्पना करेगा? शायद जनरल राजिंदर सिंह स्पैरो को जोजी ला पर विजय प्राप्त करते या फिलोरा में 67 पैटन टैंकों को नष्ट करते हुए? या जनरल हरबख्श सिंह को रावी नदी पार करके सीधे सियालकोट की ओर बढ़ते हुए? या जनरल गुरबख्श सिंह को असल उत्तर में गन्ने के खेतों में पानी भरकर कीचड़ में फँसे पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाते हुए?

20 साल की वापसी की राह

पंजाब में रहने वाले लोगों का मानना था कि खालिस्तान का निर्माण 1991 या 1992 तक पूरा हो चुका था।11

1997 के पंजाब विधानसभा चुनाव या 1998 और 1999 के आम चुनावों के दौरान उग्रवाद की कोई समस्या नहीं उठी। लेकिन अगर हम 2000 के बाद से अखबारों की रिपोर्टों को देखें, तो क्या हमें खालिस्तान के बारे में कुछ मिलता है? जी हाँ, मिलता है और यहाँ हमने उनमें से कुछ को कालक्रमानुसार सूचीबद्ध किया है:

2000	Gaurav Vivek Bhatnagar. 'Concern Over Revival of Terrorism'. *The Hindu*, 21 October 2000. https://www.thehindu.com/thehindu/2000/10/21/stories/14212188.htm
2001	K. P. Nayar. 'Pak Man in Khalistan Funds Net'. *The Telegraph*, 21 December 2001. https://www.telegraphindia.com/india/pak-man-in-khalistan-funds-net/cid/747486
2002	The Hindu Correspondent. 'Terrorists' Plan Foiled'. *The Hindu*, 8 April 2002. https://www.thehindu.com/thehindu/2002/04/08/
2003	The Hindu Correspondent. 'Bid to Revive Khalistan Movement: Gill'. *The Hindu*, 9 June 2003. https://www.thehindu.com/thehindu/2003/06/09/stories/2003060901750300.htm
2004	Staff Reporter. 'Two Khalistan Militants Gunned Down in Encounter'. *The Hindu*, 30 April 2004. https://www.thehindu.com/2004/04/30/stories/2004043006490300.htm
2005	Rajesh Deol. 'Cry for Khalistan Again'. *Deccan Herald*, 5 January 2005. http://www.sikhtimes.com/news_011805b.html
2006	PTI. 'Police Say KZF Behind Jalandhar Blasts'. *Indian Express*, 19 June 2006. http://archive.indianexpress.com/news/-kzf-behind-jalandhar-blasts-/6802/
2007	Ajai Sahni. 'Terror in The Wings'. Outlook, 25 June 2007. https://www.outlookindia.com/website/story/terror-in-the-wings/234926
2008	PTI. 'Attempts on to Revive Terrorism in Punjab: Cops'. Rediff.com, 6 June 2008. https://www.rediff.com/news/2008/jun/06sikh.htm
	Dinesh K. Sharma. 'Punjab Police Sniff Out Major KCF Plan to Kill Dera Chief'. *Times of India*, 9 November 2008. https://timesofindia.indiatimes.com/india/Punjab-police-sniff-out-major-KCF-plan-to-kill-Dera-chief/articleshow/3690452.cms
2009	Nishit Dholabhai. 'Delhi Vigilant on Khalistan'. *The Telegraph*, 12 June 2009. https://www.telegraphindia.com/india/delhi-vigilant-on-khalistan/cid/617367
2010	Jangveer Singh. 'Sikh Ultras May Target Delhi Games'. *The Tribune*, 24 July 2010. https://www.tribuneindia.com/2010/20100724/main6.htm
2011	Asit Jolly. 'Pakistan's Plan for Khalistan'. *India Today*, 14 November 2011. https://smedia2.intoday.in/indiatoday/cover-story-punjab-militancy-pakistan-plan-for-khalistan.pdf
2012	PTI. 'Massive Fund Raising Campaign in West by Separatist Sikh Organisations'. BusinessLine, 7 October 2012. https://www.thehindubusinessline.com/news/Massive-fund-raising-campaign-in-West-by-separatist-Sikh-organisations/article20511552.ece
2013	IANS. 'Ominous Signs of Revival of Sikh Militancy: Security Agencies on Alert'. *IANS*, 4 September 2013. https://www.newsbharati.com/Encyc/2013/9/4/Ominous-signs-of-revival-of-Sikh-militancy-Security-agencies-on-alert.amp.html
2014	*City Air News*. 'Joint Terrorist Module of Khalistan Zindabad Force and Khalistan Liberation Force Busted'. *City Air News*, 4 August 2014. https://cityairnews.com/content/joint-terrorist-module-khalistan-zindabad-force-kzf-khalistan-liberation-force-klf-busted

2015	Seema Mustafa. 'Governments Cower as Bhindranwale Re-emerges'. *The Citizen*, 7 June 2015. https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/1/3914/GOVERNMENTS-COWER-AS-BHINDRANWALE-RE-EMERGES
	Express News Service. 'Congress is Anti-national, Derecognise It, Says Sukhbir Badal'. *The Indian Express*, 22 November 2015. https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/congress-anti-national-party-should-be-derecognised-for-encouraging-secessionists-sukhbir-badal/
	Rajendra Khatry. 'Is Sikh Radicalism Riding on Politics to Make a Comeback in Punjab?' *First Post*, 24 November 2015. https://www.firstpost.com/politics/is-sikh-radicalism-riding-on-politics-to-make-a-comeback-in-punjab-2519590.html
2016	Rohan Dua. 'Former CBI Chief Warns Against Growing Pro-Khalistan Support'. *Times of India*, 24 August 2016. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Khalistan-terror-camp-in-Canadaplotting-attacks-in-Punjab-India-to-Trudeau-govt/articleshow/52495693.cms
	Rohan Dua. 'Khalistan Terror Camp in Canada Plotting Attacks in Punjab: India to Trudeau Govt'. *Times of India*, 30 May 2016. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Khalistan-terror-camp-in-Canadaplotting-attacks-in-Punjab-India-to-Trudeau-govt/articleshow/52495693.cms
	Sandipan Sharma. 'Ahead of Punjab Elections, Pro-Khalistan Elements Make Desperate Bid to Stay Relevant'. *First Post*, 6 June 2016. https://www.firstpost.com/politics/ahead-of-punjab-elections-pro-khalistan-elements-make-desperate-bid-to-stay-relevant-2819004.html
2017	ANI. 'Punjab Police Bust Terror Module under "Khalistan Zindabad" banner'. *Outlook*, 30 May 2017. https://www.outlookindia.com/newsscroll/punjab-police-bust-terror-module-under-khalistan-zindabad-banner/1063786
	Asit Jolly. 'How Punjab is Threatened by Revival of Khalistan Movement, Considered Defeated in 1990s'. *India Today*, 26 June 2017. https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/20170626-khalistan-punjab-terrorism-extremist-sikh-outfits-986585-2017-06-19&hl=en&gl=in&strip=1&vwsrc=0
	PTI. 'ISI Trying to Revive Khalistan Movement: Govt'. *Outlook*, 27 December 2017. https://www.outlookindia.com/newsscroll/isi-trying-to-revive-khalistan-movement-govt/1218062

2018	Namrata Biji Ahuja. 'Red Alert or Red Herring: How Real is the Threat of Sikh Militancy? *The Week*, 22 March 2018. https://www.theweek.in/news/india/2018/03/22/sikh-militancy-threat-isi-pakistan-khalistan-punjab.html
	Ruchika M. Khanna. 'Centre Alerts State on Efforts to Revive Khalistan Movement'. *The Tribune*, 3 September 2018. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/centre-alerts-state-on-efforts-to-revive-khalistan-movement/646871.html
	Anju Agnihotri Chaba. 'Jalandhar Blast: Pro-Khalistan Group Claims Responsibility for Explosions'. *Indian Express*, 16 September 2018. https://indianexpress.com/article/india/jalandhar-blast-pro-khalistan-group-claims-responsibility-for-explosions-5358492/
	Tribune News Service. 'Police: Pro-Khalistan Modules "Active" in UP'. *The Tribune*, 18 October 2018. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/police-pro-khalistan-modules-active-in-up/669870.html
	PTI. 'Bid to Revive Insurgency in Punjab Through "External linkages": Army Chief Bipin Rawat'. *Hindustan Times*, 3 November 2018. https://www.hindustantimes.com/india-news/bid-to-revive-insurgency-in-punjab-through-external-linkages-army-chief-bipin-rawat/story-i5kCpBubcNJJZqJrUuoGBK.html
	FP Staff. 'Amritsar Grenade Attack: Theories Abound About Possible Hand of Pakistan's ISI, Khalistan Hardliners'. *First Post*, 19 November 2018. https://www.firstpost.com/india/amritsar-grenade-attack-theories-abound-about-possible-hand-of-pakistans-isi-khalistan-hardliners-5576021.html
	Rachna Khaira. 'For Punjab Govt, Amritsar Blast is Proof that Demand for Khalistan Never Died'. *Huffington Post*, 22 November 2018. https://www.huffingtonpost.in/2018/11/22/for-punjab-govt-amritsar-blast-is-proof-that-demand-for-khalistan-never-died_a_23596614/
	ANI. 'Pakistan's Plot to Back Khalistan Movement Exposed'. *Business Standard*, 18 December 2018. https://www.business-standard.com/article/news-ani/pakistan-s-plot-to-back-khalistan-movement-exposed-118121800593_1.html
	PTI. 'Govt Bans Khalistan Liberation Force'. *The Economic Times*, 27 December 2018. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/govt-bans-khalistan-liberation-force/articleshow/67275538.cms
	Manjeet Sehgal. 'US-Based Pro-Khalistan Group Seeks Pakistan's Support for Anti-India Campaign'. *India Today*, 18 December 2018. https://www.indiatoday.in/india/story/us-based-pro-khalistani-group-seeks-pakistan-s-support-for-anti-india-campaign-1412215-2018-12-18&hl=en&gl=in&strip=1&vwsrc=0

2019	Staff News. 'Centre Says It Cracked Down on 18 Khalistani Terror Modules, Arrested 95 Suspects Over Two Years'. *Scroll.in*, 2 January 2019. https://scroll.in/latest/907935/centre-says-it-cracked-down-on-18-khalistani-terror-modules-arrested-95-suspects-over-two-years
	PTI. 'Efforts to Revive Khalistan-Linked Terrorism in Punjab'. *The Economic Times*, 12 February 2019. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/efforts-to-revive-khalistan-linked-terrorism-in-punjab/articleshow/67958238.cms?from=mdr
	ANI. 'India Slams "Referendum 2020", Says It Tantamount to Separatism. *ANI News*, 16 March 2019. https://www.aninews.in/news/world/asia/india-slams-referendum-2020-says-it-tantamounts-to-separatism20190316170557/

पता चला है कि हम 2000 से लेकर वर्तमान तक किसी भी वर्ष में खोज कर खालिस्तान से जुड़ी खबरें पा सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में, नई सामग्री धीरे-धीरे पुरानी सामग्री को हटा देती है, और शायद यही कारण है कि जैसे-जैसे वर्ष वर्तमान के करीब आता है, खालिस्तान से जुड़ी खबरें बढ़ती जाती हैं। वर्ष 2018 में खालिस्तान को लेकर कई चेतावनियां सामने आईं - जो चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए बिल्कुल सही समय था।

इन कहानियों में सात मूलभूत विषय हैं:

- 'खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया/गोली मारकर हत्या कर दी गई'
- 'हमले के पीछे खालिस्तानी'
- 'खालिस्तानी साजिश नाकाम'
- 'Pakistan/ISI reviving Khalistan'
- 'खालिस्तानी हिज्ब/लश्कर/तहरीक/हरकत/आदि के साथ हाथ मिला रहे हैं।'
- 'खुफिया एजेंसियों/सेना प्रमुख/मंत्री ने चेतावनी दी'
- 'प्रवासी सिख खालिस्तानियों को हथियार/वित्तपोषण दे रहे हैं, या किसी अन्य प्रकार से परेशानी पैदा कर रहे हैं'

किस पर विश्वास करें?

'अरे! आपका वज़न कम हो गया!' जैसे छोटे-मोटे झूठे दावों को छोड़कर, लोगों को झूठ सुनना पसंद नहीं होता। याद है हमने अपनी काल्पनिक आत्म-सहायता पुस्तक में जो सबक दिया था? वो पंक्ति कि 'आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है?' यही बात तब भी लागू होती है जब आप पर आने वाली सारी जानकारी का आकलन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें से कुछ सच होती है, कुछ झूठ, और बहुत सी जानकारी किसी छिपे हुए मकसद से दी जाती है। अगला सबक ये है: 'विश्वसनीय जानकारी को अलग करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है।'

एक ज़माना था जब लोग मानते थे कि अगर उन्होंने अखबार में कोई बात पढ़ी है तो वह सच है। आज अखबार एक पुराने और सरल युग की निशानी बनकर रह गए हैं। जो लोग 'अखबार' का मतलब जानते हैं, वे शायद 'डॉली', 'फ्लॉपी डिस्क', 'घड़ी की डंडी' और 'कैरोम बोर्ड' का भी

मतलब जानते होंगे। पिछले 20 सालों में किसी भी माध्यम से प्रकाशित खबरों की निष्पक्ष विश्वसनीयता पर भरोसा काफी कमज़ोर हो गया है। स्मार्टफोन ऐप्स द्वारा दी जाने वाली दो वाक्यों की हेडलाइन या इंटरनेट पर उपलब्ध दो पैराग्राफ की खबरें भी अखबारों में छपी खबरों जैसी 'प्रमाणीकरण' और गहन जानकारी नहीं देतीं। यकीन मानिए या न मानिए, कुछ पुरानी छपी खबरें हज़ार शब्दों तक लंबी हो सकती थीं। आज पाठक/दर्शक जानते हैं कि वे फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं और तोड़-मरोड़ का शिकार हैं, और उन्होंने 'कोम्प्रोमैट' जैसे उपयोगी विदेशी शब्द भी सीख लिए हैं।

चलिए इंटरनेट से ली गई खबरों की सूची पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि आप केवल उन्हीं खबरों को पढ़ते हैं जिनमें किसी नामित व्यक्ति की गिरफ्तारी का जिक्र है। यह एक ऐसी खबर होगी जिसमें कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे जैसी सभी बातें स्पष्ट रूप से बताई गई होंगी; यह काफी विश्वसनीय होनी चाहिए, है ना? लेकिन इसके बाद कोई अनुवर्ती खबर नहीं आती, यानी ऐसी खबर जिसका शीर्षक कुछ इस तरह हो: 'कथित आतंकवादी को हिरासत में लिया गया... /आरोप लगाया गया... /मुकदमे के लिए पेश किया गया... /दोषी पाया गया... / सजा सुनाई गई...'। ऐसी अनुवर्ती खबरें अदालती रिकॉर्ड से समर्थित होती हैं, जो सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं। अगर किसी को प्रकाशित खबर पर संदेह हो (और वह इसकी पुष्टि करना चाहे), तो वह अदालती रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि कर सकता है। खबर सच हो सकती है, लेकिन जब हमें गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, यह पता नहीं चलता, तो कुछ संदेह अवश्य बना रहता है।

एक पत्रकार कोई छोटा कीड़ा नहीं है जो चुपके से किसी जानकार व्यक्ति के निजी स्थान में घुसकर छिपकर जानकारी हासिल कर ले। जब कोई कहानी किसी जानकार व्यक्ति से मिली जानकारी पर आधारित होती है, तो इसका मतलब है कि या तो उस व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या प्रेस विज्ञप्ति जारी की हो, या पत्रकार ने उस व्यक्ति से साक्षात्कार का अनुरोध किया हो, या उस व्यक्ति ने स्वयं पत्रकार को बुलाया हो और वह विशिष्ट जानकारी दी हो जो वह लोगों तक पहुंचाना चाहता था।

हमारी श्रेणियों की सूची में, छह श्रेणियां पूरी तरह से लोगों के बयानों पर आधारित हैं: एसएसपी कहते हैं, डीजीपी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, केंद्रीय मंत्री कहते हैं, आईबी प्रमुख कहते हैं, सेना प्रमुख कहते हैं। यदि पाठक/दर्शक को लगता है कि उद्धृत व्यक्ति वास्तव में अपने विषय के बारे में जानते हैं, वे विश्वसनीय हैं और झूठ नहीं बोलते या जानबूझकर जानकारी छिपाते या तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं करते, तो ही वे कहानियां विश्वसनीय होती हैं।

किसी खबर को पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने से विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों में छात्रों को यह नहीं सिखाया जाता कि किसी खबर को पक्षपातपूर्ण ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, लेकिन काम करते हुए हर पत्रकार इसे सीख लेता है। खबर में दी गई जानकारी पत्रकार के ज्ञान के अनुसार सत्य होती है, लेकिन उसे एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। संपादकों द्वारा तैयार की जाने वाली हेडलाइंस भी पक्षपातपूर्ण हो सकती हैं। 'हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया' बनाम 'आंदोलन से शहर ठप्प हो गया'; कहानी एक ही है, लेकिन प्रस्तुति का दृष्टिकोण अलग है।

सूत्रों की विश्वसनीयता और पूर्वाग्रह ही एकमात्र विचारणीय बिंदु नहीं हैं; पाठक को यह भी पूछना चाहिए कि 'यह खबर अभी क्यों सामने आ रही है?' एक कहानी बिल्कुल सीधी और पुख्ता लग सकती है: 'बॉलीवुड निर्देशक पर यौन उत्पीड़न का आरोप'। लेकिन यही कहानी फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह से ठीक 10 दिन पहले सामने आए? हम्म...

किसी भी सरल कहानी को बिना सोचे-समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई

कहानी मुख्य रूप से दावे और/या अटकलों पर आधारित हो, तो उसे संदेह की गहरी दृष्टि से देखना चाहिए। दावे/अटकलों से भरी कहानियाँ अक्सर मनगढ़ंत होती हैं। कोई चाहता है कि जनता किसी विशेष बात पर विश्वास करे या किसी विशेष दृष्टिकोण को अपनाए। जब उद्धृत व्यक्ति की पहचान न बताई गई हो और केवल स्रोत ही दिए गए हों, तो अपने संदेह को और भी बढ़ा दें। स्रोतों में से हर एक संदिग्ध होता है, चाहे वह आधिकारिक स्रोत हों, खुफिया स्रोत हों, पार्टी स्रोत हों या फिर सीधे-सीधे धोखेबाज कहे जाने वाले विश्वसनीय स्रोत हों।

सभी गंभीर चेतावनियों को देखते हुए, यह कहना गलत नहीं होगा कि उनमें से कुछ में सच्ची और जायज़ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। यह मानना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान भारत में अशांति देखकर खुश होगा और अगर पहले से अशांति न होती तो वह अशांति पैदा करने की कोशिश करता। पाकिस्तान बलूचिस्तान में अशांति का सामना कर रहा है। इस बारे में भारत की क्या राय है? क्या भारत अशांति को बढ़ावा देने की हद तक जाएगा?

कुछ कहानियों में संदेह का तीखापन झलकता है, हालांकि अंतर्निहित असुरक्षा तर्कसंगत और वास्तविक हो सकती है। जोसेफ हेलर के शब्दों में कहें तो, 'सिर्फ इसलिए कि आप संदेह करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपके पीछे नहीं पड़े हैं।'

कुछ कहानियाँ बनावटी पागलपन और बदले की भावना से प्रेरित लगती हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें।

चाहे यह वास्तविक हो या काल्पनिक, 20 वर्षों से ऊपर से लगातार यह चेतावनी आती रही है: 'खालिस्तानी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं'।

मतपत्र-प्रूफ

खालिस्तानी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है। उन्हें आने दीजिए। उन्हें पंजाब की 117 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 59 सीटें जीतनी होंगी। फिर पंजाब में खालिस्तानी सरकार बन जाएगी।

पंजाब में कई सिख कट्टरपंथी संगठन हैं; इनमें दल खालसा, यूनाइटेड अकाली दल, अखंड कीर्तनी जत्था, अकाली दल 1920 शामिल हैं। ये समूह न तो अलगाववाद का समर्थन करते हैं और न ही हिंसा का, इसलिए ये पूरी तरह से वैध हैं और चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने के लिए किसी भी अन्य संगठन की तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन चूंकि वे ऐसा नहीं करते, इसलिए इन्हें राजनीतिक दल न कहें। केवल एक कट्टरपंथी समूह नियमित रूप से चुनाव लड़ता है और वह है सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व वाला शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर)।12

लेकिन वहां की स्थिति कैसी है? क्या जनभावना खालिस्तानी सरकार के पक्ष में है?

सबसे क्रांतिकारी दौर 1989 में आया जब सिमरनजीत मान की अकाली दल अमृतसर ने लोकसभा में आठ सीटें जीतीं। 2007 के विधानसभा चुनावों में, मान द्वारा मैदान में उतारे गए सभी 37 उम्मीदवारों, जिनमें वे स्वयं और उनके बेटे ईमान भी शामिल थे, की जमानत जब्त हो गई। 2009 के आम चुनाव में, जहां भी एसएडी अमृतसर के उम्मीदवार खड़े हुए, मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया और 2012 के विधानसभा चुनावों में, फतेहगढ़ साहिब से चुनाव लड़ते हुए मान को केवल 3,000 से थोड़े अधिक वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। 2014 के लोकसभा चुनावों में, मान ने एक बार फिर अपनी जमानत खो दी, उन्हें केवल 14,000 वोट मिले और वह भी पूर्व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र खदूर साहिब से चुनाव लड़ते हुए। उस समय, उन्हें कुल 13,999 वोट मिले: कुल वोटों का 1.34 प्रतिशत। 2017 में, मान की एसएडी (अमृतसर) द्वारा मैदान में उतारे गए 54 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या, मतदाताओं द्वारा

NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प के उपयोग की कुल संख्या को भी पार नहीं कर पाई।13

चुनावी रिकॉर्ड से पता चलता है कि खालिस्तान के पुनरुद्धार के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है।

फिर भी, पहले बताई गई खालिस्तान के खतरे से जुड़ी कहानियों की लंबी सूची पर एक नज़र डालें। 2000 से ही बहुत से लोग चिंतित हैं। यहां तक कि जनरल बिपिन रावत ने भी नवंबर 2018 में चेतावनी जारी की थी। अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना के कमांडर को खालिस्तान को लेकर डर है, तो हम बाकी लोगों को कैसा महसूस करना चाहिए?

दूसरी ओर, यदि वह सूची 20 वर्षों से फैलाई जा रही भय फैलाने की रणनीति का प्रतिनिधित्व करती है, तो इससे किसे लाभ हुआ है? या लाभ उठाने की कोशिश किसने की है?

बजट संबंधी इच्छाएँ

पंजाब पुलिस का बजट 1994 तक तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके बाद 16 वर्षों तक वार्षिक बजट वृद्धि नगण्य रही। 21 जनवरी 2001 के ट्रिब्यून में उस वर्ष का पंजाब पुलिस का वार्षिक बजट लगभग 900 करोड़ रुपये बताया गया था। 16 फरवरी 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष पंजाब पुलिस का वार्षिक बजट बढ़कर 909 करोड़ रुपये हो गया था। 6 जुलाई 2017 के डेक्कन हेराल्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2015-2016 के पंजाब पुलिस के वार्षिक बजट का आंकड़ा 919.3 करोड़ रुपये है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, 15 वर्षों की अवधि में 19 करोड़ रुपये की वृद्धि बहुत अधिक नहीं है।

Punjab Police Year Sanctioned Strength	
2017	87,672
2016	78,967
2015	78,455
2014	80,064
2013	79,478
2012	79,446
2011	79,565
2010	71,888
1994	70,228
1993	65,658
1989	51,833
1986	34,000
1984	32,855
1980	29,000

पुलिस की स्वीकृत संख्या के बारे में अधिक आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 2010 से आगे के स्वीकृत संख्या के आंकड़े पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से लिए गए हैं।15 वर्ष 2010 से पहले के आंकड़े समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों/रिपोर्टों में पाए गए हैं।

ये आंकड़े 1986 और 1994 के बीच बहुत तेजी से विस्तार की अवधि को दर्शाते हैं, फिर एक लंबे समय तक स्थिरता बनी रही जिसके बाद 2010 से 2011 तक उछाल आया और 2016 से 2017 तक एक और उछाल आया।

2005 में, सामुदायिक पुलिसिंग के लिए शुरू की गई एक नई योजना का प्रचार करते हुए, पंजाब पुलिस के सामुदायिक मामलों के प्रभाग के तत्कालीन प्रमुख, आईजीपी संजीव गुप्ता ने बताया कि इसका उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए विशाल बुनियादी ढांचे को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के दौर में बनाए गए छह अलग-अलग पुलिस जिले 259 पुलिस स्टेशनों और 110 पुलिस चौकियों के माध्यम से काम करना जारी रखे हुए थे। यह आशंका जताई गई थी कि आतंकवाद के बाद के दौर में बल, जिसकी संख्या 1980 में लगभग 29,000 से बढ़कर 2001 में 71,000 से अधिक हो गई थी, का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाएगा।16

जब पुलिस ने भी ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारियों की मौजूदगी स्वीकार की, तो संभवतः राज्य के वित्त विभाग ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया होगा और पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारियों वाले विभाग को और अधिक धन आवंटित करने से इनकार कर दिया होगा। एक अन्य संभावना यह भी है कि राज्य सरकार के योजनाकारों को यह डर था कि बड़ा बजट केवल गबन के लिए अधिक धन का स्रोत बनेगा (उदाहरण के लिए, 2006 का पंजाब पुलिस वायरलेस घोटाला17)।

यहां तक कि डेनिश आव्रजन सेवा की रिपोर्ट में भी पुलिस विभाग के लिए उच्च बजट की मांग के बहाने के रूप में खालिस्तान के खतरे का उल्लेख किया गया था।

टर्फ क्रेविंग्स?

संघवाद, जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 18 का मूल आधार था, ने 1980 के दशक की शुरुआत में अकाली दल को श्रीमती गांधी के साथ टकराव में ला खड़ा किया। 1980 और 1990 के दशक के भयावह दौर में भी पार्टी इस मुद्दे को नहीं भूली और जब 2012 में यह मुद्दा फिर से उठा, तो तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तैयार थे। इसका कारण राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी केंद्र (एनसीटीसी) की स्थापना थी।

पहले कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं। कारगिल में हुई भीषण तबाही और नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए हमले के लिए खुफिया विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया था। दोनों बार भारत सरकार का जवाब एक ही था: एक और खुफिया एजेंसी की स्थापना करना—एक ऐसी एजेंसी जो अन्य सभी एजेंसियों को सुव्यवस्थित करे। नई एनसीटीसी को व्यापक शक्तियां दी जानी थीं, जिसके तहत वह डेटा एकत्र, संकलित और प्रसारित करती थी, आतंकवादियों और उनके सहयोगियों, जिनमें उनके परिवार भी शामिल थे, का डेटाबेस रखती थी, भारत के किसी भी हिस्से में तलाशी और गिरफ्तारी करने का अधिकार रखती थी, आतंकी खतरों का जवाब तैयार करती थी और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती थी। सरकार ने एनसीटीसी को खुफिया एजेंसी के अंतर्गत रखने की योजना बनाई थी, जिसका अर्थ था कि यह संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होगी।

केंद्र सरकार का तर्क था कि उसे उग्रवादियों का मुकाबला करने और उन पर UAPA के तहत हर जगह, हर पल कार्रवाई करने के लिए एक अतिशक्तिशाली एजेंसी की आवश्यकता है... चाहे वो तमिल टाइगर्स हों, बोडो टाइगर्स हों, मिज़ो टाइगर्स हों, त्रिपुरा टाइगर्स हों, खालिस्तान टाइगर्स

हों, [रिक्त स्थान भरें] की मुक्ति सेना हो, पीपुल्स [रिक्त स्थान भरें] हो। भारत खतरे में था और केवल एक शक्तिशाली एजेंसी ही उसे बचा सकती थी।

समस्या संविधान की थी। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य सूची में हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य को अपने पुलिस बल पर पूर्ण और अनन्य अधिकार प्राप्त हैं: वह केंद्र से कोई निर्देश नहीं लेता है। प्राकृतिक आपदा या किसी गंभीर आपात स्थिति में, राज्य केंद्रीय बलों की सहायता ले सकता है, लेकिन ये केंद्रीय बल बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते।

गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों के लिए,19 प्रस्तावित एनसीटीसी केंद्र सरकार के एक बड़े, दखलंदाजी भरे कदम की तरह लग रहा था—राज्यों के क्षेत्र में केंद्र के अतिक्रमण का एक और उदाहरण। चूंकि एनसीटीसी का प्रस्ताव शुरू में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने रखा था, इसलिए गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों ने इस योजना को रोक दिया। पंजाब में एसएडी सत्ता में थी। कांग्रेस सरकार के किसी भी प्रस्ताव के प्रति स्वाभाविक विरोध के अलावा, बादल एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो 10 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा था। यह न तो अकाली दल को पसंद आया और न ही पंजाब को आम तौर पर। 5 मई 2012 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में बोलते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जो आमतौर पर केंद्र के साथ व्यवहार में कूटनीतिक भाषा का प्रयोग करते थे, ने एक ऐसा भाषण दिया जो संघीय सिद्धांतों का कट्टर समर्थन था।20

इस बार, केंद्र की जवाबी कार्रवाई खालिस्तान के पुनरुत्थान को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के भयावह संदर्भों के रूप में नहीं आई। उस वर्ष अगस्त तक, पूरे उत्तर भारत में मानसून विफल हो गया था। केंद्र ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक को भरपूर सूखा राहत प्रदान की। क्या आप लापता राज्य को पहचान सकते हैं?21

सत्ता की लालसा?

लोकतंत्र पैसों का खेल है, ढेर सारे पैसों का। ज़ाहिर है, अमीर लोग ही पार्टियों और नेताओं को चंदा देते हैं। (आम आदमी तो खुद का खर्च भी मुश्किल से उठा पाता है।) सरकार सत्ताधारी पार्टी के हाथों में होती है और वह पार्टी ज़्यादातर धनी व्यक्तियों और निगमों के समर्थन से ही सत्ता में बनी रहती है। जो पैसे देता है, वही हुकुम चलाता है।

अब किसी गरीब आदमी को, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों न हो, यह कहना व्यर्थ है कि वह ईश्वर की इच्छा से गरीब है। एक कारखाना स्थापित होता है; नेता इसका श्रेय लेते हैं और अपनी दूरदर्शी नीतियों और प्रभावशाली नेतृत्व की सराहना करते हैं। आम आदमी यह सब देखकर सोचता है, 'वाह, उस कारखाने ने दिखा दिया कि सरकार कुछ कर सकती है!' फिर वह खुद को देखता है, बेरोजगार, कोई नौकरी नहीं, न खुद के लिए न परिवार के लिए कोई सुरक्षा, और वह सोचता है, 'सरकार कुछ कर सकती है लेकिन कुछ नहीं करती। इस साल मेरे पास पिछले साल से भी कम है।'

हर चुनाव में पार्टियां सत्ता की बागडोर बदलती रहती हैं; साल दर साल आर्थिक रूप से सबसे अमीर और सबसे गरीब वर्ग के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। धन का प्रवाह ऊपर की ओर होता जाता है और कम से कम लोगों के पास पहुँचता जाता है। सबसे गरीब वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जबकि उनके संसाधन उनसे छीन लिए जाते हैं।22 हताशा बढ़ती जाती है।

क्या यह स्थिति केवल पंजाब में है? या केवल भारत में? बिलकुल नहीं। अमेरिका में भी आय का अंतर तेजी से बढ़ रहा है: एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका की रिपोर्ट है: '2009 और 2015 के

बीच 43 राज्यों में शीर्ष 1 प्रतिशत की आय निचले 99 प्रतिशत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी। अमेरिका के नौ राज्यों में, शीर्ष 1 प्रतिशत कुल आय वृद्धि के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।'23

लेकिन लोकतंत्र संख्याओं का खेल भी है। गरीबों का मतदान अमीरों के मतदान से कहीं अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक राजनेता, प्रत्येक पार्टी के सामने एक ही चुनौती होती है: उन अधिकांश मतदाताओं का समर्थन कैसे आकर्षित किया जाए या बरकरार रखा जाए जिनकी नेता, पार्टी और सरकार से अपेक्षाएं हर बार पूरी नहीं हुई हैं?

क्या यह स्थिति केवल पंजाब में है? या केवल भारत में? बिलकुल नहीं।

अमेरिका में एक ऐसा नेता है जिसने आप्रवासियों को बदनाम करके और श्वेत मध्य अमेरिकी मतदाताओं को अत्यधिक भयभीत करके राष्ट्रपति पद हासिल किया। ब्रिटेन वर्तमान में अपने ब्रेक्सिट निर्णय के परिणामों से जूझ रहा है। ब्रेक्सिट के पक्ष में जाने का एक कारण यह है कि इसने सभी एशियाई लोगों—रोमानियाई, अल्बानियाई, स्लोवेनियाई, बोहेमियाई, लिथुआनियाई, यूक्रेनी आदि—के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। यूरोप में धुर दक्षिणपंथी दल—अल्टरनेटिव फर डॉयचलैंड, रासेम्बलमेंट नेशनल, हंगरी की फिडेज़—सभी एक ही नारा लगाते हैं: उन लोगों को बाहर रखो जो असली ब्रिटिश, असली फ्रांसीसी या असली कोई और नहीं हैं।

असली भारतीयों के लिए

भारत में, इस समय, लोग 17वीं लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री, जो पूर्ण बहुमत से दोबारा चुने जाने की उम्मीद कर रहे हैं, बार-बार यह घोषणा कर चुके हैं कि भारत पर सच्चे भारतीयों का शासन होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दिखावटी अमेरिकी नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। यहां के दिखावटी भारतीय कहीं और से नहीं आए हैं। वे और उनके सभी पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं। मतदाता, जिन्होंने अब आने वाले अच्छे दिनों की पहली झलक पाने के लिए क्षितिज को पलटना बंद कर दिया है, जल्द ही जान जाएंगे कि सच्चे भारतीय की परिभाषा पर कितनी सहमति है।

आप उन लोगों से वोट कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आपने अतीत में कुछ भी नहीं दिया है और जिन्हें आपके चुनावी वित्तपोषण की प्रकृति के कारण भविष्य में भी कुछ नहीं दिया जा सकता? दुश्मन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करें, खतरे की भयावह तस्वीरें बनाएं, संदेश को सरल रखें। आक्रमण, अन्याय, षड्यंत्र का मुद्दा उठाएं, विभाजन को बढ़ाएं और तनाव पैदा करें। मतदाताओं से कहें कि आप सच्चे भारतीयों के साथ खड़े हैं और उन्हें नकली भारतीयों से बचाएंगे। मतदाताओं को डराएं।

यह रणनीति कुछ समय तक कारगर रहती है। पिछले 20 वर्षों में पंजाब इसका एक अच्छा उदाहरण बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष अकाली अध्यक्ष की हिंसक, राष्ट्रविरोधी अलगाववादी खालिस्तानी प्रवृत्तियों का 'पर्दाफाश' करते हैं। अकाली अध्यक्ष पलटवार करते हुए वही आरोप लगाते हैं। फिर कांग्रेस और अकाली दोनों नेता आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के खालिस्तान प्रेम प्रसंग की निंदा करते हैं, जिस पर अध्यक्ष जवाब देते हैं कि उनके विरोधियों ने 'फोटोशॉप' का सहारा लिया है।24

अंततः, 'हम बनाम वे' की राजनीति का प्रभाव कम होता जाएगा। दलों और नेताओं ने 'खालिस्तान समर्थक' होने का आरोप इतनी बार लगाया है कि लोग इससे ऊब चुके हैं। एक ऐसा आरोप जो तीखा और चुभने वाला होना चाहिए था, अब घोड़े की पीठ से भी चौड़ा और दुगना

बेअसर हो गया है।

सूची में और सूची से बाहर

विकिपीडिया उन संगठनों की सूची प्रदान करता है जिन्हें भारत सरकार ने हिंसक, कानूनहीन और भारत सरकार और संविधान की अवहेलना करने वाला पाया है; तदनुसार, इन समूहों को UAPA के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।25 इसमें सभी संदिग्ध समूह शामिल हैं: कश्मीर में सक्रिय उर्दू-नाम वाले समूह, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सक्रिय मुख्य रूप से अंग्रेजी-नाम वाले समूह, मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय वामपंथी उग्रवाद के रूप में वर्गीकृत अंग्रेजी-नाम वाले संगठन और तीन या चार पंजाब-केंद्रित समूह जिनके नाम में खालिस्तान या भिंडरांवाला शब्द शामिल हैं।

भारत सरकार की इस सूची में हिंदी/संस्कृत नामों वाले समूह गायब हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में हिंदी/संस्कृत नामों वाले खतरनाक समूह मौजूद नहीं हैं। बजरंग दल, अभिनव भारत, भारत गौ रक्षा दल, सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू जागरण मंच, श्री राम सेना, शिवसेना, समाधान सेना, धर्मशक्ति सेना, गुरु कृपा प्रतिष्ठान, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के नाम तुरंत याद आ जाते हैं। कभी-कभी इन सभी को संघ परिवार के नाम से जाना जाता है। जब ये समूह मीडिया रिपोर्टों में आते हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि इनके सदस्य बेहद प्रतिभाशाली भजन गायक हैं। इन्होंने भी कई मौकों पर हिंसक कृत्यों में हाथ बटाया है,26 और ये देश के कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन भारत सरकार की आतंकवादी सूची में इनका नाम नहीं है। क्यों?

आतंकवादी समूहों के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई करो। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करो।

जिन आतंकवादी संगठनों के बारे में हम पढ़ते हैं, वे वास्तविक हैं; वे जहाँ भी सक्रिय होते हैं, लोगों के जीवन और आजीविका को खतरा पहुँचाते हैं। यह बात निर्विवाद है। और एक राजनेता के दृष्टिकोण से, ईश्वर का धन्यवाद कि वे मौजूद हैं; यदि वे नहीं होते, तो उन्हें सृजित करना पड़ता। खालिस्तान के मामले में, इसके सृजित होने के पुख्ता सबूत हैं: पंजाब में उग्रवाद एक नाटक था जिसे केंद्र में सत्ताधारी दल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने के लिए रचा था।27 यह नाटक एक दशक तक अशांति और उसके बाद दो दशकों तक राजनीतिक संस्थानों (अदालतों सहित) के प्रति निराशा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और आर्थिक गतिरोध में परिणत हुआ।

पंजाब के दर्दनाक इतिहास की किसी भी जानकार व्यक्ति को इसकी विशेष रूप से याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आज भी यथार्थ है। राज्य में हताशा, भ्रष्टाचार और गतिरोध का बोलबाला है।

पंजाब में आतंकवाद से लड़ना अनेक प्रकार के कुकर्मों के लिए एक पुख्ता बहाना बन गया। इसने अपहरण, गैर-न्यायिक हत्या और जबरन वसूली जैसे अपराधों के साथ पुलिस राज को जायज ठहराया। उग्रवाद का दशक समाप्त होने पर भी अत्याचार नहीं रुके। पुलिस राज गुंडा राज में तब्दील हो गया, जो संपत्ति हड़पने या अवैध तरीकों से धन अर्जित करने के लिए अपरिहार्य था। आतंकवाद से लड़ने ने उन कठोर कानूनों को जायज ठहराया जिन्होंने व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया, और इसने राज्य के अधिकारों के विरुद्ध गुप्त केंद्रीय एजेंसियों की स्थापना के प्रयासों को भी उचित ठहराया।

भाषणों, चुनाव प्रचार और पार्टी की राजनीतिक उठापटक में आतंकवाद, चाहे वह विदेशी हो या घरेलू, एक अहम मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर तो यह विशेष रूप से देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर, जमीनी स्तर पर, नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या धर्म का हो, रोजगार और

नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तंग बजट में घर चलाने, स्कूल की फीस भरने, परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज की जरूरत न पड़ने की प्रार्थना करने और साधारण काम करवाने के लिए भी रिश्वत देने पर गुस्से से भरा हुआ है। इन दोनों स्तरों के बीच कोई संबंध नहीं दिखता।

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,28 लगातार बढ़ती धन असमानता, कृषि उत्पादों की कीमतों या लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे को संबोधित करने से यह आभास होता है कि नेता या पार्टी वास्तव में कुछ करने के लिए तैयार है। पंजाब या अन्य जगहों पर आतंकवादियों के बारे में आक्रोश व्यक्त करना कहीं बेहतर विकल्प है: आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किसी बड़ी राजनीतिक इच्छाशक्ति या राजनीतिक साहस की आवश्यकता नहीं होती। समय-समय पर, आसन्न खतरे की आभा को जीवित रखने के लिए बयान, लेख या यहां तक कि गिरफ्तारी का नाटक करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह आसानी से और कम खर्च में किया जा सकता है।

यहां एक दिलचस्प विश्व रिकॉर्ड है: ब्रिटेन के एक व्यक्ति, जॉन प्रेस्टविच, की 67 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, गिनीज बुक द्वारा प्रमाणित कृत्रिम श्वसन पर 50 वर्ष बिताने के बाद।29 अगर खालिस्तान इस रिकॉर्ड को तोड़ दे तो आश्चर्य नहीं होगा।

नोट्स

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस ने बताया कि यह मुकदमा भी समस्याग्रस्त था। लेखकों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत में बैंस ने कहा: 'अंतिम बहस तक 12 वर्षों के दौरान अदालत का पूर्वाग्रह इतना हावी था कि किसी ने भी रिकॉर्ड की जांच नहीं की और सीबीआई पर भरोसा नहीं किया। एक आरोपी नवजोत सिंह के मामले में, 12 वर्षों तक हमने अदालत को बताया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी वह पूरे समय जेल में रहा और उसकी जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज होती रहीं। 2007 में अदालत को अंततः उसे बरी करना पड़ा। उसे 12 वर्षों के अन्यायपूर्ण कारावास के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला।'
2. चंडोके और प्रियदर्शी, 'संघर्ष के बाद के राज्यों में चुनावी राजनीति'।
3. 26 अप्रैल 1998 को, पंजाब में गुमशुदा लोगों के समन्वय के लिए गठित समिति ने तीन न्यायाधीशों (सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष के. जे. रेड्डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. एस. तेवतिया और बॉम्बे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच. सुरेश) के एक पैनल के गठन की घोषणा की। 1998 के वसंत और ग्रीष्मकाल के दौरान, स्वयंसेवकों ने कठिन और अक्सर खतरनाक दस्तावेजीकरण का काम किया। आयोग की पहली बैठक 8-10 अगस्त 1998 को हुई। इन तीन दिनों के दौरान, आयोग को लगभग 3,200 शिकायतें प्राप्त हुईं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों को लगभग 90 नोटिस या पेशी के अनुरोध जारी किए गए।
4. टीएनएन, 'पिनिस' में आरडीएक्स।
5. 'जिसका झगड़ा न्यायसंगत है, वह तीन गुना सशस्त्र है; और वह नंगा है, चाहे लोहे में बंद ही क्यों न हो, जिसका विवेक अन्याय से भ्रष्ट हो गया है' (विलियम शेक्सपियर, हेनरी VI, 3.2.240–243)
6. 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत को अमेरिका से मिलने वाली 51.3 मिलियन डॉलर की सहायता राशि का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के मामले में, प्रतिबंध पहले ही लगाए जा चुके थे (1985 के प्रेसलर संशोधन के माध्यम से)। पाकिस्तान को केवल थोड़ी सी राशि मानवीय सहायता के रूप में प्राप्त हुई (मॉरो और कैरिएर, '1998 के आर्थिक प्रभाव')।
7. कौर, 'पथरीबल: एक समयरेखा'। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जनवरी 2003 में पथरीबल मुठभेड़ का मामला सीबीआई को सौंप दिया। तीन साल बाद, 9 मई 2006 को, सीबीआई ने अपना आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें यह साबित किया गया कि मुठभेड़ सुनियोजित थी और मारे गए पांचों लोग निर्दोष नागरिक थे। सीबीआई ने इसे सेना के अधिकारियों द्वारा रची गई 'संवेदनहीन' साजिश बताया, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और गवाहों को धमकाना शामिल था। सर्वोच्च न्यायालय ने सेना

को आरोपियों पर कोर्ट मार्शल चलाने का निर्देश दिया। लेकिन 20 जनवरी 2014 को, कोर्ट मार्शल बुलाए बिना ही, सेना ने 'सबूतों की कमी' का हवाला देते हुए आरोपियों को छोड़ दिया। पथरीबल पीड़ितों के परिवार वालों ने इस फैसले के खिलाफ जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, और जब उच्च न्यायालय ने मामला खारिज कर दिया, तो वे सर्वोच्च न्यायालय गए। अगस्त 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दायर याचिका पर विचार करने की सहमति दी और मामले को छह सप्ताह बाद निपटारे के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले की सुनवाई नहीं की है।

8. डेनिश आव्रजन सेवा, तथ्य-खोज मिशन पर रिपोर्ट।
9. मंत्रिपरिषद समूह की रिपोर्ट।
10. 'भारत के बारे में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि न तो कभी कोई भारत था, न ही कोई भारतीय राष्ट्र, न ही कोई "भारतीय लोग" जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं। पंजाब, बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रांतों और मद्रास के लोगों का कभी यह महसूस करना असंभव है कि वे एक महान भारतीय राष्ट्र से संबंधित हैं।' - सर जॉन स्ट्रैची, वायसराय रॉबर्ट लिटन के अधीन वित्त मंत्री, कैम्ब्रिज में 1880 में दिया गया भाषण।
11. डेनिश आव्रजन सेवा, तथ्य-खोज मिशन पर रिपोर्ट।
12. सिमरनजीत सिंह मान (जन्म 20 मई 1945) एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता, लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिंदर सिंह मान, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष थे। वे पंजाब के वर्तमान कांग्रेस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहनोई हैं। मान 1967 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए, लेकिन स्वर्ण मंदिर पर हमले के विरोध में 18 जून 1984 को इस्तीफा दे दिया। उन्हें पांच साल की जेल हुई और लगभग 30 बार गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया, लेकिन कभी दोषी नहीं ठहराया गया। वे शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष और दो बार सांसद रहे हैं, उन्होंने 1989 में तरनतारन और 1999 में संगरूर से चुनाव जीता (https://en.wikipedia.org/wiki/Simranjit_Singh_Mann)
13. एचटी संवाददाता, 'पंजाब चुनाव परिणाम'।
14. सिंह, 'पंजाब पुलिस'।

पंजाब पुलिस की वर्तमान संख्या, जिसमें भारतीय रिजर्व बटालियन और कमांडो बटालियन शामिल हैं, लगभग 79,000 जवान और अधिकारी हैं। राज्य पुलिस के 900 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा जवानों और अधिकारियों के वेतन और भत्तों के वितरण पर खर्च होता है।

अग्निहोत्री, 'पंजाब में 9,336 विशेष सुरक्षा अधिकारी बिना वेतन के रह रहे हैं'। 'पंजाब पुलिस के लिए कुल बजट 909 करोड़ रुपये है'।

धलीवाल, 'पुलिस विभाग को 3203.99 करोड़ रुपये मिले'। वित्त मंत्री पी.एस. ढिंडसा ने अपने बजट भाषण में बताया, 'चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट में पुलिस के लिए 3203.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्व के प्रतिशत के रूप में वार्षिक ब्याज भुगतान... यह संख्या 2008 में 769, 2009 में 853 और 2010 में 907 तक पहुंच गई।'

जॉय का लेख, 'राज्य मात्र 3% खर्च करते हैं'। 2015-2016 के लिए कुल पुलिस वार्षिक बजट पंजाब के कुल वार्षिक बजट का 5.8 प्रतिशत है। उस वर्ष का वार्षिक बजट 158,493 करोड़ रुपये था। इसलिए, 2015-2016 में पंजाब पुलिस का वार्षिक बजट 919.3 करोड़ रुपये के बराबर है।

15. http://bprd.nic.in/
16. पंढेर, 'एक अग्रणी प्रयास'.
17. राकेश और सिवाच, 'वायरलेस घोटाले में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए'।

पुलिस अधिकारियों ने वायरलेस आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलीभगत करके 2000 से 2003 के बीच तीन वर्षों की अवधि में 5.25 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। डीजीपी-सह-कमांडेंट (पंजाब होमगार्ड) के.के. अत्री और एडीजीपी (सतर्कता) इज़हार आलम पर धोखाधड़ी और जालसाजी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए थे।

एफआईआर में नामित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में आईजी (अपराध) जी डी पांडे, डीआईजी (खुफिया) आर पी सिंह और

एसपी (लोकपाल) मालविंदर सिंह सिद्धू के अलावा पूर्व एडीजीपी डी आर भट्टी, पूर्व एडीजीपी एस सी जैन और आईजी आर सी प्रसाद (जो अब मृत हैं) शामिल हैं।

18. इस प्रस्ताव में भारत को विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक वर्गों, साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों का राष्ट्र बताया गया था। इसमें संविधान को इस प्रकार पुनर्गठित करने की मांग की गई थी ताकि वास्तविक और सार्थक संघीय सिद्धांतों को लागू किया जा सके। इसमें कहा गया था कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने से भारत की लाखों जनता का बेहतर प्रतिनिधित्व होगा और इससे देश की एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। यदि राज्य अपनी शक्तियों का सार्थक रूप से प्रयोग कर सकें, तो वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के लिए प्रगति और समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। नवंबर 1982 में, एसएडी अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल ने घोषणा की कि उनकी पार्टी नई दिल्ली में आंदोलन करेगी ताकि विश्व का ध्यान 'भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार' की ओर आकर्षित किया जा सके और केंद्र सरकार पर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में रखी गई मांगों को मानने का दबाव बनाया जा सके।
19. Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Uttarakhand, Tamil Nadu, Tripura and West Bengal.
20. 5 दरिया न्यूज़, 'बादल नई संविधान सभा की स्थापना के पक्ष में'।
21. सिंह और कोशी, '₹2,000 करोड़ सूखा राहत'।
22. IANS के अनुसार, 'भारत दूसरा सबसे "असमान" देश है', नवंबर 2016 तक, भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे असमान देश है।

    लाइवमिंट के अनुसार, 'भारत के सबसे अमीर 1% लोग'। भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 58.4% संपत्ति है। वहीं, भारत के सबसे अमीर 10% लोगों के पास 80.7% संपत्ति है, और संपत्ति का अंतर हर साल बढ़ता जा रहा है।
23. पॉल, 'अमेरिका के 1% ने नियंत्रण नहीं किया है'।
24. TNN, 'Sukhbir Badal'.

    सिखों के पवित्र ग्रंथ के कथित अपमान की घटनाओं और सरबत खालसा द्वारा दिवंगत कांग्रेस नेता बेअंत सिंह की हत्या के दोषी खालिस्तानी आतंकवादी जगतार सिंह हावारा को अकाल तख्त का मुख्य पुजारी नियुक्त करने के बाद पंजाब में व्यापक अशांति के मद्देनजर अकाली दलों ने तीखा हमला किया है।

    Vasudeva, Punjab Congress Accuses AAP'; Sharma, 'In Bathinda, Amarinder Blames Badal'.

    कोटशमीर में बठिंडा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार हरविंदर सिंह लड्डी के समर्थन में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा मारे गए हजारों निर्दोष लोगों के लिए बादल जिम्मेदार था। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सीआईए रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बादल हमेशा से सिख चरमपंथियों के साथ मिलीभगत करके अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था।

    रेडिफ, "फासीवादी" आप पंजाब को बदल देगी"।

    पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, 'बादलों के नेतृत्व में सांप्रदायिक ताकतों का उदय और अब केजरीवाल द्वारा पंजाब के लिए पैदा किया गया चरमपंथी खतरा, राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने से पहले ही इसका मुकाबला करना जरूरी है।' उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी में नक्सलियों और खालिस्तानियों के बीच का गठजोड़ पंजाब में आतंकवाद के उन काले दिनों को वापस लाएगा, जिनमें चरमपंथी हिंसा में 35,000 से अधिक लोगों की जान गई थी।

    पीटीआई का कहना है, 'केजरीवाल को परवाह नहीं है'।

    कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसी चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बठिंडा के मौड़ मंडी में हुए बम विस्फोट से पता चलता है कि खालिस्तानियों के आतंकी संगठन एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, जो कथित तौर पर पंजाब में एक KCF चरमपंथी के घर पर रुके थे, AAP की अति वामपंथी और अति दक्षिणपंथी

विचारधाराओं के खतरनाक मिश्रण से प्रेरित होकर अपने कार्यों के माध्यम से आतंकी ताकतों को हवा दे रहे हैं।

कमल, 'अमरिंदर सिंह के कठोर शब्द'।

सवाल: क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दावा है कि अपवित्रता की घटनाओं के पीछे एसएडी का हाथ है?

ए. सबको पता है कि अपवित्रता के इन कृत्यों के पीछे कौन है। आम आदमी पार्टी (AAP) इस अपवित्रता के पीछे है और चरमपंथी तत्वों के साथ मिलीभगत कर रही है।

आईएएनएस, 'अमरिंदर सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है'।

एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ, ने शुक्रवार को बठिंडा में मीडिया से कहा कि अमरिंदर सिंह सरकार कांग्रेस के राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए पंजाब में माहौल खराब करने के लिए कट्टरपंथी तत्वों के साथ मिलीभगत कर रही है।

Babushahi Bureau, 'Badal writes to Rajnath Singh'.

पंजाब में शांति के दुश्मनों को राजनीतिक समर्थन और संरक्षण प्रदान करना...

पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि पंजाब में कांग्रेस सरकार 'राज्य में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने वाले खतरनाक तत्वों के साथ सक्रिय रूप से और खुले तौर पर मिलीभगत कर रही है'।

25. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_organisations_banned_by_the_Government_of_India
26. ग्रिसवॉल्ड, 'द वायलेंट टोल ऑफ हिंदू'। 'एक लोकलुभावन प्रधानमंत्री ने भारत के अधिक उग्रवादी समूहों को वैधता प्रदान की है, और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित हमले बढ़ रहे हैं।'
27. मुखर्जी, शताब्दी इतिहास।
28. सिंह, 'बेरोजगारी, हाथी'। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा फरवरी 2019 में जारी आंकड़ों से पता चला कि भारत की श्रम बल भागीदारी दर (किसी देश की कामकाजी उम्र की आबादी का वह अनुपात जो श्रम बाजार में सक्रिय रूप से भाग लेता है) 2017-2018 में 49.8 प्रतिशत थी, जो 2011-2012 में 55.9 प्रतिशत से काफी कम हो गई थी।
29. विलाज़ोन, 'तुम्हें कब तक रखा जा सकता है'।

उपसंहार

लोकतंत्र को हर पांच साल में होने वाली क्रांति के रूप में समझें... एक व्यवस्थित, रक्तपात रहित क्रांति जिसमें नागरिक यह तय करते हैं कि मौजूदा सरकार बनी रहे या उसे हटाकर दूसरी सरकार स्थापित की जाए। मतदान के द्वारा नागरिक उन उम्मीदवारों को सत्ता सौंपते हैं जो (उनके अनुमान के अनुसार) लाभ की सर्वोत्तम संभावना या हानि की न्यूनतम संभावना प्रदान करते हैं, जबकि उन लोगों को सत्ता से वंचित करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा नहीं है या जिन्होंने अतीत में उन्हें निराश किया है।

एक आदर्श दुनिया में, एक सुचारू रूप से काम करने वाला लोकतंत्र वह होगा जिसमें मतदाताओं के पास निर्णय लेने के लिए पूर्ण और सटीक जानकारी हो। विभिन्न उम्मीदवारों और दलों द्वारा प्रस्तावित बातों के संभावित परिणाम स्पष्ट होंगे, और मतदाता को अतीत में किए गए कार्यों की जानकारी होगी—किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया और इसका नागरिकों और राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। मतदाता उन लोगों पर जवाबदेही लागू कर सकेगा जिन्हें वह कानून बनाने और राज्य के कामकाज की निगरानी करने की शक्ति सौंपता है।

वास्तविक मतदाताओं के पास उम्मीदवार चुनने के लिए अलग-अलग स्तर के अनुभव होते हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 20,475,053 पंजीकृत मतदाता हैं।[1] 2019 के लोकसभा चुनावों के समय, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 43 लाख थी। केवल वे मतदाता जो आज 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे ही 1980 और 1990 के दशक की उन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से याद कर पाएंगे जिन्होंने वर्तमान पंजाब को आकार दिया है।

18-39 आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या 10,851,778 है; यह कुल का 52 प्रतिशत है।2 18-39 आयु वर्ग के सबसे वरिष्ठ मतदाता का जन्म 1980 में हुआ होगा, इसलिए वे 1997 में पंजाब के पहले तनावमुक्त चुनाव में मतदान करने के लिए एक वर्ष छोटे रहे होंगे। लेकिन वह मतदाता बाद में पांच लोकसभा और चार विधानसभा चुनावों में मतदान कर सकते थे। नौ चुनावों का अनुभव रखने वाले मतदाता के पास अपने मतदान निर्णय के लिए पर्याप्त अनुभव होता है। इस आयु वर्ग के सबसे कनिष्ठ मतदाता निश्चित रूप से नौसिखिए होते हैं, जिनके पास एक या कोई भी चुनाव का अनुभव नहीं होता।

1997 से लेकर अब तक पंजाब में सरकार पांच बार बदल चुकी है। तीन बार एसएडी-बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई (1997, 2007 और 2012) और दो बार मतदाताओं ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी (2002 और 2017)।

आशा की विजय

हास्यकार विल रोजर्स ने कहा था कि 'अमेरिकी मतदाताओं की कमज़ोर याददाश्त ही हमारे राजनेताओं को सत्ता में बनाए रखती है', और यह बात 1930 के दशक की है, जब लोग चौबीसों घंटे मिलने वाली ताज़ा सूचनाओं से ऊब नहीं गए थे। रोजर्स की यह टिप्पणी पंजाब पर भी लागू होती है। चुनाव के समय, हर पार्टी सत्ता में अपने पिछले कार्यकाल की सुनहरी तस्वीर पेश करती

है और दावा करती है कि राज्य दूसरी पार्टी के व्यापक भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और गलत नीतियों से बर्बाद हो गया है। चुनाव प्रचार में, उम्मीदवार X, उम्मीदवार Y पर एक साथ परजीवी, लुटेरा और दलाल होने का आरोप लगाता है, और उम्मीदवार Y, उम्मीदवार X पर एक साथ झूठा, लुटेरा और हंसी का पात्र होने का आरोप लगाता है।3

दोनों पक्षों को पता है कि वे क्या बात कर रहे हैं; फिर भी, मतदाता बेझिझक उम्मीदवार X को चुन लेते हैं, और फिर अगले चुनाव में वे पलटकर उम्मीदवार Y को चुन लेते हैं।

क्या मतदाताओं को बेहतर जानकारी नहीं है? क्या उनकी याददाश्त कमजोर है या वे इतने युवा हैं कि उनके पास बेहतर निर्णय लेने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है? क्या यह राजनीतिक विकल्पों की कमी है? 2014 के लोकसभा चुनाव में, और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में, दो स्थापित पार्टियों को एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी (AAP) से चुनौती मिली, लेकिन चुनाव में उसे बहुत सीमित सफलता मिली और जो AAP उम्मीदवार विधानसभा के लिए चुने गए, वे जल्द ही बाहर हो गए। पंजाब के मतदाता अब AAP से निराश हैं और उसे एक और मौका देने की बहुत कम इच्छा रखते हैं।4

निराशाजनक हिसाब-किताब

राजनीतिक नेताओं के दावों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय, आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद निर्णय लेना लोगों के लिए अधिक बुद्धिमानी भरा हो सकता है। अर्थशास्त्र को 'निराशाजनक विज्ञान' कहा जाता है, और पंजाब के संदर्भ में यह नाम इस धारणा को सार्थक साबित करता है।

इंटरनेट पर कुछ त्वरित खोजों से यह जानकारी प्राप्त हुई:

> प्रति व्यक्ति आय के मामले में, पंजाब 2000 में चौथे स्थान पर था, लेकिन 2015-2016 में यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16वें स्थान पर खिसक गया। 2014-2015 में पंजाब की जीडीपीएसपी वृद्धि भारतीय राज्यों में 28वें स्थान पर थी।5
>
> 1980 के दशक की शुरुआत में, पंजाब की प्रति व्यक्ति उत्पादन दर भारत में सबसे अधिक थी। 2012 तक, छह राज्यों - महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु - ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया था।
>
> इसका कारण पंजाब और शेष भारत में निवेश-से-जीडीपी अनुपात में निहित है। 1980 में, लगभग सभी राज्यों में यह अनुपात 15 प्रतिशत था। 2010 तक, यह भारत में 38 प्रतिशत हो गया था, लेकिन पंजाब में अभी भी 15 प्रतिशत ही था।6
>
> पंजाब में युवाओं की बेरोजगारी दर (18-29 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार श्रम बल का अनुपात) 16.6 प्रतिशत है, जबकि भारत का औसत 10.2 प्रतिशत है। पंजाब में ग्रामीण युवा बेरोजगारी दर भी भारत में आठवें स्थान पर है।
>
> 3 फरवरी 2014 को हिंदुस्तान टाइम्स ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति (पंजाब राज्य कांग्रेस कमेटी) द्वारा प्राप्त सूचना के अधिकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2007 से 2014 के बीच, जब एसएडी सत्ता में थी, तब 18,770 कारखाने बंद हो गए।7

आंकड़ों के जरिए पंजाब की अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दूसरा तरीका है व्यापारियों की राय सुनना।

उदाहरण के लिए, दिसंबर 2018 में, पंजाब लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि राज्य के उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग से वैट रिफंड प्राप्त करने के प्रयास में लघु उद्यमियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघ के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने शिकायत की,

> करदाताओं को अपनी धनराशि वापस पाने के लिए 5 से 10 प्रतिशत तक रिश्वत देनी पड़ती है। हमारे सदस्यों ने बताया कि उन्होंने प्रति यूनिट 5 लाख से 20 लाख रुपये तक रिश्वत दी है। उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि रिश्वत न देने पर अधिकारी अवैध रूप से उनकी धनराशि को वर्षों तक रोक देते हैं और यहां तक कि विभिन्न छोटे-मोटे कारणों से भी कटौती करने की कोशिश करते हैं।8

उन्होंने दावा किया कि भ्रष्ट अधिकारी फर्जी इकाइयों पर रिफंड भुगतान वसूल रहे थे, और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी विभाग ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

जिंदल ने कई अन्य भ्रष्ट प्रथाओं का भी उल्लेख किया, लेकिन यहां बताई गई कुछ प्रथाएं पंजाब में उद्योग के संघर्ष का एक ठोस कारण बताने के लिए पर्याप्त हैं।9

वैधता की कमी

इसी प्रकार, एक अन्य छोटी सी जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को अपनी सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के गारंटर के रूप में सरकार पर भरोसा नहीं है।

2018 में, कॉमन कॉज़, जो कि जनहित और लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध भारतीय गैर-सरकारी संगठन है, ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, लोकनीति प्रोग्राम फॉर कंपैरेटिव डेमोक्रेसी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से, राज्यों में पुलिस के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और धारणा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया।

इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में लेखकों ने लिखा है,

> पुलिस राज्य का सबसे प्रत्यक्ष चेहरा है। एक संप्रभु सरकार को 'विफल राज्य' कहा जाता है यदि वह कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने में असमर्थ हो, लेकिन जब वह दमन को नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल करती है, तो उसे 'पुलिस राज्य' के रूप में निंदा की जाती है। दोनों ही स्थितियों में 'वैधता की कमी' होती है।10

दूसरे शब्दों में, पुलिस के प्रति जनता का रवैया, कानून के शासन का पालन करने, न्याय सुनिश्चित करने और नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के मामले में राज्य पर जनता के विश्वास को भी दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में पुलिस के प्रति लोगों का रवैया बेहद नकारात्मक और अत्यधिक भयभीत है। पुलिस के प्रति लोगों के भय के मामले में पंजाब शीर्ष पर रहा। लेखकों ने कहा, 'इसका संबंध पिछले चार दशकों में पंजाब के विशेष इतिहास से हो सकता है।'11

हम उग्रवाद के दौर के बाद के वर्षों में पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गोलीबारी बंद होने के 40 साल बाद लोग किस तरह के राजनीतिक विकल्प चुन रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव ही लोगों के राजनीतिक विकल्पों का एकमात्र संकेतक हैं?

शायद नहीं। हो सकता है कि इससे कोई फर्क न पड़े कि कोई व्यक्ति पिछले 40 वर्षों के कर्मों और कुकर्मों के इतिहास की परीक्षा पास कर सकता है या नहीं। हो सकता है कि इससे कोई फर्क न पड़े कि उसे राजनीतिक दलों के प्रतिस्पर्धी दावों की राजनीतिक वैज्ञानिक जैसी समझ है

या नहीं। हो सकता है कि इससे कोई फर्क न पड़े कि वह अर्थशास्त्र में अच्छा है या उसे विकास सूचकांकों और आंकड़ों की स्पष्ट जानकारी है। हो सकता है कि इससे कोई फर्क न पड़े कि वह चुनावों में भाग लेता है या नहीं।

अपने पैरों से मतदान करना

लोग अपने आने-जाने के तरीके से भी अपनी राय बनाते हैं। पंजाब के कस्बों से गुज़रें, यहाँ तक कि मुख्य शहरी केंद्रों से दूर स्थित छोटे कस्बों से भी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, दो तरह के व्यवसायों के साइनबोर्ड आपकी नज़र में आएंगे: एक पर लिखा होगा IELTS Coaching12 और दूसरे पर Immigration Consultant माता-पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी जुटा लेते हैं, और बच्चे ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस के 6 मई 2019 के एक समाचार में बताया गया कि पंजाब में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी, लेकिन इस आयु वर्ग के 58 प्रतिशत मतदाता मतदाता सूची में मौजूद नहीं हैं।13

Voters Aged 18–19 Years in the Final List of Registered Voters Released on 29 April 2019				
18–19-yr olds total population	18–19-yr olds registered to vote	18–19-yr old registered voters % of total	18–19-yr olds missing from voters list	Missing 18–19-yr old voters % of total
947,900	394,780	41.6	553,120	58.6

रिपोर्टर ने एक जिला निर्वाचन अधिकारी के हवाले से बताया कि अनुमान के अनुसार, पंजाब से हर साल एक लाख से अधिक छात्र विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं।

डीईओ का अनुमान कम हो सकता है। 18 सितंबर 2018 को वैंकूवर सन में प्रकाशित एक लेख में उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, कनाडा में भारतीय छात्रों (मुख्यतः पंजाब से) की संख्या 130,000 थी। इसमें ब्रिटेन में यह संख्या 20,000 और ऑस्ट्रेलिया में 70,000 बताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में भारतीय छात्रों (मुख्यतः पंजाब से) की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगभग पांच गुना बढ़ गई है, क्योंकि संघीय सरकार ने भावी स्थायी निवासियों के रूप में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस (यूएनओडीसी) की 2009 की रिपोर्ट15 के आंकड़े अब थोड़े पुराने हो गए होंगे, लेकिन ये पूरी तरह से आधिकारिक हैं। यूएनओडीसी के जांचकर्ताओं ने रिपोर्ट दी, 'उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि पंजाब से अवैध प्रवासन काफी अधिक है। हर साल पंजाब से 20,000 से अधिक युवा अवैध प्रवासन का प्रयास करते हैं।'

2000 से 2004 के बीच पंजाब से औसतन 20,000 युवाओं को प्रति वर्ष गिरफ्तार किया

गया। अवैध प्रवास के अपने प्रयास में सफल होने वाले युवाओं की वार्षिक संख्या 20,000 से अधिक रही होगी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया:

> अधिकांश संभावित प्रवासियों के लिए कानूनी प्रवास का विकल्प न के बराबर था। अकुशल प्रवासियों के लिए सीमित अवसरों के कारण, वे अवैध प्रवास का सहारा लेते हैं। कुछ जिलों में अवैध प्रवास के मामलों की अधिक संख्या होने का कारण अतीत का प्रवास इतिहास, सामाजिक नेटवर्क, उच्च बेरोजगारी दर, कृषि की विफलता, ग्रामीण ऋण, एजेंटों की सक्रिय भूमिका आदि हो सकते हैं। इन सभी कारणों में से, उच्च बेरोजगारी दर और युवाओं की यह आम धारणा कि विदेश प्रवास शायद सबसे अच्छा विकल्प है, महत्वपूर्ण हैं। गाँव की सामाजिक संरचना, जो परंपरागत रूप से जाति, भूमि स्वामित्व, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक उपलब्धियों पर आधारित थी, अब बदल गई है और उन परिवारों के बीच अंतर करती है जिनके सदस्य अन्य देशों में हैं और जिनके सदस्य नहीं हैं।16

द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि इटली में भारतीयों की संख्या अब 200,000 से अधिक हो गई है, जिससे यह महाद्वीपीय यूरोप में सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय बन गया है। लगभग 30,000 अन्य लोग स्पेन में प्रवास कर चुके हैं।17 वे लगभग सभी पंजाबी हैं।

यहां तक कि नेशनल ज्योग्राफिक ने भी पंजाब से हुए पलायन की कहानी को उठाया।

> यदि आप युवा हैं, यदि आप महत्वाकांक्षी हैं, तो निराशा को कम करने, ऊब से बचने, और बिना हिले-डुले अपने भीतर गहराई में उतरने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करने का प्रलोभन प्रबल होता है। या आप इसके बजाय भाग जाने का विकल्प चुन सकते हैं। निर्वासन भी एक प्रकार का नशा हो सकता है।18

कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, या कभी-कभार दक्षिण अफ्रीका में प्रवास की 'गारंटी' देने वाले आईईएलटीएस कोचिंग और एजेंटों के लगातार विज्ञापनों को देखते हुए, लेखकों ने टिप्पणी की:

> ऐसा लगता है मानो पंजाब, जो भारत का प्रसिद्ध अन्न भंडार और सबसे धनी राज्यों में से एक है, जहाँ के लोग अपनी लगन, मेहनत और परिश्रम के लिए जाने जाते हैं, अपने सबसे युवा और प्रतिभाशाली लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन का सामना कर रहा हो। ढिंडसा नामक गाँव में आलू की खेती करने वाले अधेड़ उम्र के किसान हरप्रीत सिंह कहते हैं, 'यहाँ खेती का कोई भविष्य नहीं है। ज्यादातर हर साल नुकसान ही होता है। मैंने लगातार दो साल तक अपना निवेश खो दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लागत निकल पाती है।'
>
> फरीदकोट में ट्रंप प्लाजा नाम का एक जर्जर तीन सितारा होटल और 96 निजी अंग्रेजी भाषा के स्कूल हैं। इनमें से एक स्कूल की निदेशक गुलाबी सिंह कहती हैं, 'अगर वे खर्च उठा सकते, तो शायद हमारे 100 प्रतिशत बच्चे यहां से चले जाते।' ये स्कूल भावी प्रवासियों को अंग्रेजी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। 'वैंकूवर में टैक्सी चलाना भी यहां रहने से बेहतर है।'19

पंजाब से युवाओं के पलायन के बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट किया गया है।20

अनुभव तर्क को मात देता है

आम आदमी, विशेषकर युवा पुरुष या महिला, अपनी स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने में शायद

कठिनाई महसूस करें, लेकिन वे जानते हैं कि वे क्या अनुभव कर रहे हैं: स्थिर अर्थव्यवस्था, कृषि में गंभीर संकट, जिसका भयावह उदाहरण हर साल ग्रामीण आत्महत्याओं की भयावह संख्या है,21 उद्योगों का पतन, नौकरियों की कमी और नौकरियों की कोई उम्मीद नहीं, एक ऐसी राज्य सरकार जिसके पास वास्तव में धन नहीं है और जो हर गुजरते साल के साथ कर्ज में डूबती जा रही है। कॉमन कॉज़ की रिपोर्ट पुलिस और सरकार के प्रति गहरे अविश्वास की ओर इशारा करती है। कुछ लोग शायद उस वर्ष या अवधि की पहचान कर सकें जब यह अविश्वास पनपा; दूसरों के लिए, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ वे बड़े हुए हैं।

उग्रवाद स्वयं अलगाव की एक दीर्घकालिक भावना का लक्षण था। राज्य की प्रतिक्रिया ने उस अलगाव को और गहरा कर दिया। इसे कुचलने के लिए अपनाए गए निर्मम उपायों ने प्रशासनिक संस्कृति, विशेषकर पुलिस संस्कृति को विकृत कर दिया। न्यायालय 20 वर्षों तक पंगु रहे। पंजाब को हमेशा इस बहाने से उद्योग से वंचित रखा गया कि राज्य आक्रमण के प्रति संवेदनशील है, और हाल के वर्षों में पड़ोसी राज्यों को दी गई कर छूट योजनाओं ने उद्योग और रोजगार को बुरी तरह प्रभावित किया है। परंपरागत रूप से, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य रहा है; लेकिन, अगर कृषि में कोई उम्मीद बची होती, तो किसान और कृषि मजदूर आत्महत्या नहीं कर रहे होते।

राज्य की लगातार आने वाली सरकारें बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आईं, लेकिन उदासीनता या अक्षमता के कारण सभी संकेतक राज्य की स्थिति में गिरावट की ओर इशारा करते हैं। पार्टियां भ्रष्टाचार मुक्त और कुशल शासन प्रदान करने के गंभीर वादे करके मतदाताओं को लुभाती हैं; वे कृषि को बचाने और गांवों को पुनर्जीवित करने का वादा करती हैं; वे उद्योग को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं।

अगर इन दावों पर यकीन किया जाए, तो क्या लाखों युवा और उनके माता-पिता पंजाब से बाहर निकलने, भारत से बाहर निकलने के लिए इतना साहसिक प्रयास करेंगे? यह भी ध्यान देने योग्य है कि पंजाब के राजनेता अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे खुद भी अपनी कही बातों पर विश्वास नहीं करते।

वहाँ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।

पंजाब छोड़ने के लिए बेताब लोगों की प्रेरणाएँ मुख्य रूप से आर्थिक हैं, लेकिन केवल आर्थिक ही नहीं। एक और बात जो उन्हें पंजाब से निकलने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए प्रेरित करती है, वह यह विश्वास है कि वे भ्रष्ट प्रशासन, लालची पुलिस बल और स्वार्थी, निष्क्रिय और अनुत्तरदायी राजनीतिक संस्कृति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते।

3 मार्च 2018 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में गुरदासपुर जिले के एक गांव के एक युवक के हवाले से कहा गया है:

> उसने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और अब वह यहाँ से निकलना चाहता है। वह कहता है, "मुझे नहीं लगता कि ग्रीस पंजाब से बदतर हो सकता है। एजेंट ने मुझे बताया है कि मेहनती लोगों के लिए हमेशा काम उपलब्ध रहता है। मैं मेहनती हूँ। कम से कम मैं बाहर जाकर दुनिया देख तो सकता हूँ।"

एक या दो दशकों के भीतर, 1980 और 1990 के दशक की घटनाओं को देखने वाली पीढ़ी का अधिकांश हिस्सा गुजर चुका होगा। उस पीढ़ी के कुछ लोग सरकार से इतने विमुख हो गए थे कि उन्होंने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वे अपने घर और धर्म से विमुख नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें लड़ना अभी भी सार्थक लगा। उनके बच्चों और नाती-पोतों में से बहुत कम को पिछली पीढ़ी द्वारा

झेले गए आघातों के बारे में जानकारी है या उनमें रुचि है। उन्हें अपने वतन में इतनी कम उम्मीद दिखती है कि लड़ना सार्थक नहीं लगता; वे बस देश छोड़ देते हैं। यदि उग्रवाद अलगाव का एक लक्षण था, तो वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक विमुख है। विरासत को कायम रखने के लिए हमेशा उसे पहचानना या व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता।

नोट्स

1. https://www.news18.com/lok-sabha-elections-2019/punjab/
2. कुमार, 'यह किसी का भी खेल हो सकता है'।
3. अंग्रेजी में अपशब्दों का प्रयोग पंजाबी में अपशब्दों के प्रयोग के स्तर तक न तो रंगत में होता है और न ही रचनात्मकता में, लेकिन हमने इस तरह के संवादों की भावना को पुन: प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया है।
4. फुकन, 'कैपिटल कॉन्टेस्ट।'
5. सिंह, 'पंजाब की अर्थव्यवस्था कैसी है'।
6. https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/03/03/whats-in-store-for-indias-punjab/
7. इंडियास्पेंड टीम, 'पंजाब: धीमी वृद्धि, उच्च बेरोजगारी'।
8. यह KNN-India की वेबसाइट https://knnindia.co.in/news/newsdetails/state/fopsia-president-writes-letter-to-punjab-cm-alleging-of-huge-corruption-in-sgst-department से लिया गया है। 28 दिसंबर 2018 | KNN-India FOPSIA अध्यक्ष ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर SGST विभाग में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
9. केएनएन, 'एफओपीएसआईए अध्यक्ष ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा'।
10. यह http://commoncause.in/pdf/SPIR2018.pdf से लिया गया है, भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2018, कॉमन कॉज़। उद्धृत सामग्री प्रस्तावना, पृष्ठ 11 से है।
11. कॉमन कॉज़ एट अल., भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2018।

    राज्यवार वितरण से पता चलता है कि पंजाब में इस भय का प्रचलन अधिक है (तालिका 5.2)। चूंकि अधिकांश सिख प्रतिक्रियाएँ इसी राज्य से आ रही हैं, इसलिए पंजाब में उच्च स्तर के भय के कारण ही ये आंकड़े इतने अधिक हैं। आगे विश्लेषण करने पर, गरीब सिखों के भयभीत होने की संभावना अधिक पाई गई, और यही प्रवृत्ति अन्य सभी समूहों में भी देखी गई। लेकिन अन्य धर्मों के उच्च वर्गों की प्रतिक्रियाओं की तुलना में, सिख उच्च वर्ग के भयभीत होने की संभावना कहीं अधिक (42%) है, जबकि हिंदू उच्च वर्ग (14%) और मुस्लिम उच्च वर्ग (9%) में यह संभावना कम है (यह प्रवृत्ति पिछले चार दशकों में पंजाब के विशेष इतिहास से संबंधित हो सकती है)।
12. अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली (आईईएलटीएस)। यह अंग्रेजी भाषा में दक्षता का विश्व स्तर पर स्वीकृत परीक्षण है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके में छात्र या स्थायी निवासी वीजा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदक को एक निश्चित न्यूनतम आईईएलटीएस स्कोर प्राप्त करना आवश्यक है।
13. चाबा, '58.6% जनसंख्या 18-19 वर्ष आयु वर्ग की है'।
14. टॉड, 'लोकप्रिय कनाडाई छात्र वीजा'।
15. यूएनओडीसी, भारत से यूरोप में प्रवासियों की तस्करी।
16. वही।
17. तुम्बे, 'हाउ द रीसेंट पंजाबी माइग्रेशन'।
18. सलोपेक, 'भारत में युवा पलायन के दौरान चलना'।
19. वही।
20. नंदा, 'अशांत प्रवास'; गोपाल, 'विदेशी "आकर्षण"'; पटेल, '"विदेशी सपने"'।

21. चाबा, 'किसान आत्महत्याएँ'। 'पंजाब में 15 वर्षों में 16,000 किसानों, ग्रामीण मजदूरों ने आत्महत्या की।'
22. ब्रार, 'कम नौकरियाँ, लेकिन फिर भी कई लोगों को जोखिम है'।

ग्रन्थसूची

‘सम्मेलन रिपोर्ट: 1984 के बाद? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में आयोजित एक कार्यशाला’। सिख फॉर्मेशन्स 5, नं. 2 (2009): 115–141.

‘दोषी कौन हैं? दिल्ली दंगों के कारण और प्रभाव, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर)’। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 49, अंक 41 (2014): 1979–1985। https://www.epw.in/journal/2014/41/glimpses-past-web-exclusives/who-are-guilty.html

5 दरिया न्यूज़। 'बादल भारतीय संविधान के पुनर्गठन के लिए नई संविधान सभा की स्थापना के पक्ष में'। 5 दरिया न्यूज़, 5 मई 2012। http://www.5dariyanews.com/news/548-Badal-For-Setting-Up-A-New-Constituent-Assembly-To-Restructure-The-Indian-Constitution

अग्निहोत्री, अमित। ‘पंजाब में 9,336 विशेष सेवा कर्मचारी बिना वेतन के रह रहे हैं’। टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 फरवरी 2002। https://timesofindia.indiatimes.com/9336-SPOs-go-without-wages-in- Punjab/articleshow/1105290.cms

एमनेस्टी इंटरनेशनल। पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन: कानून का उपयोग और दुरुपयोग। लेखक, 1991। https://www.amnesty.org/download/Documents/196000/asa200111991ar.pdf

भारत: पंजाब में दंडमुक्ति और यातना के चक्र को तोड़ें। (एमनेस्टी इंडेक्स: एएसए 20/02/2003) लेखक, 2003। https://www.amnesty.org/download/Documents/104000/asa200022003en.pdf

एंडरसन, जॉन वार्ड। ‘पंजाब में हिंसा का चक्र’। वाशिंगटन पोस्ट, 2 सितंबर 1992। https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1992/09/02/punjabs-cycle-of-violence/53c9bd31-c8a4-407f-9035-413ccfb46cf8/?noredirect=on&utm_term=.4a5ffdc08692

बब्बर, गुरचरण सिंह। सरकार द्वारा आयोजित नरसंहार। बब्बर पब्लिकेशन्स, 1998।

बाबूशाही ब्यूरो। ‘बाबूशाही: बादल ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखा: “कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए कट्टरपंथियों का इस्तेमाल कर रही है”’। Babushahi.com, 21 नवंबर 2018। http://www.babushahi.com/full-news.php?id=81351&headline=Badal-writes-to-Rajnath-Singh:-%E2%80%98Cong-govt-using-radicals-to-distract-attention-from-own-failures%E2%80%98

बधवार, इंदरजीत। ‘न्याय मिश्रा आयोग की 1984 के सिख विरोधी दंगों पर रिपोर्ट को शायद ही कोई स्वीकार करे’। इंडिया टुडे, 30 अप्रैल 1986। https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19860430-justice-mishra-commission-report-on-1984-anti-sikhs-riots-may-find-few-takers-800825-1986-04-30

बाल, हरतोष सिंह। ‘1984 का नरसंहार: कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संगठित हिंसा को कैसे मंजूरी दी’। द कारवां, 30 अक्टूबर 2015। https://caravanmagazine.in/vantage/1984-massacre-how-senior-leaders-congress-sanctioned-organised-violence-indira-gandhi-death

बीबीसी न्यूज़। 'भारत में ज़मीन की बढ़ती कीमतों से परिवारों में कलह छिड़ रही है'। बीबीसी न्यूज़, 28 जनवरी 2013। https://www.bbc.com/news/world-asia-21171262

भाटिया, रामनिंदर के. ‘सिखों के विरुद्ध जघन्य अपराध के साक्ष्य’। टाइम्स ऑफ इंडिया, 23 फरवरी 2011। https://timesofindia.indiatimes.com/india/Evidence-of-abominable-crime-against-Sikhs/

articleshow/7552776.cms?referral=PM

बरार, जसमेल सिंह। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी: अस्तित्व की राजनीति। नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक संगठन, 1989।

बरार, कमलदीप सिंह। 'नौकरियां कम हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ग्रीस पहुंचने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं'। द इंडियन एक्सप्रेस, 4 नवंबर 2018। https://indianexpress.com/article/india/fewer-jobs-but-many-still-risk-it-all-to-reach-greece-5433059/

पॉल ब्रास द्वारा संपादित। दंगे और नरसंहार। लंदन: मैकमिलन प्रेस, 1996।

बुतालिया, उर्वशी और उमा चक्रवर्ती। '1984 में मीता बोस का वृत्तांत'। ओलिविया बेनेट, जो बेक्सली और किट्टी वार्नॉक द्वारा संपादित पुस्तक, आर्म्स टू फाइट आर्म्स टू प्रोटेक्ट: वीमेन स्पीक आउट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। लंदन: पैनोस, 1995।

चाबा, अंजू अग्निहोत्री। 'पंजाब की मतदाता सूची से 18-19 वर्ष आयु वर्ग की 58.6% आबादी गायब है'। द इंडियन एक्सप्रेस, 6 मई 2019। https://indianexpress.com/elections/58-6-population-aged-18-19-yrs-missing-from-punjab-voter-list-5711811/

———. 'किसान आत्महत्याएं: तीन विश्वविद्यालय अध्ययनों के आंकड़ों के साथ, यूनियनें उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगी'। द इंडियन एक्सप्रेस, 11 जनवरी 2018। https://indianexpress.com/article/india/farmer-suicides-armed-with-data-from-three-varsity-studies-farmer-unions-to-argue-case-in-hc-punjab-5019960/

चक्रवर्ती, उमा, और नंदिता हक्सर। दिल्ली दंगे: एक राष्ट्र के जीवन के तीन दिन। साउथ एशिया बुक्स, 1987।

चंडोके, नीरा, और प्रवीण प्रियदर्शी। 'संघर्ष के बाद के राज्यों में चुनावी राजनीति: पंजाब का मामला'। ऐस प्रोजेक्ट. http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/IN/chandhoke.pdf

चोपड़ा, राधिका। 'दुख का स्मरण: ऑपरेशन ब्लूस्टार का स्मरण'। सिख फॉर्मेशन्स 6, नं. 2 (2010): 119–152।

नागरिक आयोग। नागरिक आयोग की रिपोर्ट 1984। दिल्ली: टाटा प्रेस, 1984।

कॉमन कॉज़, सीएसडीएस, लोकनीति, टाटा ट्रस्ट और लाल परिवार फाउंडेशन। भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट 2018: प्रदर्शन और धारणाओं का अध्ययन। विकासशील समाजों के अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली, 2018। http://commoncause.in/pdf/SPIR2018.pdf

क्रॉसेट, बारबरा। 'पुलिस द्वारा की गई हत्याओं से पंजाब में आक्रोश भड़का'। द न्यूयॉर्क टाइम्स, 16 दिसंबर 1989। https://www.nytimes.com/1989/12/16/world/killings-by-police-stir-punjab-s-fury.html

डेलरिम्पल, विलियम। जिन्नों का शहर। लंदन: पेंगुइन बुक्स, 1994।

डेनमार्क आव्रजन सेवा। पंजाब, भारत में तथ्य-खोज मिशन पर रिपोर्ट: 21 मार्च से 5 अप्रैल 2000। लेखक, 2000। https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/14E13983-B03D-4EC8-9D65-194DAB45DED7/0/FactfindingmissiontoPunjabIndia2000.pdf

दास, वीना। जीवन और शब्द: हिंसा और साधारण जीवन की ओर पतन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 2006।

———. हिंसा के दर्पण: दक्षिण एशिया में समुदाय, दंगे और पीड़ित। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990।

देवगन, तरसेम सिंह। 'वाईएडी के पूर्व नेता सनी जोहर का निधन'। हिंदुस्तान टाइम्स, 27 अप्रैल 2014। https://www.hindustantimes.com/punjab/former-yad-leader-sunny-johar-dies/story-q436STcvDsPQnUujyewzGP.html

देओल, हरनिक। भारत में धर्म और राष्ट्रवाद: पंजाब का मामला। लंदन: रूटलेज, 2000।

देसवाल, दीपेंद्र। 'हरियाणा में भी हत्याओं का सिलसिला फैला'। द ट्रिब्यून, 23 दिसंबर 2018। https://www.tribuneindia.com/news/sunday-special/people/the-killings-spread-to-haryana-too/702667.html

धलीवाल, सरबजीत। 'पुलिस विभाग को 3203.99 करोड़ रुपये मिले: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इससे कहीं अधिक'। द ट्रिब्यून, 20 जून 2012। https://www.tribuneindia.com/2012/20120621/punjab.htm

ढिल्लों, किरपाल। पहचान और अस्तित्व: भारत में सिख उग्रवाद 1978-1993। लंदन: पेंगुइन यूके, 2006।

डोगरा, चंदर सुता। 'जिंदा या मुर्दा? पंजाब के कई "मृत" आतंकवादी अभी भी जीवित हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश "मृत" रहना पसंद करते हैं'। आउटलुक, 13 मार्च 2006। https://www.outlookindia.com/magazine/story/dead-or-alive/230550

एन्साफ। पंजाब पुलिस: अवैध हिरासत और यातना के माध्यम से आतंकवाद का जाल बिछाना। अक्टूबर 2005। https://ensaaf.org/publications/reports/fabricating-terrorism/

पंजाब सामूहिक दाह संस्कार मामला, भारत में कानून का शासन जल रहा है। जनवरी 2007। https://ensaaf.org/programs/legal-advocacy/punjab-mass-cremations-case/

ईटी ब्यूरो। 'अमेरिकी अदालत ने 1984 में सिख "नरसंहार" के लिए कांग्रेस को तलब किया'। इकोनॉमिक टाइम्स, 3 मार्च 2011। https://m.economictimes.com/news/poliics-and-nation/us-court-summons-congress-for-sikh-genocide-in-1984/articlehow/7616384.cms

एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस। 'पूर्व डीजीपी ने भू-माफिया और राजनेताओं, पुलिसकर्मियों, बाबुओं के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया; सीबीआई जांच की मांग की'। द इंडियन एक्सप्रेस, 18 दिसंबर 2010। http://archive.indianexpress.com/news/exdgp-alleges-nexus-between-land-mafia-and-politicians-cops-babus–seeks-cbi-probe/726318/0

———. 'बच्चे की हत्या का मामला: मोगा एसएसपी समेत 7 बरी'. द इंडियन एक्सप्रेस, 11 मई 2012. http://archive.indianexpress.com/news/kid-murder-case-moga-ssp-among-7-acquitted/948046/

एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस। 'रिश्तेदारों का आरोप, रेस्टोबार खोलने के लिए एनआरआई का घर जबरन ध्वस्त किया गया'। द इंडियन एक्सप्रेस, 5 जनवरी 2013। http://archive.indianexpress.com/news/nri-s-house-forcibly-demolished-to-open-restobar-alleges-kin/1054918/0

———. 'खालरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी'। द इंडियन एक्सप्रेस, 5 नवंबर 2011। http://archive.indianexpress.com/news/sc-upholds-life-term-for-five-cops-in-khalra-murder/870940/0

फर्स्ट पोस्ट। 'मोदी सरकार ने 1984 के दंगों के प्रत्येक पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की'। फर्स्ट पोस्ट, 30 अक्टूबर 2014। https://www.firstpost.com/politics/modi-govt-offers-compensation-of-rs-5-lakh-to-kin-of-each-1984-riot-victims-1780265.html

फ्रांस 24. 'हिजबुल्लाह का नया वीडियो गेम खिलाड़ियों को सीरिया में आईएस लड़ाकों का सफाया करने की सुविधा देता है'। फ्रांस 24, 1 मार्च 2018। https://www.france24.com/en/20180301-hezbollah-video-game-syria-lebanon

राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट, 2001। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, 2001। https://www.vifindia.org/sites/default/files/GoM%20Report%20on%20National%20Security.pdf

गोपाल, नवजीवन। 'विदेशी "आकर्षण": विदेश प्रवास एक स्टेटस सिंबल बन गया है'। द इंडियन एक्सप्रेस, 20 जनवरी 2016। https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/foreign-attraction-migration-abroad-has-become-status-symbol/

ग्रेवाल, ज्योति। राज्य द्वारा विश्वासघात, 1984 का सिख विरोधी नरसंहार। नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इंडिया, 2007।

ग्रिसवॉल्ड, एलिज़ा। 'भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का हिंसक परिणाम'। द न्यू यॉर्कर, 5 मार्च 2019। https://www.newyorker.com/news/on-religion/the-violent-toll-of-hindu-nationalism-in-india

ग्रोवर, वृंदा। नरसंहार 84: दिल्ली में 4,000 सिखों का नरसंहार। https://www.carnage84.com/judge/analysis.htm

उच्च न्यायालय संवाददाता। 'जनहित याचिका में मृत घोषित व्यक्तियों के नाम मांगे गए'। द ट्रिब्यून, 23 फरवरी 2006।

https://www.tribuneindia.com/2006/20060223/punjab1.htm

हॉब्स, थॉमस। लेवियाथन: या, एक कॉमनवेल्थ एक्लेसिआस्टिकल और सिविल का पदार्थ, रूप और शक्ति। लंदन, 1651।

एचटी कॉरिस्पोंडेंस। 'रोपड़ फर्जी मुठभेड़: तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, एक को दो की हत्या के लिए आजीवन कारावास'। हिंदुस्तान टाइम्स, 28 फरवरी 2019। https://www.hindustantimes.com/chandigarh/1993-ropar-fake-encounter-three-cops-found-guilty-one-gets-life-term-for-killing-two/story-evVLmlH3u7Xe0TM0npflBL.html

———. 'फर्जी मुठभेड़: हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की जनहित याचिका खारिज की'। हिंदुस्तान टाइम्स, 9 जुलाई 2013। https://m.hindustantimes.com/chandigarh/fake-encounters-hc-dismisses-pil-for-cbi-probe/story-AFafyqIJyeOME8laZlFOKL_amp.html

एचटी संवाददाता। 'पंजाब चुनाव परिणाम: सिमरनजीत मान, जगमीत कोई फर्क नहीं ला पाए।' हिंदुस्तान टाइम्स, 12 मार्च 2017। https://www.hindustantimes.com/assembly-elections/punjab-election-results-simranjit-mann-jagmeet-fail-to-make-any-difference/story-AXfocwxza2Cn6FCJfkxDNN.html

आईएएनएस। 'अमरिंदर सरकार ने कट्टरपंथी ताकतों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है: अकाली दल'। बिजनेस स्टैंडर्ड, 4 सितंबर 2018। https://www.business-standard.com/article/news-ians/amarinder-government-has-surrendered-to-radical-forces-akali-dal-118091401225_1.html

———. 'रूस के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक "असमान" देश: रिपोर्ट'। द पायनियर, 4 सितंबर 2016। https://www.dailypioneer.com/2016/business-and-finance/india-second-most-unequal-country-after-russia-report.html

इंडिया टुडे। 'आई.के. गुजराल ने पंजाब पर 1984 से जमा हुए 8,500 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज को माफ किया। इंडिया टुडे, 4 अगस्त 1997। https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19970804-i.k.-gujral-writes-off-outstanding-rs-8500-crore-debt-punjab-accumulated-since-1984-831853-1997-08-04

इंडियास्पेंड टीम। 'पंजाब: धीमी वृद्धि, उच्च बेरोजगारी नई सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां'। इंडियास्पेंड, 15 मार्च 2017। https://archive.indiaspend.com/cover-story/punjab-slow-growth-high-unemployment-big-challenges-for-new-governent-39427

इंदिरा जयसिंह। 'जब मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील पहले से ही जेल में हैं, तो बेसहारा लोगों की रक्षा कौन करेगा?' द लीफलेट, 28 अगस्त 2018। http://theleaflet.in/when-human-rights-lawyers-activists-are-arrested-who-will-remain-to-defend-the-defenceless/#

जॉय, शेमिन। 'राज्य पुलिस पर अपने बजट का मात्र 3% खर्च करते हैं: अध्ययन'। डेक्कन हेराल्ड, 6 जुलाई 2017। https://www.deccanherald.com/content/621213/states-spend-paltry-3-budget.html

न्यायाधीश परमजीत सिंह। विद्रोह से आंदोलन तक: पंजाब में नक्सलवादी आंदोलन। नई दिल्ली: पॉपुलर प्रकाशन, 1992।

कमल, नील। 'अमरिंदर सिंह के कठोर शब्द हमें और मजबूत बनाते हैं: प्रकाश सिंह बादल'। इकोनॉमिक टाइम्स, 3 फरवरी 2017। https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/amarinder-singhs-harsh-words-make-us-stronger-parkash-singh-badal/articleshow/56949805.cms?from=mdr

कांत, शशि। 'पूर्व डीजीपी: "मृत" पुलिस अधिकारी कनाडा में रह रहा है'। द ट्रिब्यून, 11 दिसंबर 2015। https://www.tribuneindia.com/news/punjab/ex-dgp-dead-cop-living-in-canada/169365.html

कौर, जसकरण और बारबरा क्रॉसेट। बीस वर्षों की दण्डमुक्ति: भारत में सिखों के नवंबर 1984 के नरसंहार, द्वितीय संस्करण। न्यूयॉर्क: एन्साफ, 2004।

कौर, जसकरण और धामी सुखमन। हत्यारों को संरक्षण देना: पंजाब, भारत में दण्डमुक्ति की नीति। न्यूयॉर्क: ह्यूमन राइट्स वॉच, 2007।

कौर, पवित। चोरी हुए साल (संस्मरण)। नई दिल्ली: रैंडम हाउस, 2014।

कौर, सुखदीप। 'उच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजाब सरकार ने "उच्च और शक्तिशाली" लोगों द्वारा हड़पी गई भूमि को मुक्त कराने के लिए पैनल का गठन किया'। हिंदुस्तान टाइम्स, 5 मई 2018। https://www.hindustantimes.com/punjab/on-hc-nudge-punjab-govt-forms-panel-to-free-land-grabbed-by-high-and-mighty/story-6KHSj0ZY69uRIUSKzWY0OK.html

कौर, सुरंग्या। 'पथरीबल: 18 वर्षों के अन्याय का कालक्रम'। न्यूज़क्लिक, 26 मार्च 2018। https://www.newsclick.in/pathribal-timeline-18-years-injustice

खन्ना, रुचिका एम. 'सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के जबरन वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया'। द ट्रिब्यून, 17 अगस्त 2001। https://www.tribuneindia.com/2001/20010817/punjab1.htm

केएनएन। 'एफओपीएसआईए अध्यक्ष ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसजीएसटी विभाग में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया'। केएनएन-इंडिया, 28 दिसंबर 2018। https://knnindia.co.in/news/newsdetails/state/fopsia-president-writes-letter-to-punjab-cm-alleging-of-huge-corruption-in-sgst-department

कोठारी, स्मितु और हर्ष सेठी, संपादक। एक दागदार शहर से आवाजें: परिप्रेक्ष्य में दिल्ली नरसंहार। नई दिल्ली: लोकायन, 1985।

कुलकर्णी, पवन। 'हत्या की साजिशें और अन्य अफवाहें: भारत में वामपंथी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार सताया गया, इसकी कहानी'। पीपल्स डिस्पैच, 1 सितंबर 2018। https://peoplesdispatch.org/2018/09/01/assassination-plots-and-other-rumors-the-story-of-how-left-wing-activists-were-hounded-in-india/

कुमार, आशुतोष। 'पंजाब में किसी का भी खेल हो सकता है'। लाइव मिंट, 31 जनवरी 2017। https://www.livemint.com/Opinion/J9WkH82vJwoweFSOuiJQoO/Its-anybodys-game-in-Punjab.html

कुमार, राम नारायण, अमरिक सिंह, अशोक अग्रवाल और जसकरण कौर। राख में तब्दील: पंजाब में विद्रोह और मानवाधिकार। दक्षिण एशिया मानवाधिकार मंच, 2003।

लाइवमिंट। 'भारत के सबसे धनी 1% लोगों के पास अब 58.4% संपत्ति है'। लाइवमिंट, 24 नवंबर 2016। https://www.livemint.com/Multimedia/rqjHrs2zDQN6w66kVKd9dN/The-richest-1-of-Indians-now-own-584-of-wealth.html

महमूद, सिंथिया केपली। आस्था और राष्ट्र के लिए संघर्ष, सिख उग्रवादियों के साथ संवाद। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया प्रेस, 2010।

मेल टुडे ब्यूरो। 'खुफिया ब्यूरो ने सिख उग्रवाद पर बनी फिल्मों को लेकर गृह मंत्रालय को सतर्क किया'। इंडिया टुडे, 5 मई 2015। https://www.indiatoday.in/mail-today/story/sikh-militancy-ib-alert-blue-star-films-251591-2015-05-06

मलिक, सौरभ। 'फर्जी मुठभेड़ में मौत के मामले में पुलिसकर्मी बरी'। द ट्रिब्यून, 8 अप्रैल 2009। https://www.tribuneindia.com/2009/20090408/punjab.htm#17

———. 'उच्च न्यायालय ने आरोपी पुलिसकर्मियों को राहत देने से इनकार किया: कहा कि "कानून को अपने हाथ में लेने वालों" पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है'। द ट्रिब्यून, 16 मई 2012। https://www.tribuneindia.com/2012/20120515/punjab.htm#4

———. 'नयागांव भूमि हड़पने का मामला: आईजीपी दोषी के परिवार को संरक्षण दे रहे हैं'। द ट्रिब्यून, 17 नवंबर 2007। https://www.tribuneindia.com/2007/20071117/punjab1.htm#5

मेहता, परविंदर। 'दमनकारी मौन और 1984 की छायाएँ: विलोपन, चूक और कथात्मक संकट'। सिख फॉर्मेशन्स 6, नं. 2

(2010): 153–175।

मेहता, सुनंदा। 'नए युग के फिल्म निर्माता पंजाबी सिनेमा में आशा जगाते हैं'। द इंडियन एक्सप्रेस, 13 फरवरी 2019। https://indianexpress.com/article/entertainment/play/beyond-balle-balle/99/

मिट्टा, मनोज, और एच. एस. फूलका। व्हेन अ ट्री शूक दिल्ली। नई दिल्ली: रोली बुक्स, 2007।

मॉरो, डैनियल और माइकल कैरिएर। 'भारत और पाकिस्तान पर 1998 के प्रतिबंधों के आर्थिक प्रभाव'। द नॉनप्रोलिफरेशन रिव्यू 6, नं. 4 (1999): 1–16। https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/morrow64.pdf

मुखर्जी, आदित्य, संपादक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी इतिहास, खंड V. नई दिल्ली: एकेडमिक फाउंडेशन, 2012।

नंदा, अश्विनी कुमार। 'प्रवासन का अशांत पक्ष'। द ट्रिब्यून, 3 मार्च 2018। https://www.tribuneindia.com/news/sunday-special/people/unsettling-migration-s-underbelly/737217.html

नेल्सन, डीन। 'भारतीय पुलिसकर्मी ने अपनी बेटी की मुफ्त शिक्षा के लिए अपनी मौत का नाटक किया'। द टेलीग्राफ, 16 अगस्त 2013। https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10247482/Indian-policeman-fakes-his-own-death-so-daughter-can-get-free-education.html

ओहरी, राघव। 'पंजाब के शीर्ष नेताओं के पास शहर के बाहरी इलाकों में ज़मीन के बड़े-बड़े टुकड़े हैं'। द इंडियन एक्सप्रेस, 18 दिसंबर 2010। http://archive.indianexpress.com/news/punjab-topshots-own-major-land-chunks-in-city-periphery/726306/

पंढेर, सरबजीत. 'एक अग्रणी प्रयास'. फ्रंटलाइन, 12-25 मार्च 2005। https://frontline.thehindu.com/static/html/fl2208/stories/20050422002612000.htm

पटेल, आनंद कुमार। '"विदेशी सपने": ग्रामीण पंजाब शहरी आबादी से कहीं आगे'। एनडीटीवी, 5 दिसंबर 2015। https://www.ndtv.com/india-news/foreign-dreams-rural-punjab-way-ahead-of-urban-population-1251199+&cd=12&hl=en&ct=clnk&gl=in

पॉल, कारी। 'अमेरिका के 1% लोगों ने महामंदी से पहले के समय से इतनी संपत्ति पर नियंत्रण नहीं किया है'। मार्केट वॉच, 5 अगस्त 2018। https://www.marketwatch.com/story/wealth-inequality-in-the-us-is-almost-as-bad-as-it-was-right-before-the-great-depression-2018-07-19

लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जन संघ और नागरिक स्वतंत्रता के लिए जन संघ। दोषी कौन हैं? 31 अक्टूबर से 10 नवंबर, 1984 तक दिल्ली में हुए दंगों के कारणों और प्रभावों की संयुक्त जांच की रिपोर्ट। नई दिल्ली: PUDR और PUCL, 1984

पीपुल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। न्याय से वंचित: नवंबर 1984 के दंगों पर एन मिश्रा आयोग की रिपोर्ट की एक आलोचना। नई दिल्ली: पीयूडीआर, 1987।

पेट्टीग्रेव, जॉयस। पंजाब के सिख: राज्य और गुरिल्ला हिंसा की अनसुनी आवाजें। ज़ेड बुक्स लिमिटेड, 1995।

Phukan, Sandeep. 'Capital Contest: AAP Slides; BJP, Congress Fancy Chances'. The Hindu, 7 May 2019. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/capital-contest-aap-slides-bjp-congress-fancy-chances/article27061316.ece

प्रीत, जतिंदर। 'केंद्र ने पंजाब की 69,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफी की याचिका खारिज की'। द संडे गार्जियन, 17 अप्रैल 2011। http://www.sunday-guardian.com/news/centre-rejects-punjab-plea-for-69000-cr-debt-waiver

पीटीआई। 'केजरीवाल को परवाह नहीं कि कौन जिएगा या मरेगा, आम आदमी पार्टी को पंजाब से बाहर रखा जाना चाहिए: कैप्टन अमरिंदर सिंह'। डीएनए-इंडिया, 1 फरवरी 2017। https://www.dnaindia.com/india/report-punjab-elections-2017-captain-amarinder-accuses-kejriwal-of-promoting-extremist-forces-2306160

———. ‘सरकारी कर्मचारियों पर अवैध कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट’। इकोनॉमिक टाइम्स, 8 जुलाई 2016। https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/no-sanction-needed-to-try-government-servants-for-illegal-acts-supreme-court/articleshow/53117427.cms

दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए 400 से अधिक लोगों को दोषी ठहराया गया: सरकार। द क्विंट, 23 दिसंबर 2015। https://www.thequint.com/news/india/over-400-people-convicted-for-1984-anti-sikh-riots-in-delhi-govt

पुद्र. 1984 दिल्ली नरसंहार: उसके बाद की स्थिति पर एक रिपोर्ट. नई दिल्ली: पुद्र, 1992.

जैन बनर्जी पैनल: एक शव की हत्या। नई दिल्ली: पुद्र, 1989।

1984 के दंगों के पीड़ितों को याद करते हुए: शोक और पीड़ा में। नई दिल्ली: पुद्र, दिनांक अज्ञात।

पुरी, हरीश, और पी.एस. जज। पंजाब में आतंकवाद: जमीनी हकीकत को समझना। नई दिल्ली: हर आनंद पब्लिकेशन्स, 2007।

राकेश, कुमार और सुखबीर सिवाच। ‘वायरलेस घोटाले में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए’। टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 सितंबर 2006। https://timesofindia.indiatimes.com/india/Top-cops-named-in-wireless-scam/articleshow/1951329.cms&hl=en&gl=in&strip=1&vwsrc=0

राम, रोंकी। ‘पंजाब में तीसरा विकल्प: तीसरे विकल्प के साथ क्या गलत हुआ? पंजाब में आम आदमी पार्टी के उदय और पतन का विश्लेषण’। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पंजाब स्टडीज 25, अंक 1 (2018): 3–36। https://www.researchgate.net/publication/324220335_What_Went_Wrong_With_the_Third_Alternative_Exploring_the_Rise_and_De

रामबानी, विशाल और नवराजदीप सिंह। 'पूर्व वीबी एसएसपी और अन्य पर झूठे आरोप में मुकदमा'। हिंदुस्तान टाइम्स, 15 मई 2012। https://www.hindustantimes.com/chandigarh/former-vb-ssp-others-indicted-for-frame-up/story-Qb9d6gnC2xSiZiLs48hOiI.html

रणधावा, मनप्रीत। ‘पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारी संदिग्ध सौदों से अछूते नहीं’। हिंदुस्तान टाइम्स, 5 सितंबर 2014। https://www.hindustantimes.com/chandigarh/punjab-police-top-brass-no-stranger-to-murky-deals/story-yGmnMyOqWD9wRtxzgbMhLM.html

राव, अमिया, और अरबिंदो घोष, एन. डी. पंचोली। दिल्ली हिंसा का सच, राष्ट्र के नाम रिपोर्ट। नई दिल्ली: सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, 1985।

रेडिफ। “‘फासीवादी” आम आदमी पार्टी पंजाब को कश्मीर में बदल देगी: अमरिंदर’। रेडिफ, 31 जनवरी 2017। https://www.rediff.com/news/report/fascist-aap-will-turn-punjab-into-kashmir-amarinder/20170131.htm

———. ‘प्रधानमंत्री ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए माफी मांगी’। रेडिफ, 11 अगस्त 2005। https://www.rediff.com/news/2005/aug/11pm.htm

सलोपेक, पॉल। ‘भारत में युवा पलायन के सफर पर: पंजाब में पैदल यात्रा, जहाँ सड़कें पलायन की ओर ले जाती हैं।’ नेशनल ज्योग्राफिक, 12 जुलाई 2018। https://www.nationalgeographic.org/projects/out-of-eden-walk/articles/2018-07-walking-through-youthful-exodus-india/

संधू, कंवर। ‘पंजाब पुलिस आतंकवाद से लड़ते हुए कानून की सीमाओं का उल्लंघन करती है’। इंडिया टुडे, 15 अक्टूबर 1992। https://www.indiatoday.in/magazine/special-report/story/19921015-punjab-police-transgresses-limits-of-law-fighting-terrorism-767008-2012-12-26

———. ‘पंजाब पुलिसकर्मियों ने उग्रवादियों के घरों पर कब्जा किया’। इंडिया टुडे, 31 दिसंबर 1992। https://www.indiatoday.in/magazine/investigation/story/19921031-houses-belonged-to-

militants-being-used-by-punjab-police-for-official-or-personal-purposes-767049-2012-12-31

शान, हरनाम सिंह। एक भारतीय यातना कक्ष: लाधा कोठी की पूरी कहानी। पंजाब मानवाधिकार संगठन, 1990

शनि, जियोर्जियो। 'घल्लूघारा का स्मरणोत्सव: आघात, राष्ट्र और डायस्पोरा'। सिख फॉर्मेशन्स 6, नं. 2 (2010): 177–192।

Sharma, Aabhas. 'Jatt di Film'. Business Standard, 21 June 2013. https://www.business-standard.com/article/beyond-business/jatt-di-film-113062101038_1.html

शर्मा, बेतवा। 'सिखों के नरसंहार के 30 साल बाद भी न्याय नहीं'। अल जज़ीरा, 31 अक्टूबर 2014। https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/10/india-justice-30-years-congress-sikh-goldentemple-20141030142222751433.html

शर्मा, पवन। 'सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आगे की सुनवाई पर रोक लगाई'। हिंदुस्तान टाइम्स, 14 जुलाई 2012। https://www.hindustantimes.com/chandigarh/sc-stays-further-trial-against-accused-cops/story-iMlNBc7buUNGxYb6207VpO.html

शर्मा, रजनीश। 'सिख दंगे: भाजपा ने रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम लिया'। हिंदुस्तान टाइम्स, 2 फरवरी 2002।

शर्मा, सचिन। 'बठिंडा में अमरिंदर ने बादल को आतंकवाद और ऑपरेशन ब्लूस्टार के लिए दोषी ठहराया'। हिंदुस्तान टाइम्स, 25 जनवरी 2017। https://www.hindustantimes.com/assembly-elections/in-bathinda-captain-amarinder-blames-badal-for-terrorism-operation-bluestar/story-1fW78PZj8rWhQwHDtsdrUM.html

सिल्वा, रोमेश, जैस्मीन मारवाहा और जेफ क्लिंगनर। पंजाब, भारत में आतंकवाद-विरोधी अभियान के दौरान हुई हिंसक मौतें और जबरन गुमशुदगी: एक प्रारंभिक मात्रात्मक विश्लेषण। पालो ऑल्टो: एनसाफ और बेनेटेक मानवाधिकार डेटा विश्लेषण समूह—एचआरडीएजी, 2009।

सिंह, अन्नपूर्णा। 'बेरोजगारी, एक अनकही समस्या'। डेक्कन हेराल्ड, 17 अप्रैल 2019। https://www.deccanherald.com/opinion/comment/unemployment-the-elephant-in-the-room-729181.html

सिंह, अनुराग। ऑपरेशन ब्लूस्टार का ज्ञानी किरपाल सिंह का प्रत्यक्षदर्शी विवरण: स्वर्ण मंदिर परिसर पर सेना का भीषण और घातक हमला। बी. चत्तर सिंह जीवन सिंह, 1999।

सिंह, अत्तर और रवि धालीवाल। 'फर्जी मुठभेड़: उच्च न्यायालय जांच करेगा कि क्या रजिस्ट्री में मामले तय किए गए थे'। द ट्रिब्यून, 13 मई 2008। https://www.tribuneindia.com/2008/20080513/punjab1.htm

सिंह, चंचल मनोहर। 'एनआरआई की संपत्तियां: पंजाब में सक्रिय शक्तिशाली राजनेताओं द्वारा समर्थित भू-माफिया से सावधान रहें, जो इन संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं'। पंजाब खबर, 3 अगस्त 2014। http://www.punjabkhabar.com/news/print.aspx?ac=431

सिंह, गजिंदर। 'आतंकवाद से संबंधित ऋण माफी के लिए सरकार की शर्त'। द टेलीग्राफ, 25 दिसंबर 2002। https://www.telegraphindia.com/india/govt-term-for-terror-loan-waiver/cid/849240

सिंह, गुरहरपाल। पंजाब में साम्यवाद: 1967 तक के आंदोलन का अध्ययन। अजंता पब्लिकेशन्स, 1994।

सिंह, आई. पी. 'आरटीआई से खुलासा हुआ कि नवंबर 1984 में गुरुग्राम में उन स्थानों पर सिखों की हत्या की गई थी जहां पुलिस मौजूद थी'। टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 दिसंबर 2018। https://timesofindia.indiatimes.com/city/ludhiana/rti-reveals-sikhs-were-killed-at-the-spots-in-gurugram-where-police-were-present-in-nov-1984/articleshow/67737495.cms

सिंह, इंदरजीत। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी: उत्पत्ति, समर्थन आधार और प्रदर्शन (पीएचडी थीसिस)। सामाजिक विज्ञान संकाय, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, 2011।

सिंह, इकबाल। पंजाब घेराबंदी में: एक आलोचनात्मक विश्लेषण। न्यूयॉर्क: एलन मैकमिलन और एंडरसन, 1986।

सिंह, जरनैल। मैं आरोप लगाता हूँ: 1984 की सिख विरोधी हिंसा। नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इंडिया, 2009।

सिंह, जोगिंदर। 'पंजाब की अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है'। द ट्रिब्यून, 31 अगस्त 2018। https://www.tribuneindia.com/news/comment/how-punjab-economy-can-be-revived/645211.html

सिंह, जुपिंदरजीत। 'संपत्ति विवाद: एनआरआई पैनल ने विजिला-ब्यूरो जांच का आदेश दिया'। द ट्रिब्यून, 4 अगस्त 2017। https://www.tribuneindia.com/news/punjab/property-dispute-nri-panel-orders-vb-probe/446906.html

———. 'पंजाब के डीजीपी ने उग्रवाद मामलों में पुलिसकर्मियों को राहत देने की मांग की'। द ट्रिब्यून, 3 सितंबर 2018। https://www.tribuneindia.com/news/punjab/punjab-dgp-for-relief-to-cops-in-militancy-cases/646979.html

———. 'भूमि हड़पने के मामले में एसएचओ की संलिप्तता: डीसी ने पुलिसकर्मी को निलंबित किया, डीआईजी ने उसे पद पर बने रहने को कहा'। द ट्रिब्यून, 23 नवंबर 2002। https://www.tribuneindia.com/2002/20021124/ldh1.htm#2

———. '50 फर्जी मुठभेड़ों की गवाह: पुलिस की 'बिल्ली' पिंकी'। द ट्रिब्यून, 6 दिसंबर 2015। https://www.tribuneindia.com/news/punjab/witnessed-50-fake-encounters-police-cat-pinky/167204.html

सिंह, खुशवंत। पंजाब की त्रासदी: ऑपरेशन ब्लूस्टार और उसके बाद। नई दिल्ली: विजन बुक्स, 1984।

सिंह, नवराजदीप। 'पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने संपत्ति मामले में पूर्व एसएसपी ग्रेवाल पर मामला दर्ज किया'। हिंदुस्तान टाइम्स, 27 दिसंबर 2017। https://www.hindustantimes.com/punjab/punjab-vigilance-bureau-books-ex-ssp-grewal-in-assets-case/story-hYspVzRGEvlTrzxATN1GnK.html

सिंह, प्रभजीत। 'मंड मारपीट मामला: मामला बढ़ा, एसएसपी मंड का कहना है कि वह बस "गिर गया"'। हिंदुस्तान टाइम्स, 26 नवंबर 2013। https://www.hindustantimes.com/chandigarh/mand-assault-case-elevated-ssp-mand-says-he-just-fell-down/story-I1URuIoXlMLYrWuKqtasEM.html

———. 'पंचायत भूमि सौदों में संदेह: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने वाले ट्रिब्यूनल को खारिज किया; मामला वापस उच्च न्यायालय में'। हिंदुस्तान टाइम्स, 9 अप्रैल 2015। https://www.hindustantimes.com/chandigarh/murky-panchayat-land-deals-sc-says-no-to-annul-tribunal-issue-back-in-high-court/story-S6G6q8kzs5f0XcXA8fWRML.html

———. 'पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप ट्रिब्यूनल को रद्द करने की मांग करने वाले कानूनी विशेषज्ञों को 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया'। हिंदुस्तान टाइम्स, 29 नवंबर 2013। https://www.hindustantimes.com/chandigarh/punjab-pays-rs-1-cr-to-legal-experts-seeking-annulment-of-kuldip-tribunal-in-sc/story-wrRDuJM5qyuXMl8tneMgLN.html

सिंह, प्रभजोत। 'पंजाब पुलिस दो और आईआरबी (अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल) गठित करेगी'। द ट्रिब्यून, 21 जनवरी 2001। https://www.tribuneindia.com/2001/20010121/punjab1.htm

सिंह, रुचिरा, और कोशी, जैकब पी. 'पांच राज्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सूखा राहत'। लाइव मिंट, 1 अगस्त 2012। https://www.livemint.com/Politics/zkecLJ0aIuqvOhh5RWT1VJ/Rs-2000-crore-drought-relief-for-five-states.html

सिंह, सबरमीत। 'पूर्व और वर्तमान विधायकों और मंत्रियों के परिजनों ने विजयी शुरुआत की'। हिंदुस्तान टाइम्स, 24 सितंबर 2018।

सिंह, वरिंदर। 'उपचार से निपटने की ओर!' द ट्रिब्यून, 20 मई 2006। https://www.tribuneindia.com/2006/20060520/real.htm#3

सरहिंदी, मनीष। 'सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व एसएसपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की'। टाइम्स ऑफ इंडिया, 14 अप्रैल 2018। https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/sc-rejects-interim-bail-of-former-ssp-in-corruption-case/articleshow/63754141.cms

सोढ़ी, एस.एस. न्याय का दूसरा पहलू। दिल्ली: हे हाउस, 2007।

स्टीवंस, विलियम के. 'सिख विरोधी संघर्ष भड़कने पर भारतीय सेना 9 शहरों में पहुंची: गांधी जी के पार्थिव शरीर के पास से भारी भीड़ गुजरी'। द न्यूयॉर्क टाइम्स, 2 नवंबर 1984। https://www.nytimes.com/1984/11/02/world/indian-army-goes-into-9-cities-anti-sikh-battling-flares-throngs-file-gandhi-s.html

———. 'पंजाब को इनाम मानकर उग्रवादी आतंक फैला रहे हैं'। द न्यूयॉर्क टाइम्स, 3 अप्रैल 1984। https://www.nytimes.com/1984/04/03/world/with-punjab-the-prize-sikh-militants-spread-terror.html

सूरा, अजय। 'केंद्र ने ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को भुगतान करने पर सहमति जताई'। टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 जुलाई 2018। https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-agrees-to-pay-those-detained-after-operation-blue-star/articleshow/64831908.cms

सूरा, अजय। 'होंध-चिल्लर हत्याकांड: हरियाणा पुलिस के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं'। टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 दिसंबर 2018। https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/hondh-chillar-killings-no-action-against-haryana-cops-yet/articleshow/67140532.cms

———. '1992 में एक ही परिवार के छह सदस्यों के लापता होने के मामले में पंजाब के 12 पुलिसकर्मियों को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं'। टाइम्स ऑफ इंडिया, 25 मार्च 2019। https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/no-high-court-reprieve-for-12-punjab-cops-in-1992-disappearance-of-six-of-family/articleshow/68555640.cms

टंडन, अदिति। 'पंजाब सामूहिक दाह संस्कार-1: कैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका और एक प्रेस नोट ने दोषियों को सज़ा दिलाई'। द ट्रिब्यून, 6 अप्रैल 2012। https://www.tribuneindia.com/2012/20120406/main6.htm

———. 'पंजाब में सामूहिक दाह संस्कार-2: केंद्र और पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट की जांच की पहल को कैसे चुनौती दी'। द ट्रिब्यून, 6 अप्रैल 2012। https://www.tribuneindia.com/2012/20120407/nation.htm#5

तातला, दर्शन सिंह। सिख प्रवासी: राज्य का दर्जा पाने की खोज। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन प्रेस, 1999।

द ट्रिब्यून। 'पुलिस ने पुरस्कार के लिए ग्यारह लोगों की हत्या की'। द ट्रिब्यून, 10 नवंबर 1994। https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-1994-11-30/html/CREC-1994-11-30-pt1-PgE35.htm

———. 'पंजाब में फर्जी मुठभेड़ों पर आदेश के लिए हाई कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश को फटकार लगाई'। द ट्रिब्यून, 27 नवंबर 2013।

खालरा हत्याकांड के प्रमुख गवाह की मौत। द ट्रिब्यून, 28 अक्टूबर 2011। https://www.tribuneindia.com/2011/20111028/punjab.htm

———. 'एक बार मारा गया, दो बार मारा गया'। द ट्रिब्यून, 1 नवंबर 1993।

———. 'एनआरआई की जमीन हड़पने के आरोप में ट्रैफिक एसएचओ पर मामला दर्ज'। द ट्रिब्यून, 6 फरवरी 2011। https://www.tribuneindia.com/2011/20110207/ldh.htm

ठुकराल, गोबिंद। 'पंजाब ने कर्ज चुकाने के लिए उधार लिया'। द ट्रिब्यून, 30 मई 2000। https://www.tribuneindia.com/2000/20000531/punjab.htm#1

टाइम्स न्यूज नेटवर्क। '1984 के सिख विरोधी दंगे: सरकार ने उपराज्यपाल को एसआईटी गठित करने की सिफारिश की'। टाइम्स ऑफ इंडिया, 7 फरवरी 2014। https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/1984-anti-Sikh-riots-Government-recommends-SIT-to-LG/articleshow/29964783.cms

———. ‘अकालियों का समर्थन करने के लिए चुनाव आयोग ने मंड स्थानांतरित किया’। टाइम्स ऑफ इंडिया, 27 दिसंबर 2012। https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/EC-transferred-Mand-for-supporting-Akalis/articleshow/17774948.cms&hl=en&gl=in&strip=1&vwsrc=0

———. 'पिनिस' में आरडीएक्स: कोई भी दोषी नहीं'। टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 जनवरी 2003। https://timesofindia.indiatimes.com/RDX-in-pinnis-None-convicted/articleshow/34353707.cms

———. ‘Sukhbir Badal: Congress Stoking Khalistan Flame Again’. The Times of India, 22 November 2015. https://timesofindia.indiatimes.com/india/Sukhbir-Badal-Congress-stoking-Khalistan-flame-again/articleshow/49877072.cms

टॉड, डगलस। ‘कनाडा के लोकप्रिय छात्र वीजा शोषण की ओर ले जा रहे हैं’। वैंकूवर सन, 18 सितंबर 2018। https://vancouversun.com/news/local-news/douglas-todd-popular-canadian-student-visas-leading-to-exploitation

ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस। ‘26 साल बाद, फर्जी मुठभेड़ मामले में 2 पूर्व पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा, 15 वर्षीय लड़के को घर से उठाया गया और बाद में मृत दिखाया गया’। द ट्रिब्यून, 27 सितंबर 2018। https://www.tribuneindia.com/news/punjab/26-yrs-on-2-ex-cops-get-life-term-in-fake-encounter-case/659410.html

ब्यास हत्याकांड: आरोपी को जमानत नहीं मिली। द ट्रिब्यून, 13 फरवरी 2009। https://www.tribuneindia.com/2009/20090214/punjab.htm

———. ‘हाई कोर्ट ने एडीजीपी गुप्ता को नोटिस जारी किया: याचिकाकर्ता ने अधिकारी को भू-माफिया बताया, सीबीआई जांच की मांग की’। द ट्रिब्यून, 2 दिसंबर 2011। https://www.tribuneindia.com/2011/20111202/punjab.htm#3

———. ‘हाई कोर्ट ने पंजाब को अतिक्रमण पर फटकार लगाई, राज्य को नयागांव में अवैध कब्जेदारो की सूची जमा करने को कहा’। द ट्रिब्यून, 2 मार्च 2012। https://www.tribuneindia.com/2012/20120302/punjab.htm#16

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण की रिपोर्ट भाग-1: चंडीगढ़ के निकट पंजाब के गांवों में शक्तिशाली लोगों ने कैसे सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया। द ट्रिब्यून, 9 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131110/main6.htm

———. ‘न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-II: अवैध आदेश, कंसल की सार्वजनिक भूमि के उत्परिवर्तन से लाभान्वित खरीदार’। द ट्रिब्यून, 10 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131111/main6.htm

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-III: बरताना गांव के सौदों में स्वार्थ को प्राथमिकता। द ट्रिब्यून, 11 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131112/main7.htm

———. ‘न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-IV: मिर्जापुर गांव में सिविल न्यायालय ने स्वयं कानून का उल्लंघन किया’। द ट्रिब्यून, 12 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131113/main8.htm

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-V: धोखाधड़ीपूर्ण दीवानी डिक्री ने अवैध बिक्री को सक्षम बनाया। द ट्रिब्यून, 13 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131114/main6.htm

———. ‘न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-छह: अमरिंदर सिंह और परिवार का मजरियां के अवैध सौदों में शामिल होना’। द ट्रिब्यून, 14 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131115/main7.htm

———. ‘न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-सात: मुल्लनपुर में 30 साल पुराने विवादों के समाधान के लिए विशेष न्यायालयों का प्रस्ताव’। द ट्रिब्यून, 15 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131116/main6.htm

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण की रिपोर्ट भाग-VIII: चंडीगढ़ के आसपास सुनियोजित भूमि हड़पने का घोटाला। द ट्रिब्यून, 16 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131117/main4.htm

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-IX: अवैध उत्परिवर्तन पर आधारित बिक्री, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत। द ट्रिब्यून, 17 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131118/main4.htm

ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस। 'न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-X: राज्य सरकार की नाक के नीचे घोटाला'। द ट्रिब्यून, 18 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131119/main4.htm

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-XI: जीएमएडीए ने अवैध कब्जेदारो को मुआवजा दिया। द ट्रिब्यून, 19 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131120/main5.htm

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह विशेष न्यायाधिकरण रिपोर्ट भाग-XII: न्यायाधिकरण अधिवक्ता, विशेष उच्च न्यायालय पीठ, सीबीआई जांच। द ट्रिब्यून, 20 नवंबर 2013। https://www.tribuneindia.com/2013/20131121/main7.htm

———. 'होटल मालिक की गिरफ्तारी के एक दिन बाद सतर्कता में नरमी आई: पुलिस रिमांड मांगने से इनकार'। द ट्रिब्यून, 16 अक्टूबर 2008। https://www.tribuneindia.com/2008/20081016/cth1.htm#8

त्रिपाठी, मनोज। 'पंजाब की धीमी अर्थव्यवस्था'। बिजनेस वर्ल्ड, 3 फरवरी 2017।

टली, मार्क, और सतीश जैकब। श्रीमती गांधी की अंतिम लड़ाई। नई दिल्ली: रूपा, 2006।

———. 'घाव भर जाते हैं, लेकिन एक और टाइमबॉम्ब टिक-टिक कर रहा है।' टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 जून 2014। https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/deep-focus/Wounds-heal-but-another-time-bomb-ticks-away/articleshow/35871055.cms

तुम्बे, चिन्मय। 'स्पेन और इटली में हाल ही में हुए पंजाबी प्रवासन को प्रवासी समुदाय के लिए एक नया मोड़ माना जा रहा है'। इकोनॉमिक टाइम्स, 29 जुलाई 2018। https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/how-the-recent-punjabi-migration-to-spain-and-italy-is-a-departure-for-the-diaspora/articleshow/65180012.cms

यूएनओडीसी। भारत से यूरोप और विशेष रूप से ब्रिटेन में प्रवासियों की तस्करी, 2009। यूएनओडीसी, नई दिल्ली, 2009। https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Smuggling_of_Migrants_from_India_to_Europe_-_ Punjab_Haryana.pdf

वशिष्ठ, सरोज. काला नवंबर: 1984 का नरसंहार। नई दिल्ली: रूपा, 1995।

वासुदेव, विकास. 'पंजाब कांग्रेस ने AAP पर लगाया देश विरोधी एजेंडा अपनाने का आरोप; केजरीवाल ने किया इनकार. द हिंदू, 12 फरवरी 2016।

विलाज़ोन, लुइस। 'आपको जीवन रक्षक मशीन पर कितने समय तक रखा जा सकता है?' साइंस फोकस। https://www.sciencefocus.com/the-human-body/how-long-can-you-be-kept-on-a-life-support-machine/

विनायक, रमेश। 'नरसिम्हा राव की पंजाब यात्रा मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के मनोबल को बढ़ाने वाली साबित हुई'। इंडिया टुडे, 20 अप्रैल 1995। https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19950515-narasimha-raos-punjab-visit-comes-as-a-morale-booster-for-cm-beant-singh-807256-1995-05-15

———. 'पंजाब में अपनी संपत्ति से ठगे गए एनआरआई, सरकार ने उनकी कानूनी परेशानियों को कम करने के लिए कदम उठाए'। इंडिया टुडे, 30 जनवरी 2013। https://www.indiatoday.in/magazine/states/story/20030120-nris-duped-of-their-property-in-punjab-government-moves-to-ease-their-legal-woes-793524-2003-01-20

विनायक, रमेश। 'पंजाब में आतंकवादियों को डबल एजेंट के रूप में भर्ती करने की व्यवस्था उन्हें पुलिस की दया पर छोड़ देती है'। इंडिया टुडे, 15 दिसंबर 2015। https://www.indiatoday.in/magazine/special-report/

story/19951215-system-of-inducting-terrorists-as-double-agents-leaves-them-at-mercy-of-police-in-punjab-808078–1995–12-15

वालिया, अरुणजीव सिंह, और तेजिंदर सिंह सूडान। पंजाब में राज्य आतंकवाद की उत्पत्ति। चंडीगढ़: लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, 2001। http://lfhri.org/genesis-of-state-terrorism-in-punjab/

———. 'राज्य दमन के काले बादल: पुलिस की ज्यादतियों ने पंजाब को तोड़ दिया'। एशियाई मानवाधिकार आयोग, 2002। http://www.humanrights.asia/resources/journals-magazines/article2/0103/dark-clouds-of-state-repression-police-excesses-have-broken-punjab/

वालिया, वरिंदर। 'डीएसपी और 6 अन्य के खिलाफ वारंट जारी'। द ट्रिब्यून, 19 सितंबर 2001। https://www.tribuneindia.com/2001/20010919/punjab1.htm

यादव, पुनीत निकोलस। '1984 के दंगों के मामलों में हुई चूक के लिए न्यायपालिका भी बराबर की ज़िम्मेदारी लेती है: एसआईटी प्रमुख न्यायमूर्ति ढिंगरा'। इंडिया लीगल, 16 जनवरी 2019। http://www.indialegallive.com/interview/il-interview/judiciary-must-share-equal-blame-lapses-1984-riots-cases-sit-head-justice-retd-dhingra-59484

जैदी, हुसैन। ब्लैक फ्राइडे: बॉम्बे बम धमाकों की सच्ची कहानी। नई दिल्ली, पेंगुइन बुक्स, 2002।

लेखकों के बारे में

इंदरजीत सिंह जयजी पंजाब में ग्रामीण बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके पिता ने आत्महत्या कर ली है। वे नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। इस कार्य के दौरान उन्हें 17 बार गिरफ्तार किया गया और पाँच बार जेल भेजा गया। वे आज भी इस कार्य में सक्रिय हैं। वे जिन संगठनों से जुड़े हैं—बाबा नानक एजुकेशनल सोसाइटी और राज्य दमन विरोधी आंदोलन—वे दोनों ही पूरी तरह से गैर-राजनीतिक और गैर-सांप्रदायिक हैं।

1983 तक वे डनलप इंडिया लिमिटेड में मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव थे। उसी वर्ष, पंजाब में स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और पंजाब लौट आए। 1985 में वे अकाली पार्टी के टिकट पर पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए, लेकिन स्वर्ण मंदिर में सरकार की कार्रवाई के विरोध में उन्होंने 1986 में इस्तीफा दे दिया।

डोना सूरी 22 वर्ष की आयु में भारत आईं और तब से यहीं रह रही हैं। संपादक के रूप में अपने 35 वर्षों के अनुभव को संजोते हुए, उन्होंने इंडिया टुडे से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से एसोसिएट एडिटर के पद से सेवानिवृत्ति ली। उन्होंने इंदरजीत सिंह जयजी की पिछली दो पुस्तकों में संपादकीय और शोध सहायता प्रदान की और युवा पाठकों के लिए विज्ञान इतिहास की दो पुस्तकें (द स्टोरी ऑफ आयरन और द स्टोरी ऑफ कॉपर) लिखी हैं।

Let this book be your companion and guide as you try to make sense of the forthcoming tumultuous events in Indian politics.

Lord Meghnad Desai
Economist, Author and Politician

A political tale of India through the first-person narratives of political leaders

For special offers on this and other books from SAGE, write to marketing@sagepub.in

Explore our range at **www.sagepub.in**

Paperback
978-93-532-8298-1